(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 26वां दिवस [संख्या 19

शुक्रवार,

दिनांक 14 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

[खाद्य, शिक्षा, गृह, कृषि, मोटर गैराज, राजस्व, खादी एवं ग्रामोद्योग, वन, अकाल सहायता, उद्योग, पशु पालन, पंचायत, सामान्य प्रशासन विभाग]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

राजस्थान नहर पर लगे मजदूरों को दिया जाने वाला अनाज

482. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर पर काम करने वाले मजदूरों को दिये जाने वाला माइलो बहुत ही खराब है उसमें धतूरे के बीज और अन्य विषैले पदार्थ मिले हुये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जब से राजस्थान नहर पर मजदूरों को काम पर लगाया गया है तब से आज तक अच्छा अनाज गेहूं, बाजरा आदि नहीं दिया गया है ? यदि दिया गया है, तो किस किस माह के किस-किस सप्ताह में कितना-कितना प्रति मजदूर और क्या-क्या खाद्य सामग्री दी गई है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि मजदूरों को दिया जाने वाला खराब माइलो जिसमें धतूरा और अन्य विषैले पदार्थ मिले हुये होने के कारण मजदूरों से लिखित रूप में लिया जाता है कि वास्तव में माइलो में विषैले पदार्थ हैं इसलिए सफाई करके इसका उपयोग किया जाये ? अगर कोई व्यक्ति मर गया तो सरकार की कोई जुम्मेवारी नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त माइलो खराब होने के कारण उसको धोकर और साफ कर खाने में 50% शुद्ध माइलो नहीं बचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का इरादा रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि माइलो खराब होने की सरकार के पास मजदूरों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
समय-समय पर भेजी गई ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(6) क्या राज्य सरकार इन मजदूरों को अच्छा अनाज गेहूं, बाजरा आदि देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) माइलो विदेशों से आयात किया जाता है। इसमें धतूरे के बीज अल्प मात्रा में मिले हुये हैं। परन्तु इस अल्प मात्रा से भोजन के विषैले होने की सम्भावना नहीं होती है। माइलो में धतूरा बीज के अलावा अन्य कोई विषैले पदार्थों का मिश्रण नहीं है।

(2) राजस्थान नहर पर कार्य करने वाले श्रमिकों को खाद्य सामग्री सितम्बर, 73 तक विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सप्लाई की गई है। जिसमें 12 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता था। बाद में यह व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। अक्टूबर, 73 से राजस्थान नहर के श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही खाद्य मात्रा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है कि हर एक उपभोक्ता से माइलो सफाई करके उपयोग करने की लिखित में ली जाती है। परन्तु धतूरे के बीज निकाल कर उपयोग करने का परामर्श अवश्य दिया जाता है।

(4) माइलो को उपयोग से पहले धोने की आवश्यकता नहीं बतलाई गई है। केवल धतूरे के बीज निकालने का परामर्श दिया गया है। अतः यह सत्य नहीं है कि साफ करने पर 50% ही माइलो शेष बचता है।

(5) विधान सभा सत्र में माह फरवरी 1973 में जनप्रतिनिधियों द्वारा धतूरे के बीज शामिल होने की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, उपभोक्ताओं को उक्त माइलो के उपयोग से पूर्व धतूरे के बीज हटाने का परामर्श फेयर प्राइस शॉप्स समाचार पत्र, रेवेन्यू स्टाफ तथा जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के माध्यम से दिलाया गया।

(6) मजदूरों एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को जो खाद्यान्न केन्द्र से प्राप्त होता है, वही वितरण कराया जाता है। अभी गेहूं व माइलो ही मिल रहा है जो दिया जा रहा है। यदि केन्द्र से भविष्य में बाजरा आदि मिला तो वह भी उपलब्ध कराया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय,....

श्री केसरीमल (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने यह माइलो सभी इन मजदूरों को ही देने की व्यवस्था की है, क्या शहर में देने की व्यवस्था नहीं की है ?

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि यह विषैला नहीं है, तो क्या उन्होंने ऐसा कोई प्रबन्ध किया है जिससे कि यह साबित हो सके कि यह वास्तव में विषैला **नहीं है ?**

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री ओंकारलाल चौहान (डग): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, एक तो यह है कि यह उनकी जानकारी में कब आया है कि यह विषैला है। यह नोटिस में कब आया ? दूसरा यह कि क्या उन्होंने इस बात की जानकारी की है कि यह खाने में विषैला नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन(बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने यह बताया है कि वह साफ करने के बाद 50% रह जाता है। इस बारे में मैं निवेदन करूं कि मैंने खुद ने देखा है। यह बात सही है। 50% नहीं 60-70% तो रहता ही है अगर सफाई करके देने की व्यवस्था करेंगे, धतूरा निकाल कर देने की व्यवस्था करेंगे । तीसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माइलो देने के कारण और डिस्ट्रिक्ट के मजदूर नहीं जाते हैं। इस लिए माइलो न देकर कोई दूसरा अनाज देने की व्यवस्था क्या मन्त्री महोदय कर सकेंगे ताकि अधिकाधिक मजदूर वहां आ सकें ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे, जो माइलो एफ. सी. आई. की गोदाम में रहता है, धतूरे से आप एग्री नहीं हुये तो क्या यह सही है कि एफ. सी. आई. गोदाम में 23-24 साल पहले का माइलो है ? जो कि मच्छर मारने के काम का है, वह आपने मजदूरों को दिया है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ जावे।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, माइलो के बारे में पहले भी सदन में प्रश्न आ चुका है। इसमें धतूरा मिला हुआ है यह फरवरी, 1973 में मालूम पड़ा। एफ. सी. आई. और भारत सरकार को कहा गया तो उन लोगों ने कहा कि इसमें धतूरा मिला हुआ आता है। यह गलत बात नहीं है। एफ. सी. आई. ने उसको छटवाने की कोशिश की है। चूंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह के इन्स्ट्रक्शन दे देने चाहिए कि इसको लेकर साफ करके उपयोग में लिया जाये। यहां पर भी यह प्रश्न आया था। स्पष्ट है कि इसमें धतूरे का बीज मिला होता है। यह मिलने की बात तो निरन्तर कही है। इसकी वाइड पब्लिसिटी भी की गई है। इसका उपयोग करने से पहले इसको निकाल लिया जाये। इसके कोई अनटुवर्ड हैपनिंग नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि यह एफ. सी. आई. की गोदाम में 22-23 साल से पड़ा है, मैं समझता हूं कि आज खाने को मिलता नहीं है

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष, महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको कहने का मौका मिलेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह मजदूरों को दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये । आप दुबारा पूछ लीजिये ।

श्री शिवचरण माथुर : 22-23 साल तक स्टॉक में उपलब्ध रहे । हम तो यह महीने-महीने के बाद एमरजेन्सी बेसिस पर करते रहते हैं । यह कहना कि यह 22-23 साल पहले का है, जहरीला है, ऐसा मेरे नोटिस में नहीं है । कोई उसको नहीं कह सकता है । माइलो में धतूरे का मिला होना यह फरवरी, 1973 से मालूम है । उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद कहा गया था उसमें काफी टाइम लगता है तो यह हुआ कि बांटना शुरू हो जाये और जो उपयोग करने वाले हैं, उनको यह बता दिया जाये कि उनको बीन कर उपयोग करें । मैं समझता हूं कि यह बहुत कम मात्रा में धतूरे का बीज होता है । दूसरी बात यह कही गई है कि यह शहरों में दिया जाता है या देहातों में दिया जाता है । यह अनेक बार सदन के पटल पर कहा गया है । जितना उपलब्ध होता है, उसी के आधार पर देते हैं । इस महीने में अच्छा उपलब्ध हो गया है । तो देहातों में भी गेहूं दिया जा रहा है । माइलो भी थोड़ा दे रहे हैं । जहां तक राजस्थान कैनाल क्षेत्र में माइलो को बीन कर 50% ही रह जाने वाली बात है, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है, उसका क्वैण्टम क्या है, यह पता लगाना मुश्किल है ।

श्री शंकरसिंह : आपने धतूरे के बीजों को एग्जामिन कराया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, यह जो 25% सफाई में कम हो जाता है । तो मेरा सरकार से यह पूछना है, जहां तक सफाई करने से जो कमी हो जाती है तो क्या उसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ाना उचित समझते हैं जिससे कि उससे उदर पूर्ति की सामग्री प्राप्त हो जाये ?

श्री अध्यक्ष : और पूछ लीजिये ।

श्री माणकचन्द सोगानी : अगर सब्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या और अधिक सब्सीडाइज कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री भारतीय !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने मंजूर किया है कि उसके अन्दर धतूरे के बीज है, तो यह नोटीफाइड फैक्ट है कि धतूरा पॉइजन है । उस पॉइजन का राज्य सरकार ने कैमिकल एग्जामिनेशन कराया कि ह्यूमन बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है ? हालांकि इतना विषैला नहीं है, आपका कहना है, कोई डेथ नहीं हुई है, तो क्या डेथ होने के बाद ही राज्य सरकार काग्नीजेंस लेगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बर्डन शिफ्ट करने के बजाय इस प्रकार की पॉइजनस कमोडिटी को अलग करके बांटें । एज ए फूड आप जनता को बांट दें और जनता को कहें कि इसको अलग करें । इससे अधिक हीनिअस अपराध जनता के प्रति हो नहीं सकता है । माननीय मंत्री जी समाजवाद में विश्वास रखते हैं, तो यह पॉइजनस कमोडिटी मजदूर किसानों को क्यों देते हैं ? (शोर-गुल : अश्रव्य) शहर की जनता को यह

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय) पॉयजनस कमोडिटी को क्यों नहीं डिस्ट्रिब्यूट करते हैं ? क्यों नहीं इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करने की बात करना चाहते हैं ?

श्री केसरीमल (ब्यावर) : मजदूर का किसानों को पॉइजनिंग किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे सप्लीमेन्ट्री पूछें जिससे ज्यादा सप्लीमेन्ट्री आ जायं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मन्त्री महोदय ने कहा ···

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हद हो गई, मन्त्री महोदय स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, जनता को धतूरे के बीज खिला रहे हैं क्या यह उचित समझते हैं ? यहां खाद्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठे रहें। क्या आप में कोई सम्मान या सेल्फ रेस्पेक्ट है नहीं ? क्या आप रिजाइन करना उचित नहीं समझते ? यह हद हो गई। This is scandalous.

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय के खड़े होने पर) इकट्ठा जवाब दे दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : पॉइजन खिलाना आई. पी. सी. में अपराध है, क्या यह सच है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री जी ने स्वीकार किया कि समय ज्यादा लगता है, इसलिए समय ज्यादा लगने के कारण स्क्रिनिंग नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी, कितना ही समय लगे आप अपनी तरफ से सफाई करा कर दें। नहीं तो क्या गारन्टी होगी कि गरीब लोग कर लेंगे ? गरीब लोगों के पास समय कहां है ? इतने घन्टे उनको काम करना पड़ता है। वह कब साफ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान कैनाल में इतने मजदूर काम करते हैं, उनको माइलो साफ करके देना क्या उचित समझेंगे ?

श्री जीथिग (कुशलगढ़) : यह ग्राम लोगों की बात है। ग्राम लोगों को इस प्रकार जहर खिलाने की बात की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : लम्बा सप्लीमेन्ट्री नहीं हो, नहीं तो जवाब नहीं दे सकेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरे, एफ. सी. आई. के गोदामों में अन्दर भिन्न-भिन्न जगह थोड़ा माइलो पड़ा था, एफ. सी. आई. बिजनेस बॉडी है, वह हर चीज को पैसे में आंकती है। खराब माइलो इकट्ठा करके राजस्थान कैनाल पर भेज दिया ? यह क्यों किया ? यहां मौजूद है नहीं तो जहां है वहां से इकट्ठा करके भेज दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मन्त्री महोदय ने स्वीकारोक्ति के साथ में कहा कि धतूरा मिला हुआ देते हैं माइलो—इससे बढ़कर क्या शर्मनाक बात हो सकती है। स्वयं मन्त्री महोदय कहते हैं, धतूरा मिला हुआ देते हैं माइलो, आप स्वयं उसको खाइये····

श्री लक्ष्मणसिंह : आप स्वयं धतूरा खाइये।

श्री जोगिंग : आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसे मन्त्री को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, मजदूरों को जानबूझ कर धतूरा देते हैं। दूसरे इससे कितने मजदूर बीमार पड़े हैं ? कोई मरने की शिकायत आई है ? माननीय सदस्य ने कहा कि कई मौत हुई हैं। वह आपके सामने नहीं आती है। जो आती है तो आप दूसरे कारण से मौत होना बताते हैं।

तीसरी बात यह है, यह बीस-बाईस साल का नहीं है, तो सड़ा हुआ तो है, खाने जैसा नहीं है, फिर मजदूरों के लिए समाजवादी व्यवस्था में यह पारितोषिक क्यों दिया जा रहा है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, पहले एक सत्र में धतूरे के बीज के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था, क्या आपने उस समय, जो उस समय खाद्य मंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार से आश्वासन दिया था, उसके बाद भी फिर भी धतूरे का बीज मिला हुआ यह खाद्यान्न मजदूरों को डिस्ट्रिब्यूट करके क्या सदन में दिये गये आश्वासन, जो पहले सत्र में दिया था, की वायदा खिलाफी नहीं की है ? नम्बर एक। नम्बर दो, मैं जानना चाहूंगा, क्या यह धतूरा मिला हुआ माइलो जो दे रहे हैं इसको खिला कर राजस्थान नहर में आमंत्रण दे रहे हैं सारे राजस्थान के मजदूरों का अकाल निवारण के लिए ? क्या अकाल निवारण का यह तरीका है कि जहर खिला कर उनको मौत के द्वार पर खड़ा कर दें। तीसरी बात मैं जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, धतूरा खाने से कई मजदूरों को रतौंधी की बीमारी, जिसमें नाइट को उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यह बीमारी बहुत परिमाण में मजदूरों को हो गई है, इस क्षेत्र में हुई है—इस सब को देखते हुए मन्त्री महोदय स्वयं मंत्रियों के लिए धतूरे का बीज मिली ज्वार खिलाने की तजवीज करेंगे, यह आपको राशन में मिले····

श्री शंकर सिंह रावत : धतूरे के बीज से रतौंधी नहीं होती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ज्वार से रतौंधी होती है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : धतूरे का बीज मिला हुआ ज्वार है····

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : इनको क्यों धतूरे का बीज खिला रहे हैं ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : मंत्री धतूरे का बीज खाकर शंकर बन जायेंगे और शंकर के स्वरूप में सारा जहर खा सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जनता को धतूरा के बीज मिला ज्वार नहीं दिया जाय। यदि नहीं, तो मंत्री जी में थोड़ी बहुत शर्म रह गई हो तो आज ही उनको त्याग पत्र प्रेषित करना चाहिए।

श्री रावतराम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : आप पूछना चाहते हैं तो पूछते क्यों नहीं हैं ?

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह माइलो दिया जाता है, आज तक सरकार ने जितना माइलो दिया है, वह राजस्थान कैनाल में जो मजदूर काम करते हैं, या फिर जो अकाल पीड़ित जनता है, जो अकालग्रस्त एरिया है, वहां के लोगों को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, जो अकालग्रस्त लोग हैं या राजस्थान कैनाल या दूसरे प्राजेक्ट पर मजदूरी का काम करते हैं केवल मात्र माइलो उन्हीं के लिए है–यह स्पष्ट करिये। गवर्नमेंट के पास जो खाद्यान्न है, चाहे बाजरा हो, गेहूं हो, माइलो हो–उसका समान वितरण क्यों नहीं करते हैं ? माइलो गरीब आदमियों के लिए देते रहें–यह पक्षपातपूर्ण नीति है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं।

श्री रावतराम : दूसरा यह है कि मंत्री महोदय ने बताया कि गेहूं देहातों में भिजवाया है। मेरा निवेदन है कि पिछले छः माह में एक दाना गेहूं का नहीं भिजवाया है, और माइलो ही वहां भिजवाया है और वही बांटा है। यह पक्षपातपूर्ण नीति नहीं बरती जानी चाहिए।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत यह फ्री ऑफ कास्ट मिलता है और आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें धतूरे के बीज नहीं होने चाहिए। दूसरे क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान कैनाल में मजदूरों को फेयर प्राइस शॉप्स से देने का कार्यक्रम बनाया है ?

एक माननीय सदस्य : छोटा सा प्रश्न मेरा है, क्या मंत्री महोदय ने जांच कराई है कि माइलो में धतूरा कहां और किसने मिलाया है ?

श्री लूणाराम : (डूंगरगढ़) अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने फर्माया कि विश्व पोषाहार कार्यक्रम के द्वारा बारह किलो कनक दी जाती थी। मैं जानना चाहूंगा, उस प्रोग्राम में क्या हमारी सरकार ने, जो विभिन्न गोदामों के अन्दर सड़ा गला माल पड़ा हुआ था, वह मजदूरों को वितरण करने के लिए यह व्यवस्था हाथ में ली है, एक बात। दूसरा प्रश्न यह है, प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है, इसके अन्दर बहुत खराबी होने की वजह से सफाई करने पर पचास प्रतिशत छीजत चली जाती है। क्या मंत्री महोदय उस छीजत से मजदूरों का बचायेंगे और इसकी छनाई करके वितरण करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : 17-18 मिनिट लग चुके हैं। गवर्नमेंट का रिप्लाई भी सुन लें। एक दो सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहें तो पूछ लें। वरना आपके सवाल रह जायेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : हमारे सवाल आने दीजिये।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : एक सवाल में भी घण्टा भर लगेगा।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या यह सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव के खड़े होने पर) आपको कहा, आप बोले नहीं। देखता रहा मैं आपकी तरफ।

Page No 8

(8)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या यह सही है, जिस माइलो का यहां पर जिक्र हो रहा है, वह माइलो आज कल नगरों में भी जबर्दस्ती गेहूं के एवजाना में, दिया जा रहा है ? इतना माइलो ले लीजिये कम्पलसरीली और उतना गेहूं कम किया जा रहा है ? आज कल नगरों में वितरण किया जा रहा है माइलो। जैसे अकाल वाले क्षेत्र में बांट रहे हैं, नगरों में भी बांट कर शहर के लोगों को मारना चाहते हैं। मंत्री महोदय द्वारा इस्तीफा देने की बात तो दूर रही, इस सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करें और माइलो का वितरण बन्द करायें।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक-एक आ जायं।

श्री शिवचरण माथुर : फिर जवाब होगा नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं, एक तो यह बतायें, माइलो का कितना स्टॉक बाकी है। फ्री आफ कॉस्ट माइलो जो मिला, यह कितना बाकी है ? दूसरे मैं चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय इस बात का एश्योरेन्स देने के लिए तैयार हैं कि वह इसको साफ करा कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आ गया।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मंत्री महोदय ने सुना नहीं।

क्या वह इस बात का एश्योरेन्स देने के लिए तैयार हैं कि अब यह माइलो साफ करवा कर दिया जायेगा ? और आप के पास जो स्टॉक बाकी है उसको साफ कराने में कितना खर्चा होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सदन के सामने कई दफा गवर्नमैंट ने यह बात स्वीकार की है कि माइलो में धतूरा मिला हुआ है. यह बात निर्विवाद है कि धतूरा एक डेडली पॉइजन है और सैंकड़ों रिपोर्ट्स आती हैं जहां धतूरा मिली हुई चीज लोगों ने खाली और खिलाने वालों के खिलाफ चालान किए गए। जहर मिला हुआ कोई भी पदार्थ बेचना अपराध है। तो फूड कार्पोरेशन और फूड डिपार्टमैंट के अधिकारियों के खिलाफ इस सम्बन्ध में चालान क्यों नहीं किए जा रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अबेटमैंट में आप भी आ जायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने स्वीकार किया है कि कुछ मात्रा में धतूरा मिला हुआ है। 1973 के फरवरी माह में भी यह प्रश्न उठाया गया था और उस वक्त तत्कालीन खाद्य मन्त्री ने कहा था कि साफ कराने के बाद में वितरण करेंगे। साफ कराने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी और तब तक वितरण बन्द कर दिया गया था। परन्तु साफ करने में अधिक समय लगा तो इसी सदन में दुबारा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यदि इस बात की वाइड पब्लिसिटी की जाये कि लोग अपने आप साफ करके प्रयोग में लें तो इसकी वितरण व्यवस्था चालू हो सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसा नहीं कहा गया है।

श्री शिवचरण माथुर : कहा था । यह बात सदन में आई थी और.......

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ऐसा नहीं है।

Proceedings should be placed on the table of the House.

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी को सुनिये ।

(शोरोगुल)

उत्तर सुन लें । उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं क्या ?

(शोरोगुल)

उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं तो आगे चलें ।

(शोरोगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसकी जिम्मेदारी आप हम पर डालना चाहते हैं ।

श्री विट्ठल भाई : अध्यक्ष महोदय, बार बार यह ऐसा ..

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(शोरोगुल)

माननीय मन्त्री जी, शुरू करिये ।

श्री शिवचरण माथुर : आप प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं । उस वक्त यह सवाल आया था, जब विलम्ब होने लगा तो यह सवाल आया कि वितरण शुरू कर दिया जाये और इस बात की वाइड पब्लिसिटी की जाये कि लोग इसको साफ करके बाद में प्रयोग करें ।

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : सुनिये, उत्तर सुनिये ।

(शोरोगुल)

अगर आप सुनना चाहते हैं तब तो मैं मौका दे दूं ।

(शोरोगुल)

एक माननीय सदस्य : खाद्यान्न में प्वाइजन मिला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आप भी सही कह रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्न यह है कि आज भी हमारे पास जो माइलो उपलब्ध है....

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : जहर है ।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिए वितरण चालू कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि साफ करके काम में लें । वैसे भी हर आदमी के घर में अनाज को औरतें बीनने के बाद काम में लेती हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिस मजदूर की औरत तो जैसलमेर बैठी हुई है, वह औरत कहां से आ कर साफ करेगी ?

(शोरोगुल)

Page No 10

(१०)

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो सुन लीजिये। Let him reply.

श्री गुमानमल लोढ़ा : He should give a statement in the House that he would stop it.

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल पहले भी आ चुका है, और आज भी यह सवाल आ रहा है। सवाल यह आता है कि वितरण चालू रखा जाये या बन्द कर दिया जाये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उसको साफ करा दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : साफ करने में ऐसी दिक्कत है····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : साफ कराने से बारह किलो के नौ किलो ही मिलते हैं यह तो कम से कम बन्द हो जायेगा।

(शोरोगुल)

श्री मूलचन्द सामरिया : आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं क्या····

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भानुकुमार शास्त्री!

(शोरोगुल)

I have taken up another question.

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार का यह सर्व प्रथम कर्त्तव्य है कि जनता को सुथरा अनाज दें बेचारे खाद्य मन्त्री जी

कुछ माननीय सदस्य : बेचारे ?

श्री लक्ष्मणसिंह : इन्होंने इस सदन में स्वीकार किया कि अनाज गन्दा दिया जाता है और धतूरा मिलाकर दिया जाता है।

(शोरोगुल)

आप इस सदन में एशोरेन्स दें, आश्वासन दें कि भविष्य में कभी भी, कभी भी धतूरा मिलाकर अनाज नहीं दिया जायेगा। अगर वह यह एशोरेन्स नहीं देते हैं तो वह गुनहगार हैं और गद्दार हैं और वह जनता के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। यह आपका एन्टी सोशल एक्ट है। आप इस गुनाह को अच्छी तरह समझते हैं और अगर आप कैटेगरीकल आश्वासन सदन में नहीं दे सकते हैं तो विपक्ष के पास और क्या चारा हो सकता है सिवाय इसके कि इन प्रोटेस्ट वाक आउट करे।

श्री दीपंकर : महारावल साहब ने जो····

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का प्रश्न पहले भी सदन में आया था····

(शोरोगुल)

मुझे आप सुनिये।

(शोरोगुल)

श्री शिवचरण माथुर : अगर माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि जब तक माइलो साफ नहीं हो, तब तक वितरण नहीं किया जाये तो मैं वितरण बन्द करवाता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरा अनाज देना पड़ेगा।

(शोरोगुल)

श्री शिवचरण माथुर : इसमें समय लग सकता है। साफ करवा कर देंगे।

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या मन्त्री जी

(शोरोगुल)

श्री अध्यक्ष : नो, नो, । माननीय सदस्य, आप रूलिंग पार्टी को बिलांग करते हैं और इस तरह मिसबिहेव करते हैं...

(शोरोगुल)

दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रश्न संख्या 483।

श्री शिवचरण माथुर : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को विचार में रखते हुए जो धतूरा मिला हुआ माइलो है उसका वितरण बन्द करता हूं और उसको साफ कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शिक्षा मन्त्री जी !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि हम इसको छनवा कर देंगे। तो इस तरह तो वह अनाज हमारे यहां की जनता को 6 महीने तक वितरण नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। श्री भानुकुमार शास्त्री !

(व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही उस प्रश्न पर सप्लीमेन्ट्री के लिए आधा घन्टा दे दिया है। काफी मौका दे चुका हूं। मन्त्री जी को जो उत्तर देना था वह दे चुके हैं। अब मैं कोई सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं करूंगा। एक सवाल में आपको आधा घण्टा दे दिया और आप क्या चाहते हैं? माननीय शिक्षा मन्त्री जी।

(व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही कह दिया अब मैं कोई सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं करूंगा।

Not to be recorded.

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अब मैं दूसरा सवाल लूंगा। आप कुछ भी पूछा करें कुछ भी नहीं लिखा जायेगा।

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय शिक्षा मन्त्री जी ! प्रश्न संख्या 483 ।

श्री सनातन धर्म पंचायन हायर सैकेन्डरी स्कूल, मण्डावा

483. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(1) क्या यह सही है कि सनातन धर्म पंचायत हायर सैकेन्डरी स्कूल मण्डावा (झुनझुनू) की प्रबन्ध समिति का गठन अनुदान नियमों के अनुसार नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी भी उक्त संस्था की प्रबन्ध कमेटी में वे ही व्यक्ति हैं जो संयुक्त निदेशक श्री कुरावत की जांच के समय थे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1974-75 के वित्तीय वर्ष में संस्था की अनुदान राशि रोक दी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था ?

(4) क्या उक्त संस्था को अनुदान फिर चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिह) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । चूंकि संस्था की प्रबन्धकारी समिति का गठन अनुदान नियमानुसार नहीं था ।

(4) जी हां । अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये उन्हें वेतन दिलाने के लिये अनुदान पुनः देने के आदेश दिये गए ।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कुरावत सहाब ने जो जांच रिपोर्ट दी थी उसे सदन की पटल पर क्यों नहीं रखा ?

श्री खेतसिह : क्योंकि कुरावत सहाब ने जो जांच रिपोर्ट दी थी वह उस प्रबन्ध समिति की थी जो कि नियमानुसार नहीं थी । हमने वहां पर नियमानुसार प्रबन्ध समिति गठित करने के आदेश दे दिये हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो जब तक वहां पर नियमानुसार प्रबन्ध समिति नहीं गठित होती है तब तक राज्य सरकार उसको अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? इसके अलावा आपने नियमों के विरुद्ध जो प्रबन्ध समिति थी उसको अनुदान कैसे दिया ? अनुदान बन्द कर देना चाहिये था ।

श्री खेतसिह : जहां तक अनुदान बन्द करने का सवाल है वहां के अध्यापकों को तनख्वाहें ही नहीं बंट पातीं और वहां के अध्यापकों ने यह कहा कि हमारी आर्थिक हालत खराब हो जायेगी । वह लोग धरना देकर बैठ गये । इसलिये राज्य सरकार ने यह समझ कर कि उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी इसलिये मानवीय दृष्टिकोण से हमने उनको अनुदान दिया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये । उत्तर तो सुनिये । नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं दूसरा प्रश्न ले लूं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, वहां जो प्रबन्ध समिति है वहां पर सारा काम काज अन्धाधुन्ध चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक नियमानुसार प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो तब तक के लिये आप अपने हाथ में उसका प्रबन्ध ले लें तो उचित रहेगा।

श्री खेतसिंह: आपने जो सुझाव दिया है उस पर मैं निश्चित तौर पर गौर करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री लूणाराम!

विधायक निवास, जयपुर में चोरियां

484. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(1) विधायक निवास, जयपुर में 1 जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1974 तक कुल कितने रुपयों की सम्पत्ति की चोरी की कितनी दरख्वास्तें पेश हुई? इनमें से कितनी चोरियां बरामद हुई तथा कितनी शेष रहीं?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष इस सम्बन्ध में विधायकों ने चोरियों की सूची व उसकी रोकथाम के लिये प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री एवं मुख्य सचिव को दिया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों?

राज्य मन्त्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) विधायक निवास, जयपुर, में 1 जनवरी, 1973 से लेकर 31 दिसम्बर, 1974 तक कुल 4525 रुपयों की सम्पत्ति चोरी जाने की 16 दरख्वास्तें प्राप्त हुई जिन पर मुकदमे दर्ज कर तफतीश की गई। काफी कोशिश के बावजूद भी चोरी गई सम्पत्ति बरामद नहीं की जा सकी।

(2) जी हां, चोरियों की रोकथाम के लिये पुलिस की निरन्तर गश्त का उचित प्रबन्ध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप चोरियों के अपराधों में सुधार हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: कितना सुधार हुआ यह बताये।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह: अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विधायक निवास और गवर्नमेन्ट होस्टल के पास विधायकों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने पुलिस आउट पोस्ट कायम किया है। क्या यह सही है कि वहां पर जो पुलिस ऑन ड्यूटी रहते हैं वह अपनी ड्यूटी अन्जाम पूरी तरह से नहीं देते हैं और वह लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं तथा रात और दिन में कभी भी किसी प्रकार की गश्त वहां नहीं लगाते हैं। इसके अतिरिक्त वह लोग सिनेमा घरों में जाकर टिकिटों का ब्लैक करवाते हैं। इसलिए विधायक निवास की कोई सुरक्षा वहां पर नहीं रहती है जिसके कारण वहां पर चोरियां आये दिन होती रहती हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा कि आज तक जितनी चोरियां विधायक निवास या गवर्नमेंट होस्टल में हुई उसमें कोई भी चोरी बरामद नहीं हुई उसका क्या कारण है। क्या राजस्थान की पुलिस किसी भी चोरी का सुराग नहीं लगा सकी? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि वहां पर जो पुलिस रहते हैं उनके खिलाफ में क्या एक्शन लिया। मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने खुद ने उन लोगों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को देखा है वह लोग सोते रहते हैं। वह लोग कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है यहां पर। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप उनको जरा एक्टिव कीजिये ताकि वहां पर जो आये दिन चोरियां हो रही हैं वह बन्द हो जायें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रावतराम !

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे कमरे में चोरी हुई है। दो हजार रुपये की चोरी हुई। ऐसी बात, अध्यक्ष महोदय, दो बार हो चुकी है। इतना ही नहीं, चोर वहां से दरवाजों के पर्दे तक उतार कर ले जाते हैं। और हमारे यहां की पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वह कुछ भी नहीं कर पाती है। मैं तो मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी निकम्मी पुलिस को वहां से हटा लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री भानुकुमार शास्त्री : विधायक निवास में तो क्या, यहां के डी. आई. जी. के घर में चोरा हो गई।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के यह नोटिस में लाना चाहूंगा कि आज आपने जो पुलिस की चौकियां विधायक निवास और गवर्नमेंट होस्टल में कायम कर रखी हैं वहां जो पुलिस वाले हैं वह वहां पर विधायकों के खाली कमरों में जुए खिलाते हैं। वहां पुलिस वाले कोई गश्त का कार्य नहीं करते हैं। अगर उनको कहा जाता है तो वह लोग कहते हैं कि हमारा काम गश्त लगाना नहीं है। आज विधायकों की स्थिति तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि विधायक लोग शर्मिन्दगी के कारण पुलिस में चोरियों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं। कभी किसी विधायक के कमरे से ट्रान्जिस्टर चला जाता है, ता कभी किसी का सूटकेस चला जाता है, कभी रुपये चले जाते हैं, किसी विधायक का कम्बल चला जाता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर विधायकों का जो सामान है वह किसी भी प्रकार सुरक्षित नहीं है। आज पिछले पांच महीने में मेरे यहां से अटेची चली गयी, और भी सामान गया है। अध्यक्ष महोदय, विधायकों की हालत खराब है। अगर यह हालत आज जयपुर में विधायकों की है तो जयपुर की जनता की क्या हालत होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह !

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इतना निवेदन करना है कि आज विधायक निवास और गवर्नमैंट होस्टल में विधायकों का सामान सुरक्षित नहीं है, मेरे कमरे में दो बार चोरियां हो चुकी हैं। वहां से ट्रान्जिस्टर चोरी हो गया। इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन यह है कि हमने वहां पर चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उस चोर के पास एक लिस्ट निकली जिससे यह पता लगता था कि उसने यहां, विधायक निवास और गवर्नमैंन्ट होस्टल से चोरियां हुई हैं वह उन्हीं के द्वारा की गई हैं पर कुछ भी रिकवरी नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मीठालाल !

श्री मोठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चाहे विधायक निवास हो, चाहे गवर्नमेंट होस्टल हो, चाहे धाभाई जी की हवेली हो ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहां पर चोरियां नहीं हुई हों। यहां पर धाभाई जी की हवेली में एक चौकीदार है वह दिन रात सोता ही रहता है, कोई ड्यूटी नहीं देता है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में उसे हिदायत दें। इसके अलावा विधायक निवास और गवर्नमेंट होस्टल में आपने पुलिस की चौकी लगाई है उसी तरह से धाभाई जी की हवेली में भी पुलिस की चौकी स्थापित की जावे।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। एक एक करके बोलें। श्री किशन मोटवानी !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, आज विधायक निवास और गवर्नमैंट होस्टल में चोरियां हो रही हैं लेकिन कोई रिकवरी आज तक नहीं हो रही है। एक भी चोरी नहीं खुली है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की बात बताना चाहता हूं कि मैं बस से आ रहा था तो वहां पर एक दिल्ली म्यूनिसिपल कौन्सलर बैठा तथा, उसका सामान चोरी चला गया, उसने चोर का रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द किया तो उल्टे पुलिस ने उसका ही पक्ष लिया, बेचारे उस कौनसलर का घेराव कर लिया गया और बस वहां पर खड़ी कर दी। आखिर जब उस कौन्सलर ने माफी मांगी तब कहीं जाकर उसका पीछा छुटा। तो यह विधायक पुरी की तो सामान्य सी बात है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। सुनिये। वैसे आज पुलिस विभाग की मांग भी है, विशेष चर्चा उस पर की जाये।

श्री दीपंकर (लाडनूं): लेकिन, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: सुनिये, लेकिन क्या होता है ? आम तौर से माननीय सदस्यों की शिकायतें आई हैं कि वहां चोरियां होती हैं और केसेज भी पकड़े जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। यह आम शिकायत है।

श्री शंकरसिंह रावत : वहां पर जो रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके भाई ने कह दिया लेकिन उस पर निर्णय क्या हुआ वह तो सुन लें। आप भी वही बात कहेंगे कि वहां चोरियां होती हैं.... (शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में भी चोरियां होती हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पूरे राजस्थान भर में चोरियां होती हैं, उसका इन्तजाम करिये।

श्री रामगोपाल (किशनगंज): चौकीदार के लिये माननीय मंत्री क्या कर रहे हैं ?

श्री लूणाराम : मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी के साथ-साथ

(श्री लूणाराम)
विधायक निवास में चौकीदार भी रखा गया है। उस चौकीदार की ड्यूटी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सिवाय झाडू लगाने के, कुछ नहीं है। तो मैं यह भी चाहूंगा कि क्या चोरियों के लिए इनको नहीं पूछा जायेगा ?

दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि आज विधायक निवास में परिस्थिति ऐसी है कि एक दम खुला होने के कारण और बाहर चार दीवारी नहीं होने के कारण और कोई चैकिंग न होने के कारण, हर आदमी, मरजी आये जिसको, घुसने का अधिकार है। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी भी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा कि माननीय सदस्य, जो राजाखेड़ा से आते हैं, ने बताया विधायक निवास और विधायकपुरी के लिये हमने चौकी स्थापित कर रखी है। माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि चौकी का जो स्टाफ है वह अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अन्जाम नहीं दे रहा है और लापरवाही बरत रहा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक निवास और विधायक पुरी की चौकी पर जो भी स्टाफ लगा हुआ है, वह पूरी तरह से गश्त करेगा और इस प्रकार की चोरियों की रोकथाम करने के लिए मैं अपनी तरफ से इस प्रकार के आदेश दे रहा हूं कि कड़े कदम उठाये जायें।

एक माननीय सदस्य : धावाई जी की हवेली के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जवाब सुनिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिये विशेष व्यवस्था करदी जायेगी और जहां तक माननीय सदस्यों की सुरक्षा का सवाल है, राज्य सरकार सतर्क रहेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बिरदाराम !

(शोरगुल)

श्री बिरदाराम !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह मन्त्री महोदय की रेसपॉन्सीबिलिटी है।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न ले लिया है। तीन चार सवाल तो होने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री बिरदाराम !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : विधायकों की सिक्युरिटी का सवाल है, और मन्त्री महोदय उस बर्डन को शिफ्ट करना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम !

जालोर जिले में फसलों में रोग

485. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बिरदाराम)

क्या यह सही है कि जालोर जिले में फसलों में जो रोग फैला है उससे काफी तादाद में नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : जालोर जिले की रबी की फसल राया, जीरा, जौ व मेंथी की फसल पर चेंपा (गोयाला) कीट के प्रकोप होने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। कीट के प्रकोप से काफी तादाद में नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। जिला कृषि अधिकारी ने समय पर फसल को क्षति से बचाने के सफल प्रयास किये हैं। जिलों में नियन्त्रण के लिये उपयुक्त मात्रा में पौध संरक्षण रसायन व उपकरण उपलब्ध हैं। विभाग जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क बना रख कर नियन्त्रण कार्य के प्रति जागरूक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्री जी ने जवाब दिया है वह बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है। आपने कहा कि जिला कृषि अधिकारी ने उपयुक्त कदम उठाये। कौन से कदम उठाये ? कितना प्रतिशत आपने कन्ट्रोल किया ? इसका स्पेसीफिक जवाब दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 7500 हैक्टर की भूमि में चेंपा रोग का प्रकोप होने की जानकारी मिली है, उसमें लार्ज स्केल ···

श्री रामसिंह (लूणी) : चेंपा क्या होता है ?

श्री शिवचरण माथुर : ···पर कार्य किया गया और 6400 हैक्टर पर चेंपा रोग को मिटाने की कार्यवाही की गई और जितनी भी दवाइयां और उपकरण होते हैं और रसायन होते हैं वह सभी उपलब्ध हैं और यह बीमारी अण्डर कन्ट्रोल है -

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या कन्ट्रोल किया है ? कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है और कितना कन्ट्रोल हुआ है इसकी आपको जानकारी है ? सारी फसल नष्ट हो गयी है और माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि इसका इलाज कर लिया गया।

एक माननीय सदस्य : फसल को जो नुकसान हुआ है उसका क्या प्रतिशत है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी के लगने के बाद कन्ट्रोल नहीं हो सकता और आप कहते हैं कि इस पर कन्ट्रोल पा लिया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री सांवरमल मोर !

(शोरगुल)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, फसलों को नुक्सान हुआ है····

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि व्यवधान न डालें। एक दफा हो, दो दफा हो, वह तो समझ में आ सकती है लेकिन हर वक्त आप बोलें, यह ठीक नहीं है।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो बतादें····

Page No 18

(18)

श्री अध्यक्ष : अब मैंने दूसरा सवाल ले लिया है। आपने पहले पूछा नहीं, मैंने आपकी ओर देखा भी लेकिन आप नहीं बोले। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आपको कैसे समझाऊं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये बैठने वाले नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या 145

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल मौर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय !

(स्थगित प्रश्न 185— दिनांक 27-2-75)

विधायकों को यात्रा बिलों में रेल्वे टिकिट का नम्बर अंकित करने के आदेश

185. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या मंत्रीगण अपने यात्रा बिलों में रेल्वे टिकिट का नम्बर अंकित करते हैं ? यदि नहीं, तो फिर विधान सभा सदस्यों को ही यात्रा बिलों में नम्बर अंकित करने को क्यों बाध्य किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जी नहीं।

संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना दिनांक 20-1-75 के अनुसार विधायकों को रेल यात्रा भत्ता बिलों के साथ रेल टिकिट या रसीद नम्बर देना अनिवार्य कर दिये जाने पर विधायकों को रेल टिकिट या रसीद नम्बर देना अनिवार्य है, जिसे वापिस लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द जैन : वापिस क्यों ले रहे हैं ? और पहले क्यों निकाला था ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अब छोड़ो, बस हो गया।

श्री राजेन्द्र भारतीय : एक प्रश्न है। मंत्रियों और विधायकों के बीच में इस तरह का डिफरेन्स क्यों रखा सरकार ने ?

श्री गुलाबसिंह : इस डिफरेन्स को समाप्त करने के लिये सरकार विचार कर रही है और शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 262

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल सिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती प्रभा मिश्रा !

(स्थगित प्रश्न दिनांक 5-3-75)

पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव

319. श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान में विभिन्न पंचायतों में हुए रिक्त स्थानों का चुनाव कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : जहां पंचायतों में सरपंच व उप-सरपंच दोनों के स्थान रिक्त होने से पंचायतों का कार्य अवरुद्ध हो गया था वहां उप-सरपंच के अप्रत्यक्ष (इनडाइरेक्ट) उप-चुनाव कराने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं। अन्य रिक्त स्थानों के बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर उन रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह !

स्टेट मोटर गैरेज द्वारा कारों को खरीद.

486. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर), **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : क्या राज्य मोटर गैरेज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1974-75 में स्टेट मोटर गैरेज के लिए कार खरीदने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1974-75 में स्टेट मोटर गैरेज ने 50 एम्बेसडर गाड़ियां खरीदीं ? यदि हां, तो गाड़ियां किस दर से खरीदी गईं ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में यह तथ्य है कि एम्बेसेडर गाडियां कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य से कम दामों पर बाजार से खरीदी जा सकती हैं ?

(4) उक्त 50 गाड़ियां खरीदने की तिथि को स्टेट मोटर गैरेज के पास कुल कितनी एम्बेसेडर गाड़ियां थीं ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के आर्थिक संकट को देखते हुए नया सामान खरीदने के लिये प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ? ऐसी परिस्थितियों में नई गाड़ियां खरीदने का क्या औचित्य था ?

राज्य मन्त्री, मोटर गैरेज (श्री मुंशी लाल): (1) वित्तीय वर्ष 1974-75 में राज्य सरकार द्वारा गैरेज....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सुना नहीं, फिर से साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपा करके सुनेंगे और माननीय मंत्रीजी साफ-साफ जवाब देंगे।

श्री मुंशीलाल : (1) वित्तीय वर्ष 1974-75 में राज्य सरकार द्वारा गैरेज के लिये कार खरीदने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

(2) वर्ष 1974-75 में स्टेट मोटर गैरेज ने सिर्फ पांच एम्बेसेडर गाड़ियां खरीदी जो डी. जी. एस. डी. द्वारा स्वीकृत दर पर क्रय की गई हैं।

(3) जी नहीं। सरकारी विभाग होने की वजह से मोटर गैरेज डी., जी. एस. डी. से निर्धारित मूल्यों पर ही गाड़ियां खरीदता है। बाजार में डी. जी. एस. डी. की रेट से कम मूल्य पर एम्बेसेडर गाड़ियां उपलब्ध होने के बाबत न तो सरकार को जानकारी ही है और न ही नियमों के अनुसार ऐसी खरीद की जा सकती है।

Page No 20

(20)

(श्री मुन्शीलाल)

(4) जब ये गाड़ियां खरीदी गईं, उस समय गैरेज में 41 एम्बेसेडर गाड़ियां उपलब्ध थीं।

(5) गैरेज के लिये सामान तथा गाड़ियां खरीदने पर वित्त विभाग की ओर से कोई रोक नहीं है और जहां तक नई गाड़ियां खरीदने के बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्री महोदय की वांछित अनुमति प्राप्त कर ली गई थी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता।

श्री जनार्दनसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : जी हां, जरूर पूछिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि आज राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में एम्बेसेडर कारों का ब्लेक हट गया है और आज जब पर्चेज करने जाते हैं तो हालत यह है कि एम्बेसेडर गाड़ी का एक हजार का सामान एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि बाजार में मोटर का भाव कम हो रहा है तो क्या विभाग ने निगोशियेशन्स करके एक हजार रुपये कम करने की कोशिश की है या कोई इस प्रकार का निगोशियेशन किये हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा भी एक सवाल हो जाय।

एक माननीय सदस्य : क्या शायरी है क्या जो 'हो जाय'।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज कुछ झगड़ा हो गया क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री महोदय की सहायता के लिये पूछ रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांच एम्बेसेडर गाड़ियां खरीदी हैं, यह क्या मंत्रियों के लिये खरीदी हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि डी. जी. एस. डी. की रेट्स मार्केट रेट से कम है ? अगर कम है तो फिर कोई ऐतराज नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं पुरानी गाड़ियों को बेचते हैं और मंत्रियों के काल में जो गाड़ा बेचते हैं उनको कितने अर्से के बाद बेचते है ?

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, पुरानी गाड़ियों को बेचकर....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जवाब भी दिलवायेंगे।

एक माननीय सदस्य : फिर भूल जायेंगे साहब।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट करें पुरानी गाड़ियों को बेच बेच कर चाहे वह तीन हजार में बिकें, चार हजार में बिकें या पांच हजार में बिकें लेकिन कितनी पुरानी गाड़ियां बेच दी हैं ?

Page No 21

(21)

एक माननीय सदस्य : पांच एम्बेसडर गाड़ियां खरीदी हैं, ये किस-किस रंग की खरीदी गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब उनका जवाब होना चाहिये। माननीय मंत्री जी !

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा एक सवाल है अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : सवाल तो बहुत हैं लेकिन पहले जवाब आ जाय। माननीय मंत्री जी !

श्री मुंशीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गान्धी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, मार्केट वेल्यू और डी. जी. एस. डी. की रेट की बात कही है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं डी. जी. एस. डी. की रेट 25,890.92 पैसे है जबकि मार्केट रिटेल प्राइस है 27,472.40 पैसे इसलिये मार्केट वेल्यू से डी. जी. एस. डी. की रेट सस्ती है।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : यह जान बूझकर ऐसा सवाल पूछा है ...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : उनको उत्तर पूरा कर लेने दीजिये, फिर और चाहेंगे तो और उत्तर हो जायगा, समय रहेगा तो....

श्री मुंशीलाल : वर्ष 1974-75 में नई मोटर कारें गैरेज के लिये खरीदने का प्रावधान नहीं था लेकिन अक्टूबर, 1974 में 13 पुरानी गाड़ियां और सामान की जो नीलामी की गई उससे कुल 2,30,560 की आमदनी हुई और इसके अगेन्स्ट वित्त विभाग ने 5 गाड़ियों के लिये 1,50,000 रु. सैंक्शन किये जिसमें से कुल 1,46,877 रु. खर्च करके पांच नई एम्बेसेडर गाड़ियां खरीदी गईं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु जांच कमीशन

487. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या राज्य सरकार विद्यार्थियों में बढ़ते हुये असन्तोष और उनकी शिकायतों को दूर करने के बारे में कोई कमीशन मुकर्रर कर उनकी जायज कठिनाइयों को दूर करने हेतु जांच कमीशन बैठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतिगामी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित कुछ विद्यार्थियों ने दिसम्बर 1974 में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और बड़े पैमाने पर सम्पत्ति नष्ट की गई ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि बहुत से दस्तावेजात तिजोरी का ताला तोड़कर निकाले गये और दस्तावेजात अभी तक बरामद नहीं हुए हैं ? उक्त दस्तावेजात को हटाये जाने में कौन-कौन से व्यक्तियों का हाथ है और किन-किन से सम्बन्धित थे सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

Page No 22

(22)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने यूनियन के प्रेसीडेन्ट के साथ एक दिन पहले डिनर किया और वहां पर ऐसा करने का निर्णय लिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारी इस घटना के जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने के बारे में उनके प्रतिनिधियों से हर स्तर पर समय-समय पर बात की जाती है तथा उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। विश्वविद्यालय की सिन्डीकेट में भी उन्हें इसलिये रखा गया है कि वे अपनी कठिनाइयों को विश्वविद्यालय के समक्ष रख सकें। इसके अतिरिक्त हर कॉलेज में एक ग्रिवेन्स सेल बनाने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं, जिससे छात्रों की शिकायतों को वहां के प्राचार्य अविलम्ब दूर कर सकें।

(2) यह सही है कि कुछ विद्यार्थियों ने 26 दिसम्बर, 1974 को राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासकीय भवन पर कब्जा कर लिया तथा कुछ वस्तुएं नष्ट की। इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) यह सही है कि कुछ अलमारियों और दराजों के ताले तोड़ कर कुछ फाइलें और पत्रादि नष्ट किये गये। इस सम्बन्ध में जांच चल रही है।

(4) इस मामले की जांच के लिए कुलपति के आदेश दिनांक 27 जनवरी, 1975 के अनुसार एक जांच समिति की नियुक्ति की जा चुकी है और इस मामले की जांच कर रही है। इसके सदस्य निम्न हैं:—

(1) श्री एल. एल. जोशी, भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष

(2) डॉ. के. सी. कोटिया, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, जयपुर — सदस्य

(3) प्रो. एस. लोकनाथन, फिजिक्स विभाग राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर — सदस्य

(4) डॉ. आर. एन. वर्मा, रिटायर्ड प्रो. ऑफ लॉ — सदस्य

(5) श्री राधावल्लभ अग्रवाल, एडवोकेट, जयपुर — सदस्य

(5) इस सम्बन्ध में जांच चल रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि क्या यह सही है कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके साथ यूनियन के प्रेसिडेन्ट बैठकर इस मामले में बातचीत की और यह कि एडमिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला किया गया और यह जवाब भी नहीं दिया गया कि जो कागजात गायब हुए वह किस ऑफिसर से सम्बन्धित हैं और उनके गायब होने के बाद ट्रेस करने के लिये क्या कार्यवाही की गई। इसको छिपाये जाने की कोशिश का जा रही है। क्या सरकार यह समझती है कि सिन्डीकेट और सीनेट के

Page No 23

(23)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
अलावा कोई ऐसी एजेन्सी नहीं हो सकती जो स्टुडेण्ट्स की तकलीफात को और आज उनमें जो आक्रोश है, असन्तोष है, उसको कम किया जा सके, उसके बारे में कोई कमीशन मुकर्रर किया जाय? इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इसके साथ ही····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 490 नम्बर का एक प्रश्न और है जिसमें सरकार के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर रही है, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये निवेदन है।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

490. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल, जयपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में कोई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है? यदि हां, तो राज्य सरकार की ओर से उसे क्या क्या अनुदान दिया जाता है? कृपया अनुदान की राशि बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड राज्य की खादी और ग्रामोद्योग में कार्य कर रही संस्थाओं को अनुदान एवं ऋण स्वीकार करता है? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर?

(3) राजस्थान में कुल कितनी ऐसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय सहायता प्राप्त इन संस्थाओं द्वारा श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के लिये कोई चन्दा भी दिया गया है? यदि हां, तो कितना?

(5) क्या यह सही है कि वह चन्दा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमेन या बोर्ड ऑफिस के द्वारा संग्रहित किया गया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसको उचित समझती है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम प्रश्न है, इसको स्थगित····

श्री अध्यक्ष : यदि यह एक ही प्रश्न है तो इसको स्थगित किया जाता है।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : Point of order, Sir,

श्री अध्यक्ष : My dear friend, there is no point of order during Question Hour. कहिये, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो व्यक्ति आया था और वह मंत्री जी से बात करके कुछ कागज लेकर गया है, वह सदन का सदस्य है या स्टॉफ का मेम्बर है, और यदि स्टाफ का है तो क्या उनको इस प्रकार की अनुमति है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय वह कौन व्यक्ति था जो इस तरह से सदन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में आकर और मन्त्रीजी से बात करके चला गया, यदि स्टाफ में से था तो क्या वह इस तरह से माननीय सदस्यों से बात करके आ जा सकते है? They can come in and walk out? Is it as easy as that?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आगे नहीं होगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-2-75)

सीकर जिले में पंचायतों में रिक्त स्थानों के चुनाव

145. श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में पंचों, उप-सरपंचों, सरपंचों, उप-प्रधान तथा प्रधानों के काफी स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों तथा पंचायत समितियों में यह स्थान रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जहां-जहां उप-प्रधान तथा सरपंचों के स्थान रिक्त है, उनके चुनाव करवाने का आश्वासन गत वर्ष पंचायत मंत्री द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो ये चुनाव अब तक नहीं कर वाये जाने का क्या कारण है? अब ये चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे?

(स्थगित किया गया।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3-3-75)

जैसलमेर जिले में तिलोर का शिकार

262. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अबू-डाबी के शेख जैसलमेर जिले में बाजों द्वारा तिलोर का शिकार कर रहे हैं? यदि हां, तो कितने समय से?

(2) क्या राजस्थान सरकार ने इनको शिकार करने की स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो किस तारीख से और कितने समय तक के लिए?

(3) उक्त शेख की शिकार पार्टी की क्या संख्या है तथा इनके साथ कितनी जीप गाड़ी और बाज हैं?

(4) क्या यह सही है कि प्रतिदिन सौ से अधिक तिलोर का शिकार किया जा रहा है?

(5) क्या तिलोर पक्षी प्रोक्टेड बर्ड स्पीसी की सूची में आता है?

(6) क्या यह भी सही है कि बैंक आफ बड़ौदा की एक शाखा इनके कैम्प के साथ चलती है?

उत्तर

(1) संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भारत सरकार के विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनांक 6-1-1975 से जैसलमेर जिले में रहे तथा दिनांक 4-2-1975 को अपनी राजकीय यात्रा सम्पूर्ण कर भारत से स्वदेश लाट गए।

(श्री वन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ 70 अन्य सदस्य थे। अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जंगलात की काबिल काश्त भूमि को भूमिहीनों को दिए जाने के आदेश

266. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के छीतोली बांध में कृषकों की भूमि डूब में आई है ? यदि हां, तो कब और किस-किस खातेदार की कितनी कितनी भूमि ?

(2) क्या यह सच है कि डूब में आई हुई भूमि के एवज में कृषकों को लारवा वाला गोगेरा ग्राम की वन (जंगलात) भूमि में से काबिल काश्त भूमि इन भूमिहीनों को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी भूमि ?

(3) क्या यह सच है कि ग्राम गोगेरा लारवा वाला, पापड़ी ग्राम की जंगलात भूमियों पर वर्षों से काबिज कृषकों को वन विभाग द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही हेतु मुकदमें दर्ज किए हैं ? यदि हां, तो बैराठ तहसील के किस-किस कृषक के विरुद्ध पिछले 10 दस वर्षों में मुकदमें दर्ज किए गए हैं और उनकी अब क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) जानकारी वन विभाग की नहीं है।

(2) जी हां।

राज्यादेश संख्या एफ. 15 (138) रेवे./सी./57, दिनांक 26-6-1957 से 215 बीघा भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को स्थानान्तरित की गई थी। कितनी-कितनी प्रत्येक भूमिहीनों को आवन्टित की गई इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(3) जी हां, अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रेषित किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों के ऐसे मामलों की सूचियां (क), (ख) (ग) संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील लूणकरणसर के गांवों में भूमि का अलॉटमेन्ट

267. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाखासर, गौरीसर, तखतपुरा, भानीसर तहसील लूणकरणसर के ग्रामों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

में सन् 1970-71 में किन-किन व्यक्तियों को भूमि अलॉट की गई? पूर्ण सूची नाम कृषक मय वल्दियत, जाति, सकूनत एवं तादादी बीघा सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों में उन्हीं गांवों के भूमिहीनों को भूमि अलॉट न करके बड़े भू-धारकों, भूतपूर्व भू-स्वामियों, राजनैतिक प्रभावशाली लोगों एवं उनके रिश्तेदारों, सरकारी अधिकारी/कर्मचारीगणों के रिश्तेदारों एवं उनके परिवार के सस्दयों को भूमि अलॉट की गई? क्या सरकार उल्लिखित तथ्यों पर जांच कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सन् 1970 में राजस्व विभाग द्वारा कोई भूमि आवन्टन नहीं की गई। सन् 1971 में ग्राम लाखनसर व गौरीसर में कृषि भूमि का आवन्टन किया गया है जिसकी सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' संलग्न है। ग्राम तखतपुरा, माण्डसर उपनिवेशन क्षेत्र में है वहां भूमि आवन्टन उपनिवेशन विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले के चरागाहों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही

268. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितना चरागाह है? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने चरागाह पर अतिक्रमण किया हुआ है? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 2,32,385 एकड़ चरागाह भूमि है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में से 5,144 एकड़ चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलवार सूचना उक्त सूची में अंकित है।

(3) चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

जिला उदयपुर के गांवों की खरीफ की फसलों में क्षति

269. श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला उदयपुर में वर्षा के अभाव में किन-किन तहसीलों में खरीफ की फसलों की पैदावार कम हुई है अथवा फसलें नष्ट हुई हैं?

(श्री देवीलाल)

(2) क्या यह सही है कि जिन तहसीलों में खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ है उन गांवों की जिन्सवारी कराई है? यदि हां, तो प्रत्येक तहसील में कितने गांवों की खरीफ की फसलों में क्षति हुई है?

उत्तर

(1) वर्षा के अभाव में, जिला उदयपुर की समस्त 17 तहसीलों में सम्वत् 2031 की खरीफ की फसलें कम हुई या नष्ट हुई है।

(2) जी हां, खरीफ की फसल में आठ आना व उससे अधिक क्षति जिन ग्रामों में हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जयपुर नगर के आसपास पूंजीपतियों की कृषि भूमि

270. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर के आसपास बिड़ला, कमानी, डालमिया, दुर्लभजी, सुराणा आदि पूंजीपतियों की कितनी-कितनी कृषि भूमि है? क्या इस भूमि पर इनके कृषि फार्म हैं? क्या इन फार्मों में ये खुद काश्त करते हैं?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त फार्मों को अधिग्रहण करके हरिजनों/आदिवासियों और पिछड़ी हुई जनजातियों के व्यक्तियों में आवास एवं कृषि के लिए वितरित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

(1) जयपुर नगर के आसपास जिन पूंजीपतियों के पास जितनी कृषि भूमि है का विवरण संलग्न है। उपलब्ध सूचना के आधार पर इन फार्मों में काश्त मजदूरों द्वारा कराई जाती है।

(2) उपरोक्त कृषि भूमियां यदि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत वर्णित सीमा से अधिक है तो राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये।)

राजस्थान नहर क्षेत्र में किसानों द्वारा खरीदी गई भूमि का इन्तकाल

271. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में किसानों द्वारा जो भूमि खरीदी हुई है उसका इन्तकाल समय पर दर्ज नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार स्पष्ट आदेश समय पर इन्तकाल दर्ज करने के प्रसारित करेगी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सच है कि खाता नम्बर 205, 209, 202, 213 व खसरा नम्बर 467, 14 बीघे 19 विस्वे, खसरा नम्बर 486, 26 बीघे 1 विस्वा, 489, 10 बीघे

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

460, 12 बीघे 14 बिस्वे तहसील सूरतगढ़ के गांव घमन्डिया के श्री श्यामदास आदि की मिल्कियती में से 27 बीघे 13 बिस्वे श्री लखासिंह व बीकासिंह सुपुत्र मुकन्दसिंह तानकोट, तहसील पदमपुर को आठ हजार रुपये में तारीख 7-7-64 को बजरिया रजिस्ट्री बैनामा बेच दिया ?

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि का इन्तकाल बार-बार प्रार्थना-पत्र पेश करने पर भी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया।)

गांवों में आवसगृहों के लिए भूमि का आवंटन

272. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा कृषि श्रमिकों को गांवों में आवासगृहों के लिए जमीन आवंटित करने हेतु प्रत्येक जिले में कितने-कितने दल बनाये गये ? कृपया प्रत्येक दल के मुख्य अधिकारी का नाम व ओहदा व उस दल के साथ दौरा करने वाले अन्य अधिकारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त आवंटन कार्य में यात्रा एवं दैनिक भत्तों का, जीपों में व्यय हुये पैट्रोल, आॅयल व मरम्मत का प्रत्येक दल पर कितना-कितना व्यय हुआ एवं जीपें कितनी सरकारी थी एवं कितनी किराये पर किस रेट से ली हुई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

छत्तरगढ़ सब-डिविजन में भूमि का आवंटन

273. कालूराम आर्य (बिलाड़ा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान कैनाल के छत्तरगढ़ सब-डिविजन में 1 जनवरी, 1968 से 31 मार्च, 1974 तक जोधपुर जिले के किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है ? मय वल्दियत, पूरा पता, खसरा नम्बर दर्शाते हुए सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी कोई भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अलॉट की गई भूमि का कुछ अन्य प्रभावशाली लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस की भूमि का कौन-कौन व्यक्ति फायदा उठा रहा है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में विरासत के इन्तकाल के बकाया मामले

274. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में विरासत के इन्तकाल के कितने मामले बाकी रहे हुए हैं ? विरासत के इन्तकालों की बकाया समस्त सूची तहसील अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) क्या लूनकरणसर रेवेन्यू तहसील में रजिस्ट्री करने में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं ? यदि नहीं, तो जैराम एवं भीखाराम गोदारा जाट निवासी खीयेरा द्वारा दिनांक 6-10-74 की बेनामा रजिस्ट्री करवाने के मामले की जांच सरकार करवाने को तैयार है ?

(3) क्या जैराम एवं भीखाराम जाट गोदारा निवासी खीयेरा तहसील लूनकरणसर की गैर खातेदारी भूमि को तीन ही दिन में खातेदारी में दर्ज कर इन्तकाल दर्ज किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसीलदार एवं पेशकार तथा सम्बन्धित कर्मचारीगणों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की सोचती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री जैराम एवं भीखाराम के नाम की कोई बैनामा रजिस्ट्री दिनांक 6-10-74 का पेश एवं तस्दीक नहीं हुई है। अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गांवों में चूना ईंट पकाने वालों को परमिट देकर कोयला दिलवाने की व्यवस्था

275. लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांवों में चूना, ईंट पकाने वाले लघु भट्टे वालों को किसी प्रकार की ईंधन कोयला की सुविधा नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या ऐसे उद्योग व्यवसायी ग्रामीणों को परमिट देकर कोयला दिलाने की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सुविधा मिल रही है।

(2) जी नहीं। क्योंकि उद्योग निदेशालय के जिलाधिकारियों को शिकायतानुसार (उद्योगों) को आवंटन की मात्रा राजस्थान लघु उद्योग नियम को अंकित कर दी जाती है और उसके अनुसार उपभोक्ताओं एवं उपलब्धता पर इनको कोयला दिया जाता है। परमिट देने की व्यवस्था नहीं है बल्कि केवल मदिया के लदान में प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। फिलहाल

(श्री उद्योग मंत्री)
परमिट प्रणाली को जारी करने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि कोयला वैगन लोड में आता है।

बान्दनवाड़ चौकी (भिनाय) में चोरी के दर्ज मुकदमे

276. श्रीमती भगवतीदेवी (भिनाय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भिनाय पंचायत समिति में बान्दनवाड़ चौकी के तहत चोरी के कितने केस पिछले दो वर्षों में दर्ज किये गये ?

(2) कितने मुकदमों में मुलजिम पकड़े गये और कितने मुकदमों के चालान अदालत में दर्ज करवा दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उसके लिये स्थानीय पुलिस अधिकारी ही जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) भिनाय पंचायत समिति में पुलिस चौकी बान्दनवाड़ के क्षेत्र में सन् 1973 में 5 व 1974 में 4 कुल 9 अभियोग चोरी के पुलिस थाना भिनाय पर पंजीबद्ध हुए।

(2) उपरोक्त पंजीबद्ध चोरी के अभियोग में से सन् 1973 में एक अभियोग में मुलजिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें राजीनामा हुआ। सन् 1974 में एक अभियोग में मुलजिमों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय से सजा हुई।

(3) जी नहीं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आई. ए. एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारी

277. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आई. ए. एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारी कार्य कर रहे हैं ? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों के लिये 28 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये थे ? यदि हां, तो क्या उनको राज्य सरकार के नियमानुसार पूरा किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सहकारी समितियों को ऋण

278. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एवं सहकारी समितियों को भी ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किन प्रावधानों के अन्तर्गत?

(श्री चेतराम)

(2) किस-किस पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एवं सहकारी समिति को निगम की स्थापना से कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य के लिए दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त विभाग द्वारा सहकारी समितियों को ऋण नहीं दिया गया है। परन्तु राजस्थान वित्त निगम द्वारा सहकारी समितियों को राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है।

(2) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अधीन राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 8 अप्रेल, 1955 को हुई और स्थापना के बाद 31 दिसम्बर, 1974 तक 84 पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को 787.79 लाख रुपये की ऋण सहायता स्वीकार की गई है। राजस्थान वित्त निगम ने अपनी स्थापना के बाद 6 सहकारी समितियों को 47.14 लाख रुपये को ऋण सहायता स्वीकार की है। प्रत्येक पब्लिक लि. कम्पनी को और सहकारी समिति को कितना-कितना ऋण व किस-किस कार्य के लिए दिया है इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के पश्चात् उनसे हुआ समझौता

279. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1972 में राज्य कर्मचारियों द्वारा राज्य में हड़ताल की गई थी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सत्य है कि हड़ताल के पश्चात् कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच में समझौता हो गया था ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समझौते के अनुसार एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य थे और इस समिति द्वारा क्या कार्यवाही और निर्णय लिये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा सरकार को पुनः हड़ताल करने की सूचना दी है ? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जी हां। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई थी।

(2) जी हां। समझौते के अनुसार जो मांगे राज्य सरकार ने स्वीकार की हैं उनकी सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। दो समितियों के गठन के आदेशों की प्रतियां संलग्न (ख व ग)

(श्री मुख्य मंत्री)

है । समितियों द्वारा की गई कार्यवाही व निर्णयों की प्रतियां भी संलग्न है (ए. बी)

(4) जी नहीं ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाल अपराधियों से सम्बन्धित दर्ज मुकदमात

280. श्री मलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—:

(1) राज्य में सन् 1972 से अब तक कितने मुकदमें बाल अपराधों से सम्बन्धित दर्ज किये गये ? सूची मय नाम पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त मुकदमें कितने विचाराधीन हैं तथा कितनो पर क्या-क्या निर्णय लिए गये ? सूची प्रस्तुत करें ।

(3) जिन मुकदमों में निर्णय लिए गये उनमें अभियुक्तों को क्या-क्या सजायें दी गई और वे अब किस प्रकार अपना भविष्य सुधार रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में सन् 1972 से दिनांक 8-2-75 तक 1781 मुकदमें बाल अपराधियों से सम्बन्धित पुलिस में दर्ज हुए । वांछित सूची संलग्न है ।

(2) उपरोक्त पंजीबद्ध अभियोगों में से 1176 अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है एवं 26 अभियोग जेर तफरीश हैं । जिन-जिन अभियोगों में जो निर्णय किये गये हैं उनका ब्यौरा सूची में अंकित किया गया है ।

(3) जिन मुकदमों में अभियुक्तों को जो सजायें दी गई हैं उनका भी ब्यौरा सूची में अंकित किया गया है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले के गांवों के ट्यूब वैल्स

281. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले के किस-किस गांव में कितने-कितने ट्यूब वैल आई. सी. डी. के खोदे गये हैं और वे कब-कब चालू किये गये तथा कितने ट्यूब वैल बन्द पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्यूब वैल बार-बार आग्रह करने के बाद भी चालू नहीं किये गये हैं ? इस समय अकाल की विभीषिका में पशुओं व मनुष्यों को पानी के अभाव में गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है । इस तथ्य को ध्यान में रख कर सरकार इन ट्यूब वैलों को चालू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) कितने ट्यूब वैल्स डीजल से व कितने बिजली से चलाये जा रहे हैं ? इनका माहवार खर्चे के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या सरकार आई. सी.डी. के उपरोक्त ट्यूब वैलों में से जन स्वास्थ्य विभाग को अर्पित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृषि मन्त्री)

(2) सियाणा व लम्बाणा नल कूप मरम्मत के लिये बन्द हैं। ठीक होते ही चालू कर दिये जावेंगे। चालू नल कूपों का पानी मनुष्यों व पशुओं को पीने के लिये काम में लिया जा रहा है।

(3) सभी नल कूप डीजल से चलने वाले हैं। माहवार खर्च की सूचि "ख", सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इन नल कूपों को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

शुगर मिल भोपालसागर द्वारा गन्ने की खरीद

282. श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर, चित्तौडगढ़ तथा भीलवाडा जिले में गन्ने का 1974-75 में कितने एकड़ों में कुल उत्पादन कितने लाख टन हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि शुगर मिल भोपाल सागर के गन्ने खरीदने का कोई सीमित क्षेत्र है ? यदि हां, तो कितने वर्ग-मील में कहां कहां तक है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र का गन्ना खरीदने की जिम्मेदारी शुगर मिल भोपाल सागर की है ? यदि हां, तो काश्तकारों को समय पर गन्ना खरीदने की पानड़िया क्यों नहीं दी जा रही हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों को पानड़िया देने में भेद-भाव बर्ता जा रहा है ? तथा पानड़ी-वितरण कर्ता काश्तकारों से नाजायज फायदा उठाकर ही पानड़िये दे रहे हैं, जिससे देने में काफी परेशानी हो रही है ?

उत्तर

(1) उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में सांख्यिकी विभाग के द्वितीय पूर्वानुमान के आधार पर इन जिलों में गन्ने का क्षेत्र एवं अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	जिले का नाम	गन्ने का क्षेत्र फल हैक्टरों में	उत्पादन टनों में
1.	उदयपुर	8,238	1,49,252
2.	चित्तौड़गढ़	2,735	41,025
3.	भीलवाड़ा	1,532	13,140
		12,505	2,03,417

(2) जी हां। मिल के लिये सुरक्षित क्षेत्र मिल के 20 मील की परिधि में आने वाला समूचा क्षेत्र और इसके अतिरिक्त निम्न केन्द्रों के 10 मील की परिधि में आने वाला समूचा क्षेत्र है:—

उदयपुर जिला:—मांहरी, बेदला, उदयपुर रेल्वे स्टेशन, देवारी, खेमली मीमल, मावली, नाथद्वारा कांकरोली, कोरिया, लावासरदारगढ़, बल्लभ नगर, खरोड़ा, भिन्डर, कालोंद

(कृषि मन्त्री)

चित्तौड़गढ़ जिला:–बन्सीहेड़ा, बडी सादड़ी, बन्डोली, गोसुन्डा, चित्तौड़गढ़, शंभूपुरा, निम्बाहेडा चन्डीरिया, गंगरार ।

भीलवाड़ा जिला:–हमीरगढ़, मांडल ।

(3) मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना खरीदने की जिम्मेदारी चीनी मिल भूपालसागर की है । इस वर्ष मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन मिल की क्षमता से अधिक है मिल की क्षमता के आधार पर मिल अपने एक वर्ष कार्यकाल में 1,20,000 टन गन्ना पेल सकती है । गन्ने का अनुमानित उत्पादन 3 लाख टन है जिसमें से अनुमानित 1 लाख टन गन्ना गुड, खण्डसारी व बीज के लिये काम में लिया जायगा । कुछ गन्ना मिल को देर तक चलाकर पेला जायगा । इसके अतिरिक्त गन्ना केशोरायपाटन चीनी मिल को पेलने के लिये भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है और करीब पिछले 20 दिनों से 5 ट्रक गन्ना प्रति दिन केशोरायपाटन चीनी मिल को जा रहे हैं । इस कार्य को अधिक गति देने के लिये और गन्ने को समय पर उठवाने के लिये दिनांक 12-3-75 को मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस गन्ने को पेलने के लिये केशोरायपाटन चीनी मिल को अधिक समय तक चलाया जायगा और जितना गन्ना भूपालसागर चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में अधिक है, वह समस्त वहां पेलने के लिये भेजा जायगा । इसके लिये केशोरायपाटन चीनी मिल अपने द्वार पर 16.10 रुपये प्रति क्विंटल की दर देगी । हर किसान को यह छूट दे दी गई है कि वह अपना गन्ना केशोरायपाटन चीनी मिल को भेज सकता है और उपरोक्त दर उसके मिल द्वार पर प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त इस गन्ने को इस क्षेत्र से खरीद कर वहां पहुंचाने के लिये भूपालसागर चीनी मिल को दलाल नियुक्त किया गया है जो किसानों से गन्ना खरीद कर केशोरायपाटन पहुंचाने का काम करेगी । इस मिल को केशोरायपाटन से जो दर मिलेगी उसमें से वह यातायात भाड़ा काटकर शेष का भुगतान किसानों को करेगी, लेकिन किसी भी हालत में जो दर भारत सरकार ने निर्धारित की है उससे कम दर किसानों को भुगतान नहीं कर सकेगी । भारत सरकार ने गन्ने क्रय की जो कम से कम दर निर्धारित की है, वह निम्नांकित है:—

क्र.सं.	फैक्ट्री का नाम	कम से कम गन्ने की दर प्रति क्विंटल रुपयों में
1.	दी मेवाड शुगर मिल लि., भूपाल सागर जिला चित्तौड़गढ़ ।	9.70
2.	दी गंगानगर शुगर मिल लि., श्री गंगानगर ।	8.50
3.	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि., केशोरायपाटन, जिला बून्दी ।	10.00

(4) इस प्रकार की शिकायत अभी तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

सिरोही जिले में दिये गये ट्रैक्टर

283. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) गत दस वर्षों में सिरोही जिले को एग्रो इन्डस्ट्रीज से अथवा कृषि विभाग से कितने ट्रैक्टर किस-किस को दिये गये ? मय पतों के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में जिन व्यक्तियों को राज्य सरकार ने ट्रैक्टर एलोट किये थे उनमें से कई व्यक्तियों ने उन ट्रैक्टरों को गुजरात में बेच दिये हैं ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और ऐसे व्यक्ति कौन कौन हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि इस वर्ष में किस-किस ने ट्रैक्टर के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखें हैं और कुल कितने ट्रैक्टर उपलब्ध हो सकेंगे तथा कब तक ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को इस विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि निगम द्वारा एलोट किए गए ट्रैक्टरों को सिरोही जिले से बेच दिया गया है । अतः अलोटियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

(3) 1 सितम्बर, 1971 से केन्द्र सरकार द्वारा ट्रैक्टर्स (डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड सेल) कन्ट्रोल ऑर्डर, 1971 लागू करने के बाद निगम को भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-8-72 के बाद किसी भी मेक का आयातित ट्रैक्टर आवंटित नहीं किया गया । वर्ष 1973 से जीटर 2511 (इण्डिया) एच. एम. टी. ट्रैक्टरों का विक्रय भी निगम द्वारा किया जा रहा है । इस मेक के ट्रैक्टर के लिए 1 अप्रेल, 1974 से अब तक प्रार्थना-पत्र देने वाले सिरोही जिले के व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट (ख) सदन की मेज पर रख दी गयी है । और उनके नाम के सामने दी गई तारीखों में आवंटन-पत्र जारी हुए हैं । इस जिले का कोई भी प्रार्थना पत्र ट्रैक्टर के लिए पेंडिंग नहीं है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मूल्य वृद्धि एवं जमाखोरी रोकने की दिशा में उठाये गये कदम

284. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मूल्य वृद्धि एवं जमाखोरी रोकने की दिशा में राज्य सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से वांछित नतीजे नहीं निकले हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस विषय में ठोस और प्रभावशील कदम उठाने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो किस प्रकार कैसे कदम उठायेगी ?

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि एवं जमाखोरी रोकने की दिशा में अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनकी विवरण तालिका संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस सम्बन्ध में ठोस एवं प्रयत्नशील कदम उठाती रही है। भविष्य में भी आवश्यक कार्यवाही की जाती रहेगी।

(विवरण तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कृषि प्रसार अधिकारियों का फिक्सेशन

285. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के नोन-ग्रेजुएट कृषि प्रसार अधिकारियों को सन् 1961 के बाद कब-कब नई वेतन श्रृंखला राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई है? क्या इन वेतन श्रृंखलाओं में सभी अधिकारियों का फिक्सेशन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि काफी अर्से से उपरोक्त अधिकारियों के फिक्सेशन नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो कब तक कर दिए जावेंगे?

उत्तर

(1) नान-ग्रेजुएट कृषि प्रसार अधिकारियों को सन् 1961 के बाद दिनांक 5-3-1968 एवं दिनांक 24-9-1974 को नई वेतन श्रृंखलाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। फिक्सेशन कार्य चालू हैं तथा कुछ अधिकारियों के करने शेष हैं।

(2) राज्य सरकार से नई वेतन श्रृंखलाएं के आदेश दिनांक 24-9-1974 को प्रसारित हुये हैं। जिसे कि अभी कुछ ही समय हुआ है। जिन-जिन नॉन-ग्रेजुएट कृषि प्रसार अधिकारियों के फिक्सेशन के मामले इस कार्यालय को आ रहे हैं उन्हें फिक्स करके वापिस भेजे जा रहे हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में अनाज का वितरण

286. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जो क्षेत्र अकालग्रस्त हैं उनको कब से अनाज देना प्रारम्भ किया गया है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जिलों को एक ही साथ या किसी को पहिले और किसी को बाद में दिया गया?

(2) क्या अब सब जिलों में अनाज देना आरम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो अकाल ग्रस्त क्षेत्र में लोगों को किस मात्रा में?

उत्तर

(1) अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्ष 74 के सितम्बर से अनाज वितरण करवाया

(खाद्य मन्त्री)

जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जिलों में एक साथ ही आवश्यकता एवं उपलब्धि के अनुसार अनाज वितरण करवाया जा रहा है।

(2) अनाज सभी जिलों को दिया जा रहा है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्धि अनुसार 3 किलो प्रति व्यक्ति एवं अन्य क्षेत्रों को उपलब्धि के अनुसार कम मात्रा में दिए जाने के निर्देश भेजे गये हैं।

बाड़मेर जिले में राशन की चीजों पर ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज

287. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों एवं व्यापारियों को जो कन्ट्रोल रेट से शक्कर और मोटा अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण यानि बेचने के लिये दिया जाता है उनके द्वारा उक्त माल को ट्रकों से पहुंचाने के कुल कितने ट्रान्सपोर्ट चार्जेज कितने सालों के राज्य सरकार में अब तक बकाया है ?

(2) उक्त अदायगी में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ? राज्य सरकार उन्हें कब तक अदायगी कर देगी ? निश्चित तिथि से अवगत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ट्रान्सपोर्ट चार्जेज के जिन-जिन समितियों एवं व्यापारियों के बिल बाड़मेर जिले में बकाया हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) सम्बन्धित पार्टी द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण देरी होने से जांच सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी होने पर ही इन बिलों का भुगतान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही हो सकेगी। निश्चित तिथि बताया जाना सम्भव नहीं होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

हिन्दी भाषा व राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन

288. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्दी भाषा और राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने सम्बन्धित राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या उपलब्धियां रही ?

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में इस हेतु क्या प्रावधान रखे गये हैं ?

उत्तर

(1) हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन के लिए निम्नांकित कार्य किये गये:—

1. प्रकाशन:—हिन्दी की विविध साहित्यिक विधाओं के ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया।
2. साहित्यकारों का सम्मान—प्रान्त के हिन्दी लेखकों व साहित्यकारों को 'मनीसी' व 'विशिष्ट साहित्यकार' से सम्मान किया।

11 लेखकों को सम्मानित किया गया।

Page No 38

(38)

(श्री शिक्षा मन्त्री)

3. पुरस्कार:—इस कालावधि में लगभग 8 से 10 लेखकों को 1000) अकादमी पुरस्कार दिये गये।

4. समारोह:—प्रान्त में विभिन्न साहित्यक संस्थाओं के द्वारा, राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों द्वारा, सेमिनार सिम्पोजियम, कवि सम्मेलन, साहित्यिक प्रतियोगितायें, जयन्तियां व साहित्यिक वार्षिक समारोहों का प्रतिवर्ष आयोजन किया गया है जिससे प्रान्त का साहित्यिक व सांस्कृतिक जागृति को बड़ा बल मिला है। इस कालावधि में तकरीबन 15-20 सृजनात्मक महत्व के साहित्यिक समारोह किये है जिसमें उदयपुर में आयोजित हिन्दी कथा विधापुर लिटरेरी वर्कशॉप भी शामिल है।

5. लेखकों को विविध सहायतायें:—

(अ) हिन्दी के लेखकों को आर्थिक सहायता दी गयी।

(ब) पुस्तक प्रकाशन सहायता:—लेखकों के निजी व्यय से प्रकाशित ग्रन्थों पर इस कालावधि में लगभग 10–12 हिन्दी कृतियों को अकेले अकादमी ने 10 से 15 हजार रु. की सहायता की है।

(स) प्रान्त की साहित्यिक हिन्दी पत्रिकायें लगभग 5 को अकादमी ने 10 से 15 हजार रुपये तक की प्रकाशन आदि में सहायता दी है।

6. विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी में बनाया गया।

7. हिन्दी प्रचार व प्रसार के लिए भाषा विभाग की स्थापना की गयी।

8. हिन्दी के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिया गया।

(ब) राजस्थानी भाषा के प्रोत्साहन के लिए निम्नांकित प्रयत्न किये गये:—

1. पाण्डूलिपियों का प्रकाशन। केवल सत्र 74–75 में लगभग 31 पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई तथा 8 ग्रन्थ राजस्थानी संगम ने प्रकाशित किये हैं।

2. राजस्थानी के लेखकों को पुरस्कार भी दिये गये हैं। 3 रोगग्रस्त लेखकों को अकेले राजस्थानी संगम ने वित्तीय सहायता दी है।

3. राजस्थानी की कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जा रही हैं।

4. राजस्थानी के क्षेत्रीय समारोह जैसे राजस्थानी साहित्यकार समारोह कोटा, बीकानेर साहित्यकार गोष्ठी, पृथ्वीराज जयन्ती, बीकानेर; मेवात क्षेत्र के साहित्यकारों का समारोह आदि आयोजित किये गये।

5. राजस्थानी को विश्वविद्यालयों में स्थान देने के प्रयत्न भी चल रहे हैं।

6. विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में स्तरानुकूल राजस्थानी के पाठ भी सम्मिलित किये गये हैं।

7. राजस्थानी की पुस्तकें, पुस्तकालयों तथा विद्यालयों के लिए खरीदी गयी।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण

289. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय तक की पाठ्य पुस्तकें राजस्थान राज्य के बाहर के मुद्रणालयों से छपवाई गई थीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त पाठ्य पुस्तकों के मूल्य बहुत ज्यादा हैं ?

(2) क्या यह भी विभाग के पास सूचना आई है कि बहुत सी पुस्तकों में से पाठ के पाठ ही गायब हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और ऐसा क्यों व किस की लापरवाही से हुआ तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ।

उत्तर

(1) यह सही है कि मण्डल ने पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण राज्य के बाहर के मुद्रणालयों से भी कराया था । गत वर्ष पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण निविदाओं के आधार पर किया गया था तथा जिन मुद्रणालयों की दरें सस्ती थी उनसे उनकी क्षमता अनुसार कार्य आवंटन किया गया चाहे वे राजस्थान राज्य के थे अथवा बाहर के। किन्तु यह सही नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों के मूल्य बहुत ज्यादा थे । कागज एवं अन्य मुद्रण व्यय में वृद्धि के कारण जो मूल्यों में बढोतरी की थी वह उचित थी ।

पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि उचित थी क्योंकि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि सभी बिन्दुओं में दरें बढ़ गई थीं ।

क्र. सं.	व्यय की मद	1973 का मूल्य	1974 का मूल्य	प्रभवक मूल्य वृद्धि
1.	कागज	60 पैसे	1–20 पैसे	100 प्रतिशत
2.	छपाई	30 पैसे	–45 पैसे	50 प्रतिशत
3.	ढुलाई, पैकिंग, भण्डारण आदि	10 पैसे	–18 पैसे	80 प्रतिशत
4.	ब्याज, मूल्य, समानीकरण व्यय आदि	6 पैसे	–18 पैसे	200 प्रतिशत
5.	प्रशासनिक व्यय	12 पैसे	–15 पैसे	25 प्रतिशत
6.	पाठ्यपुस्तकों का निर्माण	4 पैसे	–6 पैसे	50 प्रतिशत
7.	पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन	17 पैसे	–31 पैसे	82 प्रतिशत
	योग	1–39 पैसे	2–53 पैसे	औसत 82 प्रतिशत

(शिक्षा मन्त्री)

(2) ऐसी सूचना कि अधिकांश पुस्तकों में से पाठ के पाठ ही गायब थे, सरकार को नहीं है किन्तु यह एक सामान्य बात है कि लाखों की तादाद में छपने वाली पुस्तकों की बाईन्डिग करते समय मुद्रणालयों के बाइन्डर की असावधानी के कारण किन्हीं प्रतियों में कुछ पृष्ठ कम हो सकते है तथा ऐसी बाइन्डिग दोष वाली पुस्तकों के मूल्य की मुद्रक से वसूली करली जाती है। यह भी व्यवस्था है कि जो छात्र विक्रेता ऐसी पुस्तकों को मण्डल के केन्द्रों पर लाते हैं उन्हें, ये पुस्तकें लेकर अच्छी पुस्तकें निःशुल्क दे दी जाती हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन एवं आर्थिक सहायता

290. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में सन 1972, 73, 74 एवं 75 में कौन-कौन सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई और उन्हें कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ?

उत्तर

वर्ष 1972–73

राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, 72–73, जयपुर 15,000.00

वर्ष 1973–74

(1) राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता 73–74, जयपुर 15,000.00

(2) राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता, 73–74 जयपुर रणजी ट्राफी 5,000.00

(3) राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 73–74, जयपुर 10,000.00

वर्ष 1974–75

(1) राष्ट्रीय महिला हाकी प्रतियोगिता 74–75, जयपुर 10,000.00

(2) राष्ट्रीय साईकिलिग प्रतियोगिता 74–75, बीकानेर 10,000.00

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 18 मार्च को सहकारिता मन्त्री के द्वारा दिये गए आश्वासन के बावजूद सहकारी बाजार, जयपुर को बन्द कर दिये जाने के विषय में।

इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री मीठालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को परमिट एवं राशन कार्ड पर सीमेन्ट नहीं मिलने के विषय में इस विषय पर सदन में कल ही खाद्य मन्त्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

3. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 फरवरी को पुलिस थाना गजसिंहपुरा में श्रीमती प्रियतमकौर

(श्री अध्यक्ष)

बेवा हरनामसिंह, आयु 50 साल नामक हरिजन महिला की थाने में की गई पिटाई के विषय में। माननीय सदस्य इस प्रश्न पर आज पुलिस विभाग की मांग के समय चर्चा कर सकते हैं।

4. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा सैनिकों को भूमि व अन्य सहायता देने की घोषणा के बावजूद भूमि पर कब्जा न देने के विषय में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और माननीय सदस्य राजस्व की बजट की मांग के समय इस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं।

5. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री एवं अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला कोटा की तहसील शाहबाद व किशनगंज क्षेत्र के सहरिया जाति के निवासियों की पचास हजार बीघा भूमि पर कुछ बड़े जमींदारों के द्वारा कब्जा किये जाने के विषय में। यह प्रश्न भी हाल की किसी घटना से सम्बन्धित अवलम्वनीय लोकमहत्व का नहीं है और इसे राजस्व विभाग की मांग के समय उठाया जा सकता है।

6. श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अध्यापकों के राज्यव्यापी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के विषय में। यह प्रश्न भी किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य विवरण सम्बन्धी पत्रादि के वितरण में विलम्ब

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह था कि जो भी सामग्री माननीय सदस्यों को उपलब्ध होनी चाहिए वह समय पर उपलब्ध नहीं होती है। प्रश्न भी 10 बजे तक पहुंचते हैं, ऐसी हालत में अच्छी तरह से उनकी स्टडी नहीं की जा सकती है। इसलिय जो भी पपर्स हों वह समय पर टेबुल की ओर से उपलब्ध हो जायं इसकी व्यवस्था की जावे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने जो प्रश्न उठाया है....

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह परमावश्यक है, इसके बारे में सदन में बार-बार चर्चा आई है, मांगों के सम्बन्ध में या अन्य जो भी साहित्य सामग्री है, जो सदन में डिस्कस होने जा रही है, वह कम से कम 8 घंटे पहले माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जानी चाहिए जिससे उनको स्टडी करने का अच्छा मौका मिल सकेगा। ऐसा नहीं होता है इसलिए निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों को इस बारे में आवश्यक हिदायतें दी जानी चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, कम से कम आठ घंटे पहले अवश्य मिल जाने चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : भोपालसिंह जी को अभी तक नहीं मिले हैं।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों तक तो पहुंचते ही नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जो मांगे वगैरह पेश की जाती हैं, वह जिस विभाग से सम्बन्धित होती हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए। उसके अभाव में पूरी सूचना नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है कि विभागों की रिपोर्ट जो है वह समय पर नहीं मिलती और जब भी मिली है, देरी से मिली है। तो जहां तक प्रश्नों का ताल्लुक है, वह देर से मिले हैं तो मैं इसके लिये व्यवस्था कर दूंगा और प्रश्नों को समय पर नहीं देने में क्या कठिनाई हुई, इसकी भी जानकारी करके व्यवस्था कर दूंगा। प्रगति रिपोर्ट की बात जो कही गई है, उससे मैं भी सहमत हूं, यह प्रश्न सदन में एक से ज्यादा बार और गत वर्ष भी उठाया गया था और मैंने भी माननीय सदस्यों के कहने पर ट्रेजरी बैंचेज से कहा था कि समय पूर्व ही, और चन्द घंटों पहले तो अवश्य ही मिल जानी चाहिए। अब यह सामग्री आपको नहीं मिल रही है और जो शिकायतें आ रही हैं, कई माननीय सदस्यों को करीब दस बजे मिले हैं, यह जो उनके ऐतराज हैं, इसको भी मैं सही मानता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आयन्दा इस मामले में बजट पर जब अलग-अलग विभागों के सम्बन्ध में चर्चा होती है, माननीय सदस्यों को भेज दें और प्रगति रिपोर्ट भी समय से पूर्व ही विधान सभा सचिवालय को भेज दी जावे ताकि माननीय सदस्यों को भेजी जा सके और उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होवे, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी।

श्री अध्यक्ष : वह मैं जानकारी कर रहा हूं।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होगा कि बजट के साथ ही विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी उसी समय ही दे दी जावे तो अध्यन करने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : ध्यानार्कषण प्रस्ताव।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी सदन में आकर मन्त्री महोदय से मिला था, उसको ताड़ना देनी चाहिए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सहकारी बाजार के कर्मचारियों के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। वैसे तो इस संबन्ध में एक ब्रीच ऑफ प्रिवलेज भी मुझे देना चाहिए था लेकिन आज केवल स्थगन प्रस्ताव ही दिया है। सहकारी बाजार के 40 कर्मचारी माननीय श्रम मंत्री जी के द्वार पर भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं और धरना देकर बैठे हुए हैं। खेद का विषय है कि माननीय श्रम मंत्री, जो कि प्रगतिशील श्रम मंत्री कहलाते हैं उन्होंने सबसे पहला काम तो यह किया है कि पुलिस को बुलाकर उन बेचारे धरना देने वाले सारे हड़तालियों पर जो छाया थी उसको उखड़वाकर फिकवा दिया है और वह बेचारे शीत में ठिठुरे बैठें हुए हैं …

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर रहा था इतना सा निवेदन है कि आज लिस्ट ऑफ बिजनेस काफी है इसलिए जितना सूक्ष्म रूप में कहेंगे उतना ही समय आपको ज्यादा मिलेगा। कल भी बहुत समय लगा था और आज भी बहुत समय लगने की सम्भावना है इसलिए थोड़े-थोड़े में आपकी बात आ जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी बाजार को बन्द करने का प्रश्न जब पिछले सत्र में सदन में आया था तो माननीय सहकारी मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि सहकारी बाजार को बन्द नहीं किया जायेगा, सहकारी बाजार को लिक्विडेट नहीं किया जावेगा। उनकी घोषणा मैं पढ़ कर सदन का समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतनी बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि एक ओर तो वह सदन में घोषणा कर रहे थे कि सहकारी बाजार को कायम रखा जायेगा, उसके गबन और घोटालों की जांच की जायेगी और दूसरी तरफ सहकारी बाजार के ऊपर नोटिस लगाया जा रहा था और सहकारी बाजार को बन्द किया जा रहा था। 1 सितम्बर, 1974 को सहकारी बाजार बन्द करा दिया गया, लिक्विडेशन में ले आया गया लेकिन खेद का विषय है कि जो सहकारी बाजार में काम करने वाले 40 कर्मचारी थे उनकी बकाया तनख्वाह जिसको कि श्रम आयुक्त ने भी पंच फैसले के द्वारा उचित घोषित कर दिया था वह भी नहीं दी गई। यहां तक कि सहकारी बाजार का सामान नीलाम किया गया और उस नीलामी से धनराशि प्राप्त हुई और उस धनराशि में से भी सहकारी बाजार के कर्मचारियों की बकाया भुगतान नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, स्थिति तो इस हद तक पहुंच चुकी है कि चाहिए तो यह था कि यह जो 40 कर्मचारी सहकारी बाजार के लिक्विडेशन में आने के बाद जो कि मंत्री महोदय के आश्वासन और सदन में घोषणा के बाद लिक्विडेशन में आये हैं एक प्रकार से ब्रीच ऑफ प्रिवलेज ऑफ दिस हाउस है। उसके बाद इन सारे कर्मचारियों को विभिन्न सहकारी संस्थाओं में एब्जोर्ब किया जाना चाहिए था, इक्विवेलेन्ट जॉब्स दी जानी चाहिए थी लेकिन आज सारे श्रम कानूनों की अवहेलना करते हुए, सारे श्रम कानूनों को तोड़ते हुए, पंच फैसले को तोड़ते हुए उसको एब्जोर्ब करने की बात तो दूर रही जो उनकी बकाया राशि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय श्रम मंत्री महोदय कम से कम उनके घर धरने पर बैठे हुए हैं तो उनको पण्डाल के नीचे तो बैठा रहने दें। पुलिस हर जगह प्रवेश करती है। उनका पण्डाल उठाकर ले जा रहे हैं। कम से कम वह रात्रि को तो विश्राम कर सकें और आप इस सदन में कहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय आप मुख्य मंत्री जी से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाय और सारे के सारे कर्मचारियों को बराबर की जॉब्स दी जायें। अध्यक्ष महोदय, परसों ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक श्रम नीति की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि उस घोषणा के कन्टेक्स्ट में जहां श्रमिकों को मैनेजमेन्ट में अधिकार दिये हैं, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर अधिकार दिये हैं, आज इन 40 कर्मचारियों का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जीवन अंधकार में हैं उसके संबंध में राज्य सरकार तुरन्त कदम उठाये।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल !

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मैंने अध्यापकों के चल रहे आन्दोलन के संबंध में पेश किया है। राजस्थान का अध्यापक वर्ग कुछ समय से बराबर पीड़ित है, तो उनके वेतन में तब्दीली, दवाओं के बिल और ऐसे अनेक प्रकार की उनकी समस्यायें हैं जिनका कि राज्य सरकार समाधान नहीं निकाल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अध्यापकों को दो-दो और तीन-तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली और उनके द्वारा जितने मांग-पत्र पेश किये जायं तो सरकार उनका कोई रास्ता नहीं निकाले तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं राज्य सरकार ऐसे रास्ते पर तो नहीं चल रही है कि वह आन्दोलन की ओर जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी अध्यापक हैं उनको तनख्वाह साधारण से मजदूर से भी कम मिल रही है। आज टेक्सटाइल का मजदूर 400 रुपये तनख्वाह पाता है। दूसरे कई उद्योगों में मजदूर काफी अच्छी तनख्वाह पाते हैं लेकिन अध्यापक वर्ग 250-300 रुपये में अपना गुजर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह पैसा भी उनको समय पर नहीं मिले यह अजीब बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उनको सात-सात वर्ष से दवाओं के बिल नहीं चुकाये जा रहे हैं और दूसरा पैसा है वह भी उनको नहीं दिया जा रहा है। उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये वह नहीं बढ़ाई जा रही है। उनके मंहगाई भत्ते में इजाफा होना चाहिए उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यह राज्य सरकार खुद कर रही है कि जिससे उन्हें मजबूर होकर ऐसा रास्ता पकड़ना पड़े कि उनको आन्दोलन के लिए जाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, जो अध्यापकों का संगठन है उनकी तरफ से कल आन्दोलन का आह्वान किया गया है और उन्होंने जगह-जगह धरने लगाये हैं और वह आगे जाकर आन्दोलन करने जा रहे हैं। इधर परीक्षायें आ रही हैं और सरकार उनकी बात को नहीं सुनेगी तो कल हड़ताल होगी और परीक्षाओं के समय में यह अध्यापक हड़ताल पर रहेंगे तो हजारों बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा और उसके लिये कोई जिम्मेदार है तो सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री इस मसले पर तुरन्त विचार करें और कोई हल निकालें, उनके साथ बातचीत करें और उनकी मांगों का समाधान करें। जो उनकी वाजिब मांगें हैं उनको मानने में कोई हरज नहीं होना चाहिए उनकी दवाओं के पैसे दिलाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनकी तनख्वाह समय पर मिल जाये इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह संधु !

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव गजसिंहपुर पुलिस स्टेशन के संबंध में है। एक प्रीतम कौर हरिजन औरत, जो कि विधवा

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
है और 50 साल की उम्र की है, उसे 9-2-75 को 56-एफ से पकड़ कर लाया गया और उसे पुलिस स्टेशन के अहाते के अन्दर जहां कि आम लोग आते हैं वहां पर नंगी करके उसको पीटा गया।....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही कह दें। डिमाण्ड पर चाहें तो कह दें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। मैं जानता हूं कि उस समय हमें कोई बोलने नहीं देगा।

श्री अध्यक्ष : आप कह दें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं थोड़ा सा ही कहूंगा। ज्यादा नहीं कहूंगा। तो इस समय यह हालत है कि गजसिंहपुर पुलिस स्टेशन के मुतल्लिक दो शिकायतें मैंने कल भी रखी थी और एक आज रख रहा हूं और पुलिस डिमाण्ड के समय और भी रखूंगा। वहां की हालत यह है कि वहां एस. एच. ओ. है वह तो अफीम में मस्त रहता है। उसके पास अफीम खाने का लाईसेन्स नहीं है। वह अफीम में मस्त रहता है। यह भी चर्चा है कि वह अफीम का व्यापार भी करता है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पांच, पांच किलो अफीम पड़ी रहती है थाने में खुले आम।

श्री गुरदयालसिंह संधु : ए. एस. आई. और हैड कॉन्सटेवल अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। कल भी मैंने हरिजन औरत का जिक्र किया था और उसी थाने का उन्हीं लोगों का आज जिक्र कर रहा हूं कि उस औरत को लेकर उसको बिजली का शॉक दिया गया। उसको नंगा किया गया और उसके साथ बहुत मारपीट की गई। उसका जब जवांई आया तो उसे कपड़े लपेटकर ले गया। यह हालत है हमारे पुलिस स्टेशन की। तो इस हालत में मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाये। लोकल पुलिस के खिलाफ आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गंभीर है। जिला कोटा में शाहबाद और किशनगंज तहसील के अन्दर ग्राम केलवाड़ा, छिछनोरी सिलोरा आदि स्थानों पर आदिवासी और सहरियों की बस्ती है और उनको भूमि अलॉट करके दी गई है खेती करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां जो वनवासी नहीं है, अन्य धनाढ्य लोग अन्य सवर्ण लोग हैं, इन धनाढ्य लोगों ने कोई एक दो नहीं, नाइन्टी नाईन पर्सेन्ट, 99 प्रतिशत लोगों ने उस भूमि पर अपना कब्जा कर उन सहरियों को वहां से निकाल कर भगा दिया है और सरकार की और पुलिस के ऑफिसर्स ने मिलकर बजाय उनको जमीन देने के कई मुकदमों में फंसाया है। वह अदालतों में चक्कर लगा नहीं सकते, गांव के बाहर भटकते रहते हैं और ऐसी परिस्थिति आ गई है, वह भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और न उनके लिए कोई अनाज की व्यवस्था है और न कोई सरकार की ओर से कोई अन्य व्यवस्था की गई है और धनाढ्य लोगों की संख्या काफी बड़ी है। दूसरा निवेदन करना यह है कि इन सहरियों का जो उन्होंने अपना आदिम जाति सेवा संघ है, उनके जो पदाधिकारी

Page No 46

(४६)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
हैं वे पदाधिकारी भी इनकी भूमियों पर अपना अनधिकृत कब्जा लगाए बैठे हैं। मैं उनमें कुछ नाम निवेदन करूं कि सरदार रघुवीर, स्वर्णसिंह, रामपालसिंह आदि....।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड पर आप बोल सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ....भूतपूर्व प्रधान गुरुदीपसिंह जिसका सीतावाड़ी के पास फार्म बना रखा है और बिल्कुल अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहां के पदाधिकारियों ने यहां पर कब्जा कर लिया है और उनको बाहर निकाल दिया है। उनकी फसल जो है उस पर कब्जा करके और काट कर ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार यदि इस मामले में इसकी गम्भीरता को समझ कर एक विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करवायें तो भी उनको कुछ राहत मिलेगी अन्यथा उन लोगों को अपना एक संकटमय जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ेगा। इस लिए मैंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है।

श्री अध्यक्ष : Yes, next.

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय और खाद्य मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं। कुछ दिनों पहले माननीय खाद्य मंत्रीजी ने यहां पर फर्माया था कि राज्य में सीमेंट राशनकार्ड पर बीस कटटे मिलेंगी। अफसोस की बात है कि राज्य में राशन-कार्डों पर बीस कट्टे सीमेंट मिलना तो दूर रहा जो पहले परमिट से सीमेंट मिला करती थी वह भी रही सही नहीं मिल रही है और सीमेंट नहीं मिलने के कारण शहरी क्षेत्रों के लोगों को तो परेशानी है ही, इसके अलावा देहाती क्षेत्रों में जिस किसान का कुआ बन रहा था, जिनके कुओं पर काम चल रहा था वह कुओं का काम उनका सीमेंट के अभाव में रुक गया है और उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और यह खमियाजा उठाना पड़ रहा है। तो माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस राशन-कार्ड पर आपने जो बीस कट्टे सीमेंट देने की घोषणा की थी और आपने यह फर्माया था कि शीघ्र ही आप आदेश दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि राज्य के अन्य भागों के बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जयपुर जिले की स्थिति आज यह है कि आज तक न इस ढंग का कोई आदेश तहसील स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर कोई भी आदेश जिला अधिकारियों के पास नहीं गया है और न ही भेजे जाने का कोई इरादा है। जयपुर जिले के अधिकारियों की तो यहां तक अपनी असमर्थता है कि हम किसी प्रकार राशन-कार्डों पर बीस कट्टे देने में बिल्कुल असमर्थ हैं। तो माननीय मंत्रीजी थोड़ा स्पष्ट करें कि स्थिति क्या है। क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं ?

इसके अलावा लालसोट तहसील जहां पर डीलर के पास हजारों कट्टे मौजूद हैं लेकिन वह दे नहीं पा रहा है। यहां से आदेश प्राप्त ना होने के कारण या रेट के

(श्री मीठालाल मीणा)

बारे में कोई बात हो या कुछ और हो, महीने भर से सीमेंट किसानों को नहीं मिल रही है, जिससे बड़ी भारी परेशानी हो रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सीमेंट के प्रश्न पर जो किसानों को नहीं दी जा रही है उसके बारे में शीघ्र ही राशन कार्डों पर देने के बारे में आदेश फर्मायें और जो लालसोट तहसील में सीमेंट रसद अधिकारी का आदेश न होने के कारण नहीं मिल रही है, उनको भी आप शीघ्र आदेश दें ताकि लालसोट तहसील के किसानों को सीमेंट मिल सके और यहां पर भी राशनकार्डों पर सीमेंट दिलाने की व्यवस्था की जावे।

श्री अध्यक्ष : Yes, Next.

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव उस भारत पाक युद्ध जो 71 में हुआ था और उस समय राज्य सरकार ने जो उन सैनिकों को सुविधा देने की घोषणा की थी उस ओर याद दिलाने के लिए है। राज्य सरकार से जिन सैनिकों को वीरचक्र प्राप्त हुआ उनको पचास बीघा जमीन और बाकी के जो लोग थे जिनमें विधवाएं, अपंग उनको किसी को 25 बीघा, किसी को दस बीघा दी है। मेरा निवेदन करना है कि वीरचक्र की किस्म तो आपने बना ली पर दूसरे सैनिकों के साथ भेदभाव करना और किसी को दस बीघा और किसी का पच्चीस बीघा, इससे उनमें असंतोष व्याप्त है। इसलिए राज्य सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह जो बाकी के लोग हैं, विधवाएं हैं अपंग हैं, उनको भी पच्चीस बीघा भूमि हम देंगे। निवेदन करना है कि पचास बीघा—पच्चीस बीघा राज्य सरकार ने मान लिया है, किसी को दी भी लेकिन मेरा निवेदन है कि आज भी वह सैनिकों को जमीनों के कब्जे मिले नहीं हैं। वह दर-दर मारे-मारे फिरते हैं। उन पर मुकदमें चल रहे हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, इसलिए राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में एक मशीनरी कायम करनी चाहिए, ऐसा विभाग कायम करना चाहिये कि जिससे जिन सैनिकों के प्रति, जिनके लिए हमारा सब का कर्त्तव्य है सम्मान करना, आज भी यहां भारत पाक के मामले में अमेरिका द्वारा शस्त्र देने और हिन्दुस्तान पाकिस्तान में निकट भविष्य में युद्ध न हो, सीमा पर आज पाकिस्तान की सेना वहां पर खड़ी हुई है, रोजाना हलचल है मवेशियों के बारे में, मेरा निवेदन है कि सैनिकों का सम्मान करना बहुत जरूरी है इस मुल्क में। यहां पर यह....

श्री अध्यक्ष : राजस्व की मांग पर कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आधा मिनिट में समाप्त करता हूं। नागौर में एक सेठ हैं, मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने ढाई लाख रुपये का धनराशि विधवाओं, अपंगों को देने के बारे में बात कही थी, जिनका बम्बई में व्यापार है और पिछले मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि इसका वितरण करा दिया जाएगा लेकिन अभी भी मुख्य मंत्री से मिले हैं, उस पैसे का वितरण नहीं होता। इसी प्रकार राजस्थान पंचायत एक्ट, 1973 में जो रूल 267-ए

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है और उन पंचायतों मे यदि इन सैनिकों को रहने के लिए जमान दे रहे हैं तो जहां पर हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मुफ्त जमीनें दे रहे हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं ली जाती उसी प्रकार इस एक्ट में संशोधन करके यदि उसे हम सैनिकों को विधवाओं और अपगों को यदि मुफ्त में जमीनें दें तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी भारी बात होगी।

इसके साथ यह भी निवेदन करना है कि हाउसिंग बोर्ड में यदि कोई सैनिक या विधवा, अपंग अप्लाई करता है तो उनको भी लॉटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है कि तुम्हारा नम्बर आ गया तो तुम्हें मकान मिल जाएगा। इसलिए राज्य सरकार को ऐसे सैनिकों को सम्मान देने के लिए, ऐसी विधवाओं को सम्मान देने के लिए उनके लिए अलग से कोई कोटा यदि निर्धारित कर दिया जाय तो उनको जल्दी मकान मिल सकता है, उनका सम्मान हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में इस मुल्क में यदि हम सैनिकों की कद्र नहीं करेंगे, उनके प्रति जो हमने घोषणायें की थीं युद्ध के दौरान में, मैं समझता हूं कि यदि हम उनको नहीं निभायेंगे तो बड़ा असन्तोष इन सैनिकों में होगा और इनके साथ ही भारत की जनता में भी होगा। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त बातों की मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये उनको याद दिलाने की चेष्टा की है और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सैनिकों में असन्तोष है और हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ने वाली है ऐसे समय में यह सरकार उनको निश्चित रूप से देगी यही मेरा कहना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन····

श्री अध्यक्ष : इसमें कुछ कांस्टीट्यूशनल पॉइन्ट इन्वोल्व्ड हैं, It will be examined by the Secretariat.

अध्यक्षीय व्यवस्था

चूरू में हुई घटना के विषय में हूजा जांच प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था

दिनांक 6 मार्च, 1975 को चूरू में पुलिस हिरासत में पत्रकारों की पिटाई के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया था उस सम्बन्ध में हुए वाद विवाद के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि चूंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने श्री हूजा की जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया है, अतः नियमानुसार यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये। इसके पश्चात् सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा और केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने एक लिखित सूचना देकर पुनः उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने तथा उस पर आधा घण्टा की चर्चा के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दी है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में आधा घण्टे की चर्चा का प्रावधान नियम 49 में किया गया है और केवल प्रश्नकाल के दौरान किसी प्रश्न के मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर में यदि कोई अस्पष्टता, असंगति आदि हो तो उसे स्पष्ट करवाने के लिए इस प्रक्रिया का सहारा

(श्री अध्यक्ष)
लिया जाता है और यह नियम अन्य किसी माध्यम से सदन में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। इस प्रकार इस प्रश्न पर आधा घण्टे की चर्चा का प्रश्न नियमानुसार उपस्थित नहीं होता।

जहां तक श्री हूजा को रिपोर्ट का सदन में प्रस्तुत करने का प्रश्न है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 288 की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें कहा गया है कि "यदि कोई मन्त्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धृत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा : परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मन्त्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा : परन्तु यह और भी कि जब मन्त्री ऐसे प्रेषण पत्र या राज्य-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"

कार्य विवरणों को देखने से प्रकट होता है कि दिनांक 6 मार्च, 1975 को मुख्य मन्त्री जी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया था उसका सारांश मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में ही दिया है। अतः नियम 288 के दूसरे परन्तुक के अनुसार मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वे श्री हूजा की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने सारे वक्तव्य में जिस समय यहां पर दिया था, उस समय दो बातें निवेदन की थी। एक तो यह कहा था कि श्री हूजा वहां जा करके जांच कर के आये हैं उनकी रिपोर्ट ..

श्री अध्यक्ष : वैसे आप इस सदन के सीनियर मेम्बर हैं, जो व्यवस्था आसन की ओर से दी जाती है उस पर वाद-विवाद नहीं होता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे काण्ड के बारे में पिछले कई दफे, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है तब से लगातार राज्य सरकार की ओर से आंख मिचौनी खेली जा रही है। यहां पर यह कहा गया था, अध्यक्ष महोदय, कि हूजा रिपोर्ट आने के बाद में सात दिन में कार्यवाही की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम रिपोर्ट हूजा साहब की आई उस समय यहां पर 5 तारीख को, 6 तारीख को, चूंकि अन्तरिम रिपोर्ट की वजह से हूजा साहब को वापिस भेजा जा रहा है कहा गया था कि वे जांच करके विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सदन के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री की इस घोषणा के बाद भी, श्री हूजा अभी तक लगातार 6 तारीख से जयपुर में विराजमान हैं और उनको विजिलेन्स से हटा कर एजूकेशन कमिश्नर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया है। तब से आज तक वे चूरू नहीं गये हैं। अध्यक्ष महोदय, या तो प्रिविलेज मोशन लायें सदन में कोई बात कही जाये और वह भी माननीय मुख्य मन्त्री कहें और हम भी यह इच्छा रखते हैं कि मुख्य मन्त्री के कहने के बाद कम से कम जब तक कि सदन की कार्यवाही चल रही

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
है तो उसकी पालना हो। लेकिन उसकी पालना न हो और चूरू की जनता यह आशा लगाए बैठी है कि कब हूजा साहब आवें और जिनके खिलाफ सबूत हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। साबित हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं ने यह कहा है हैड कॉन्स्टेबल और दो कॉन्स्टेबल, इन तीन व्यक्तियों के खिलाफ सबूत हैं, उन्होंने सांवर भजन, बालमुकुन्द ओझा और सारस्वत इनकी पुलिस थाने में पिटाई की है। यह साबित हो गया है। यह साबित हो जाने के बाद 6 तारीख को इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए थी, परन्तु इन तीनों के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं हुआ, न उनको गिरफ्तार किया गया और न ही इनका चालान पेश किया गया है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि हमारे इस सदन में क्या कार्यवाही होने जा रही है। क्या यह केवल डिबेटिंग सोसाइटी है, क्या यह केवल वाद-विवाद का ही स्थल है ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर दूं, अगर इस पर आप विस्तृत रूप से बोलना चाहें तो मैं आप को गृह विभाग की जो मांगें आने वाली हैं उस समय, समय दे दूं। थोड़े समय में ही समाप्त करें तो अभी कह लें। मैंने दोनों ही रास्ते आपको बता दिये हैं। अब जो आप पसन्द करें....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमें लॉजिकल कन्क्लूजन तक तो पहुंचना चाहिये। "Touch and go" तक ही न रह जाना चाहिये। कॉन्सेशन्स व्यक्ति के नाते कम से कम आप यहां पर विराजमान हैं, मुख्य मंत्री भी यहां पर पधारे हुए हैं, विराजमान हैं, वे उधर बैठे हैं, हम विरोधी पक्ष में बैठें—परन्तु ऐसी बात सौभाग्य की नहीं कही जा सकती है। हम किस प्रकार इस बात को उठावें....

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले निवेदन किया है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपने मुख्य मंत्री से बात कर के सीधे ही निर्णय दे दिया है। आपने आज ही निर्णय सुना दिया। हम चाहते हैं—चाहे आप न चाहें, मुख्य मंत्री यहां पर विराजमान हैं, कम से कम उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिये। यह स्पष्ट करें कि श्री हूजा 6 तारीख को क्यों नहीं चूरू गये। इसका क्या कारण है ? क्या विशेष कारण हो गये ? क्या मुख्य मंत्री ने यह जो घोषणा की थी वह केवल घोषणामात्र थी ? हूजा रिपोर्ट से साबित हो गया है फिर क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मुख्य मंत्री महोदय ने हम से यह कहा था, आश्वासन दिया था कि वे तुरन्त कार्यवाही कर रहे हैं। हमने उनकी भावना के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय इस बात को नहीं उठाया था। हम ने एक, दो, तीन बार सदन में, चेम्बर में, मुख्य मंत्री के साथ लगातार इस बात को उठाया है। इस बात को रिपीट किया। कम से कम कुछ तो कार्यवाही हो। यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब यह साबित हो गया है तो क्यों नहीं कार्यवाही हो पा रही है ? हैड कॉन्स्टेबल ने रिपोर्ट की है, परन्तु उनके खिलाफ केस रजिस्टर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका चालान नहीं हुआ। आखिर सरकार को क्या दुविधा है ? विद्यार्थियों से बात कर ली थी उस समय डी. आई. जी. ने रेडियो मेसेज भेजा उसके बाद भी इसका पालन नहीं हो रहा है। इनका चालान नहीं किया गया। इस बात को लेकर चूरू बन्द हुआ उसके बाद भी इन्वेस्टीगेशन न हो सके? दूसरी बात यह कि जब यह साबित हो गया कि इन लोगों ने पिटाई की है, उनके खिलाफ कार्यवाही न हो। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, या तो हम इस बात के लिए एजीटेट करें और इसको लॉजिकल कन्क्लूजन तक ले जाएं अथवा मुख्य मंत्री महोदय यह बतावें कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है ? यह 6 तारीख की बात है। अब तक क्यों नहीं कार्यवाही हुई ? यदि किन्हीं कारणों से श्री हूजा नहीं जा सके तो दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा गया ? यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है और न आसन की ओर से मुख्य मंत्री को उत्तर दिए जाने के लिए बाध्य किया जाता है, और मुख्य मंत्री प्रोसीजर और नियमों की आड़ लेकर कोई बात नहीं कहें तो फिर, अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए क्या चारा रह जाता है सिवाय इसके कि नियमों के अन्तर्गत जितनी सुविधाएं विधान सभा में इस प्रश्न को उठाने की हमको मिली हुई हैं, उसके अन्तर्गत उठावें और उसके उपरान्त भी कार्यवाही नहीं हो, तो दूसरे तरीके अपनावें। हूजा रिपोर्ट के बारे में सरकार क्यों इतना कतरा रही है ? हम यह नहीं चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जावे। हमें उस रिपोर्ट को पढ़ने का प्रेम नहीं है। मैं तो इसको इम्पलीमेन्ट कराना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय चाहें तो अपने चेम्बर में बुला सकते हैं। लोक सभा में लाइसेन्स कांड हुआ था। उससे सारा कन्ट्री रॉक हो उठा था। उस सी. बी. आई. की रिपोर्ट को भी प्रधान मंत्री ने बताने में झिझक नहीं दिखाई और अपने चेम्बर में पढ़ा दी और कहा इसको देख लीजिये। तो मुख्य मंत्री महोदय को इस प्रकार "Touch and go" का तरीका नहीं अपनाना चाहिये। खास तौर से मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जनतन्त्रीय तरीके से वे चलें। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आपने निर्णय दे दिया है। आपने कुछ नहीं कहा है इस रिपोर्ट के बारे में—फिर भी मुख्य मंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वे एक प्रणाली अपनावें—रूल्स की बात न करें। आज सारा चूरू जिला बन्द है। उसके बन्द से असन्तोष है, और यह असन्तोष बढ़ता जा रहा है। आज चूरू जिला बन्द है और उसके कारण से सारा राजस्थान बन्द होने की सम्भावना बढ़ती जा रही है। हम कोऑपरेट करके चलना चाहते हैं। प्रजातन्त्रीय तरीके से समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। जिनके खिलाफ जुल्म साबित हो गये हैं, उन हैड कॉन्स्टेबल और कान्स्टेबल को गिरफ्तार किया जाये और और आप कम से कम हूजा साहब की जगह दूसरे व्यक्ति को वहां पर भेजें। केवल यह कह कर इस बात को समाप्त करने का प्रयास न करें कि यह रिपोर्ट बताना सदन के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : इस विषय में, अध्यक्ष महोदय, गलतफहमी माननीय सदस्यों को हो गई है, ऐसा लगता है····

श्री अध्यक्ष : जो भी और कोई सदस्य पूछना चाहें, पूछ लें, ताकि उत्तर एक साथ हो जाए।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं····

श्री रामकिशन : अगर मुख्य मंत्री ऐसी कोई बात कह दें जिससे सदन को सन्तोष हो जाए तो मुख्य मन्त्री को कहने दीजिए। इससे सदन का समय भी बचेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे शायद जानकारी नहीं है कि माननीय सदस्यों को इत्तिला मिली या नहीं, मैंने कल निवेदन कर दिया था कि माननीय सदस्यों से बात कर लूंगा। उस बारे में तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप बतायें तो आज बात कर लें। हूजा रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं यह समझूं कि टच नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि एक आस्पेक्ट ध्यान में रखना चाहिए कि एक ऑफिसर कॉन्सेन्शसली रिपोर्ट करता है तो उसको एक अमुक सीमा तक सीमित रखा जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह : कोई स्थिति नहीं है। कॉन्फीडेन्स में लेंगे तो यह पर्याप्त है।

श्री हरिदेव जोशी : तो मुझे ऐतराज नहीं है। ऑर्डर्स मैंने ऐसे कर दिये हैं कि श्री हूजा ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके लॉजिकल कन्क्लूजन्स तक एक्शन लिया जाना चाहिए।

तो इसके बाद में मैं उधर बैठ जाऊंगा, आप पधारें और जो कुछ बात करनी है, कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

श्री रामकिशन : कमाल है जोशी जी, कमाल है।

श्री केदारनाथ : ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी हर बात को मानें, फिर भी यह बात करते हैं।

श्री रामकिशन : हम तो हथियार लेकर आये थे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसीलिए तो कमाल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह हथियार लेकर आये थे और आपने छीन लिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : कोई हथियार लेकर नहीं आये थे।

शासकीय संकल्प

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पुनः हथियार सप्लाई करने के सम्बन्ध में

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, "यह सदन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा हाल ही में किये गये निर्णय की, कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार पुनः सप्लाई किये जावेंगे, घोर निन्दा करता है।"

"भारत सदैव ही एक सहिष्णु, धर्म-निर्पेक्ष तथा शांतिप्रिय राष्ट्र रहा है।

(श्री हरिदेव जोशी)

पिछली सदियों का इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी भी अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग पड़ौसी राष्ट्रों के विरुद्ध नहीं किया और न उसका प्रयोग करने का अब ही कारण है। इसके विपरीत पाकिस्तान प्रारंभ से ही भारत के साथ शत्रुतापूर्ण बर्ताव करता आ रहा है। कश्मीर के विलीनीकरण के साथ ही उसने भारत पर हमला किया। इसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये, जिसका प्रयोग पाकिस्तान ने सन् 1965 तथा 1971 के युद्ध में किया, हालांकि अमेरीका ने यह आश्वासन दिया था कि वे हथियार भारत के खिलाफ काम में नहीं लिये जायेंगे।"

"संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निर्णय से पाकिस्तान के युद्धजीवियों को भारत के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का पुनः बढ़ावा मिलेगा। प्रधान मंत्री भुट्टो ने हाल ही में इस बात का संकेत भी दिया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निर्णय से इस उप-महाद्वीप की शान्ति तथा इस राष्ट्र की सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। राजस्थान की लम्बी सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है उसके कारण इस राज्य को कभी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है।"

"यह सदन भारत सरकार द्वारा इस सिलसिले में जो राय व्यक्त की है उससे अपनी सहमति प्रकट करता है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने आपको प्रजातान्त्रिक शक्तियों को संसार में बल पहुंचाने की बात कहता है, किन्तु उसके एक्शन्स हमेशा संसार में प्रजातान्त्रिक शक्तियों को कमजोर करने के रहे हैं। होना यह चाहिए था कि संसार का सबसे बड़ा लोकतन्त्र, भारत, उसको अपने विकास के लिए, अपनी समृद्धि के लिए और दुनिया की प्रजातान्त्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए अमेरिका अपना सहयोगी समझता, किन्तु एक अजीब सी विडम्बना है कि अमेरिका ने भारत के विपरीत पाकिस्तान को, अथवा यों कहें भारत विरोधी शक्तियों को शुरू से बल दिया। संसार के दो बड़े देश अपने अपने हितों की रक्षा के लिए जब लड़ने लगे तो भारत ने स्वाभाविक रूप से गुट-निर्पेक्षता का रुख अख्त्यार किया। उसने इस गुट में अथवा उस गुट में मिलना उचित नहीं समझा। किन्तु तत्कालीन विदेश मंत्री श्री डलेस यह कहते हुए कि जो हमारे साथ में नहीं है हमारा विरोधी है, भारत को अमेरिका विरोधी करार दिया, और सीटो, और सेंटों, और नाटो संधियों के मार्फत पाकिस्तान को हथियारबन्द करने की कोशिश की। हमारे नेता और प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भी अमेरिका की इस कार्यवाही को प्रजातन्त्र विरोधी और भारत-विरोधी होने की संज्ञा दी थी। इस देश के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश उस समय ऐसी शक्तियां थीं जो यह समझती थीं कि अमेरिका बड़ी नेकनियती से काम ले रहा है और वह भारत विरोधी नहीं है, और इतना ही नहीं, उस समय ऐसा समझते थे कि भारत सरकार एक प्रकार से वैदेशिक नीति के अन्दर भूल कर रही है और अमेरिका बड़ा निकट हमारे हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, उन संधियों के मार्फत कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान को

(श्री हरिदेव जोशी)

हथियार कम्युनिस्ट दुनिया को घेरने के लिए और कम्युनिज्म को कन्टेन करने के लिए दिये जा रहे हैं, यह सन्धियां भी किसी भी प्रजातान्त्रिक शक्तियों के विरोध में नहीं हैं। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इसको विधि की विडम्बना समझना चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी किसी कम्युनिस्ट कन्ट्री के विरुद्ध हथियार नहीं उठाने पड़े। उसने हथियार अपने जन्मकाल से उठाये हैं तो केवल भारत के और भारतवासियों के खिलाफ उठाये हैं, और इसका एक परिणाम यह हुआ है कि आज जहां 20 वर्ष पहले इस देश के अन्दर कुछ लोग यह सोचते भी थे कि अमेरिका की भारत के बारे में कहीं कोई दुर्भावना नहीं हैं, आज वे सारे के सारे लोग, शतप्रतिशत भारत यह महसूस करता है कि अमेरिका अपनी नीति के कारण भारत के खिलाफ एक युद्धोन्माद की ताकत पैदा कर रहा है जो भारत की केवल सुरक्षा के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि उसकी आर्थिक व्यवस्था को भी चिन्ता की स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, देश आजाद हुआ और पाकिस्तान ने तत्काल ही कश्मीर के ऊपर हिन्दुस्तान में उसके एक्सेशन को स्वीकार नहीं करके हमला किया। सारी की सारी राष्ट्रीय ताकतों ने पाकिस्तान की इस हरकत की निन्दा की। इसके बाद अमेरिका ने उसका हथियारबन्द किया। उसके बाद में सन् 1965 और सन् 1971 के अन्दर फिर हिन्दुस्तान की सीमाओं का अतिक्रमण किया, और किन्हीं बाहरी दूसरी ताकतों के बल पर नहीं, बल्कि अमेरिका के हथियारों के बल के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली किसी एक आइडियोलॉजी को मानता हो और एक सिद्धान्त का वह विरोधी है, किन्तु भारत जैसे महान् देश के प्रति, जो कि किसी भी ब्लॉक में नहीं है, इस प्रकार की हरकत करने के मायने यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका न तो प्रजातन्त्र में विश्वास करता है और न वह किसी देश की स्थितियों का सम्मान ही करना चाहता है। 1971 के युद्ध के बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने की पाबन्दी लगा दी थी, किन्तु आज फिर उस पाबन्दी को हटा करके एक तरफ हटा कर, अमेरिका ने फिर से दुनिया के सामने इस बात को उजागर कर दिया है कि वह संसार के भारत के इस उप महाद्वीप के अन्दर हथियारों की होड़ पैदा करना चाहता है, और ऐसी तनाव की स्थिति पैदा करना चाहता है कि जिससे इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए, इसके पिछड़ेपन को मिटाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं वह प्रयत्न सफल न हों। परोक्ष में एक प्रकार से अमेरिका हिन्दुस्तान की गरीबी को मिटाने के प्रयत्नों को नाकामयाब करना चाहता है, और यह स्थिति पैदा करना चाहता है कि हिन्दुस्तान उसके सामने घुटने टेके। आज एक तरह से यह हिन्दुस्तान के जमीर को चुनौती है इस बात की कि हम अमेरिका के बल पर ही जिन्दा रह सकते हैं अथवा हमें घुटने टेकने होंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश अमेरिका की इस कार्यवाही से चिन्तित है, और आज हर देश भक्त यह अनुभव करता है कि इस उपमहाद्वीप के अन्दर हथियारों की होड़ बढ़ेगी। अगर अमेरिका से पाकिस्तान को सोफिस्टिकेटेड वीपन्स दिये जाते हैं तो भारत को

(श्री हरिदेव जोशी)

अपने लोगों की तरक्की के लिए जो भी काम हाथ में लेने हैं उस खर्चे को बन्द करके हथियारों की दौड़ के अन्दर दुनिया के बाजारों में जाना होगा, उसके लिए साधन जुटाने होंगे, और इस प्रकार से एक तनाव का वातावरण पैदा होगा।

मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान इससे क्या पाना चाहता है? एक तरफ मि. भुट्टो शिमला में आकर शान्ति की बात करते हैं, एक तरफ मि. भुट्टो प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ बिलोचिस्तान के अन्दर नॉर्थ-वेस्ट फ्रण्टियर एरिया में नग्न अत्याचार करते है। मगर वह अत्याचार विद्रोह के रूप में प्रकट होता है। उसका उपचार शायद वह आयुध संग्रह और युद्धोन्माद पैदा करने की सोचते हैं। मैं समझता हूं कि यह सही स्थिति नहीं है, अपने आप को भूल भुलैया में डालने की स्थिति है। उनके इस युद्धोन्माद को संसार का सबसे अधिक विकसित देश मदद करता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अमेरिका के इस कदम से बहुत चोट पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह इस सदन का पुनीत कर्त्तव्य है कि वह अपनी चिन्ता को भारत सरकार और देश के समक्ष रखे और यह कहे कि हम अमेरिका के इस कदम की भर्त्सना करते हैं। अमेरिका द्वारा एक तरह से दबाव में लाकर जहां करोड़ों करोड़ों आदमियों की जीवन-सामग्री जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उस पैसे को आर्म करने के लिए लगावें, इस बात के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। यह ऐसी स्थिति है, इसमें उसका अपना वेस्टेड इण्ट्रेस्ट है। वह चाहता है कि ऐसी स्थिति बनी रहे। अमेरिका चाहता है कि युद्ध का वातावरण बना रहे ताकि उसके हथियारों के कारखाने चलते रहें। संसार में ऐसी स्थिति बनी रहे। किन्तु संसार के लोग आज उस उद्देश्य को समझ चुके हैं। वह जमाना चला गया है जब अमेरिका नील डाउन करा सकता था। बंगला देश के युद्ध के समय में जब अमेरिका का सातवां बेड़ा बे ऑफ बंगाल में आया था। तब अमेरिका से कम साधन वाले भारत ने उस चुनौती को आत्मबल से स्वीकार किया था। मैं समझता हूं कि भारतवासी इस चुनौती को उसी रूप में स्वीकार करेंगे। और अमेरिकी हथियारों को इकट्ठा करने वालों और हथियारों को बांटने वालों के सामने कभी सर नहीं झुकायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा ! श्री भानुकुमार शास्त्री ने एक संशोधन पेश किया है। मैं उनसे कहूंगा....

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह संकल्प पर कहेंगे। मैं इस बारे में यह चाहता हूं कि हरएक दल के एक-एक माननीय सदस्य बोल लें। उसमें सभी का दृष्टिकोण आजायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, अखबारों में एक खबर छाया हुई है, कुछ पार्टियों का एक दल हो गया है। यह स्थिति जरा स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं कोई घोषणा नहीं करदू तब तक पुराना रूप ही रहेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो क्या यह अखबार की सूचना गलत है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यों तो एक नया पागलखाना भी बना है।

श्री मनोहरलाल (कामां) : वहीं से आ रहे हो क्या ? वहीं से उद्घाटन करके आ रहे हो क्या ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : कुछ न कुछ बना ही है। बिगड़ा तो नही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में रखा है, उसका स्वागत् करते हुये....

(व्यवधान)

जिस भूमिका में इस संकल्प पर विचार करना है, उस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प के अन्दर, अपने इस राजस्थान की जनता किस प्रकार से इस चुनौती का सामना करना चाहती है। उनकी केवल भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक वाक्य इस संकल्प के अन्त में जोड़ने के लिए मैंने निवेदन किया है। वह इस प्रकार है:—

"राजस्थान की जनता, अमेरिकन-पाक गतिविधियों का पूर्ण व आवश्यकता होने पर शान्ति से सामना करने व समस्त देश में अगुवाई करने का संकल्प दोहराती है व इस हेतु सीमा के प्रहरी के नाते मातृभूमि की रक्षा के लिये हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार है।"

इस संकल्प के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जो भावना मूल रूप से हमारे सामने आई है....

श्री अध्यक्ष : संकल्प और संशोधन, दोनों पर एक साथ ही विचार करलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सप्लीमेण्टरी है। It is just to enforce that, कहीं पर विरोधाभास नहीं है। यदि आप बलिदान के भाव को नहीं रखना चाहेंगे तो मैं वापिस ले लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद से हमारी ओर से यह बराबर प्रयास किया गया है कि पाकिस्तान और भारत में सभी प्रकार की शान्ति रहे। कश्मीर के ऊपर जिस समय आक्रमण किया गया, कभी कच्छ का प्रश्न आया तो कभी बेरुबाड़ी का प्रश्न आया। हमने हमेशा इस बात का प्रयास किया कि किसी भी कारण से हो, जब पाकिस्तान निर्माण हो ही चुका है तो हमारी ओर से शान्ति का बढ़ाया हुआ हाथ वह थामने का प्रयास करे या न करे लेकिन हमने लगातार अपनी ओर से शान्ति के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कच्छ के मामले में आर्बीट्रेशन के द्वारा इसी प्रकार से बेरुबाड़ी में समझौते के द्वारा काश्मीर के प्रश्न को बार-बार नाना प्रकार से इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास भारत सरकार ने किया, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के नेताओं ने किया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं सन् 1965 के अन्दर जिस समय पाकिस्तान ने अकारण ही युद्ध किया उसके बाद भी हमने ताशकन्द समझौता किया जिसके अन्दर हमें देश के महान नेता लालबहादुर शास्त्री का बलिदान करना पड़ा था। सन् 1971 के अन्दर फिर से बंगला देश के प्रश्न को लेकर बंगला देश के अन्दर अत्याचार परिवर्तन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
की ओर से जोर और जब्र और खून खराबा ढाका की सड़कों पर हो रहा था। तो भारत ने फिर से उन आततताइयों के खिलाफ बंगला देश की जनता का साथ दिया। लेकिन उसके बाद भी छाछरा पर तिरंगा झण्डा लहराने के बाद एक लाख शरणार्थी हमारे देश में आये....

श्री केसरीमल : एक करोड़, एक लाख नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक करोड़। क्षमा करें।

हमने फिर से शिमला में समझौता किया। तो मैं समझता हूं कि इसमें विश्व के किसी भी हिस्से में इस बात का सन्देह नहीं, और अमेरिका को भी सन्देह नहीं होना चाहिए कि भारत ने अपने देश के अन्दर युद्ध स्थल पर बलिदान अपने लाड़लों के जीवन का किया और बलिदान के पश्चात् भी उस भूमि को वापिस देकर, बन्दियों को वापिस देकर, कश्मीर का इतना हिस्सा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चौकियों को देकर बराबर शान्ति के लिए प्रयास किया। ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा बार बार पाकिस्तान को हथियार देना निश्चित रूप से एक भारत विरोधी स्पष्ट चुनौती है, जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्मामेंट से लेस किया है। इसके पहले कई बार, कभी पुर्जों के नाम पर, कभी मरम्मत के नाम पर, कभी अन्य बहाना बनाकर अमेरिका ने निश्चित रूप से एक प्रयास किया कि पाकिस्तान को शक्तिशाली बनाकर भारत को सुख-चैन की नींद न लेने दें, भारत के अन्दर जो भी योजनायें विकास की चल रही है, उस विकास की गति धीमी हो और प्रगति की ओर बढ़ने में उसको सफल न होने दें। इस तरह से बराबर इसका प्रयास किया गया है। अध्यक्ष, महोदय, शिमला समझौते के बाद में यह समझा जाता था कि अब कम से कम पाकिस्तान ने सबक ले लिया है हमेशा के लिए कि वह किसी प्रकार के छेड़खानी नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका इसको कब सहन करता, और इस कारण से सन् 1973 के अन्दर अमेरिका ने फिर एक बार प्रयास किया, और, अध्यक्ष महोदय, उस समय भी देश के अन्दर इस बात की आवाज उठी थी कि पाकिस्तान आर्मामेंट से फिर लैस से हो रहा है और इसका विरोध देश में कई स्थानों पर हुआ, लेकिन सन् 1973 के अन्दर जिस समय इस बात को उठाया गया, तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पिछले साल की बात कहता हूं 1974 की, सितम्बर के अन्दर वाशिंगटन पोस्ट ने यह लिखा ही था, अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देने जा रहा है, इस वाशिंगटन पोस्ट को सब जानते हैं, इसी ने वाटरगेट के काण्ड का पर्दाफाश किया था, लेकिन अमेरीका के विदेश विभाग ने उसका खण्डन किया। यह निश्चित है कि अमेरीका का विदेश विभाग इसका खण्डन करता क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी आकांक्षाएं थीं, उनको पूरा करने की यह कूटनीति थी, इसलिए उसने इस प्रकार की घोषणाएं कीं। लेकिन दुःख इस बात का है कि हमारे भारत के राजदूत श्री त्रिलोकी-नाथ कौल ने भी इस खबर का खण्डन किया सार्वजनिक रूप से, और श्री त्रिलोकी नाथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कौल ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि यह बात गलत है। उधर अमेरीका के नेताओं और पाकिस्तान के नेताओं में वह समझौता हो गया, इधर नवम्बर मास में किसिंगर दिल्ली आये। उस समय यह कहा गया कि चूंकि इस देश के अन्दर एक ऐतिहासिक स्थान के ऊपर भारत ने करवट ली है और भारत ने वहां पर अणु विस्फोट किया है, अपनी उच्च शक्ति का प्रदर्शन किया है, इस कारण से यह आवश्यक हो गया कि पाकिस्तान को आर्मामेन्ट दिये जायं। यह बहुत बड़ा धोखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह घटना उस समय घटी जिस समय भारत के अन्दर इस प्रकार का न तो कोई परमाणु बम बनाने की बात थी और न उस समय इस प्रकार का विस्फोट किया गया था। उसके बाद लगातार प्रयास किया गया कि पाकिस्तान को आर्मामेंट से लैस किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह प्रश्न स्पष्ट रूप से सामने आ गया है कि पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद आपने आपको हथियारों से लैस करना चाहता है, सारे देशों से, सारी दुनियां के अन्दर से जहां कहीं से किसी प्रकार भी विध्वंसक शस्त्र मिल सकें, उनको खरीद कर, कहीं से गिफ्ट में लेकर, कहीं से मुफ्त में लेकर। लेकिन अपनी विध्वंसकारी मनोवृत्ति के कारण उसने अपने आपको आर्मामेंट से लैस किया है और कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज स्थिति यह है कि अमेरिकन आर्मामेंट जो आने वाले हैं उनके बिना भी पाकिस्तान की जो शक्ति है, पाकिस्तान की शक्ति का विवरण देना उचित समझता हूं आपके सामने। पाकिस्तान के पास में अध्यक्ष महोदय, दो आर्मर्ड डिविजन हैं, 13 इन्फेन्ट्री डिविजन हैं, 2 इन्डिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड हैं, 1 एअर डिफेन्स ब्रिगेड हैं, 3 स्क्वाड्रन ऑफ आर्मी एविएशन है, 1200 टैंक्स हैं, 300 आर्मर्ड पर्सनल केरिअर्स हैं, 900 गन्स ऑफ डिफरेन्ट केलिबर्स हैं, 47 हैलीकॉप्टर्स हैं, 3 सब मैरिन्स हैं, 6 डेस्ट्रायर्स और फ्रिगेट्स हैं, 9 पेट्रोल बोट्स हैं, 37 नेवल हैलिकॉप्टर्स हैं, 283 कोम्बेट एअर क्राफ्ट इन्क्लुडिंग अबाउट 50 मिराज हैं, 9 रीकॉनेशन्स एअर क्राफ्ट्स हैं ए नम्बर ऑफ ट्रान्सपोर्ट एअर क्राफ्ट्स, 10 एअर फोर्स हेलीकोप्टर्स है और 40,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं और अन्य कई प्रकार के साधन आज भी 1971 से लेकर उपलब्ध हैं जिसके कारण से भारत जैसे विशाल देश, जिसकी सीमायें इतनी लम्बी चौड़ी फैली हुई हैं, जिसको अपने डिफेन्स के साधन बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के कम्पेरीजन में पाकिस्तान में 1971 से लेकर अब तक अपने आपको अच्छी तरह आर्मामेन्ट से लैस कर रहा है, इसे फ्रांस से मदद मिली है, चीन से मदद मिली है, दुनियां के अन्य देशों से मदद मिली है और अमेरिका से 1971 के सबक के पश्चात् मिसाइल्स देने का, सब-मेरीन्स देने का समझौता हुआ है। इस प्रकार विध्वंसक शस्त्रों और लेटेस्ट आर्मामेन्ट देने के लिए घोषणा भी हो चुकी है, और वह आर्मामेन्ट पाकिस्तान में पहुंचना प्रारम्भ हो गया है। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चिन्ता की बात हमारे सामने यह है कि पाकिस्तान की गतिविधियां राजस्थान की सीमा के ऊपर विशेष गति के साथ में बढ़ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
युग के अन्दर आर्मामिन्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैन पॉवर कितनी भी हो, हमारा पचास करोड़, साठ करोड़ का देश है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है इस सबके बावजूद भी भारत जैसे महान देश के ऊपर हमला करने के पहले केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरीका को भी, चीन को भी कई बार सोचना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ कॉम्प्लीसेन्सी में हम नहीं रह सकते। इस कारण, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इजरायल के अन्दर आर्मामेन्ट देकर अमेरिका ने युद्ध के ज्वार को वहां बढ़ाया और मेरा यह मत है, अध्यक्ष महोदय, कि अमेरिका निश्चित तौर से एशिया के अन्दर हिन्दुस्तान को नया वियतनाम बनाना चाहता है। इस कारण से पाकिस्तान के माध्यम से वह हिन्दुस्तान की शांति भंग करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यहां केवल भर्त्सना करना या चिन्ता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, आज वह समय आ गया है, जब देश को उठ खड़ा होना पड़ेगा। हम इस बार सेल्फ कॉम्प्लीसेन्सी में नहीं रह सकते। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, 1965 के अन्दर जिस समय पहला युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के सेबर जेट जोधपुर के ऊपर रात को साठ-साठ, चालीस-चालीस, पचास-पचास आते थे। उस समय हमारा देश साधनहीन होने के बावजूद वहां का जो मनोबल था, वहां की जो तैयारी थी, वहां की जनता का जो साहस था, उस सबके लिए मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। लेकिन आर्मामेन्ट की रेस के अन्दर 1965 के अन्दर पहली बार हमने रियलाइज किया, यदि डिफेन्स का प्रॉडक्शन पूरा नहीं हो तो किस प्रकार की स्थिति होती है।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखकर बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं संक्षेप में समाप्त कर दूंगा। यह राजस्थान के लिए बहुत ही महत्व का विषय है। मुझे वह दिन याद है जब जोधपुर के अन्दर एक एक रात में 40-40 बार सैबर जैट से पाकिस्तान द्वारा बम्ब गिराए गए और हमारी वहां पर उस समय किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी 1965 के अन्दर। न एन्टी-एयर-क्राफ्ट गन्स थे, ऊपर से बम्ब आते थे केवल हम और बम्ब लेकिन अन्त में चले गए बम्ब, जीत गए हम, हार गए बम्ब। यह जोधपुर की जनता का, राजस्थान की जनता का मनोबल था जो पाकिस्तान पर विजयी हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तो सदन में बम बम लहरी हो रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पाकिस्तान ने दुनिया से कहा था कि हमारे पास गाजी सब-मेरीन है लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हिन्दुस्तान की नेवी के बहादुर लोगों को जिन्होंने गाजी को ऐसा गाढ़ दिया कि वह सदियों तक ऊपर नहीं आ सकती। अब अमेरीका आए तो उसकी भी ऐसी ही स्थिति होने वाली है। अमरीका चाहता है कि हिन्दुस्तान को वियतनाम बनाया जाए, उसके स्वप्न धूमिल हो जायेंगे यूं तो हिन्दुस्तान की धरती पर जितने लोग आए हैं, समाप्त हो चुके हैं और अमेरीका ने प्रयास किया हिन्दुस्तान में आग लगाने का तो वह खुद उसमें झुलस जाएगा। इसलिए अमेरीका के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अपनी सरकार के हाथों में आकर दुनियां में अमेरीका सरकार देश-देश में आग

Page No 60

(60)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लगाती फिरे और वहां की जनता सहन करती रहे, यह उचित नहीं है। अमरीका की जनता को चाहिए कि वह सरकार के खिलाफ बगावत करे। जो हिन्दुस्तान की शांति को आग लगाए, ऐसी सरकार को आग लगा दे। यह अमरीका के खुद के हितों के विपरीत है कि यदि वह दुनियां में शांति व व्यवस्था भंग करना चाहता है तो हिन्दुस्तान अपने मित्रों की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता और हम तो चाहते हैं और दुनियां जानती है कि हम किसी गुट में नहीं जाना चाहते लेकिन उसके बावजूद यदि हिन्दुस्तान की शांति भंग करने के लिए यदि पाकिस्तान को शस्त्रों से अमरीका लैस करता है तो हमको भी अपने मित्र देशों के पास सुरक्षा के लिए जाने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए यह अमरीका के हित में नहीं है कि वह हिन्दुस्तान को किसी गुट में जाने के लिए बाध्य करे। अमरीकन साम्राज्यवाद पाकिस्तान को आर्मामेंट्स देता है उसकी निश्चित रूप से डिजाइन्स हैं और चीन के भी डिजाइन्स हैं। चीन के मिलिट्री के लोग पाकिस्तान गए हैं और वहां इस बात का प्रयास किया है और मैं समझता हूं यह योजनाबद्ध विकास है, चीन के कुपीशान पाकिस्तान गए थे और उनको आश्वस्त किया है कि पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उनकी पूरी तरह मदद करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प जो मुख्य मन्त्री ने रखा है, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा सदन ही नहीं सदन के माध्यम से राजस्थान की 2।। करोड़ जनता जिसने स्वतन्त्रता के लिए आज ही नहीं सदियों पहले हिन्दुस्तान में अगुवाई की थी, वह जनता फिर अगुवाई करें शांति और साहस के साथ मुकाबला करे। इसलिए मैंने यहां पर शासकीय संकल्प पर संशोधन रखा है कि राजस्थान की जनता, अमेरिकन-पाक गतिविधियों का पूर्ण शांति व आवश्यकता होने पर शक्ति से सामना करने व समस्त देश में अगुवाई करने का संकल्प दोहराती है व इस हेतु सीमा के प्रहरी के नाते मातृभूमि की रक्षा के लिए हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार है। मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव भी शासकीय प्रस्ताव के साथ में संशोधन के रूप में सारे सदस्य और मुख्य मन्त्री उसको स्वीकार करने का कष्ट करें और सदन में सब एकमत होकर संकल्प को पारित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ ही दिन पूर्व अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देने के सम्बन्ध में रुकावट हटा ली। स्वाभाविक है कि ऐसा निर्णय भारतवर्ष के लिए एक खेद और चिंता का कारण बन गया। हथियारों पर प्रतिबन्ध हटाने के कुछ ही सप्ताह पूर्व मिस्टर किसिंगर भारतवर्ष में आए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि अमरीका की यह इच्छा है कि भारतवर्ष के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स और साधारणतः सम्बन्धों में मधुरता आए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देने के सम्बन्ध में लिया है, इससे यह आशा धूमिल हो गई है कि निकट भविष्य में भारतवर्ष यह उचित समझे कि अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध

(श्री लक्ष्मणसिंह)
नॉर्मलाइज करने की चेष्टा करने के लिए सोचे भी। जैसे मुख्य मन्त्री ने कहा कि विधि की विडम्बना है कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज सारे विश्व के अन्दर-भारत जन संख्या के अनुपात से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अमरीका समृद्धि के अनुपात से सबसे बड़ी डेमोक्रसी और संभवतः अमरीका समृद्धि के अलावा भी शक्ति के आधार पर भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रसी होते हुए भी ऐसे देशों के प्रति मैत्री रखने की चेष्टा करता है कि जो जनतन्त्र में विश्वास नहीं रखते। जो अधिनायकवादी देश हैं और अन्य देशों के नाम न लेते हुए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि पाकिस्तान एक अधिनायकवादी देश है, उसके प्रति सहानुभूति रखना, मैत्री रखना और भारतवर्ष के प्रति अमैत्री रखना, यह विधि की विडम्बना के अलावा मैं और कुछ नहीं समझता। भारत एशिया का एक बड़ा देश है वन ऑफ दी बिगेस्ट एशियन पॉवर्स, यह निर्विवाद बात है। संभवतः अमेरीका को इस बात से भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई क्योंकि हमारा न्यूक्लीयर विस्फोट उसको तनिक मात्र पसन्द नहीं आया, उसको आश्चर्य हुआ और हमारी नॉन-एलाइन्ड नीति और हमारे जो नॉन-एलाइन्ड मित्र देश हैं उनमें भारतवर्ष का महान् महत्व देखते हुए भी अमेरीका को संभवतः यह एक बात नाकाबिले बरदाश्त लगी।

अध्यक्ष महोदय, अमेरिका यह अच्छी तरह से जानता है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान को हड़पना नहीं चाहता है और अगर हिन्दुस्तान अध्यक्ष महोदय हड़पने की इच्छा भी करे तो नहीं हड़प सकता। आज की स्थिति को देखते हुए किसी भी राष्ट्र को कोई दूसरा राष्ट्र नहीं हड़प सकता। आज पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बंगला देश बना हमने बंगला देश की मदद की। बंगलादेश स्वतन्त्र देश हुआ, लेकिन हिन्दुस्तान ने बंगला देश को हड़प थोड़े ही लिया। आज, अध्यक्ष महोदय, हमने बंगला देश को स्वतन्त्र कराने में जो मदद की उसका हमारा क्या अनुभव है यही कि हमने पाकिस्तानी एक लाख बन्दियों को हमारे यहां एक साल भर तक रखा उनका खर्चा बर्दाश्त किया। इसके अलावा बंगला देश के करीब एक करोड़ शरणार्थियों को हमारे यहां पर खाना खिलाया उन्हें अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया जिसका असर हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा यह अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि भारतवर्ष पाकिस्तान को हड़पने की चेष्टा स्वप्न में भी नहीं कर सकता और पाकिस्तान को कोई नुकसान भारतवर्ष नहीं पहुंचाने वाला है, और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद पाकिस्तान यह बिलकुल अच्छी तरह से जानता है कि वह भारतवर्ष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह तो पाकिस्तान के अन्दर ही जो नॉर्थ वेस्ट फ्रन्टियर इलाका है, बलूचिस्तान के लोग हैं वह लोग वहां पर विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहे हैं और उपद्रव कर रहे हैं। भारतवर्ष यह जानता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा राष्ट्र है और पाकिस्तान यह सभी बातें मानते हुए भी अपनी खट्टी और टेढ़ी निगाह अब काश्मीर पर रखता है, वह काश्मीर पर अधिकार करना चाहता है। मेरा भी यही ख्याल है कि काश्मीर के बारे में अगर कोई हल निकल सकता है तो निकाला जाये। अगर कोई हल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच निकल जाता है

(श्री लक्ष्मणसिंह)
तो मैं उसका स्वागत करूंगा। पाकिस्तान ने, अध्यक्ष महोदय, हमको सन् 1965 में क्षति पहुंचायी और उसके बाद सन् 1971 में हमें क्षति पहुंचाई और हमने भी पाकिस्तान को कोई कम क्षति नहीं पहुंचाई। अब चूंकि पाकिस्तान एकदम हथियारों से लैस हो चुका है उसको जो सन् 1971 में क्षति हुई थी उसकी क्षति पूर्ति वह कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, उसको फ्रान्स, चीन और अमेरिका से हथियार मिले हैं। अब जब अमेरिका से हथियार मिल गये हैं तो अमेरिका ने खुले रूप से पाकिस्तान को हथियार देने का जो प्रतिबन्ध था उसे हटा लिया है। क्योंकि यह विषय हमारा विषय नहीं है केन्द्र का विषय है इसमें हमें तो इसलिए ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आज पाकिस्तान का हमारे से सैंकड़ों मील तक बोर्डर लगा हुआ है और अब चूंकि अमेरिका ने यह हथियार देने का निर्णय लिया है तो हमारे लिये यह एक व्यग्रता और चिन्ता का विषय हो जाता है और चिन्ता होना स्वाभाविक भी है। माननीय सदस्य जो मेरे से पूर्व वक्ता थे उन्होंने यहां पर बम का जो विवरण किया वह तो खैर ठीक है लेकिन आज के जमाने में मॉर्डन एरोप्लेन्स ऐसे होते हैं जिनके लिये जोधपुर, अजमेर, और जयपुर आने जाने में कोई विशेष समय नहीं लगता है। उनकी स्ट्राइकिंग रेन्ज होती है। इसलिए हमारी चिन्ता होना स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहूंगा। सिर्फ हमको तो आज की स्थिति में सजग रहने की जरूरत है। वैसे तो हमारे देश के सम्बन्ध सभी देशों के साथ अच्छे हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारे सभी देशों से सम्बन्ध भद्र हों, हम किसी भी देश की भर्त्सना करना नहीं चाहते हैं और करना भी अच्छा नहीं समझते हैं। हमारा हर देश के साथ डिग्नीफाईड बिहेवियर होना चाहिये। और उसके साथ साथ मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि आज अमेरिका ने जो पाकिस्तान को हथियार देने की बात की है वह उसका मिसचीवियस मूव है। और मैं तो यह कहूंगा कि इसका जितना भी विरोध किया जाये उतना ही कम है। जब जब भी इस देश के ऊपर संकट आया है चाहे सन् 1965 में आया, चाहे 1961 में आया।

एक माननीय सदस्य : सन् 1961 नहीं 1971 में।

श्री लक्ष्मणसिंह : हां सन् 1971 में हमारे देश के लोगों ने सभी ने मिलकर एक जुट होकर अपने देश की रक्षा की है। हमने उस संकट के दौर में हमारे नेशनेलिस्ट गुणों को प्रदर्शित किया वह हमने अन्तरआत्मा का प्रदर्शन किया। वह हमारा प्राकृतिक प्रदर्शन था उसके साथ साथ हमारे फौजी हैं, जो हमारी आर्मी है उसने उस वक्त बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के ऊपर खट्टी और टेढी नजर रखी तो मैं समझता हूं कि वह उसका पागलपन होगा। उसमें हिन्दुस्तान का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अगर कुछ भी नुकसान होगा तो पाकिस्तान का होगा। हमें हमारी आर्मी पर, हमारे देशवाशियों पर पूरा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो वह बरबाद हो जायेगा। अगर पाकिस्तान अपने घरेलू

(श्री लक्ष्मणसिंह)
मामलों से दुखी होकर अपनी आन्तरिक स्थिति पर काबू न पाकर जैसे कहते हैं कि तंग आयद जंग आयद वाली स्थिति में जंग करेगा तो मैं समझता हूं कि वह उसका पागलपन होगा और वह नष्ट हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। वैसे हम सजग हैं इसलिये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो उसकी शक्ति नष्ट हो जायेगी और उसके दांत खट्टे कर दिये जायेंगे। अन्त में अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प यहां पर सदन में रखा गया है उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरानी परम्पराओं को तोड़ कर यह शासकीय संकल्प सदन में रखा है। पहले भी इस बारे में एक बार सदन में इस मसले को रखा था किसी दूसरी घटना के बारे में तो उस वक्त यह कह दिया गया था कि यह प्रश्न हमारे विधान सभा से ताल्लुक नहीं रखता है, यह राजस्थान का ही विषय नहीं है यह तो केन्द्र का विषय है तो अब जो नयी परम्परा मुख्य मन्त्री जी ने डाली है उसका मैं एक बहुत बड़ी बात मानते हुए उनके प्रति आभार प्रगट करता हूं। मैंने और माननीय प्रोफेसर श्री केदार ने इस बारे में एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था आज से कुछ दिन पहले, वह आज सदन में इस रूप में आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका आज से नहीं आज करीब पिछले 25 सालों से दूसरे देशों में और हमारे मुल्क में अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को फैला रहा है। सबसे पहले आज से करीब 27 साल पहले इसी अमेरीका ने पाकिस्तान से सांठ-गांठ कर के हमारे देश काश्मीर पर कबाईलियों से हमला करवाया, उस वक्त भी अन्दर यही अमेरीका था और मैं तो स्पष्ट रूप से गुजारिश करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब जब भी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तब उसके पीछे शह अमेरीका की थी वरना पाकिस्तान की ताकत हमें चुनौती देने की नहीं हो सकती। यह तो अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण था जो जहां भी जाता है वहां पर देश के टुकड़े कराता है। इसने वियतनाम में टुकड़े कराये, कम्बोडिया और लाओस में टुकड़े कराये. जहां जहां भी अमेरीका कदम रखता है वह देश के टुकड़े कराता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले हमारे देश की पार्टियां इस बात को नहीं मानती थीं। मुझे खुशी है कि अब वह धीरे धीरे अमेरीका की साम्राज्यवादी नीतियों को समझ गये हैं। मुझे खुशी है। अध्यक्ष महोदय, अमेरीका एक ऐसा देश है जो साम्राज्यवादी है और वह हमारी ताकत से खुश नहीं हो सकता है।

और, अध्यक्ष महोदय, हमने हर संभव कोशिश इस बात की की हमारे अमेरिका से ताल्लुकात दुरुस्त हों। डॉ. किंसिजर आये तो तिजारत और दूसरी बातों के

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

सिलसिले में मुहायदे किये गये । उसके तुरन्त बाद ही अमेरीका ने यह फैसला किया कि वे पाकिस्तान को हथियार देंगे, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह सदन भी जानता है कि इस अजीज मुल्क ने गुलामी के जमाने में भी जिन पर जुल्म हुए हैं उनकी सहायता की, उनके लिये संघर्ष किया, पर, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की, कभी किसी दूसरे मुल्क के प्रति इस बात का हुस्न पैदा नहीं हुआ, कभी उसने दूसरे मुल्क की एक इंच भूमि भी लेने की कोशिश नहीं की । अमेरीकी साम्राज्यवाद की यह कोशिश रही है कि दूसरे मुल्कों की आर्थिक स्थिति गम्भीर से गम्भीर होती चली जाय और वहां उसकी दाल गल जाय । 1948 में पाकिस्तान का हमला हुआ, उसके बाद 1962 में चीन का हमला हुआ, 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया और फिर पाकिस्तान ने 1971 में हिन्दुस्तान से लड़ाई लड़ी, ये चार बड़ी लड़ाइयां ये ऐसी बड़ी लड़ाइयां थीं, यदि यह स्थिति किसी दूसरे मुल्क के साथ गुजरती तो शायद उस मुल्क का नामोनिशान मिट जाता । लेकिन हमारे इस शानदार मुल्क ने उन सब दिक्कतों का सामना किया और अफसोस की बात, अध्यक्ष महोदय यह है कि जिस वक्त हम पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खुशगुजार करने जा रहे थे ऐन वक्त अमेरिकन साम्राज्यवाद ने इस तरह की मदाखलत पैदा करके पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के ताल्लुकात को बिगाड़ने की कोशिश की है । न सिर्फ हिन्दुस्तान के लिये यह नुकसानदेह है बल्कि, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिये यह उससे ज्यादा खतरनाक है ।

असल चीज यह है, अध्यक्ष महोदय, कि पाकिस्तान के अन्दरूनी झगड़े और फिसाद हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह अपने यहां जमहूरियत को खत्म किया है और अन्दरूनी जो उनकी दिक्कतें हैं उनसे छुटकारा पाने के लिये वह हिन्दुस्तान पर हमला करने के लिये कोई बहाना करे या हमला करे और वहां के राजनैतिक दलों से और वहां की जनता का पार्टीज हैं उनसे यह कहे कि पाकिस्तान के इन्टीग्रेशन का सवाल है इसलिये हमारी मदद करें । वहां पर जो आर्थिक और राजनैतिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं वहां संकटकालीन जो स्थिति है उससे····

श्री अध्यक्ष : मुख्तसर में फरमाइये ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : बहुत अच्छा ।

भुट्टो साहब कोई रास्ता निकालना चाहते हैं कि वह हिन्दुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब करें ।

अध्यक्ष महोदय, एक बार डिबेट हुई थी वर्ल्ड बैंक से कर्जे के सिलसिले में । हमने इस नजरिये से कहा था कि हमारे मुल्क के बोर्डर पर किसी भी बैरूनी ताकत का किसी तरह से इन्द्राज होता है, पैनीट्रेशन होता है, इसलिये हमने कहा था कि हम उसकी मुखालफत करना चाहते थे । हम समझते हैं कि इतना लम्बा चौड़ा बोर्डर पाकिस्तान का हमारे साथ मिलता है और अमेरिका इस बात पर विश्वास

Page No 65

(65)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

रखता है कि एशिया के मुल्कों को आपस में लड़ाये और चैन से नहीं बैठने दे।

अध्यक्ष महोदय, डिएगोगार्शिया में अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा कायम कर लिया है और वह वहां पर इतनी बड़ी ताकतें कायम करना चाहता है कि वहां पर बैठा-बैठा हिन्दुस्तान पर मिसाइल्स से या दूसरे तरीकों से हमला कर सके। और अड्डे भी वह कायम करने में रुचि रखता है। आपको मालूम होगा, अध्यक्ष महोदय, अमेरिका ने अरब मुल्कों को, जो उनको तेल सप्लाई करते हैं, धमकियां दी थीं कि तेल की कीमतें कम नहीं करोगे और पॉलिसी में चेन्ज नहीं करोगे तो हम हमला करेंगे तुम पर। अमेरिकन साम्राज्यवाद नंगी शक्ल में आ रहा है हिन्दुस्तान और दूसरे मुल्कों के प्रति। मैं चाहूंगा कि न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी अमेरिका के इस रवैये से पूरा सबक लेना चाहिये और जो अमेरिका की ओर से हमारे ऊपर टेढ़ी नजर हुई है उनका मुकाबला करने के लिये सतर्क रहना चाहिये।

अब पता चला है कि पाकिस्तान ने 56 प्रतिशत अपने बजट का डिफेन्स के लिये अलॉट किया है जब कि हमने अपने बजट में डिफेन्स के लिये 23 पर्सेन्ट ही रखा है। वहां पर फौजी तैयारियों के लिये बजट का पूरा पैसा भी लगाया जा सकता है। हमको सतर्क रहना चाहिये ताकि हम अपने मुल्क को ताहफूज कर सकें। सवाल इतना ही नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे दे। अमेरिका ने पहले भी हथियार दिये थे और हमने उनका मुकाबला किया था। सिद्धान्त का सवाल है। जिन मुल्कों से दोस्ती कायम करना चाहते हैं उससे दोस्ती कायम हो उसको अमेरिकन साम्राज्यवाद पसन्द नहीं करता और इसी नीति से इस तरह की जारीहाना कार्यवाही हमारी तरफ करता है।

जहां एक ओर मैं संकल्प का स्वागत करता हूं वहां यह भी निवेदन किया चाहता हूं कि हमारी बोर्डर स्टेट है और हमको रक्षा की जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं वह करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समाप्त करता हूं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय हुकूमत से यह निवेदन करें कि हमारा पाकिस्तान से बहुत बोर्डर मिलता है, इसलिये हमारी सुरक्षा के लिये पूरा इन्तजाम हो। हम मुल्क की तरक्की देना चाहते हैं, किसी पर आंख उठा कर नहीं देखना चाहते। इस असेम्बली के माध्यम से मैं पाकिस्तान के रूलर्स को भी निवेदन करूंगा कि वे अन्धे बन कर हिन्दुस्तान से झगड़ा मोल न लें। वहां की जनता जो कुचली हुई है, पिसी हुई है, उनसे सहानुभूति रखते हुए यह कहूंगा कि तुमको यह अखित्यार नहीं है कि तुम अपने मुल्क को बरबाद करो और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। हमको नुकसान पहुंचा लोगे लेकिन अपना मुल्क बरबाद कर लोगे। इन्हीं शब्दों से इस संकल्प का पुरजोर स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं। राज्य सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अमेरिका हम से सम्बन्ध क्यों खराब बनाता है। हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की जनता का चिन्तन यह रहा है कि अमेरिका हथियार देता है। सारी चीज को समझने में भूल कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति बड़ी असफल रही है। आज से तीन साल पहले जो हमारी तस्वीर थी, वह आज नहीं है। पूंजीवादी खेमा, जिसका नेता अमेरिका है, वह भी चाहता है कि विभाजित रहें साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क और साम्यवादी खेमा जिसका नेता रूस है, वह भी यही चाहता है। एक सिद्धान्त और राजनीति की चर्चा करें और समझने की कोशिश न करें तो यह खतरा आज प्रस्तुत हुआ है, बार-बार ऐसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। आज दुनिया का कोई भी देश किसी से बंधा हुआ नहीं है बल्कि वह अपनी नेशनल नीति से चलता है, अपने हित की दृष्टि से वह चलता है। एक तरफ साम्यवादी देश, दूसरी तरफ तानाशाही पाकिस्तान और तीसरी तरफ डेमोक्रेटिक अमेरिका है। उनका कोई संगठन बनता है तो हमें अपनी विदेश नीति को इन सारे सन्दर्भों की दिशा में देखना पड़ेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिये हैं। कौन से मुल्क से उसको क्या नुकसान होता है यह अमेरिका के देखने की नीति है। उसकी यह नीति हमारे हित में नहीं है। अमेरिका तो यह देखता है उसकी जो विदेश नीति है उसका साथ कौन-कौन देश दे सकते हैं और फिर उनको वह मदद करने का प्रयत्न करता है। डेमोक्रेटिक और गैर डेमोक्रेटिक मुल्कों का यह प्रश्न नहीं है, धार्मिक और गैर धार्मिक का यह प्रश्न नहीं है। इनके मेलजोल की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। अरबों से संघर्ष के प्रश्न पर पूंजीवादी देश आपस में टकराव की स्थिति में हैं। हम अपनी विदेश नीति को आज से 50-60 साल पूर्व की स्थिति में न देखें। आज दुनिया की तस्वीर काफी बदल गयी है। अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, अमेरिका के पाकिस्तान को हथियार देने पर चिन्ता व्यक्त करने के पाकिस्तान के आक्रमण के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करने के, मेरा निवेदन है कि, इन सारे सन्दर्भ में हम को विचार करना चाहिए। हिन्दुस्तान की सरकार को अपनी विदेश नीति बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगामी क्या नक्शा होगा, उस पर वह विशेष तौर पर तवोज्जह देगी। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमारे सामने कुछ सवाल हैं। हम अपने यहां पर अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हमारी जो योजनाएं हैं उसमें विदेशी मदद लेते हैं, उस विदेशी मदद के बारे में भी हमें नए ढंग से सोचना होगा और हम यह मानते हैं कि हम अपनी आन्तरिक स्थिति को मजबूत करें। अगर हमारी आन्तरिक स्थिति मजबूत होगी तो झक मारकर अमेरिका हमारे साथ समझौते के लिए आगे बढ़ेगा। हिन्दुस्तान एक शक्तिशाली देश हो। एक कमजोर देश, जो विदेशी मदद पर चलता हो, उसकी आवाज की कितनी कीमत होगी इसका अन्दाज आप स्वयं लगा सकते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि हमें इन सारी स्थितियों का चिन्तन करना पड़ेगा। हथियारों के

(श्री रामकिशन)

संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा। आज स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान की सोवियत यूनियन के साथ एक सन्धि हो गयी है। अमेरिका के दिमाग में यह बात साफ है कि हिन्दुस्तान सोवियत गुट के साथ है। हिन्दुस्तान सोवियत गुट में है इसलिए हिन्दुस्तान के आस पास के देशों में से कौन उसके साथ रह सकता है, उनको साथ लेने का अमेरिका सोचता है। यह अमेरिका का दृष्टिकोण है। यह कोई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब हम यह देखते है हमारे पास श्रीलंका में वहां के तीस लाख नौजवानों ने विद्रोह किया वहां की सरकार पर दबाव डाला कि वहां की सरकार अपने वायदों को पूरा करे, तो हमारी सारी घोषणाओं के बावजूद हिन्दुस्तान की सरकार ने श्रीलंका की सरकार को हथियार दिए तो इससे एशिया के देशों में हमारी तस्वीर धूमिल हो गई। मैं यह चाहूंगा कि इन सारे मामलों में सरकार नेशनल दृष्टि से, सिद्धान्त की दृष्टि से, सोचेगी और एक विशेष प्रकार के नतीजे पर आवे।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और बात दिखाई देती है। आज दुनिया की जो स्थिति है बीस साल पहले यूरोप के लोग युद्ध से परेशान थे। हमेशा युद्ध स्थल गोरी दुनियां में रहा है। अब ईस गोरी दुनियां का ध्यान, उसकी यह कोशिश है कि युद्ध का क्षेत्र एशिया और अफ्रिका हो। उनकी प्रवृत्तियां इस प्रकार की हो रही हैं वे अपनी रक्षा युद्ध से करें और युद्ध स्थल किसी भी प्रकार से यूरोप न बने, अमेरिका न बने। उनके प्रोत्साहन से, उनके भड़काने से, या उनके समझाने से एशिया और अफ्रिका में युद्ध होता है। वे इसको देखना चाहेंगे। वे इसको पसन्द करेंगे क्योंकि अब सांस्कृतिक सभ्यताओं का संघर्ष शुरू हो गया है। मैं कोई लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस सारी स्थिति को मद्देनजर रखकर सरकार को विदेश नीति बनानी चाहिये। अन्त में यह बात कहना चाहता हूं, हमारी भारत सरकार, कभी पाकिस्तान से कोई समझौता हो जाता है, शिमला समझौता होता है, तो उसके संबंध में प्रदर्शन आयोजित करवाती है और दस दिन बाद पाकिस्तान को कोई हथियार दे देता है तो उसको रंज होता है। इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये। एक बात कहना चाहता हूं—अमेरिका पाकिस्तान को हथियार क्या आज से दे रहा है? इससे पहले भी पाकिस्तान ने हथियार इकट्ठे किए हैं। वे पाकिस्तान के पास कहां से आए? चाहे वे ईरान ने दिए हों, फ्रांस ने दिए हों परन्तु पाकिस्तान को अमेरिका के हथियार किसी न किसी रूप में मिलते रहे हैं। हमें इन सारी परिस्थितियों का चिन्तन करना चाहिए। सोचाना चाहिये जो अरब मुल्क हैं, वे हमारे दोस्त हैं। हम उनकी मदद करना चाहते हैं राष्ट्रीय हित की दृष्टि से और दूसरे कारणों से भी। परन्तु ये मुल्क भी अमेरिका के हथियारों को अपने मुल्क की मार्फत पाकिस्तान को पहुंचाते रहे हैं। यह सवाल केवल पाकिस्तान को कुछ हथियार देने का नहीं है। हमारी सम्पूर्ण विदेश नीति पर नये ढंग से सोचना होगा। नए ढंग की हमारी विदेश नीति क्या हो? इस संकल्प में यह साफ तौर से कहा है हमारा कभी भी यह इरादा नहीं रहा है कि हम हमला करें। हम हमला नहीं करेंगे। यह दूर का

(श्री रामकिशन)

दर्शन है। इससे हिन्दुस्तान को हटना नहीं है और हिन्दुस्तान कभी नहीं हटेगा। हमें अपने इस संकल्प को सुरक्षित करना है परन्तु साथ ही हमें जरूरत है एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की और फिर चाहे अमेरिका हो, या कोई और दूसरा देश हमारी नीतियों को प्रभावित करना चाहे तो भी वह प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र होंगे अनाज उधार लेंगे, योजनाओं के लिए धन लेंगे तब तक वे हमारी नीतियों को प्रभावित करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर्रसिंह !

श्री **मोहर्रसिंह** (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से आज जो संकल्प पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही में मैं दो-चार शब्द भी कहना जरूरी समझूंगा।

आज अमेरिका की इतनी मजाल कैसे हो रही है कि वह हमारे देश की जनता को अमन चैन से नहीं रहने देना चाहता है। दोनों देशों की जनता को लड़ा कर वह अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ हमारी भी गलतियां रही हैं जिसकी वजह से अमेरिका को यह मौका मिल रहा है। कोई भी सवाल आया साम्राज्यवाद के विरोध का हमने अपनी नीति दबी जुबान से जाहिर की। वियतनाम का प्रश्न आया। वियतनाम की जनता को, छोटे से देश की जनता को अमेरिका ने बरसों तक रौंदा, जहां भी यह प्रश्न आया हमने मजबूती के साथ नहीं कहा अमेरिका को। इस तरह की बराबर हमेशा गलतियां होने की वजह से आज अमेरिका की यह मजाल हो रही है कि वह हिन्दुस्तान की जनता को अमन चैन से नहीं रहने देना चाहता है। हम हमेशा से यह चाहते रहे हैं कि हम भी बसें और दूसरे भी अमन चैन से बसें। इस नीति के बावजूद भी अमेरिका हमारे आगे बढ़ने के कार्यों में, हमारे विकास के कार्यों में, अवरोध डालता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप बार-बार अमेरिका की नीति की ओर देखें, सदन के अन्दर विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रश्न आया है। इस किस्म की कार्यवाही हो रही है कि विश्व बैंक हमें पैसा दे ताकि हमारी योजनाएं चलें, यह कितनी हास्यास्पद और विरोधाभास की बात है। आज विश्व बैंक पर अमेरिका हावी है। एक तरफ हम अमेरिका से सीधे यह नहीं कहते हैं, दूसरी तरफ से विश्व बैंक से पैसा लेने को लालायित हैं कि पैसा मिले। ऐसे मौके पर हमको दो टूक जवाब देना पड़ेगा। लेकिन किस तरह हम कह सकते हैं। हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, अमेरिका की नीति आज से यह नहीं है। अमेरिका की नीति हमेशा से साम्राज्यवाद को फैलाने की रही है क्योंकि वह एक पूंजीवादी देश है। दूसरे देशों में भी वह यही कह रहा है। वह उन देशों में छा रहा है और देश देश में अमेरिका की पूंजी छा रही है। इसलिए यह स्वाभाविक बात हो जाती है वह उन देशों को अमन चैन से नहीं रहने दे जहां उसके हित साधन हों और वह हमें अमन

(श्री मोहरसिंह)

चैन से नहीं रहने देना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, आज केवल विश्व बैंक का सवाल नहीं है और भी हमारी नीतियां हैं जिनकी वजह से हमने गलतियां कीं अगर आप देखें—लंका एक छोटा सा मुल्क है परन्तु उसने वहां पर प्रोगेसिव कदम उठाए हैं। वे कितने प्रोगेसिव कदम हैं। अमेरिका की कम्पनियों को उसने जब्त कर लिया। इस प्रकार का कोई मजबूत कदम उठावें तो देश की हालत ठीक बन सकती है। परन्तु हमारी हिन्दुस्तान की सरकार ने इस साम्राज्यवादी मुल्क के साथ ऐसा नहीं किया। हम दबी जुबान से इनडाईरेक्टली अमेरिका को समर्थन देते रहे हैं। हमें सीधे तौर पर कहना चाहिए था। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति आज दुनियां को अमन चैन से नहीं रहने देना चाहती है। वियतनाम को अमेरिका ने बीस साल तक रौंदा और आज वह अरबों के ऊपर दबाव डाल रहा है कि तेल की कीमत को घटाओ वरना तेल तुमसे जबर्दस्ती छीन लेंगे। वह एक तरफ ईरान को हथियार दे रहा है और ईरान इनडाईरेक्टली पाकिस्तान को दे रहा है। इसके पीछे अमेरिका है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के ऊपर विचार करें। सब मुल्क अपने-अपने दायरे में, अपनी तरक्की करके, अपने पैरों पर खड़ा करके मुल्क को आगे बढ़ाना, आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे पास आज मैन पावर है, 60 करोड़ करीबन की मैन पावर है। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी आबादी के बाद यह मुल्क अनाज बाहर से मांगता है तो इन-डाईरेक्टली तौर पर हमारे ऊपर दबाव डाला जाएगा। यह सब हमारी गल्तियों के कारण हो रहा है। हम आज अपनी सारी योजनाओं के बारे में इस बात का संकल्प करें कि हम हमारी जो योजनाएं हैं उनको हम अपने तरीके से, अपनी शक्ति से चलायेंगे और हमारी शक्ति हमारी जनता है। श्रम का सवाल है, हम 60 करोड़ हैं, और 120 करोड़ हाथ हैं......(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)......धन की भी कोई कमी नहीं है लेकिन हमारी नीतियों में त्रुटियां हैं। यह नीतियां पूंजीवादी देशों, मोनोपोलिस्ट के हक में हैं। हम किसी प्रकार भी इन पर आघात नहीं करते हैं। वे हमारी योजनाओं में धन लगाना चाहते हैं तो इस पर भी हमें दृष्टि डालनी होगी। हमारी इन योजनाओं को हमारी जनता के द्वारा पूरा करना होगा और सीधे ही जनता का श्रम लेना होता तो ये योजनाएं और हम सफलीभूत होंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस नीति को हम परिवर्तन करेंगे। दूसरे देश की क्या मजाल कि जो हमारे पर गिद्ध दृष्टि लगाये बैठा है। उनको बता देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे आर्थिक दृष्टिकोण को हमको मजबूत बनाना है। हम सीधे तौर से कह दें कि तुम हमारे मित्र हो तो हम तुम्हारे मित्र हैं नहीं तो हम हमारे घर में और तुम तुम्हारे घर में, इसमें तुमको कोई शक नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं मैं कहूंगा कि हम अपनी ताकत को मजबूत बनावें और अपनी ताकत से उनका मुकाबला करें। हमारी सारी योजनाओं को ठीक से बनायें और अपनी ही शक्ति को आगे बढ़ाते हुए अपनी नीति को स्पष्ट कर दें तो मैं समझता हूं कि हमको किसी के आगे झुकने

(श्री मोहरसिंह)

की जरूरत नहीं है । वे हमको कमजोर समझते हैं, अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, आज अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देकर हमको लड़ाना चाहता है । मैं समर्थन करता हूं प्रस्ताव का और साथ में कहना चाहता हूं कि हम किसी के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर कोई हमको छेड़ता है तो हम अपने बचाव के लिए उसको छोड़ेंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख्य संकल्प में जो संशोधन जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री लोढ़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने संशोधन को विथड्रा कर लें ।

श्री अध्यक्ष : क्या आप उसको विथड्रा कर रहे हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : नहीं, मैं विथड्रा नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा से) क्या आप इसको विथड्रा करते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : हां, मैं सदन की भावना के अनुसार अपने संशोधन को वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री गुमानमल लोढ़ा ने मुख्य संकल्प में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया ।

अनुदान की मांगों पर विचार

मांग संख्या 16, 41, 42, व 5 की प्रस्तुति ।

श्री अध्यक्ष : मांगों पर विचार ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 का समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,58,07,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मन्त्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 के

(श्री मूलचन्द मीणा)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महादय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 98,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 16, 41, 42 एवं 5 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर),

श्री मनोहरलाल (कामां),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर),

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

1. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधों की बढ़ती हुई वृद्धि को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान मंहगाई को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की दरों पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों को वर्दियां व अन्य सुविधायें समय पर न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की वेतन शृंखला में स्थायीकरण न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों से कार्यालय कार्यकाल के अतिरिक्त ड्यूटी लिये जाने पर अन्य कर्मचारियों की भांति मानदेय व अन्य सुविधा न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानों में रहने वाले बन्दियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनके रहने के स्थान की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 720—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में नये उद्योगों को कर्जा शीघ्र दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने हेतु कोई प्रावधान नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(72)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री मीठालाल मीणा)

कर दिया जाय (राजकीय उपक्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूती खादी का दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग लगाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वामनवास (सवाई माधोपुर) में पुलिस स्टेशन भवन बनवाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये]।

13. मांग सख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट कस्बे (जयपुर) में सट्टे के व्यापक अवैध व्यापार को रोकने में पुलिस की असफलता के बारे में चर्चा के लिये]।

14. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट कस्बे (जयपुर) में सट्टे के अवैध व्यापक व्यापार में लगे पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये]।

15. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में व्यापक फैले अवैध सट्टे का व्यापार रोकने के बारे में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़, पचवारा तहसील लालसोट में सब पुलिस चौकी का सरकारी भवन न बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में उदण्ड पुलिस कार्यवाही में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [दौसा व लालसोट (जयपुर) में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये]।

19. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के छोटे बड़े उद्योगों को शीघ्र व नियमित विद्युत उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री मीठालाल मीणा)

कम कर दिया जाय (नये उद्योग स्थापित करने हेतु शीघ्र ऋण दिलवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पावरलूम उद्योग स्थापित करवाने के बारे में पक्षपात करने पर चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के बाहर रह रहे प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों को राज्य में नये उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बड़े व नये सरकारी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन विभाग में पेंडिंग फाइलों का शीघ्र निपटारा करवाने के बारे में चर्चा के लिये)

27. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने हेतु उपायों पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस ए.एस.आई.ज. को पदावनत करके हैड कॉन्स्टेबुल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारी, भरतपुर द्वारा कई वर्ष पूर्व हत्या करवाने के लिए एक अपराधशील व्यक्ति को पुलिस लाईन, भरतपुर में रायफल रिवालवर चलाने की ट्रेनिंग दिलवाकर हत्या करवाने और एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही कराने हेतु चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी विकास क्षेत्र में शामिल करने हेतु चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय अपोलो स्कूटर फैक्ट्री भरतपुर में चालू कराने के लिए व जी. ई. डब्ल्यू., भरतपुर द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय करने व अन्य गैर

Page No 74

(74)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री मीठालाल मीणा)

कानूनी हरकतें रोकने के लिए चर्चा के लिये)।

33. भरतपुर जिले में खेती के उपकरण बनाने हेतु व खेती पर आधारित लघु उद्योग स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

34. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन से हुई आय में हुए लाखों (रुपये के गबन के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री **शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) :

35. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (दिनोंदिन पुलिस की लापरवाही के कारण गुण्डागर्दी का बढ़ना एवं दिन दहाड़े चोरियों का होना व कत्ल किया जाने की दशा पर चर्चा के लिये)

36. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 304—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (माप व तोल विभाग के निरीक्षकों की उचित देखभाल के अभाव पर जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 720—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (ऋण सचिव, उद्योग विभाग के माध्यम से देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 520—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (हिस्सों के क्रय हेतु आवंटित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक आधार बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 520—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दो हजार व पांच हजार तक के आबादी वाले गांवों में लघु उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद, रामसर तथा श्रीनगर ग्राम में पावरलूम देकर उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी):

44. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

45. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस विभाग में नौकरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू एवं फागी तहसील में औद्योगिक सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम का दिया जाय (राजस्थान पुलिस कर्मचारियों का सिनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन न दियें जाने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 16, मुख्य शार्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस कर्मचारियों को जो मेडिकल बिल्स की रकम दी जाती है वह वेतन में शामिल कर देनी चाहिए इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक विकास की विफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर):

51. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में पावरलूम लगाने की स्वीकृत न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़-शेखावटी जिला सीकर में पुलिस द्वारा स्थानीय कॉलिज के छात्रों में आपस में हुए झगड़े में अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

श्री दीपकर (लाडनू):

53. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनू थानेदार द्वारा मंगलपुरा में आम लोगों की पिटाई करने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चोरियों की रोकथाम और औरतों की छेड़छाड़ को बन्द कराने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनू पुलिस थाने के जुल्म पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को राजकीय नियन्त्रण में पूर्ण रूप से लेने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री दीपंकर)

57. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं में औद्योगिक बस्ती बसाने हेतु चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट, नागौर की अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को सुविधा देने में राज्य सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों को ऋण देने के भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट से ग्रामों के लघु उद्योगों हेतु अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 268—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामदान बोर्ड को दिये जाने वाले अंशदान पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

63. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों के पुलिस थानों में तफतीस के लिये प्रत्येक थानों में एक जीप उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा पर हुए आक्रमणों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को उनकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से चुने गये पिछड़े इलाकों को चुनने में किये गये भेद-भाव पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 287—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अव्ययस्थित घरेलू उद्योग धन्धों के विकास हेतु दिये जाने वाले अनुदान में हुए भेद भाव पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

68. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रेणी चिन्ह (हाथकर्घा) लगाने में भेद-भाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वरिष्ट कर्मचारियों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को सेवाओं में लगाने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 268—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों को असामान्य कर्तव्य परायणता के लिए पारितोषक देने में भेद-भाव करने पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :

71. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा सामाजिक सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योगों को स्थापित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिधिगृहों की प्रशासन की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (निवाई) :

76. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले में अपराधों की संख्या बढ़ रही है उसको रोकने के लिए पुलिस की संख्या बढ़ाने के बावत एवं थानों के पुर्नगठन के बावत चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के बारे में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (धौलपुर में कास्टिक सोडा फैक्ट्री लगाए जाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा):

79. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा जन सहयोग न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में आधुनिक यन्त्र उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के उच्च अधिकारियों की अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

82. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में गृह विभाग में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को सही ढंग से स्थान नहीं मिलने पर चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1974 में पुलिस स्टेशन लूनकरणसर के अन्तर्गत ग्राम बीजरवाली में हुई आत्म हत्या के शव पर बरामद सामान की सूची पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर तहसील नोखा के ग्राम पांचू की पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके थाना बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

85. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में छोटे पुलिस कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता व सूती व ऊनी वर्दी व तनख्वाह बहुत कम मिल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के तहसील नोखा के ग्राम जसरासर की पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके थाना बनाया जाने के लिये चर्चा के लिये) ।

87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की तहसील श्री डूंगरगढ़ के अधीनस्थ ग्राम सूउसरटेऊ की पुलिस चौकी को थाना बनाने पर चर्चा के लिये) ।

88. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोखा मण्डी में हरिजनों के साथ पुलिस द्वारा की गई ज्यादती व जुर्म पर चर्चा के लिये) ।

89. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग धन्धो में सरकारी कोटा दिये जाने पर भी सही ढंग से सामग्री तैयार नहीं की जाकर उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

90. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योग धन्धों को अधिकतर पूंजीपतियों एवं उनके एजेन्टों को राज्य सरकार द्वारा पिछले लम्बे अर्से से नाजायज ढंग से सहयोग दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

91. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए बड़े-बड़े प्लॉट जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में भू-खण्ड आवण्टित किये गये हैं, जिन पर कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई गई है, पर चर्चा के लिये) ।

92. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 79

(79)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सुथार लुहार, बुनकर अन्य कारीगरों के छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

94. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार के संबंध में तथा अच्छे कार्य करने-वालों को उचित प्रोत्साहन दिलाने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 268—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सतर्कता आयोग के कार्य सम्पादन में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में उद्योगों के लिये दिये जाने वाले कोटे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

97. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव सूरतसिंहपुरा, रामसरत बीकानेर के गांवों को थाना नोखा से हटा कर नजदीक के थाना नापासर में सम्मिलित कराने पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस, आर. ए. सी. में अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यकों के मुकाबले में अन्य जाति के नौजवानों को जो स्टैण्डर्ड नार्म्स यथा लम्बाई, सीना, आदि में कम होते हुए फर्जी रेकार्ड तैयार करके भर्ती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मार्ग एवं जिला व राज्य मार्गों पर स्थित पुलिस थाना महाजन, जामसर, पूगल में टेलीफोन व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में ऊनी गलीचा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले को (बीकानेर शहर को छोड़ कर) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने हेतु चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 521—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री भीमसेन)
कम कर दिया जाय (राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से बीकानेर जिले में गलीचा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में ऊनी खादी सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ न करने पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा सीमा क्षेत्र पूगल तथा नापासर ऊनी उत्पत्ती केन्द्रों पर नियमित तौर पर पर्याप्त मात्रा में ऊन उपलब्ध न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर सर्किट हाउस का विस्तार करके द्वितीय तल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

106. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 225—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त असंगतियों के बारे में चर्चा के लिये)

107. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों और लघु उद्योगों के प्रसार और विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक प्रगति की मन्थर गति पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) :

109. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में मवेशियों की चोरी को पुलिस द्वारा बरामद नहीं करने पर चर्चा के लिये)

110. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा नए थाने खोलने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन कस्बा थाना, जिला कोटा में भ्रष्टाचार से क्षेत्र में व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रिन्फ्या, तहसील मांगरोल, जिला कोटा में आर. ए. सी. द्वारा खेत में खड़ी फसल को बर्बाद करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (समरानियां, कवाई, जिला कोटा में नया पुलिस स्टेशन खोलने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामगोपाल)

114. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा में औद्योगीकरण के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पुलिस फोर्स की कमी पर चर्चा के लिए)।

प्रो. केदारनाथ (गंगानगर) :

117. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त असंगतियों पर चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ग्रामों और लघु उद्योगों का विकास करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

119. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

120. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में स्मगलिंग को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले से डकैतों द्वारा बाडमेर जिले के निवासियों की ऊंटों की चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, उनको रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ मान कर केन्द्र से विशेष सुविधा न दिलाने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खादी एवं ग्रामोद्योग के और विकास पर बल देने के विषय पर चर्चा के लिए)।

124. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (खादी ग्रामोद्योग को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (राजस्थान खादी ग्रामोद्योग द्वारा जूट पट्टी के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
उद्योग को प्रोत्साहन न देने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

126. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 268—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधायक निवास का प्रशासन द्वारा ठीक प्रबन्ध न होने के कारण विधायकों में असंतोष के विषय पर चर्चा के लिए)।

श्री गोपीलाल (पीपल्दा):

127. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

128. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पुलिस द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार व अनियमिताओं की चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में चोरियां व मवेशियों की चोरी की बरादमगी न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में ग्रामीण उद्योग खुलने में प्रगति न होने पर चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में लोहे का कोटा समय पर न मिलने व निगम द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में उद्योग एवं लघु उद्योग जो पंजीकृत हैं उनकी प्रगति पर चर्चा के लिए)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):

133. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कॉन्सटेबलों की नफरी में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानों पर रखे बन्दी लोगों को खुराक एवं ओढ़ने बिछाने की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधवृत्ति में बढ़ोतरी को रोकने में असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

236. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 83

(83)

(श्री लूणाराम)
रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में ऊनी कम्बलों का उद्योग न लगाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

137 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के पट्टे देने की दोष पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भट्टों के लिए कोयला उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के ग्रामों को लघु उद्योगों की परियोजना द्वारा जितना लाभ पहुंचना चाहिये, न पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

140. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में, चोरी व अन्य वारदातों के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

141. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना में सीमेंट फैक्ट्री न शुरू होने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

142. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

143. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री केसरीमल (ब्यावर) :

144. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के अधिकारियों को समाजवादी विचारधारा की शिक्षा देने के लिए व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की हिरासत में लिये गये नागरिक को 37 पैसे की खुराक को बढ़ाने की चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (पुलिस के जवानों को विधान सभा के सत्र-काल में हार्ड ड्यूटी दिये जाने पर हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिलाने के बारे में चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के

(श्री केसरीमल)

लोगों को माकूल वेतन न दिये जाने की चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के जवानों को आज के हालात के अनुसार वैज्ञानिक शिक्षा देने के बारे में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में प्लास्टर ऑफ पैरिस का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

150 मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस जवानों को समाजवादी विचारधारा से लैस करने की चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय)पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली दमनकारी प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमेन्ट का कारखाना ब्यावर में अब तक न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में सिर्टमिक लेबोरेट्री कायम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में सिर्टमिक उद्योग राजकीय खाते में खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में ऊनी कम्बल, गलीचा और ऊन कताई का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सीमेन्ट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने बाबत चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में खाद का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाने की चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मकानों के ढांचे बनाने का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाने की चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में खुलवाने की चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री केसरीमल)
कम कर दिया जाय (राज्य में प्राप्त खनिज सम्पदा के आधार पर ग्रामों में लघु उद्योग खोलने पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों में पैदा होने वाले माल को सरकार और सरकार के उपक्रमों में खरीद कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गृह निर्माण हेतु अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा दिया जाने की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

163. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम गार्ड्स का उचित मूल्यांकन कर पाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को आधुनिक यन्त्रों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का ऑफिस टोंक से स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 21—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण लघु उद्योग योजना को कारगर बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

167. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों द्वारा प्रान्त की गरीबी दूर करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्राम और लघु उद्योगों के आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

171. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा अपराध अनुसंधान व जांच में अपनाई जाने वाली तृतीय श्रेणी के मैथड्स (थर्ड डिग्री मैथड्स) से जनमानस में असंतोष व आक्रोश की भावना उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री भोपालसिंह)

कम कर दिया जाय (राष्ट्र के संतुलित विकास की दिशा में उद्योग एक मूलभूत आवश्यकता है अतः उसका विकास न केवल जल्दी ही होना चाहिए अपितु क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने वाला होना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

173. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर जिले में उद्योगों के विकास की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जीवन के लघु उद्योगों के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

176. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के विकास की मन्थर गति पर चर्चा के लिये)।

श्री विक्रमसिंह भाटी (भीम) :

178. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की पंचायत समिति सोजत के ग्राम सेवक गोकलसिंह बीवाजी का गुड़ा व फॉरेस्ट गार्ड उदयसिंह, चौकी सीमा रेन्ज खोड़िया जिला पाली की हत्याएं हो जाने व पुलिस द्वारा आज तक कातिलों का पता नहीं लगाने की चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

179. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के द्वारा की जाने वाली अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योगों को सहायता दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

181. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में हो रही अनियमितताओं को दूर करने हेतु चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों को समय पर वृद्धि आदि नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोपाल जोशी)

183. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में छोटे उद्योग धन्धे पापड़, हाथ की सिलाई आदि करने वालों को सरकारी सहायता व सहयोग दिलाने पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ग्रामाण क्षेत्रों में लघु उद्योगों तथा छोटे-छोटे सुथार, लुहार, कुम्हार व बुनकर आदि उद्योग को प्रोत्साहन दिलाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (वाड़ी)

185. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाड़ी पुलिस थाने के सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा)

186. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम चोलपुरा, तहसील छबड़ा थाना बापचा के अन्तर्गत सन् 1974 में पड़ी डकैती के माल को पुलिस के डकार जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार के बाबत चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टीन व लोहे के कोटे का भारी ब्लैक किए जाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री हनुमानसहाय (बैराठ) :

189. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराट नगर में पुनः पुलिस स्टेशन कायम किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा मनोहरपुर, मेड़, आंतेला, धवली में पुलिस चौकी कायम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्वा शाहपुरा—मनोहरपुर में औद्योगिक क्षेत्र कायम किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

192. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में कांप्रेन एवं देवपुरा में पुलिस स्टेशन एवं घाट का बराना में पुलिस चौकी स्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

194. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन के ग्राम घाट का बराना में बार-बार डकैतियां एवं चोरियां होने पर भी व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में सीमेन्ट का कारखाना नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लघु औद्योगीकरण को प्राथमिकता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में छोटे छोटे उद्योगों को प्राथमिकता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के बड़े-बड़े कस्बों में कृषि कार्यों के लिये लघु उद्योग नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर):

199. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस फोर्स के अभाव से बढ़ती हुई अराजकता पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

201. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के पुनर्गठन व आधुनिक यन्त्रों से सम्पन्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बहुत बड़ी तरमीम कर दी व न्यायपालिका पूर्णतया अलग व स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी सरकारी पक्ष की पैरवी करने वाले पुराने पुलिस कर्मचारियों को ए. पी. पी. के पदों पर कायम रखे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में औद्योगीकरण के मामले में सरकार के रवैये पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगीकरण व्यक्तिवादी होने से जनमानस को उचित लाभ नहीं मिलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

205. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में पर्याप्त पुलिस फोर्स न रखने से आये दिन शान्ति व्यवस्था भंग होने की समस्या पर चर्चा के लिये) ।

206. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में नई हवेली, मथुरा गेट पुलिस चौकियां समाप्त किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

207. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देलवाड़ा और खमनोर पुलिस थानों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

208. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मोलेला में मिट्टी और कोठारिया में उन पर आधारित लघु उद्योग स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

209. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में मीनाकारी, चित्रकारी और साड़ी छपाई उद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

210. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्व प्रसिद्ध युद्ध-क्षेत्र हल्दीघाटी के विकास के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर चर्चा के लिये) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़):

211. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना अनूपगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

212. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के पुर्नगठन पर चर्चा के लिये) ।

213. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना सूरतगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

214. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का फौजूवाले गांव में किये शिकार के केस को थाना रायसिहनगर द्वारा दबा दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

215. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 10[illegible] रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस तफतीश को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

216. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)
कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों की कम तनख्वाह के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना रायसिंह नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योग के विकास की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा):

219. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में एक ही पुलिस अधिकारी को कई बार स्थानान्तरण करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर डिवीजन को, औद्योगिक ऋण, स्टील, कोयला इत्यादि के आवंटन में सौतेले बर्ताव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगीकरण की प्रगति में शिथिलता आने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में सार्वजनिक क्षेत्र में आज तक कोई भी उद्योग न लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 268—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्त्रियों, हाई कोर्ट के जजों एवं उच्च राजकीय अधिकारियों को निवास के लिए आवंटन किए जाने वाले बँगलों की भूमि और बँगलों के फर्श के क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली):

224. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फालना में स्थित लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग हेतु आवश्यक रॉ-मैटेरियल उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फालना (जिला पाली) में बढ़ रही गुण्डागर्दी व चोरियों की वारदातों से निपटने हेतु, पुलिस फोर्स में आवश्यक बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

227. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रिंटिंग ब्लॉक्स बनाने वाले उद्योगों को दिये गये ऋण की वसूली विभाग द्वारा न करने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योग लगाने हेतु ऋणों की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थीसिंह (नदवई) :

230. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की पुलिस समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर उद्योग, ग्राम और लघु उद्योग की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

232. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त में बढ़ते हुए अपराध व पुलिस सेवाओं के ओरियन्टेशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त के उद्योगों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त में औद्योगिक प्रगति की निराशाजनक स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :

235. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दस्तंदाजी अपराधों की पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली बोगस जांच के फलस्वरूप अदालतों में अपराधी सजा से बच जाने पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा सब डिवीजन में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस द्वारा बरती जा रही अकर्मण्यता से क्षेत्रीय जनता में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी जावर क्षेत्र में पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही एवं हैड कॉन्सटेबिल के आतंक से भयभीत जन आक्रोश पर चर्चा के लिये)।

(श्री भैरूलाल)

238. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना अकलेरा, मनोहरथाना और भालता क्षेत्र में आबाद अपराधियों को पुलिस से पनाह मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

239. मांग सख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील क्षेत्रान्तर्गत घाटोली ग्राम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वहां पुलिस थाना कायम करने हेतु चर्चा के लिए)।

240. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में सर्वे कराई जाकर बेरोजगारी मिटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

241. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील में लघु उद्योग लगाने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

श्री भीमराज चोधरी (नोहर):

242. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात से पुलिस नफरी अधिक बढ़ाई जाने के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

243. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन पर कार्य को स्फूर्ति से करने व अपराधियों की धरपकड़ तथा संभावित घटनाओं को रोकने के लिए जीप उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली):

244. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए)।

245. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

246. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली थाने में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

247. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

248. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व):

249. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में चल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

250. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभागों की खामियों पर चर्चा के लिए)।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी):

251. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में एस. एच. ओ. के दो-दो, तीन-तीन वर्ष से तबादला न करने के विषय में चर्चा के लिए)।

252. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी में किसान आन्दोलन के तीसरे दिन निहत्थे लोगों पर बूंदी के बाजार में पुलिस द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

253. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी में पुलिस द्वारा एक पत्रकार के विरुद्ध जालसाजी के मामले को दबाने के बारे में चर्चा के लिए)।

254. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 8-8-1974 को विश्वविद्यालय प्रांगण में हुई दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

255. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम-का-थाना कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

256. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कैथून थाने में विद्यार्थियों के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

257. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में निकलने वाली सिलिका का कांच कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

258. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले के चारों ओर के जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करने के विषय में चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में सीमेन्ट का कारखाना खोलने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

260. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नन्धूराम)

कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पुलिस की निष्कर्मण्यता एवं क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की रोकथाम में ढिलाइ एवं हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में वन्य उत्पादन पर आधारित उद्योग की स्थापना के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को दिये गए ऋण के दुरुपयोग एवम् दोषपूर्ण ऋण-नीति पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में उद्योग विभाग में व्याप्त दुरव्यवस्था से उद्योगों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम व लघु उद्योगों के विस्तार आदिवासी क्षेत्र में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में वन-सम्पदा पर आधारित कुटीर उद्योग की स्थापना व ऋण नीति को सरल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

266. मांग संख्या 16. मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर पुलिस स्टेशन पर पुलिस कॉन्स्टेबल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के विषय में चर्चा के लिए)।

268. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में चोरियों को बरामद करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई-माधोपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) :

270. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत एक थाना स्थापित कर उसी के अन्तर्गत पुलिस चौकी निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झूनू) :

271. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस विभाग अपने कर्त्तव्य-पालन में असफल रहा है इस पर चर्चा हेतु)।

272. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में औद्योगिक प्रगति के लिये सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा):

273. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पुलिस की निष्क्रियता पर ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के ग्रामों में लघु उद्योग खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां):

276. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा सीसवाली में थाना पुलिस कायम किये जाने और पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र व उसके पास वाले कस्बों में उद्योग खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में लघु उद्योग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री करनसिंह (डीग):

279. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में दक्षता हेतु सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लघु उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिधिगृहों के प्रशासन में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

Page No 96

(96)

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :

283. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर के थानों का सुविधानुसार पुनर्गठन न किये जाने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन के प्रति जन-साधारण में व्याप्त अविश्वास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

285. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसोल जिला बाड़मेर) में निर्मित बकरी की जट-पट्टियों के उद्योग की तरफ सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिधिगृहों के प्रशासन पर बढ़ते हुये खर्च के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च अधिकारियों के रात्रि-विश्राम हेतु गांवों में परिधिगृह नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विशेष जांच आयोग द्वारा जांच में अत्यधिक विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

290. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर.ए.सी. एवं पुलिस ए. पी. सेवा को विशेष भत्ता देने के बारे में चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवा के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा परस्थितियों में पुलिस द्वारा अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभाने के बारे में चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायिक सेवा अलग होने पर पुलिस प्रोसीक्यूशन ब्रांच की सेवा के भविष्य के बारे में चर्चा के लिये)।

294. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सेवा में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये)।

295. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में फौजदारी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मामलों में जुर्म दर्ज करने की मौजूदा प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डी. वाई. एस. पी. के पद की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में जीपें दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

298. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

299. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में रिक्रूटमेन्ट एवं होम गार्ड्स की भर्ती पर चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के अध्यक्ष के कत्ल के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में पुलिस विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस एवं आर. ए. सी. सेवाओं में निम्न स्तर की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

302. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों एवं सर्किलों के पुनर्गठन करने के बारे में चर्चा के लिये)।

303. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ग्रेनाइट पत्थर उद्योग के विकास के बारे में चर्चा के लिये)।

304. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में पूर्व में लगे उद्योगों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

306. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर का औद्योगिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में बोनक्रशिंग उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

308. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ग्राम व लघु उद्योगों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

309. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिधिगृहों की प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादूलपुर) :

310. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बढ़ते जा रहे पुलिस जुल्म पर चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगपतियों द्वारा कारोबार बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

312. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बड़े उद्योगों को जमीन, विद्युत् पानी की विशेष सुविधा दिये जाने के जन विरोधी रवैये पर चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय क्षेत्र में बड़े कारखाने खोलने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की आत्मसमर्पण की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

314. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के स्थापित करने में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

315. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धारा 107, 108, 109, 110-सी.आर. पी. सी. के अन्तर्गत इस समय जो पुलिस द्वारा जनता को परेशान करने के लिये कार्यवाहियां की जाती हैं उनका निपटारा ज्युडिशियल मजिस्ट्रेटों द्वारा कराए जाने पर चर्चा के लिये)।

316. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में पुलिस की दमन नीतियां थाना में बुलाकर रिश्वत लेने की गरज से मार पिटाई करने पर चर्चा के लिये)।

317. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाने करणपुर के पुलिस कर्मचारियों द्वारा जनता को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करमसिंह चक 5 ई. ई. ए. का कत्ल और पुलिस द्वारा कोई

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

319. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 53 जी. जी. पुलिस स्टेशन करनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत हुए कत्ल की पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 9 औ की भारत-पाक युद्ध के समय सीमावर्ती क्षेत्र में किसानों को दिये गये मुआवजे प्रति परिवार 800) रु. का धोखा देही से सरकार से प्राप्त किया, जिसके विरुद्ध थाना पुलिस करनपुर में एफ. आई. आर. कायम की गयी मगर सी. ओ. पुलिस करनपुर ने साजवाज करके केस को समाप्त कर दिया, पर चर्चा के लिये)।

321. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 16, 17 एस. डी. एस. तहसील सादूलशहर में सिक्खों के लिये गुरुद्वारा बनाने के कारण से नाराज होकर पुलिस द्वारा हथियारों के लाइसेन्स खारिज करने की रिपोर्ट करना और दूसरे मुकदमे बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

322. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक —के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा, संगरिया, चूरू पुलिस गोली चालन जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने हेतु चर्चा के लिये)।

323. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा, संगरिया, चूरू पुलिस गोली चलन से मृतकों को आज तक मुआवजा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर की गांववार जनगणना को प्रकाशित कराने पर विचार करने के हेतु चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधायकों को राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ठहरने की सुविधा देने पर विचार हेतु चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठोड़ (मांडल):

326. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के अत्याचार समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

327. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की रिश्वत खोरी समाप्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

328. मांग सख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माण्डल में शक्कर

(150)

(श्री विजयसिंह राठोड़)
की मिल लगाने के लिये उद्योग विभाग द्वारा वांछित सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योग लगाने वालों को हतोत्साहित करने पर चर्चा के लिये)।

330. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों की उपेक्षा और बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये)।

332. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन की लालफीताशाही से जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) :

333. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा ज्यादतियां करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोरधनसिंह (सीकर) :

334. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर) :

336. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिजर्वेशन के मुताबिक अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस में सर्विस नहीं दिये जाने तथा अनुसूचित जाति के एस. एच. ओज. को पुलिस थाने में इन्चार्ज नहीं बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

337. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के लिये पर्याप्त सहायता एवं धनराशि नहीं मिलने से लघु उद्योग मृतप्रायः हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

338. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

339. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर औद्योगिक क्षेत्र में चेतक स्कूटर फैक्ट्री द्वारा कार्य आरम्भ करने में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

340. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम और लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

341. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर):

342. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस ने चूरू, जोधपुर, धोलपुर, नागौर आदि स्थानों पर जनता पर दमन व अत्याचार किये हैं व जन आन्दोलन को दबाने हेतु झूठे मुकदमे बनाये हैं, उन पर चर्चा के लिये)।

343. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में ट्रेक्टर फैक्ट्री न लगाने पर चर्चा के लिये)।

344. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद व लालफीताशाही पर चर्चा के लिये)।

श्री जीयिग (कुशलगढ़):

345. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा पुलिस थाना कुशलगढ़ के ग्राम रसोड़ी वाले मर्डर केस में की गई लीपा पोती के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

346. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना, तहसील के अन्तर्गत थावला क्षेत्र में होने वाली चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस की चुप्पी पर चर्चा के लिये)।

347. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों पर सिपाहियों की अपर्याप्त संख्या के लिए चर्चा के लिये)।

348. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा):

349. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के प्रति जनता में अविश्वास एवं आतंक की भावना पैदा होने पर चर्चा के लिये)।

350. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के पुनर्गठन की योजना का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

Page No 102

(102)

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद)

351. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में असुरक्षा एवं अनुत्तरदायित्व की भावना बढ़ने पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

352. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगीकरण की दिशा में सरकार द्वारा वांछनीय प्रयत्न नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

353. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के लिये आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

354. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासनिक ढांचे में अधिक खर्च होता है जिसमें कोई कटौती नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

355. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सामन्जस्य नहीं बैठाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर):

356. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

357. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा उद्योग लगाने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

358. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी हेतु दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये)।

359. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधायक निवास में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द):

360. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालीन उद्योग को स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़):

361. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिला ग्रामीण औद्योगिक परियोजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर):

362. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना नगर में नये उद्योगों को लगाने के लिए औद्योगिक वस्ती बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री जेठमल वरवड़)

363. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परवतसर सब-डिवीजन में खादी व ग्रामोद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह मसूदा (मसूदा) :

364. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की उद्योग नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिये)।

365. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की लघु उद्योग व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषाप्रकाश (वैर) :

366. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामाण उद्योगों के विकास के लिये वातावरण बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

367. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) :

368. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 268—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरप्लस स्टाफ को एब्जोर्ब कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16, 41, 42 व 5 पर विचार।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पीठासीन)

(1.56 म. प.)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के गौरवपूर्ण मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आज कटौती प्रस्ताव बहुत अधिक हैं इसलिए प्रत्येक माननीय सदस्य, जो बोलने वाले हैं, दस मिनट का समय दिया जायगा। जैसे ही घन्टी बजाई जाय, 10 मिनट में ही समाप्त कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का समय 20 मिनट का है, मुझको 15 मिनट तो दीजिये।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी का सवाल नहीं है, जिन्होंने कट मोशन दिये हैं, उनका सवाल है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उद्योगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

को 13 ग्राशय पत्र मिले हैं, इनमें से पांच ग्रशय-पत्र इण्डस्ट्रियल लाइसेंन्स में परिवर्तित हो चुके हैं। स्कूटर, थ्री-व्हीलर स्कूटर, ग्लास बोटल, मिनी स्टील, टेलिवीजन, कैलशियम कार्बाइड व ग्लास शॅल सम्बन्धी कार्य काफी प्रगति एर बताया गया है। मेरा निवेदन करना यह है कि ग्रभी तक राज्य सरकार के पास इतने ग्राशय-पत्र क्यों पड़े हैं दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ग्रलवर में जो चेतक स्कूटर का कारखाना खोलने की बात है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया था ग्रौर यह कहा था कि उसका नाम चेतक नहीं रखा जाय। करीब एक करोड़ रुपया खर्च करने पर भी ग्रभी तक ग्रलवर में मशीनरी भी नहीं लग पायी है ग्रौर मेरी मान्यता है कि सरकार एक नाटक कर रही है ग्रौर वह इसलिए कि वहां पर जो ग्रधिकारी बैठे हुए हैं उनको एक नाम पेश करने की ग्राज्ञा नहीं है। इसके ग्रलावा जो इन्जिनीयर हैं, उनके ग्रलावा ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया है जो उन काम को जानते भी नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वही स्कूटर है जो "एशिया 72" की प्रदर्शनी में लगाया गया था उसी पर चेतक का नाम लिख दिया गया है, ग्रौर कारखाने का एक स्वप्न दिखाया जा रहा है, यह ग्रारोप है मेरा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि न तो वे कोई उद्योग लगाना चाहते हैं ग्रौर न उनको कोई ग्रनुमति ही है। इसके ग्रलावा जो दूसरे ग्राशय-पत्र पड़े हुए हैं वह लैप्स हो जायेंगे इसलिए राज्य सरकार उन ग्राशय पर ग्रनुमति दे····

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज, पारस्परिक वार्तालाप कृपया बन्द करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान में 25-30 करोड़ रुपये का व्यय हो जाता है। ग्रौर केन्द्रीय सरकार ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण कारखाने राजस्थान में लगने वाले थे, वह राजस्थान सरकार की निस्क्रियता के कारण ड्रॉप कर दिये हैं। ग्रगर वह कारखाने लग जाते तो 25-30 करोड़ के होते। राजस्थान वह स्थान है जहां पर कच्चा माल उपलब्ध है जो उद्योगों के लिये उद्योग लगाने के लियें बहुत ही ग्रावश्यक होता है उसका उपयोग हो सकता था ग्रौर इसके ग्रलावा हजारों, लाखों मजदूरों को इससे काम मिलता तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसमें निगम ग्रसफल है तो राजस्थान सरकार उद्योग के हित में सोचे ग्रौर जितने लेटर ग्रॉफ इण्डेण्ट पढ़े हुये हैं यदि निगम उन उद्योगों को नहीं लगा सकता तो सीधे-सीधे उद्योगपतियों से बात करनी चाहिये ग्रौर जो-जो उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको पूछा जाना चाहिये। बंगाल में राजस्थानी लोग हैं वे यहां उद्योग लगाना चाहते थे लेकिन राजस्थान सरकार की ग्रकर्मण्यता के कारण नहीं लगा पाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की राजस्थान में सबसे कम पूंजी लगी हुई है। भारत सरकार ने जो विभिन्न राज्यों में पूंजी उद्योगों में लगा रखी है वह 588.2 करोड़ है ग्रौर इसमें राजस्थान में केवल 82.6 करोड़ पूंजी ही लगी हुई है। बिहार में हमसे ज्यादा है, मध्यप्रदेश में हमसे ज्यादा है, उड़ीसा में हमसे ज्यादा है ग्रौर उत्तरप्रदेश

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में हमसे ज्यादा है। यह राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता नहीं है तो और क्या है ? जब कि राजस्थान में खनिज उद्योग ज्यादा हैं और जहां खनिज उद्योग कम हैं वहां भारत सरकार की पूंजी ज्यादा लगी हुई है और राजस्थान सरकार चुप बैठी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चार उद्योग हैं, जिसमें से दो कारखानों में खनिज का उपयोग हो रहा है और दो उद्योगों में यहां के खनिजों का उपयोग नहीं हो रहा है। आज जो बड़े कारखाने यहां खोले जाने चाहिये थे वह नहीं खुले हैं। इसका सबसे कड़ा कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि दिल्ली में हमारी लॉबी नहीं है। राजस्थान में खनिज ज्यादा है, इसलिए राजस्थान में कारखाने स्थापित होने चाहिये थे। रॉक फास्फेट का हाल क्या है। इसी प्रकार से जिन कारखानों के लिए कभी कहते थे कि आगरा में खुलेगा, कभी कहते थे कि सवाई माधोपुर में खुलेगा वह कारखाने राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण यहां नहीं खुले और दूसरी जगह स्थापित हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में सड़कों का विकास हो रहा है, रेल्वे का विकास हो रहा है। आज राजस्थान में कुल मिलाकर 6,225 किलोमीटर रेल्वे लाइन है। इसमें से 5818 किलोमीटर तो मीटर गेज है और 293 किलोमीटर ब्रॉडगेज है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है वह भी रेल्वे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में बड़ी रेल्वे लाइन डाली जाये। जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच में बड़ी रेल्वे लाइन डाली जाये। यदि इसमें कमजोरी है तो राजस्थान के 184 विधायकों का एक ज्ञापन लिखवाकर यहां की सरकार दिल्ली में इन्दिरा जी को दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बोगस इन्डस्ट्रीज के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस मामले में कई बार चर्चा आई है और केन्द्र सरकार ने आपको पत्र भी लिखा है लेकिन इसके बावजूद भी आज राजस्थान में कितनी बोगस इन्डस्ट्रीज चल रही हैं और उनको कच्चा माल बराबर सप्लाई किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने भी इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। आखिरकार राजस्थान में कितने उद्योग हैं जो डूब गए हैं उनकी आपको चिन्ता करनी चाहिये। उनको कच्चा माल देना चाहिये। पॉवर लूम के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे उद्योग हैं जो कि पावर लूम से चलते हैं। उनको आप माल सप्लाई नहीं करना चाहते हैं। आप 25 परसेन्ट से अधिक माल सप्लाई नहीं करते। वह उद्योग भी डूब रहे हैं। आपका निगम क्या करता है। आपके निगम को चाहिये था कि 26 जिलों में इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाता। मैं दूर की बात तो नहीं करता, जयपुर में विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एस्टेट है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां 87 एकड़ जमीन पर उद्योग स्थापित करने की बात हुई। कुल 398 प्लाट्स काटे गये हैं। प्लाट्स पूरे नहीं काटे गये हैं, सड़कें पूरी नहीं बनी हैं। वहां पर बिक्री की सहूलियत नहीं है, टीले बिल्कुल समतल नहीं किए

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गए हैं और 70-80 उद्योग जो पहले वहां पर प्रारम्भ किए गए थे आज केवल वहां पर 5-7 उद्योग चल रहे हैं और बाकी के बन्द हो गए है। वहां पर पानी की रेट ज्यादा है, मैडिकल फैसेलिटीज वहां पर नहीं है, लेवर कॉलोनी वहां नहीं बनी हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधायें नहीं हैं। आपने कहा कि इस इन्डस्ट्रियल एस्टेट को रेल्वे से जोड़ दिया जायेगा लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। जयपुर की नगर परिषद् डबल चुंगी लेती है। कच्चे माल पर चुंगी और माल पर चुंगी—इस प्रकार से डबल चुंगी ली जा रही है। आपने सहूलियतें देने का वायदा किया था लेकिन कोई सहूलियत नहीं दी।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं झालाना डूंगरी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां भी टिन शेड्स बना दिए गए हैं जैसे शमशान बने हुये हैं। कहा यह गया कि बहुत बड़ा इन्डस्ट्रियल एरिया बनाया जायेगा लेकिन वह टिन शेड्स आज भी सड़ रहे हैं। पहले निगम के चैयरमैन श्री भगवतसिंह जी मेहता थे और फिर काटजू साहब बने इन्दिरा जी की कृपा से। फिर वह राज्य सभा के टिकट में लग गए लेकिन न वह राज्य सभा के टिकट को ले सके और न निगम के चैयरमैन ही रह सके। दोनों से उनका पत्ता कट गया। आज एक वर्ष हो गया निगम के कोई डाइरेक्टर का अपॉइन्टमेन्ट नहीं हो रहा हैं। इससे मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार की कितनी उदासीनता है। और वहां का सेक्रेट्री वहां के चैयरमैन बने हुए हैं। मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार लोगों को सहायता देने की बात करती है लेकिन वह एक प्रकार का झांसा है। बिक्री कर की प्रणाली बिल्कुल पेचीदा है।

मैं तो यहां पर यह कहना चाहता हूं कि एक टेबल पर सब बैठ जायें यदि उद्योगपति को राहत देनी है, उसको लोन देना है, पैसा देना है, बिजली देनी है, पानी देना हैं—इन सब के लिए आप एक टेबल पर बैठ जायें और यह सारी चीजे एक ही स्थान पर दे दें। आपने चुंगी माफ करने वाली घोषणा की, कच्चे माल की घोषणा लागू होगी या नहीं यह भी आपने नहीं बताया।

मैं अंत में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सोडियम सल्फेट प्लान्ट, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश इस प्रकार के कई उद्योग हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान जिंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री के. एल. गम्भीर ने यह बात कही है कि राजस्थान में कच्चा माल उपलब्ध है लेकिन राजस्थान की सरकार अकर्मण्य है और सरकार ध्यान दे तो मैं समझता हूं राजस्थान में 900 करोड़ से अधिक की लागत लग सकती है, उद्योगपति यहा पर आ सकते हैं और कारखाने स्थापित हो सकते हैं, उद्योगों की हालत बढ़ाई जा सकती है। इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि आपका निगम बिल्कुल निकम्मा है और राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण और आज की पेचीदगियों के कारण यहां का उद्योग नहीं पनप रहा है। मैं समझता हूं कि सारी बातों पर आप ध्यान देंगे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विभाग पुलिस का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रहरी विधान सभा के सामने खड़े हुए हैं या हड़ताल के समय पर यह खड़े रहते हैं या आपकी जी हुजूरी करने के लिए खड़े रहते हैं। आप राज्य के कर्मचारियों से 8 घण्टे काम लेते हैं और 8 घण्टे के बाद जब यह व्यक्ति काम करते हैं तो इनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स क्यों नहीं देते। इन्होंने कौनसा गुनाह किया है? रात को 11 और 12 बजे तक असेम्बली चले और लोग टिके रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का बजट लैप्स हुआ, उसका उपयोग आपने क्यों नहीं किया? मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति पदक मिलेगा तो बड़े-बड़े लोगों को मिलेगा। छोटे लोगों को कभी राज्य सरकार ने दिया है? डी. आई. जी समय पर रूल्स बनायें और उसमें परिवर्तन हो जायेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पुलिस लाइन्स में रहने वाले लोग और थानों पर रहने वाले लोगों के मैस अलाउन्स में फर्क डाल रखा है। स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को इस सम्बन्ध में स्वीकार किया था। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो यह अन्तर बना रखा है कि पुलिस लाइन्स में रहने वाले लोग और थानों में रहने वाले लोगों के मैस अलाउन्स में अन्तर है तो यह दूर करने की आप घोषणा करें।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोटी लेकर आया हूं और यदि आप इजाजत देंगे तो मैं यहां उसे पेश करना चाहूंगा। वह इतनी निकम्मी है कि जिसको कुत्ते सूंघना तक पसन्द नहीं करते। तो जिसको कुत्ते सूंघना तक पसन्द नहीं करते मैं समझता हूं कि उस रोटी को खिलाकर माननीय मंत्री जी पुलिस वालों को मारना चाहते हैं। इस कारण से लोगों में असंतोष व्याप्त है। यह डंडे लेकर बाहर खड़े हुए हैं और अगर यह डंडे लिये हुए खड़े नहीं हों तो आपके और हमारे बीच में क्या होता है यह दुनियां को देखने का नजारा मिले।

आप इनके आधार पर कुर्सी को बचाना चाहते हैं, आन्दोलनों को दबाना चाहते हैं। दोषी आप हैं, नित्य प्रति घटनायें होती हैं। आप कहते हैं कि पुलिस वालों ने मारा, पुलिसवालों ने डण्डा मारा तो भूखा पेट क्या नहीं करेगा और भूखे पेट की जिम्मेदारी माननीय मंत्रीजी आपकी है। इसलिए झगड़ा उनसे नहीं, झगड़ा डण्डा लाठी लेकर के सीधा आपसे करना पड़ेगा। आप गरीब जनता पर, राजस्थान की गरीब जनता पर एक सिपाही को भूखा रख कर, एक थानेदार को भूखा रख करके आप उस भूखे पेट वाले व्यक्ति से हमें यहां पिटवाना चाहते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इन कर्मचारियों को जो मैस में काम करते हैं वह मैस के अन्दर काम करने आते ही मैस का मेम्बर हो गया, वह मैस का मेम्बर हो जाता है तो उसको तुरन्त मैस अलाउन्स मिलना चाहिए। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, जो पुलिस लाइन में रहते हैं उनको सब प्रकार के कुटीर उद्योग धन्धे सिखलाये जाने चाहिएं और इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

आज एक सिपाही का वेतन कितना है, 70 रुपये। एक सिपाही का वेतन 70

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रुपया और आपका वेतन कितना माननीय मंत्रीजी पांच सौ रुपये तो मूल और बाकी सब भूल। बाकी में सारे राजस्थान को खा जाओ। एक सिपाही का वेतन 70 रुपया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के सिपाही का वेतन सबसे कम वेतन है। अरे भूखा पेट क्या नहीं करेगा। आप कहते हैं कि सिपाही पैसे खाते हैं××××× और उस सिपाही को कहते हैं कि चवन्नी ले ला, अठन्नी से ले ली, ×××× सिपाही दोषी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिस सिपाही को ...

श्री उपाध्यक्ष . व्यवस्था का प्रश्न आ गया है।

श्री शंकरसिंह रावत : माननीय सदस्य ने कहा है कि ×××× मंत्री महोदय पर सीधा आरोप लगाया गया है जिसकी पहले आसन को सूचना देना आवश्यक है।

श्री मनोहरलाल : संसार कहता है साहब।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसमें क्या ऐतराज है आपको, जब आप भी मंत्री बन जाओ तो आप भी मौज करता।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि नियमानुसार जब तक इसकी सूचना पहले से आसन को नहीं दे दी जाय मंत्री महोदय पर सीधा आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने जनरल बात कही है साहब।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसलिए में इन शब्दों को आज की कार्यवाही से विलोपित करने का आदेश देता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : निकाल दो लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

श्री दीपंकर (लाडनू) : आपने सब मंत्रीयों के लिए कहा है। आपने सब मंत्रीयों के लिए कहा है आसान ने ठीक सुना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : On a point of explanation.

श्री उपाध्यक्ष : क्या एक्सप्लेनेशन ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं एक्सप्लेनेशन चाहूंगा कि आज....

श्री उपाध्यक्ष : आप किससे एक्सप्लेनेशन चाहेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आसन से।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से क्या एक्सप्लेनेशन चाह सकते हैं ? ऐसा कौनसा नियम है प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनैस रूल्स में ऐसा कौनसा नियम है,

---

× ××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

जिससे आसन की व्यवस्था के लिए कोई एक्सप्लेनेशन चाहा जा सकता है ? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य तो काफी तजुर्बेकार हैं नियमों के····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सारी चीजें नियमों से ही नहीं चलतीं, परम्पराओं से भी बहुत सी चीजें चला करती हैं। इस सदन का साठ परसेंट कार्यक्रम भी परम्पराओं से चलता है । आप आज्ञा दें तो मैं मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ले आऊं, हर बात के लिए पोइन्टेड नियम नहीं हैं। बहुत सी बातें परम्पराओं से चलती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक व्यक्ति रास्ते में कहता है कि XXXX और एक माननीय सदस्य ने इसे सदन में कह दिया तो क्या बात हो गई ? किसी मंत्री विशेष का नाम नहीं लिया गया है, एक जनरल बात कही है । अगर आप इसके अन्दर भी····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज···· ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आप बिराजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है ।

श्री दीपंकर : इन मंत्रियों के बारे में कहा है ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर आप आज्ञा दें तो दीपंकरजी की फाईल ले आऊं और इनका सारा इतिहास बता दूं····

श्री दीपंकर : आप क्या फाइल लाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । मैं लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आसन का जो काम है वह आसन पर ही छोड़ दें तो मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा ।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन करता हूं कि मैंने आसन की व्यवस्था को चैलेंज नहीं किया है मैंने तो आसन की व्यवस्था को माना है, ये ही नहीं मान रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आसन को प्रोटेक्ट करने का ठेका आपने ले रखा है····

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा ? हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, उसको हम ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज···ऑर्डर प्लीज····ऑर्डर प्लीज····

(व्यवधान)

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गयी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री: मैं अपने साथी को कहूंगा कि हमारे माननीय मंत्रीजी को शक्तावतजी नहीं कहें शक्तावत कहें। शक्तावतजी से पत्नी का बोध होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई किसी पर आक्षेप नहीं लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस कर्मचारी का वेतन बहुत कम है, भत्ता 31 रुपया है, उसकी चिकित्सा का पैसा समय पर नहीं मिलता और निवेदन करना है कि यू. पी. और दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में अलग से भत्ता देना, हार्ड ड्यूटी भत्ता देना स्वीकार कर लिया तो राजस्थान सरकार इस बात के लिये क्यों तैयार नहीं हो रही है? अन्य सरकारों ने उनका मूल वेतन बढ़ा दिया तो राजस्थान में केवल 70 रुपया वेतन, राजस्थान के सिपाही का केवल मात्र 70 रुपया वेतन, यह हमारे लिए शर्म की बात लगती है। मैं निवेदन करूंगा आप इस पुलिस के महकमे में मनमानी चलाते हैं। आपकी श्रेणी है कि पुलिस का सिपाही नोन-मैट्रिक हो लेकिन सिपाही में आज मैट्रिक से लेकर आपके यहां एम. ए. सिपाही मिलेंगे, एल. एल. बी. सिपाही मिलेंगे। आप इन गरीबों को 70 रुपया वेतन दें यह कहां तक न्यायोचित है? इसलिए निवेदन करना है कि आप इनके मूल वेतन में वृद्धि करें।

दूसरे, सरकारी कर्मचारियों को अवकाश मिलता है, पुलिस के कर्मचारियों को चौबीस घण्टे ड्यूटी पर तैनात होना पड़ता है। यह कभी इधर से आये तो उधर जा, यहां से आये तो वहां जा, और वहां से आए तो यहां जा, इस प्रकार चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप छुट्टी नहीं दे सकते हो तो छुट्टियों का आपको अतिरिक्त भत्ता देना चाहिये।

इसी प्रकार से माननीय मन्त्रीजी, मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के जो छोटे-छोटे सिपाही हैं उन लोगों से, आप बेगारी की बात कहते हैं। सरकार ने बेगारी खत्म कर दी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कई सिपाहियों से आज भी निश्चित रूप से, भयंकर रूप से बेगार ली जा रही है आपकी छत्रछाया में। उनकी आप जांच करा लें मेरे पास एक बहुत लम्बी चौड़ी सूची है जिस में लिखा है कि किस-किस अधिकारी के यहां पर कितने-कितने पुलिस के लोग किस-किस प्रकार की सेवा-सुश्रूषा, निकम्मी से निकम्मी सेवा उनसे ली जाती है, वह मैं सूची लेकर आया हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसको सदन की टेबल पर रख दूं वरना मन्त्री जी को मैं अलग से दे दूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पुलिस के कर्मचारी के लिए आप मैडिकल अलाउन्स की घोषणा करिये। उनके मैडिकल बिलों का पैसा नहीं मिलता, सौ रुपये का बिल होगा तो पचास रुपये रिश्वतखोरी में चले जायेंगे। इसलिये अगर उनको तीस रुपये माहवार मैडिकल अलाउन्स की तत्काल घोषणा कर दें तो बहुत बढ़िया होगा,

इसके अलावा यह निवेदन करना है कि पहले सिपाहियों को कार्यालय में काम करने का 25 रुपया अतिरिक्त अलाउन्स, कार्यालय भत्ता, दिया जाता था जिसको पहले एल. सी. भत्ता कहते थे, वह आपने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बन्द कर दिया। क्यों बन्द कर दिया ? फिर निवेदन करूंगा कि 70 प्रतिशत आपको यहां पर विभागीय पदोन्नति देनी चाहिये आप देते हैं ? जो सिपाही के रूप में भर्ती हुआ वह कब थानेदार होने वाला है, कभी नहीं हो सकता। आप चहेते लोगों को थानेदार बना लेते हैं और सीधी भर्ती कर लेते हैं आगे भी। 70 परसेंट आप सीनियोरिटी के आधार पर इन कर्मचारियों को पदोन्नति दें और सीधी भर्ती करना बन्द करें। सीधी भर्ती भी करते हैं तो इन विभागीय कर्मचारियों को उसमें प्राथमिकता दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट। ट्रांसफर की जो आपकी नीति है, यहां से बाड़मेर, यहां से जैसलमेर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गरीब सिपाही 70 रुपये माहवार प्राप्त करने वाला, आखिरकार उसका परिवार है, बाल बच्चे होंगे, उसको आप एक जिले से दूसरे जिले में भेज देंगे तो उस पर क्या गुजरेगी। यदि आपको ट्रांसफर करना ही है तो मैं निवेदन करूंगा कि जिले की पाबन्दी आप लगावें। एक जिले में ही ट्रांसफर हो, एक जिले से दूसरे जिले में लगातार आप इनको सज़ा देना चाहते हैं। यहां पर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप यह जो ए. एस. आई. हैं उसको आप क्या देते है ? 45 रुपया वार्षिक वर्दी के लिए देते है। 45 रुपये में तो एक जूते का जोड़ा भी नहीं आता है — फिर आप कहते है कि अप-टु-डेट रहें, माननीय मन्त्री जी को सेल्यूट करें, उसका जूता भी पॉलिश्ड हो, वर्दी अच्छी हो दाढ़ी-वाढ़ी बनी हुई हो। यदि आप वर्दी अलाउन्स देते हैं तो या तो पूरा अलाउन्स दें और अगर नहीं दे सकते तो वर्दी आप स्वयं दें जूता दें, वर्दी भी अच्छी हो वरना यह तो हंसी की बात होगी कि एक ए. एस. आई. को 45 रुपया वार्षिक वर्दी का दें और उससे कहें कि वर्दी साफ हो, दाढ़ी बनी हो, क्या करेगा वह 45 रुपये में। यह बहुत ही कम है। इसी प्रकार ड्यूटी अलाउन्स के बारे में कहूंगा आप कहते हैं दस दिन से ज्यादा का यह नहीं मिलेगा। बाहर से कोई व्यक्ति असेम्बली की ड्यूटी के लिये आप बुलाते हैं, विधान सभा दो महीने चलती है, तो वह सारे दिन यहां पर रहता है। उसे दो महीने का अलाउन्स मिलना चाहिए जबकि उसको दस दिन का अलाउन्स आप देंगे। इसके सम्बन्ध में, आपको विचार करना चाहिए।

अन्त में निवेदन करना चाहूंगा। आपके पास एक फन्ड है, उसका नाम है "Benevolent Fund" इस पुलिस कल्याण कोष में पिछले वर्षों में 16 लाख 24 हजार का खर्चा हुआ है। इसमें महा अधीक्षक से लेकर पुलिस के कर्मचारी तक का पैसा जमा होता है। राज्य सरकार का हिस्सा भी इसमें बराबर का है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस कोष में अपना हिस्सा चौगुना दे। कोई अपंग हो गया, किसी को छात्रवृत्ति देना है, कोई ड्यूटी पर काम करते हुए मर जाता है तो उस हालत में यह कोष अपर्याप्त है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)। ऐसी हालत में मेरा निवेदन है कि सरकार इस कोष को चौगुना करे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

जो पुलिस बैरक में रहते हैं, वे सामूहिक रूप से रहते हैं। वहां पर उनके सोने के लिए खाट नहीं है, मच्छर हैं, नल नहीं है, बिजली नहीं है। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्त में एक निवेदन और है। यातायात पुलिस की जो संख्या है वह काफी कम है। यातायात पुलिस की संख्या में कमी होने के कारण आज दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 1974 में मोटर और स्कूटर की दुर्घटनाओं की संख्या 14 हजार थी और 1973 में यह संख्या 12300 थी। इसका साफ मतलब यह है कि ट्रैफिक पुलिस की संख्या में कमी होने के कारण, जो कि अर्थाभाव की वजह से है, ये दुर्घटनाएं हुई हैं। इस कारण जयपुर शहर में आए दिन ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

अन्त में सामान्य प्रशासन विभाग की मांग के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने आपको स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची शिला लेख बनाने के लिए भेजी। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। परन्तु भारत सरकार ने आपको जिन स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम भेजे आपने उनको बदल दिया और उन लोगों के नाम इन स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची में लिख दिए जो कि ब्लैकमार्केटियर्स हैं, जो कांग्रेस के दलाल हैं, जो आपके चमचे हैं, जिनकी वदौलत लाखों आपने कमाये हैं, उन्होंने भी कमाये हैं, उनके नाम लिखे जा रहे हैं। आखिर इनको राजस्थान के बच्चे पढ़ेंगे। वे राजस्थान के बारे में क्या सोचेंगे। राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज इन स्वतन्त्रता सेनानियों के शिलालेख में हीरालाल शास्त्री का नाम नहीं है। क्या वे स्वतन्त्रता सेनानी नहीं थे? ऐसे दस-बीस नाम मेरे पास मौजूद हैं। इनके नाम शिलालेख में आने चाहिए। इन शिलालेखों के निर्माण के लिए आपने लघु उद्योग निगम के जरिए ठेके दिये हैं और लाखों रुपये खर्च कर दिये। यह दुर्भाग्य की बात है। हमारी पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि स्वतन्त्रता सेनानियों में ब्लैकमार्केटियर्स के नाम हैं। इससे राजस्थान की नाक नीची होगी। इस राजस्थान की नाक को कटने से बचाइये।

अन्त में पेन्शन के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। आज पेन्शन समय पर नहीं मिलती है। लोग दुखी हैं। वृद्धावस्था पेन्शन भारत सरकार ने 1-9-73 से देने की घोषणा कर दी है। जो पहले रिटायर हो गये उनको मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर भी पेन्शन दी गई है तो फिर राजस्थान सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? आज जब भारत सरकार इनकी पेन्शन बढ़ा रही है तो राजस्थान सरकार को भी देना चाहिए। सरकार मैडिकल की पूरी सुविधा नहीं दे रही है, उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं दे रही है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को भारत सरकार की तरह ही महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए और नियमों में इसके लिए संशोधन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल !

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

(श्री मनोहरलाल)
मंत्री महोदय की एक दो बात ही निवेदन करना चाहता हूं। आज से कई साल पहले भरतपुर जिले में शीशराम शर्मा नाम के एक एस. पी. थे और उनके खिलाफ एक मिस्टर गुप्ता लिखा करते थे। वह गुप्ता साहब एक सम्पादक थे। ये एस. पी. साहब उनसे नाराज हो गये। एस. पी. साहब ने अपना एक चमचा पाला और उसका नाम पुलिस के रिकार्ड दर्ज है। वह आदमी था विजयबहादुर। पुलिस के रिकार्ड में वह बैड करेक्टर दर्ज है। उस आदमी को इन एस. पी. साहब ने पाला और उसको पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी गई, राइफल चलाने की, रिवाल्वर चलाने की। यह भरतपुर जिले के पुलिस रिकार्ड में दर्ज है। उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। राइफल चलाने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एस. पी. साहब के इशारे पर हटा दिया गया और उसने सरे बाजार में गोली मार दी। जब यह सवाल आया कि यह आदमी गोली चलाना जानता था या नहीं तो विजयबहादुर का पुलिस का रिकार्ड पेश हुआ उसको पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी गई 6 महीने तक और उसको ट्रेण्ड होने के बाद इस बात पर निकाल दिया गया कि वह बैड करेक्टर है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए उसको निकाला गया और इस प्रकार उसको छूट दे दी कि वह मार्केट में गोली मार कर हत्या कर दे–पत्रकार मर जाएगा और इस प्रकार एस पी. साहब को छुटकारा मिल जायेगा। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा चोर का इलाज तो हो गया, जिसने गोली मारी उसको सजा हो गई। उसको सजा मिली फांसी की पर उससे उसको माफी मिल गई। सुप्रीमकोर्ट ने फांसी की बजाय आजन्म कारावास की सजा दी और वह आदमी आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। परन्तु इन एस. पी. साहब के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? उसने एक व्यक्ति की हत्या कराने के लिए, एक व्यक्ति को पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी। आज वह एस. पी. रिटायर हो चुका है। मैं यह मांग करता हूं कि उस एस. पी. के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिये, इसकी जांच होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : ये एस. पी. साहब तो मर गये।

श्री मनोहरलाल : भगवान ने सजा दे दी। इस तरह की हरकतों की सजा मिल गयी।

दूसरी बात मैं पुलिस भ्रष्टाचार की कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : ठीक से मालूम तो है?

श्री मनोहरलाल : मुर्दों का रिकॉर्ड मैं नहीं रखता। मैं जिन्दा लोगों का रिकार्ड रखता हूं.... गड़े मुर्दे आप उखाड़े....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : हिन्दुस्तान में कितनी ही लाशें मरी हुई हैं।

मैं निवेदन कर रहा था पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हमारी

(श्री मनोहरलाल)

सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं हैं, उनका दोष है। जब शासन में बैठने वाले लोग, न्यायपालिका में बैठने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो पुलिस का क्या दोष ? इस शासन में तो एक ही महकमा है जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है और वह है फैमेली प्लानिंग जो नसबन्दी कराने पर उल्टे 60 रुपये देता है। इस दोष को मिटाने के लिए आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज एक एस. आई. को क्या तनख्वाह मिलती है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं यह देख रहा हूं, माननीय सदस्य लाडनूं से आने वाले और आप भी माननीय सदस्य, माइक को अपनी तरफ करके बोलते रहते हैं। I will not allow this practice.

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था नेताओं ने थाने बांट रखे हैं। यह बात आम तौर पर सुनाया देती है। इन नेताओं ने इन थानों से अपनी माहवारी बना रखी है। बहुत से लोग हैं। अगर कहूंगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। तो भ्रष्टाचार की बात कह रहा था, पुलिस में भ्रष्टाचार है। एक दो बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक हैड कॉन्स्टेबल को कुछ दिनों पहले एस. एच. ओ. बनाया गया तरक्की देकर परन्तु उसकी फीस आइ. जी. साहब तक नहीं पहुंची तो उसको वापिस रिवर्ट करके हैड कॉन्स्टेबल बना दिया गया।

हाईकोर्ट से फैसला भी हो चुका है कि आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं। इसके बाद हर आदमी सोचता है कि सरकार नहीं सुनती है और वह हाईकोर्ट का फैसला भी नहीं मानती है तो भ्रष्टाचार कर लो। जनता के सारे अख्त्यारात हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान से शुरूआत करो कि अपने पुलिस स्टेशन के इन्चार्ज को बहुत ज्यादा अख्त्यार दे रखे हैं। आप उनके अधिकारों को कम कीजिये, और जिनके पास शक्तियां हैं वह तो जनता को लूटेंगे और खायेंगे ही।

इन्ही शब्दों के साथ पुलिस की बात समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि आप पुलिस वालों को छुट्टियां नहीं देते हैं। उनको बाप मर जाय, मां मर जाय आप उनका सी. एल. भा नहीं देते हैं, गजेटेड हालीडेज नहीं देते हैं। तो ऐसी छुट्टी वाली बात को तो आप कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ पुलिस वाली बात को समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगा इन्डस्ट्रीज के बारे में। भरतपुर जिले में डीग सब डिवीजन में और अलवर जिले में राजगढ़, रतनगढ़ और रामगढ़ तहसीलों में, जहां तक मुझे जानकारी है, इन 5-6 तहसीलों में करीब 1 लाख टन सरसों की पैदावार हर साल होती है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कृषि के ऊपर आधारित उद्योग बनाना चाहते हैं तो राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ गोविन्दगढ़, रामगढ़, तिजारा, यह ऐसी जगह हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में सरसों पैदा होती है। कॉओपरेटिव सेक्टर में आप तेल की मिल लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं लगाते हैं, और सारा कच्चा माल

(श्री मनोहरलाल)

कलकत्ता और बंगाल में जाता है। उससे हजारों लोगों का रोजगार मिल सकता है आज आप जांच करें कि कितनी सरसों वहां पर पैदा होती है। हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया क्वालिटी की सरसों अलवर और भरतपुर में होती है। आज कॉओपरेटिव सेक्टर में छोटे उद्योग लगाये जायें और मीडियम उद्योग लगाये जायें ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी जिले को उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ मान लेते हैं और किसी को आप मान लेते हैं कि विकसित है। दोनों का आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौनसा जिला विकसित है उद्योग के मामले में और कौन सा पिछड़ा हुआ है। आपका क्राइटेरिया आपके मन का क्राइटेरिया है। न आप बिजली देते हैं उद्योगों को और न पानी देते हैं, न कच्चा माल देते हैं और न उनका पक्का माल देखते हैं। आप कोई चीज नही देखते हैं। केवल राजनैतिक आधार पर आप यह कहते हैं कि यह जिला विकसित है और यह अविकसित है।

एक बात अन्त में मैं और कहना चाहूंगा, भरतपुर जिले की बात खास तौर से अर्ज करना चाहता हूं जहां कि छोटे छोटे काश्तकार, छोटे-छोटे मजदूर और भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए छोटे-छोटे उद्योग गांवों में खोलने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अन्त में मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार पधारें और देखें कि वहां पर सरसों किस तरह से होती है, किसी वर्ष शीत लहर लग जाय वह बात दूसरी है। यदि आप अब की बार जो सरसों हुई है उन खेतों को देखें और मार्केट को देखें कि कितनी सरसों मिलेगी। कितनी अच्छी क्वान्टिटी में वहां पर डीग में एक केमिकल होता है, कलमी शोरा, पैदा होता है, और एक यू. पी. का सेठ उसको ले जाता है और सरकार को चूना लगा जाता है, टैक्स खा जाता है।

इसके बाद मैं वहां के दो कारखानों का नाम लेना चाहूंगा। एक कारखाना तो जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स का अलवर में है। उसको जो कोटा मिलता है इस्पात का वह ब्लैक में बेच देता है वह कोई इस्पात मैन्यूफैक्चर नहीं करता है। इसके बारे में अखबारों में छपा है और उसकी प्रतियां भी आपके पास में हैं। सारा कोटा भरतपुर से बाहर बेच देता है और उत्पादन नहीं होता है। भरतपुर में उत्पादन दिखाता है और बाहर ले जाकर बेच देता है। ट्रकों के दो नम्बर दिखाये जाते हैं कि ट्रक माल लेकर बाहर गया। लेकिन माल भरतपुर से बाहर नहीं गया। सेल्स टैक्स की चोरियां हो रही हैं। एक तो सेठ हीरालाल की कार का नम्बर है। तो उन कारों के नम्बर ट्रकों के नम्बर बताकर वह माल भरतपुर के बाहर निकाला गया बताया जाता है। (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनरज इन्जीनियरिंग वर्क्स की जांच करवायें। उसमें डेढ़ करोड़ का घोटाला एक वर्ष में हुआ है।

दूसरी बात मैं भरतपुर के एपोलो स्कूटर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री मनोहरलाल)
कि वहां पर बृज सहकारी संघ के नाम से ऐपोलो स्कूटर का कारखाना लगाने वाले थे। तो आपने मेलाफाइडी मिसचीवियसनैस के साथ एपालो स्कूटर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए। हाईकोर्ट ने उनकी रिट भी मन्जूर करली कि स्कूटर का कारखाना वे भरतपुर में खोल सकते हैं। आप जयपुर में बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सके हैं। या तो आप कहें कि वह चोर हैं। करोड़ रुपये की शेयर कैपिटल उन्होंने पंजाब में जमा करा रखी है। आप नहीं चाहते हैं कि भरतपुर में कोई स्कूटर कारखाना लगाया जाय। आप नहीं चाहते हैं कि भरतपुर के लोग तरक्की करें। वहां पर स्कूटर बनाने वाला बृज सहकारी संघ का कारखाना है अगर वह चोरी करता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि बृज सहकारी संघ जो स्कूटर बनाना चाहते हैं, या तो उन्हें छोड़ें या अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो मुकदमा चलायें। मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं और न उनकी कोई तारीफ कर रहा हूं। मैं साफ कहना चाहता हूं, कि वह चोर है तो आप अदालत में मुकद्दमा चलायें वर्ना आप अपने केस को विथड्रा करलें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के मामलों के बारे में मैं यही निवेदन करूंगा कि पुलिस अधिकारियों को और साधारण कर्मचारियों को यदि हम दो श्रेणियों में विभक्त करें तो एस. एच. ओ. और एस. आई. और इनके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं वह एक श्रेणी में आते हैं और दूसरी में उससे नीचे ए. एस. आई., हैड कॉन्स्टेबल्स और कॉन्सटेबिल्स आते हैं। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें अपने आप में इस विभाग के लोगों और अधिकारियों के अधिकारों में, उनके कर्त्तव्यों में, उनकी पे में और उनकी सुख-सुविधाओं में इतना अन्तर है कि अगर किसी भी प्रकार से दो वर्गों की तुलना करें, तो इतना बड़ा अन्तर और कहीं नहीं मिल सकता है। ऊपर के अधिकारियों को इस तरह के अधिकार दिये हुए हैं, आप जानते हैं, कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से कैसे भी तंग कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उनके पास ड्यूटी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। मेरी नजर में सुपरवाइजरी काम के अलावा उनका काम नहीं होता है। अगर उनके द्वारा कुछ गलत एक्शन होते हैं तो यह सरकार भी पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने में घबराती है, और घबराना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो जड़ें हैं वे जनता में नहीं हैं। वोट लेने के पहले जो वायदे किये वह सरकार ने पूरे नहीं किये। गरीबी को कम नहीं कर सकी। भुखमरी बढ़ती जा रही है, और ऐसी हालत में जब जनता आन्दोलन करे तो यह पुलिस के अधिकारी ही तो सरकार को चलाते हैं, और इसीलिए यह पुलिस राज है जनतन्त्र के चोले में। उस जनतन्त्र के भेष में यदि पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ एक शब्द भी कहने से यह कतराते हैं, और कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ

(श्री मनोहरलाल)

एक्शन लेने का मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है।

दूसरी तरफ जो हैड कॉन्सटेबल और लोअर वर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। एक तो आप यह समझते हैं कि आज जिस तरह से संसार में विज्ञान ने तरक्की की है तो उसी तरह से चोरी, डकैती, ठगी, जालसाजी आदि छोटे लोग नहीं अब तो बड़े बड़े लोग करने लगे हैं। वह एक तरह से बड़े बड़े लोगों को धन्धा हो गया है। इस विज्ञान के साथ-साथ, इस उपलब्धि के साथ साथ एक से एक बढ़िया इन्स्ट्रूमैंट और औजार ईजाद हुए जिससे नये नये तरीकों से नई नई बातें करते हैं।

आज ऐसी भी गैस हैं, ऐसी भी औषधियां हैं जिनको यों दिखाने मात्र से व्यक्ति बेहोश हो सकता है और उसको लूटा जा सकता है। आज तेज गति से चलने वाले वाहन हैं। ऐसे शस्त्र हैं जिनका प्रयोग डाकू लोग करते हैं। लेकिन पुलिस के पास उनको रोकने के लिए जो सामग्री है, उनमें कोई सुधार नहीं है। आंकड़े जो आपने दिये हैं, वह बताते हैं कि 1974 में इतनी चोरी, डकैती और रेप हैं, उनमें इजाफा हुआ है। एक तरफ जनतन्त्र की सभ्यता की बात करें और दूसरी तरफ अपराधों में वृद्धि होती जाये। उसको रोकने के लिए पुलिस चौकियों पर काम करने वाले सिपाहियों के पास कोई साधन नहीं हैं। किसी का ट्रक पकड़ कर इधर-उधर भले ही जा सकते हैं या डकैतों का पीछा कर सकते हैं। उनके पास यही सबसे बड़ा साधन है। जो है वह ट्रक ही है। कोई ट्रक रोक लें तो वह पीछा कर सकते हैं। अन्यथा वह पकड़ नहीं सकते हैं। उन लोगों से ड्यूटी ली जाती है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य गिरधारीलाल भार्गव ने बताया है, मैं समझता हूं कि मैं उनकी भावनाओं से सेन्ट परसेन्ट सहमत हूं और उनका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन कॉन्सटेबिल और और हैड कॉन्सटेबिल को अपनी यूनियनें बनाने की अनुमति दी जाये। जो आदमी नीचे के दर्जे में आते हैं, उनको यूनियनें बनाने का अधिकार दिया जाये क्योंकि सरकार का तरीका है, चाहे विधान सभा में कहो, चाहे कहीं कहो, वह तो सुनती ही नहीं है चाहे उनकी वर्दी घिस जाये, चाहे फट जाये। मैं तो यह भी कहता हूं कि उन लोगों की रिश्वत लेने का भी डायरेक्ट एप्रोच नहीं है। कॉन्सटेबिल और हैड कॉन्सटेबिल के पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। जनतन्त्र में यूनियन बनाने का अधिकार भी रोक रखा है। मैं निवेदन करूंगा, इससे ज्यादा किसी विभाग की स्थिति खराब नहीं हो सकती हैं। इस विभाग में जो बड़े बड़े ओनमिन्टल पद हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए। जो बड़े बड़े जिले हैं, जहां पर एक एस. पी. काफी नहीं है, वहां पर दो एस. पी. रख सकते हैं। सर्किल बना सकते हैं। आस पास के गांवों की आबादी को देखकर और अपराधों की संख्या को देखकर, रेवेन्यूज को देखकर, आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें दूसरा एस. पी. भेज सकते हैं। जयपुर जिला बड़ा है, एक एडीशनल एस.पी. को भेज सकते हैं। जयपुर के एडीशनल एस. पी. को आप दौसा भेज सकते हैं। जो अनावश्यक ओनमिन्टल पद हैं, उनको

(श्री मनोहरलाल)

आपको समाप्त करना चाहिए। उसका सब डिवीजन के आधार पर भी कर सकते हैं।

मैं एक पुलिस रिपोर्ट के बारे में निवेदन करूंगा। 9 व्यक्तियों के बारे में दर्ज हुई थी। वह रिपोर्ट 420, 460, 468 जो भारतीय दण्ड संहिता की हैं, उनके अन्तर्गत दर्ज हुआ था। वह मुकदमा एक बहुत बड़े व्यक्ति के खिलाफ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज वह राज्य मन्त्री भी हैं। अगर आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें तो लोगों में पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति श्रद्धा भावना पैदा होगी। आज वह राज्य मन्त्री हैं। उनको इसमें 7 साल की सजा होती है अगर वह सजा के भागीदार होते हैं। तो उनको सजा दिलाई जाये। अगर ऐसा आप करते हैं तो ठीक है अन्यथा यह माना जायेगा कि कोई व्यक्ति सत्ता में है तो आप नहीं करते हैं। यह माना जायेगा कि सरकार, पुलिस और चीफ मिनिस्टर इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं, वह चाहते हैं कि इसको दबा दिया जाये। राज्य मन्त्री इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं इसको दवा दिया जाये। लेकिन पुलिस चाहे तो इसके बारे में कार्यवाही कर सकती है।

अब मैं उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक नीमलाई गांव है। वहां पर खान है। वह मुरली मनोहर झुन्झुनू वाले को दी गई है। आज वहां पर मजदूर बेकार हैं। वहां पर लोहा है, वहां पर बांध भी है, पानी भी है। लेकिन मान्यवर, हमारे वहां एक नेता नहीं है जो राजस्थान सरकार को दबा सके। वहां पर बिजली दे दें तो मजदूरों को काम मिल जायेगा। इससे राजस्थान का विकास होगा। मैं लघु उद्योगों के बारे में निवेदन करूं।

मैंने राजस्थान हायर जूडिशियल सर्विसेज के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था। राजस्थान हायर जूडिशियल सर्विसेज में कोई हरिजन, आदिवासी नहीं है। तो यह आपकी योग्यता है। आप कहते हैं कि कोई लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन आपको लेना नहीं आता है। शिड्यूल कॉस्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को लिये जाने के बारे में झिझक है। हायर सर्विसेज में कोई नहीं है। आप नौकरियों के बारे में शिड्यूल कॉस्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देते हैं। खेती के लिए एक दो बीघा जमीन आपने लोगों को दे दी, उसका नतीजा यह होता है कि उसमें वह पूरा नहीं गुजार सकता है। अगर किसी को जमीन एलॉट होती है तो कब्जा नहीं होता है। पहले भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था। आज भी मैं निवेदन करूंगा, उद्योग धन्धों में आप रिजर्वेशन रखते हैं तो यह ठीक हो सकता है। कोटा दे देते हैं। खासतौर से शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे बढ़ाकर आप उनके लिए कर सकते हैं। फिर वह अपनी शिक्षा के लिए भी बार बार आपसे नहीं मांगेंगे। इस प्रकार से वह लोग स्वावलम्बी हो सकते हैं। 28% नहीं तो आप पहले 10-12% ही दे दें। राजस्थान खनिज सम्पदा के लिए बहुमूल्य भण्डार है। इसके बावजूद हमारे लोग गरीब हैं। आपके अन्दर जोश नहीं, कमजोरी है। आप बिजली हरियाना को दे सकते हैं, पंजाब को बिजली दे सकते हैं। लेकिन कोई उद्योग पति उद्योग लगाना चाहे तो आप उसको सुविधा नहीं दे पाते

(श्री मनोहरलाल)
हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनको उद्योग के लिए सुविधाएं देने का प्रयत्न करेंगे और कुछ समय के लिए एक्जेम्प्शन दें तो औद्योगीकरण हो सकेगा। मैं समझता हूं इससे गरीब लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य (श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा) जाना चाहते हैं, इन्हें पहले बोलने दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल से दो बोल लिये हैं। आप बाद में बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : मुझे जाना था।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस, उद्योग, ग्राम और लघु उद्योग और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। वैसे तो इतनी सारी चीजों पर कुछ, थोड़े समय में सारे कटौती प्रस्तावों पर बोलना अपने आप में बहुत बड़ी कठिनता और जटिलता है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से पुलिस विभाग को दृष्टिगत रख कर अपनी बात कहूंगा। वैसे तो जैसे जैसे पुलिस विभाग बढ़ता जा रहा है, पुलिस विभाग का रिपार्ट छोटी होती जा रहा है। थानेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, हैड कान्स्टेबलों की संख्या बढ़ती जा रही है और रिपोर्ट को थाईसिस होता जा रहा है, रिपोर्ट उतनी ही सिकुड़ती जा रही है। चौकियां थानों में बदल गई हैं, थाने पहले से 19 अधिक हो गये हैं और थानेदारों की संख्या भी पहले से बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त और भी कई बढ़ोत्तरियां हो गई हैं, लेकिन जो एनेलिसिस पुलिस विभाग का करना चाहिए, उस एनेलिसिस में कमी आती चली जाती है। 1972 की रिपोर्ट के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, क्राइमों के कारणों का विश्लेषण किया था पुलिस विभाग ने और उसमें उन्होंने कारणों से बताया कि किन कारणों से समाज के अन्दर क्राइम होते हैं। उस वक्त उनका एनेलिसिस यह था, राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक क्राइम दुश्मनी के कारण होते हैं। और उसके बाद दूसरे नम्बर पर क्राइम जमीन सम्बन्धी होते हैं। तीसरे नम्बर पर झगड़े होते हैं और चौथे नम्बर पर गृह कलह आता है और औरतों सम्बन्धी क्राइम 14 होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद कभी भी इस रूप में क्राइम का एनेलिसिस नहीं किया। वैसे तो आज पुलिस जनता की पुलिस है और जैसा वह लिखते हैं, हम जनता के सेवक हैं और आपकी सेवा के लिए चौबीस घंटे उपस्थित हैं। और जब कोई सेवा कराने के लिए पुलिस थाने चला जाता है तो जिस प्रकार सेवा होकर बाहर निकलती है, अगर आप उसके शरीर पर कहीं अंगुली लगावें तो टमाटर की तरह होगा। सेवा पूरी होती है सेवा आगे पीछे सब तरफ पूरी वह करते हैं....

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : आपको सेवा का लाभ मिला है कभी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझे बहुत मिला है, 107 कैसेज बने हैं, जब से मैं गंगानगर गया हूं, सी. आर. पी. सी., आई. पी. सी. की सारी दफाओं के मुकदमे बने हैं, 302 अवेटमेंट का मैं मुलजिम रहा हूं। मैंने सेवा प्राप्त की है। आपने की है ?

श्री गोकुलचन्द जाटव : नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे रूप में करना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी सेवा जल्दी करवा देंगे, जे. पी. साहब बहुत जल्दी पुलिस सेवा करवा देंगे....

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं आपके साथ हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि मोटे रूप से यह कहा जाता है कि हमारा क्राइम चार्ट इसलिए बढ़ गया है। क्राइम चार्ट तो निश्चित रूप से बढ़ गया है, बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी वृद्धि इस रिपोर्ट में 13 पर्सेन्ट बताते हैं। मेरे पास 1952 से सारी रिपोर्ट हैं, लेकिन मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता। बेसिस ऑफ क्राइम 1960 से लूं तो क्राइम 13 पर्सेन्ट नहीं बढ़े हैं, ज्यादा बढ़े हैं, जिसमें डकैती, लूट, हत्या, नकबजनी—यह सारे क्राइम बहुत ज्यादा इन्क्रीज हुए हैं। इसके हिसाब से क्राइम के अन्दर जो 1974 के अन्दर वृद्धि हुई है वह 13 पर्सेन्ट हुई है। आप जरा गौर फर्माइये, इस पुलिस विभाग की रिपोर्ट का कहना है, 10,409 मुकदमे फर्जी दर्ज हुए, यानि 20 पर्सेन्ट मुकदमे फर्जी थे, इसलिये यह क्राइम का इतना बड़ा टोटल, क्राइम का सजा हुआ आंकड़ा नजर आता है, मैं यह मानता हूं, क्राइम पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। जिस समाज के अन्दर हम रहते हैं जो समाज दरिद्रता पैदा करता है, जो समाज शोषण पर निर्भर करता है, जो समाज में वर्ग संघर्ष बहुत तीव्र हो, जिस समाज के अन्दर बहुत बड़ा वर्ग गरीब हो उस समाज के अन्दर गरीबी के कारण बहुत बड़े क्राइम पैदा होते हैं। कोई मनुष्य जीवन के अन्दर ओछा और कमीना नहीं होता, जीवन की आवश्यकतायें उसको ओछा और कमीना बनाती हैं। इसलिए समाज का बहुत बड़ा क्राइम समाज की व्यवस्था स्वयं है, समाज व्यवस्था मुकम्मिल रूप से क्राइम के लिए जिम्मेवार है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसकी दलील को बढ़ाते हुए इण्डस्ट्रियलाइजेशन और जन असंतोष यह सारी दलीलें आखिर थ्योरम के एक्सिम्म और कोरेलीज हैं, वह यह है, यह सारा असंतोष क्यों है। यह सारा असंतोष भी समाज व्यवस्था के कारण है और आज जितने आन्दोलन इस रिपोर्ट में दिये गए हैं, वह सब आन्दोलन इस वर्ष में हुए बताये गये हैं और उसमें सबसे ज्यादा आन्दोलन विद्यार्थियों के द्वारा किये हुए आन्दोलन हैं, 932 आन्दोलन हैं आज तक रिपोर्ट में, सबसे अधिक हिंसात्मक आन्दोलन 94 टोटल आन्दोलन इस वर्ष में हुए हैं, इसमें युवा वर्ग द्वारा किये हुए आन्दोलन 473 हैं, जिसमें 72 आन्दोलन हिंसात्मक थे। आखिर कौन जिम्मेवार है इस जन आक्रोश का, इस युवा आक्रोश का, इन आन्दोलनों का और इन बढ़ते हुए आन्दोलन, हिंसात्मक आन्दोलन के लिए कौन जिम्मेदार है। मैंने विधान सभा में अनेक प्रश्न पूछे हैं, वर्ल्ड बैंक की बात पूछी है, मैंने इस विधान सभा में आनन्दमार्गियों के बारे में प्रश्न बारम्बार पूछे हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। पीस कोर की एक्टिविटीज के बारे में, इस बारे में विधान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभा के अन्दर मैंने प्रश्न पूछा है और आज जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों के सम्बन्ध में आज ही एक प्रस्ताव पारित किया है, सारे पूंजीवादी विश्व के अन्दर एक बौखलाहट पैदा हो चुकी है, उस बौखलाहट से यह राष्ट्र बचा हुआ नहीं है। आज कैपिटलिस्ट इकॉनामी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। अमेरिका अकेले राष्ट्र के अन्दर जहां विश्व के सबसे ज्यादा क्राइम सेन्टर हैं, क्राइम स्पेशलिस्ट्स हैं, सबसे ज्यादा जुवेनाइल क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा डिबोचरी होती है, जुवेनाइल रेप केसेज होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं, वहां यू. एस. ए. में अठारह करोड़ की आबादी में 78 लाख डॉक्टर, इंजिनियर, पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। आज आपके यहां युवा-आक्रोश का क्या कारण हैं ?

यह दिशाहीन युवक आज की अर्थ व्यवस्था का बाई-प्रोडक्ट है। सारी रिपोर्ट के एनलिस्ज से यह समझ बनती है कि जो पूंजीवादी मार्ग आपने अख्तयार किया, जिसके प्रोजेक्शन्स युवकों के एक्शन्स में होते हैं, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं और शाम खाने के लिए राशन नहीं मिलता है, उस युवक में आक्रोश नहीं आएगा तो किस के अंदर आएगा ? आपके पूंजीवाद मार्ग का निश्चित रूप से अंत आ गया और इसको त्याग कर आपको गैर-पूंजीवादी मार्ग अख्तयार करना पड़ेगा। यह पुलिस जो कि टोटली आपके पूंजीवाद मार्ग और पूंजीवादी व्यवस्था ओरीएन्टेड पुलिस है उसका सबसे अधिक अत्याचार कमजोर वर्ग पर है, गिरे हुए वर्ग पर। अगर वह सबसे अधिक प्रोटेक्ट करती है तो प्रिविलेज्ड क्लासिज को करती है। आज जितनी मिसालें दे रहा हूं सारी की सारी मिसालें उसी प्रकार की होंगी जिनमें गिरे हुए और समाज के कुचले हुए तबकों पर पुलिस के भयंकर अत्याचार हुए हैं। अजमेर शहर की कहानी को लीजिये तो अजमेर शहर के 20,000 नागरिक दो करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और 150-200 व्यक्ति ऐसे हैं जो भयंकर सूदखोरी का धंधा करते हैं। वहां का कोई सरकारी कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, जिला परिषद कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कि सूदखोरों के चक्कर में नहीं है। आवश्यकता के समय ये लोग 200 रु. देकर खाली कागज पर दस्तखत करवा लेते हैं, उसके बाद हर प्रकार का शोषण करते हैं। आज कई दफ्तरों में जब वेतन बंटता है, अजमेर में तो चील और कौओं की तरफ सूदखोर बेरहमी से दफ्तरों के कर्मचारियों पर टूट पड़ते हैं। इतना ही नहीं, सुबह 6 बजे ही सूदखोर के डर के मारे वह कर्मचारी घर से निकल जाता है और रात को 10 बजे लौटते हैं। घरों के अंदर घुसकर औरतों को प्रेशराइज करके उनकी इज्जत लेते हैं। कमसे कम 500 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ अनापशनाप केसेज करके उनके वेतनों पर कुर्कियां कर रखी हैं। इस किस्म का तांडव नृत्य हो रहा है, सूदखोर अपना धंधा चला रहे हैं। एक डी.आई.जी. के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इनके विरुद्ध एक्शन लिया उसके बाद फिर वही बात। लेकिन आज यह चर्म सीमा तक पहुंच चुका है।

अभी आपके सामने लेटेस्ट घटना प्रस्तुत करना चाहूंगा और वह है हरिजनों पर अत्याचारों की। मैं जानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर माननीय गृहमंत्री

(122)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्ययन करे गंगानगर की पुलिस स्टेशन्स का और विशेष कर उन थानों का जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आते हैं, तो एक तथ्य उनके सामने उभर आएगा कि सारे के सारे केसेज 107 व 151 के हरिजनों पर है और सारे के सारे केसेज इस प्रकार के हैं कि जो जमीन से इजेक्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले केसेज हैं। पहले तो हरिजनों को जमीन का कब्जा नहीं मिलता है। कल मैंने सदन में सरदारपुरा का केस रखा था कि बेगाराम को थाना रायसिंह नगर में छोड़कर आया हूं जिसको बेरहमी से कूटा जा रहा है, जिसकी झोंपड़ी जलाने का मैंने कह रखा है, उसका चित्र मैंने कालोनाईजेशन मंत्री को दिया। कम से कम 48 हरिजन परिवारों के जमीनों पर फिरोजपुर और फाजिलका से आए भू-स्वामियों ने कब्जा कर दिया, हरिजनों की जमीनें कैंसिल कर दीं, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे बना रहे हैं।

एक हरिजन महिला के अपहरण की बात बताता हूं। 4 दिन पहले की बात है। हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन के बीच में एक हरिजन महिला रिक्शा पर जा रही थी। उस महिला को गायब कर दिया। उसके साथ बलात्कार किया, रिक्शा वाले ने जाकर पुलिस में केस दर्ज करवाया केस दर्ज हो गया लेकिन उसके बाद उसके विरुद्ध काऊन्टर केसेज बनाकर उसी पुलिस स्टेशन पर हजारों रुपए खाकर उनको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया। आप जांच करें गृह मंत्री महोदय, बहुत पावरफुल पोलिटिशन्स इन्वाल्व्ड हैं इसके अंदर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ इन्वाल्व्ड हैं, क्योंकि मैं किसी मंत्री का नाम ले लूंगा तो फौरन एक्सपंज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं कह दूं कि उनके खिलाफ केसेज बनाये और जो रेप करने वाले थे, उन्होंने जमानत दी और हरिजन महिला को ले गए रेप करने वाले, उस महिला का पति उनके साथ पंचायती करता फिरता है कि मेहरबानी करके मेरी स्त्री को वापस लौटा दो। इस सदन में वह गूंज शांत भी न हुई कि कोटा की घटना, कैथून का कांड हुआ। कोटा का कांड मामूली कांड नहीं है। आपने केवल एक डी. आई. जी. को वहां से ट्रांसफर कर दिया, इतने में ही संतोष कर लिया। जिस प्रकार से कोटा में डी. आई. जी. ने नग्न बर्बरता का प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से उन्होंने बारां कॉलेज के अध्यक्ष की हड्डियां तोड़ दीं वहां पर इंदर नारायण सक्सेना और दूसरे सक्सेना "धरती करे पुकार" और "जागृति" के सम्पादक थे, उनको बेरहमी से पीटा, रात को उन्होंने बाकायदा फोर्स भेजी, फ्लाइंग स्कावड भेजा और इतना ही नहीं पी. के. जैन जो जे. के. के अधिकारी थे, कवि सम्मेलन में केवल इतना कह दिया कि कवि सम्मेलन में इन्टरवल कर दी जाय तो इस डी. आई. जी. ने जे. के. सिथेटिक्स के अधिकारी को बेरहमी से कूटा और केवल इसलिए कि वहां के हराश शर्मा जो अध्यक्ष चुने जाने के बाद खुशी मना रहे थे कॉलेज के प्रांगण में, डी. आई. जी. को वह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई उन्होंने उन पर घोडे चढ़ा दिए और अगर वहां के बारां महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री प्रकाश ने उनसे रंजी ट्राफी के मैच के समय कन्सेशन्स की बात कर ली तो उसको भी बेरहमी से कूटा। सारा कोटा नगर बन्द हुआ, पत्रकारों ने 26 जनवरी के दिन का बहिष्कार किया, एक भी नागरिक आपकी सभा में नहीं

Page No 123

(123)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
आया और आपने केवल डी. आई. जी. पुरी को ट्रांसफर करके सन्तोष कर लिया। इस प्रकार एक बड़ा अधिकारी, जो लॉ एण्ड आर्डर को अपने हाथ में ले लें, जो 26 जनवरी का दिन इस प्रकार से फीका कर दे गणतन्त्र दिवस, सारे का सारा, आप उनका केवल ट्रांसफर करके सन्तोष कर लें यह कहां तक उचित है ?

आपने कंथून के मामले में क्या किया ? जहां एक थानेदार ने बेरहमी से गोलियां चलाई और अनेक विद्यार्थियों को घायल कर दिया इसलिए कि बहुत बडे राजनीतिज्ञ इसमें इन्वाल्व्ड हैं, प्रभावशाली लोग इसमें इन्वाल्व्ड हैं। पत्रकारों का तो कूटना यहां की परम्परा हो गई है, चाहे इन्दर नारायण सक्सेना, चाहे दगाल के सम्पादक का केस हो, चाहे समुद्रसिंह हांडा हो, यह पत्रकारों की कुटाई का वर्ष है, आपने रेकार्ड तोड़ दिया इस वर्ष। किसी पत्रकार ने पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कहीं दो लाइनें लिखीं, सट्टे की बात लिखी तो उसका खैर नहीं। करौली से अभी अभी मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ। एक नौजवान जो पत्रकार है, श्री अरुण कुमार, सट्टा चल रहा था शिवरात्रि पर उसका उल्लेख किया तो सकड़ों लोगों के बीच में बेरहमी से अरुणकुमार को निकाला और इतना मारा कि वह आज भी खाट पर पड़ा है। तो शायद पुलिस विभाग के अधिकारी कोई योजना बनाकर पत्रकारों के विरुद्ध राजनीतिज्ञों से सलाह करके, उनकी कुटाई का फेज्ड प्रोग्राम बनाकर उनकी निर्मम पिटाई कर रहे हैं। मेरे पास दो फोटोज हैं देखिए, एक में समुद्रसिंह हांडा है और इधर नयापुरा का थानेदार है जो बहाल हो गया, आंखों पर चश्मा लगाए रामनिवास मिर्धा के साथ जा रहा है और उस पत्रकार का प्रोफेसर साहब की तरह सिर है....

श्री केदारनाथ : यह कहां से लाए ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरफ तो समुद्रसिंह सडे हुए टमाटर की तरह और दूसरी तरफ थानेदार जिसको बाकायदा बहाल कर दिया।

आज इसका चारों तरफ शोर है। मैं एक नहीं कई उदाहरण सदन में दे सकता हूं। अभी एक उदाहरण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नोखा का देना चाहूंगा। इसके बारे में सदन में प्रश्न आया था तब भी मैंने कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस निरन्तर अत्याचार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, नोखा के अन्दर किस तरह से पुलिस ने अत्याचार किया यह आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खडे हो जायेंगे। वहां पर उपाध्यक्ष महोदय, नोखा में जो नगरपालिका का चेयरमैन है उन्होंने हरिजनों के करीब दो सौ झोंपड़ियों को तहस नहस कर दिया। मैं वहां पर मौके पर गया मैंने आंखों से देखा, वहीं पर सदन के माननीय सदस्य श्री इन्दलिया जी आये। वहीं पर उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री भीमसेनजी मौजूद थे और सौभाग्य से, उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मन्त्रीजी भी वहीं कोई समारोह में आये थे वह भी मौजूद थे। उनको पता है कि लोगों को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, लोग घायल हो गये, उनको अस्पताल में ऑपरेशन के लिये लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर उस दिन कोई क्लब का समारोह था। यहां पर कई क्लब हैं, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जैसे रोटेरी क्लब, लायन्स क्लब और रिकार्ड क्लब वगैरहा कई हैं, जिसकी कि लोग 300,400 और 500 रुपये तक की फीस देकर मेम्बर बनते हैं। खैर उसे जाने दीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि करीब 150 से लेकर दो सौ झोंपड़ियों को तहस नहस कर दिया गया। यह सब बर्बरकांड करने वाला वहां की नगरपालिका का चेयरमैन है, उनसे उन लोगों की झोंपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिये और फिर बाद वहां पर ट्रक ड्राईवर्स को बुला कर उन लोगों को बुरी तरह से पिटवाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन ट्रक ड्राईवर्स ने पीटा है वह बडे नामी गुण्डे हैं उस एरिया के जिसमें कुछ के तो मैं नाम तक जानता हूं। इसमें एक तो गणपतराय, दूसरा बीरबल और भी ऐसे कई व्यक्ति थे। उपाध्यक्ष महोदय दस ट्रक ड्राईवर थे जिन्होंने उन पर ट्रकें चला दी। इन दो सौ लोगों में एकाध को छोड़ कर उपाध्यक्ष महोदय, सभा हरिजन थे। उपाध्यक्ष महोदय, जिस लोगों ने वहां पर ट्रकें चलाई हैं उनको नगरपालिका द्वारा पेमेन्ट हुआ है। 1,800 से लेकर दो हजार रुपये का पेमेन्ट हुआ है। उसका बिल नगरपालिका ने चुकाया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों के पास उस जमीन के पट्टे मौजूद थे। मैं उनमें एक चौखाराम से मिला था, उसने कहा कि उनके पास पट्टे हैं। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। वहां पर उपाध्यक्ष महोदय, एक स्त्री बेचारी जिसको कि प्रसव था उसको सड़क पर लाकर पटक दिया। इसी प्रकार वहां पर एक वृद्धा जिसका कि बेटा बी. एस. एफ. में है, बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है, उसकी मां 80 वर्ष की, उसको भी बुरी तरह से पीटा गया। इसी प्रकार वहां पर लोगों ने पांच-पांच और दस-दस साल के बच्चों को बुरी तरह पीटा। उस 80 साल की बुढ़िया को, उपाध्यक्ष महोदय, पकड़कर सड़क पर डाल दिया। लोग घबराहट से गड्ढों में जाकर छिप गये। और इसके साथ-साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि जिस माननीय सदस्य श्री जगदीश ने इसकी सूचना दी थी उसको भी लोगों ने पीटा। जब मैं वहां बैठा हुआ था उस वक्त वहां पर दो बार दो-दो जीपें हथियारों से लेस होकर उधर से निकली। जब मैंने इस बारे में कार्यवाही करने के लिये कहा तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उन लोगों के खिलाफ न तो पुलिस का एस. पी. कोई कार्यवाही करने को राजी होता था न पुलिस का डी. आई. जी. राजी हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी पुलिस का उच्च अधिकारी उस चेअरमैन के खिलाफ में रिपोर्ट देने को राजी नहीं होता, सभी उस चेअरमैन से डरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भीमसेन जी माननीय सदस्य वहां पर थे और श्री चुन्नीलाल इन्दलिया माननीय सदस्य थे, वह भी वहां मौके पर हाजिर थे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर दो सौ झोपड़ियां बनी हुई थीं वह सब समाप्त कर दी गयीं। और वह पूरा शमशान भूमि में बदल गया। वहां पर जो ताण्डव नृत्य अत्याचार का हुआ है उसे देखा नहीं जा सकता। ऐसी कलंकित घटना कभी मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर नहीं घटी होगी। इधर तो आपके जन स्वास्थ्य मंत्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

का समारोह चल रहा था, उधर किसी ने एक प्रश्न उठाया कि यहां पर अमीरों की झोपड़ियां, जो नाजायज थी, हटा ली गयी हैं। उसी वक्त वहां पर लोगों ने कहा कि वह झोपड़ियां जो हटायी गयी हैं वह गरीब लोगों की थीं। वहां पर उन्होंने लोगों को मौके पर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि आप मौके पर चल कर देखें। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा अन्याय और अत्याचार कहीं पर नहीं देखा गया। वहां पर हरिजन युवतियों पर अत्याचार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी एक ही नहीं, मैं आपको राजस्थान में हजारों घटनायें ऐसी बता सकता हूं कि जिसमें हरिजनों को बुरी तरह से पीटा गया, उन पर बुरी तरह अत्याचार किये गये। मैंने पिछले सदन में भी एक प्रश्न उठाया था जिसमें झाखडा-वाली ग्राम में जो अत्याचार हरिजनों के साथ किया गया वह बहुत ही हृदय-विदारक है। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, एक गिरिजी महाराज कोई यज्ञ करने वाले थे और उसमें वहां पर कुछ हरिजन करीब 200 चले गये होंगे, उनमें करीब 100 महिलायें थीं उन्हें बुरी तरह से पीटा गया उनके कपड़े फाड़ डाले गये। जो अत्याचार किये थे वह मैंने सदन में रखे थे इसी तरह एक रोमान्चकारी घटना में एक प्रीतमकौर नाम की महिला को गजसिंहपुर थाने में ले जाकर नंगा करके उसे पीटा गया और ऐसी हालत उसकी की गयी कि आपको उसकी हालत देखकर शर्मिन्दगी मालुम होगी। उस 26 साल की औरत के साथ वहां के थानेदार और हैडकान्सटेबल ने रात भर बलात्कार किया और उसके साथ व्यभिचार किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की पुलिस ने जो अत्याचार किया है उसका उदाहरण आपको कहीं भी नहीं मिल सकता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। एक और रोमांच-कारी उदाहरण आपके सामने पुलिस की बरबर्ता और अत्याचार का आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मनीराम नाम का मुलजिम था जो कि पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया उस व्यक्ति ने पहले तो सात तारीख को कहा कि वह हरणिया का बीमार है, जब टेस्ट किया गया तो उसके हरणिया नहीं निकला उसे थोड़ी सा दवा देकर वापिस कर दिया। लेकिन उसने उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सांठगांठ बिठायी कि वह अस्पताल में भर्ती हो गया। हालांकि उसके हरणिया तो नहीं था पर उसको छोटी तकलीफ कह कर उसे एसप्रीन वगैरह कुछ देकर वहां पर भर्ती कर लिया। वह उपाध्यक्ष महादय, तारीख 12 को एडमिट किया गया और फिर बाद में तारीख 14 को वहां से डिसचार्ज बताया गया और उसने बीमारी की हालत न होते हुए अपने पैरों और हाथ की हथकड़ियों को तोड़ डाला और फिर वहां से भाग गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसको अस्पताल में भर्ती करने वाला वहां का सी. एम. एच. ओ. और श्री जुगलकिशोर शर्मा जिसने यह व्यवस्था की। उपाध्यक्ष महोदय, वह मुलजिम पुलिस की हिरासत से भाग गया और बाद में वही मुलजिम अभी 9 दिन पहले पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए पकड़ा गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिये चाहे आप पुलिस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर नेगलीजेन्स के तहत कार्यवाही करलें लेकिन आप उस जुगलकिशोर के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस जुगलकिशोर ने लोहे का कवच पहन रखा है। आप उसके खिलाफ उसी तरह एक्शन नहीं ले सकते जिस तरह कि आप गंगानगर क्षेत्र के महिन्द्रसिंह चाय वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, उसने दस लाख रुपये की चाय बेच डाली है और चाय में घोड़े की लीद मिलाकर लोगों को पिलायी है। मैंने और माननीय सदस्य श्री केदारनाथ ने अगर चार प्याली भी चाय पी है तो वहां घोड़े की लीद उसमें शामिल थी। लेकिन आज उसे कोई नहीं पकड़ सकता है, वह खुले आम लोगों को घोड़े की लीद चाय में पिला रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप हनुमानगढ़ में छोटे मोटे बेचारे व्योपारियों पर मीसा के अन्तर्गत एक्शन लेने को तैयार हो जायेंगे। आज राज्य सरकार महिन्द्र सिंह को तो सर्टिफिकेट देने को तैयार है लेकिन बेचारे छोटे मोटे गरीबों को आज पुलिस मीसा के अन्तर्गत परेशान कर रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) अब अन्त में मैं थोड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, एक रोमांचकारी घटना के बारे में और निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे यहां पर हरिजन और दूसरे लोग की बात तो क्या हमारे यहां पर आज राष्ट्रीय ध्वजा और राष्ट्रीय पक्षी मोर भी सुरक्षित नहीं है। हमारे यहां फौजूवाला गांव में 26 जनवरी को, जो कि हमारा राष्ट्रीय दिवस होता है, वहां पर हमारे राष्ट्रीय ध्वजा को फाड़ डाला गया और वहां पर चार प्रभावशाली व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया। एक वहां की नगरपालिका के सदस्य हैं, और भूपति हैं, करोड़पति हैं सरदार करतारसिंह नहर के मालिक हैं रघुवीरसिंह, डॉ. गुरवीरसिंहजी, जो सरकारी डॉक्टर हैं, न जाने किस चमत्कार से प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं एक साल से, एक विजय शर्मा। तीन मोरों की हत्या की।

एक माननीय सदस्य : वास्तव में सही बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं रायसिंह नगर गया। गांव फौजूवाला के लोगों ने कहा कि मोर का शिकार किया है। लिख कर लोगों ने दरख्वास्त दीं। मैंने कलेक्टर साहब को टेलीफोन किया, एस. पी. साहब को मैंने स्वयं ने टेलीफोन किया। कहने लगे कि शिकायत कर दीजिये। सी. ओ. साहब ने लेटर एन्डोर्स किया है। 13 आदमियों की शिकायतें पहुंची हैं। कहा कि राजीनामा हो गया है। कौन होते हैं राजीनामा कराने वाले? आपके पास दरख्वास्तें आई तो जाकर इन्क्वायरी करो 17 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा, लेकिन रिजेक्ट हो गया। माननीय गृहमंत्री जी को लिख कर पत्र दिया। 8-9 तारीख को रायसिंहनगर में पहुंचा, कम्पलेनेन्ट थे, वे मुलजिमों से हलफनामा करवा रहे थे। इतना खुलम खुल्ला टाइम उनको दिया गया, किसी तरह से गवाहों को मेन्यूपुलेट करें। ओवरसीयर ने गांव वालों को मोगे वन्द करने की धमकी दी, लकड़ी न काटने देने की धमकी दी, झूठा केस बना भी दिया और सारे केस को दवा दिया गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि ऐसे केसेज का तो कोई अन्त नहीं है लेकिन आपको आज जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है आपकी, उनको नये हालात के मुताबिक रिओरियेन्ट करना पड़ेगा।

जी.ए.डी. की डिमान्ड पर मुझे बोलना था लेकिन समयाभाव के कारण मैं समय नहीं लूंगा। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी का एन्टीपिपुल एटीट्युड है, उसको बदलना पड़ेगा, उन सारे तरीकों को, उन सारे सब्जेक्टस को उन सारी स्टेडीज को, और उन सारे डाइरेक्शनस को आपको टोटली चेंज करना पड़ेगा, ओवरहाल करना पड़ेगा, और आपके लिए भी यह आवश्यक है कि ब्यूरोक्रेसी पर, आपकी पुलिस पर आपकी डिपेन्डेन्स कम करनी होगी। आपके वर्कर्स को, आपकी पुलिस को उन पॉलिसीज और सिद्धान्तों पर आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा जिन सिद्धान्तों को आप इम्प्लीमेन्ट करना चाहते हैं, रिओरिएन्ट करना चाहते हैं। तो आपको कदम उठाने होंगे। यह जो जन आक्रोश विद्यार्थियों में उवल रहा है, चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम देश को बचाना चाहते हैं, फासिज्म से बचाना चाहते हैं, डेमाक्रेसी को बचाना चाहते हैं, सम्पूर्ण क्रान्ति से बचाना चाहते हैं, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी में पुलिस के एटीट्यूड में एक टोटल चेन्ज लाना होगा और उन सब के लिए इन प्रिन्सिपल से कार्य करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, पुलिस एट्रोसिटीज के बारे में दो शब्द कहूं उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन इकोनोमिक, सोशियल कन्डीशन्स में आर. ए. सी. या पुलिस के सिपाही हैं, जैसी उसकी एज्युकेशन है, उसका पालन पोषण है, जो उसकी सर्विस कन्डीशन्स हैं, जो उनके पे-स्केल्स हैं, उस पर स्पेक्टिव में हम उनसे यह आशा करें कि देश के अन्दर जो मौजूद टेन्शन है, जो एजीटेशन है, उनको वे फेस करने में अच्छा रोल कर सकेंगे, समझदारी से काम कर सकेंगे, अच्छा बिहेवियर पुट अप करें यह हम आशा करके नहीं चल सकते। हमारी हमदर्दी उनके साथ है। उनकी बहुत आर-ड्यूअस ड्यूटीज हैं और कई चीजों को उनको फेस करना पड़ता है। समाज में एजीटेशन्स आ रहे हैं, ऐसे वक्त में मान्यवर, राजस्थान में, नरोरा कैंप, रावतभाटा कैंप से जो गाइडेन्स इनको आनी चाहिये थी, जो फेस करने की तैयारी इनकी होनी चाहिये थी, वह हम उनमें नहीं कर पाये। जो एप्रोच चाहते थे इनके उस बिहेवियर में, वह पैदा नहीं कर पाये।

पिछले साल वादा किया था कि हरिजनों पर जो ज्यादतियां होती हैं, एक सेल क्रीयेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर सेल होगा, ज्यादतियों की जांच की जावेगी फोलो अप एक्शन भी लिया जायगा। इतने केसेज हुए मालिकों द्वारा टीनेन्ट को बेदखल करने के, इसके लिए पुलिस की मदद लिए आये, उनको गिरफ्तार कर लिया, और टीनेन्ट को बेदखल कर दिया गया। पुलिस उसके खिलाफ गई। आप चाहते हैं, मालिक का पॉवर कम हो, आप चाहते हैं हरिजनों का कब्जा रहे, आप चाहते हैं, हरिजनों को कब्जा मिले, जिसको अलॉटमैंट किया गया है उसको कब्जा मिले, उसको कब्जा दिया और किसी

(श्री केदारनाथ)

कारण से एक साल के लिए उसने सब-लेट कर दिया, उस कारण मालिक पुलिस की मदद से उसको हटा दें, ऐसे केसेज कितने आपके पास आते हैं । पुलिस वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर, उनकी मदद नहीं करती है, टीनेन्ट्स की, हरिजन की, भूमिहीन की मदद नहीं करती, जबकि चेन्ज लाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिये, तो न तो आप उसको आगे बढ़ाते हैं और न ही एफिशियेन्सी आपके सामने आती है ।

इसलिये एजीटेशन्स के रास्ते पर है सी. पी. आई., सी. पी. एम. । जय प्रकाश जी के नेतृत्व में मासेज इकट्ठे हो रहे हैं । पक्ष विपक्ष की मैं, मान्यवर, बात नहीं करना चाहता । एक साल में जितने आन्दोलन हुए हैं, चाहे स्टूडेन्ट्स मूवमेन्ट हों, चाहे काश्तकारों के एजीटेशन्स हों, जमीन पर कब्जे के मामले में मूवमेन्ट हुए हैं, राज्य सरकार ने उन सब एजीटेशन्स को राजनैतिक आन्दोलन नहीं माना । राज्य सरकार का एजीटेशन्स के बारे में यह अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड है । एक डिसरिगार्ड है मासेज का कि राजनैतिक आन्दोलन न माने । सी क्लॉस दें जेल में । उनको कुचलने के लिये सारी ताकत इस्तेमाल कर दें, तो आपके जो स्लोगन्स हैं, जो मेनिफेस्टो है, आपने जो फैसले किये उनके इम्पलीमेन्टेशन के लिये मास मूवमेन्ट होता है तो आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप चेन्ज नहीं चाहते हैं ।

राजस्थान में अकाल से ग्रस्त इलाके हैं वहां की डेढ़ करोड़ जनता की हालत खराब है । आपके ऑफिसियल्स क्लबों में बैठ कर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और आप जनता में चरित्र का पाठ पढ़ाओ, उनको लेसन पढ़ाओ, सरमन्स प्रीच करो, कोई उसका असर नहीं पड़ता है । एस. पी, कलेक्टर, टेनिस खेलो, ताश खेलो, बैडमिन्टन खेलो, शतरन्ज खेलो, लेकिन शराब पीओ, जुआ खेलो फ्लश उनको आप बन्द कर दोगे यह आपकी हिम्मत के बाहर है । आप खुद सही रास्ते पर नहीं होंगे और जनता में चेन्ज लाने के लिये तैयारी करोगे तो आप चेन्ज ला नहीं सकोगे । चेन्ज लाने का आप का एप्रोच गलत रहा है ।

मैं यह नहीं कहता कि सब के सब ऑफिशियल्स ऐसे हैं । अच्छे ऑफिशियल्स हैं, उनकी इन्टीग्रिटी के बारे में तारीफ करता हूं, उनके एप्रोच की तारीफ करता हूं, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स हैं, जो जुआ खेलते हैं, रात दिन जुआ खेलते हैं ।

आप सोचिये वह जाकर मासेज में रेसपॉन्सबिलिटी डिक्लेयर कर पायेगा ? यह नामुमकिन है । मैं निवेदन कर रहा था कम से कम हम यह निवेदन करना चाहते हैं कोई भी एजीटेशन हो, स्टूडेन्ट्स का ऐजीटेशन हो, कर्मचारियों का ऐजीटेशन हो, शिड्यूल्ड कास्ट का एजीटेशन हो, छोटे काश्तकारों का ऐजीटेशन हो, ऐसे ऐजीटेशन के दौरान जितने गिरफ्तार किये जायं उनकी पुलिस स्टेशन पर मार पिटाई न हो । कम से कम यह एक लिमिट तो हो और इस लिमिट को जो क्रॉस करेगा चाहे वह कोई थानेदार हो, डी. एस. पी. हो, और चाहे कोई एस. पी. हो—टेकन ट टास्क होगा ।

हम मानते हैं आपने कार्यवाही की है, उदयपुर में आपने एक्शन लिया है, काटा में आपने एक्शन लिया है, चूरू में आप

(श्री केदारनाथ)

एक्शन लेने जा रहे हैं। हम तारीफ करते हैं कुछ तत्परता दिखाई है, लेकिन एक्शन ऐसा हो जो स्ट्रांग डाइरेक्शन में हो। पुलिस स्टेशन पर ऐसे ऐजीटेशन वालों को न पीटा जाय और न जेल के अन्दर जाने के बाद क्रिमिनल की तरह पीटा जाय, तो हमें मालूम पड़ेगा। चाहे शब्दों में वह राजनैतिक ऐजीटेशन न मानें, कागजों में आप भले ही न मानें, जेल के अन्दर भी चाहे आप (बी) क्लास न दें, चाय का इन्तजाम न करें लेकिन उनको फेस किस प्रकार करना है उसको तो कम से कम ध्यान में रखा जाय। आज नेशनल पर्सपेक्टिव चुनौती पर है। सोचने का सारा तरीका और वेल्यूज आज चुनौती के रास्ते पर हैं। आप चाहे नहीं सोचें, लेकिन इसके खिलाफ ऐजीटेशन हो रहा है और इस प्रकार के दौरान में जब सारी वेल्यूज, सारे सिस्टम को बदलना होगा, उसमें पुलिस का रोल क्या होगा, ऑफिसर्स का रोल क्या होगा, पुलिस के ऑफिसर्स का रोल क्या होगा, तो मेरा निवेदन है नये तरीके से वेल्यूज पैदा कीजिये और उनका पे-स्केल बढ़ाइये, वर्किंग कन्डीशन अच्छी कीजिये।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान के हालात जैसे चल रहे हैं आपने घोषणाओं के मुताबिक काफी मूवमेंट पर कनफ्रन्टेशन को अवॉइड किया है, मगर इस कनफ्रन्टेशन को चाहे राजनैतिक मूवमेंट न मानें, गिरफ्तार न करें और 25-30 मील दूर ले जाकर छोड़ दें, इस प्रकार के हालात रंजिश पैदा करेगी। हम नहीं चाहते और जो आज हम ऐजीटेशन करने जा रहे हैं कोई भी नहीं चाहता कि ऐजीटेशन का रूप वॉयोलेन्ट हो। यह केवल आपकी कहानी है, दिल्ली की कहानी है-दिल्ली जाते समय और दिल्ली से वापिस आते समय......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आप जरा सुनिये, डिसटर्ब मत कीजिये।

श्री केदारनाथ : कोई अखबारों में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। कोई किसी प्रकार का केस दर्ज नहीं हुआ। अगर एक व्यक्ति सारे देश की थिन्किंग के रूप को बदलकर ऐसे लेवल पर ले आये, इश्यूज पर मतभेद हो सकता है, क्या इसके कान्सीक्वेन्सेज होंगे, कौन फायदा उठायेगा, कैसा सोशियल डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा दिमाग कनफ्यूज हो सकता है, मगर एक शख्स की ताकत से सारे देश का रूप बदल सकता है। 27 साल से जो देश का रूप हो रहा है उसमें आप चेन्ज नहीं लाना चाहते हैं, जो ऑफिसर्स के मार्फत हुकूमत करने जा रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव, उनके डेडिकेशन के लिये आप क्या कर रहे है? अगर आपने उनके प्रति कुछ नहीं किया तो अपने प्रति वफादारी नहीं होगी और उसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा।

आप बोर्ड और कॉरपोरेशन कॉन्स्टीट्यूट करते हैं, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है कोई आदमी कांग्रेस की सेवा करें, एम. एल. ए. के नाते करे, वर्कर के नाते करे, कैसे भी करे, कोई बात नहीं है। कभी हम भी ट्रेजरी बेंचेज की तरफ आयेंगे। आने की गुंजाइश तो नहीं है, और अगर आ गये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन यह रूल बना लीजिये कि किसको कैसा रिवार्ड देना है। एक व्यक्ति को 50 साल की उम्र होने

(श्री केदारनाथ)

से, जो पंचायत और जिला बोर्ड बना रहे हैं, उसमें नहीं रखने का है, वह भी चाहें बदल दें—सारी कन्डीशन्स बदल दें, सारे बोर्ड और कॉरपोरेशन का कान्स्टीट्यूशन बदल दें, उनके रूल्स रेगूलेशन्स को बदल दें, पर एक व्यक्ति के लिये सर्विस रूल्स बदलना और फिर आप सोचते हैं दूसरे व्यक्तियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

इस हाउस में, कितने बोर्ड, कितने कॉरपोरेशन्स हैं, हमें उन पर कभी चर्चा करने का मौका नहीं मिलता है। कौन उनके चैयरमेन हैं, क्या उनकी सेवायें हैं, क्या उनका परफॉरमेन्स है, हमारे सामने आये, हम डिसकस करेंगे और बेनीफिशियल प्रपोजल्स देंगे ताकि बार्ड का काम ठीक हो। मान्यवर, रेवेन्यू बोर्ड की जितनी खराबियां हैं, खास कर मैं बीकानेर रेन्ज की बात कह सकता हूं, यहां बीकानेर डिवीजन के विधायक भी मौजूद हैं, आज हालत यह है कि कोई भी आदमी मामूली सा पैसा खर्च करके स्टे ले आये, रेवेन्यू बोर्ड से स्टे ले ले—3-4 साल की मियाद बढ़ा ले। अपीलेन्ट ऑथोरिटी की मरजी है जो फैसला कर दें और आप सोचते हैं लोगों को जस्टिस मिलेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पर जो बीकानेर में थे पहले मातादीन, जो मरजी पैसा दो और अपने मन माफिक फैसला लिखा लो। तो मेहरबानी करके रेवेन्यू बोर्ड में, पब्लिक सर्विस कमीशन में कम से कम ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न करें जिनकी इमेज खराब हो। तो, मान्यवर मैं यह बात कह सकता हूं, बोर्ड के बारे में, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कोई शक नहीं है, किन्तु रिमूवल आफ पब्लिक ग्रिवेन्सेज के नाम से जो ऑफिस हैं और जिसके चैयरमैन कलक्टर हैं, यह अच्छी चीज है, इसमें शक नहीं है कि कुछ डिलेज कम हुई है लेकिन स्कोप बहुत लिमिटेड है। उनके पास स्टाफ नहीं है, उनकी कोई रेग्यूलर मीटिंग नहीं हो पाती है। आम मासेज में आज यह बात है कि तेरी बात का जवाब घर बैठे आ जा जायगा। अगर डिले होती है और वह मिनिमाईज की जायगी तो मेन मासेज पर असर नहीं पड़ता है। इसका स्कोप बढ़ावें। अभी पंजाब में एक्सपेरिमेंट हुआ है, डिले कम हुई है और मासेज को राहत भी मिली है अपना काम निकालने की। तो मान्यवर, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, हम सेक्रेटेरियेट में टेलीफोन करें सेक्शन ऑफिसर कहां है, असिसटेण्ट सेक्रेटरी कहां है, डिप्टी सेक्रेटरी कहां है, तो मान्यवर, साढ़े ग्यारह बजे टेलीफोन करें तो जवाब मिलता है चाय पीने गये हैं, फिर दुबारा साढ़े बारह बजे टेलीफोन करें तो जवाब मिल जायगा किसी कान्फेन्स में गये हैं, तीसरी बार जब टेलीफोन करेंगे तो हाजिर जवाब है लन्च में गये हैं, साढ़े तीन बजे टेलीफोन करेंगे तो कहा जायगा घर चले गये। मैं पूछना चाहता हूं आपने कितनी कमेटीज और कितनी क्या स्कीम्स बना रखी है कि किसी समय कोई आदमी नहीं मिले। एक एम. एल. ए. अपना सारा टाइम इसी में खो देता है। यह रातदिन हम सेक्रेटेरियट में देखते हैं और जब एक एम. एल. ए. के टेलीफोन की यह हालत होती है तो, मान्यवर, जो देहाती यहां आयेगा - दो बजे से पहले तो आप उसको अन्दर नहीं जाने देते, अन्दर जाने का तरीका किसी तरह पा जाय तो फिर

(श्री केदारनाथ)

चपरासी उसको नहीं जाने देता और फिर अन्दर किसी प्रकार चले भी जाय तो जिस व्यक्ति से बात करनी है वह व्यक्ति ही गायब, तो उस देहाती की क्या दशा होगी ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऑफिसर्स का ही नहीं, मंत्रियों का भी शिड्यूल्ड टाइम होना चाहिये। घर पर कब तक रहे, कोई बात नहीं, ऑफिस में कब आयें कोई बात नहीं, कब ऑफिस से चले जायं उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पब्लिक के लिये हफ्ते में तीन-चार दिन तो मुकर्रर कर लें कि वे सेक्रेटेरियेट में इस समय जरूर मिल सकते हैं। कान्फ्रेन्स में काम पड़ जाय, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, सेन्ट्रल की कोई मीटिंग हो, कोई बात नहीं, और यह भी हो सकता है कि इमरजेन्सी हो और आपको अपनी कन्स्टीट्यूएन्सी में जाना पड़ जाय, इसमें भी कोई बात नहीं है। आमतौर पर जैसी चीजें स्टेण्ड करती हैं, पांच दिन 6 दिन ऐसे हों, यह मालूम पड़ जाय कि हमारे जो मन्त्रीजी हैं, वह मिल जायेंगे ताकि एक आदमी जो अपने इलाके से आता है, सौ रुपये उसके खर्च हो जाते हैं, कम से कम उसको यह तो मालूम हो कि उस दिन मन्त्री जी मिल पायेंगे और वापिस जाता है तो उसको सन्तोष तो हो कि उसकी मुलाकात तो हुई और क्या बात हो सकी। आज हालत यह है कि मुख्य मन्त्री जी का मिलना तो संभव है परन्तु एक सेक्शन ऑफिसर का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए, मान्यवर, केन्द्र में ऐसे रिफॉर्म्स कमिशन बने थे उन्होंने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भी दी है, यहां भी एक कमिशन बना था मिस्टर माथुर के वक्त में। उसकी रिपोर्ट भी आई थी। परन्तु अभी तक भी हमारे दिमाग में ऐसा कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, यह साफ नहीं है कि कितने कमिशन बैठे, कितनी समितियां बैठी और कितनी रिकमण्डेशन्स आई, कितनी रिकमन्डेशन्स उनकी मान ली गई और कितनी हम मानने जा रहे हैं, ऐसी कोई साफ पोजीशन हमारे सामने नहीं है। उनके आधार पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, कैसे चेन्जेज करने जा रहे हैं, क्या सुझाव आये हैं जिनकी मार्फत बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, ऐसे लेजिस्लेटिव चेन्जेज हो जाते हैं, उनको आप लागू करना चाहते हैं इसका आखिर जनता को मालूम तो होना चाहिए। मान्यवर, मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बात कही। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की मौजूदा हालत क्या है, जो ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ बैठे हैं, आपका बहुमत है इसमें कोई शक नहीं है, और बहुमत बढ़ता जी जा रहा है, इसमें आपको गौरव महसूस नहीं होना चाहिये। इतने वर्षों के बाद भी जिस चेन्ज की आशा की जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में और आमतौर से सारे बेसिक प्रिन्सिपलों में वह आप नहीं ला पाये। अब इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेन्ट हैं वह आपसे संभल नहीं सकता या आप करना नहीं चाहते, आप समर्पण करदें। और दूसरा रास्ता यह है कि हम अपनी ताकत को इकट्ठा करके इसके लिए झोंक दें। आप इन दो रास्तों में से किस रास्ते को अपनाना चाहते हैं, यह आप जवाब देने की कृपा करेंगे, ऐसा में मानकर चलता हूं। अगर जवाब नहीं देते हैं तो

(श्री केदारनाथ)
राजनैतिक रिवोल्यूशन होगा अपोजीशन का उसको आप फेस कीजिये, इतनी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांगें बहुत हैं, लेकिन मैं संक्षेप में दो मांगों पर अपने विचार रखूंगा। आज लोगों का प्रशासन के ऊपर से विश्वास जहां बढ़ना चाहिए उसके बजाय प्रशासन से विश्वास हटता जा रहा है। इसके लिये अनेक पहलू जिम्मेदार हैं। आज हमारा प्रशासन इस प्रकार का है कि कहीं भी इस प्रकार की ऐसी घटना हो जाय जिसमें उनको अगर मालूम पड़ जाय कि हमारे आदमी उनमें इन्वोल्वड हैं तो वे कोई एक्शन ही नहीं लेते। विधायक निवास के बारे में सन् 1952 से लेकर, सामान्य प्रशासन विभाग के अण्डर में है वह, बजट में कहीं भी विधायक निवास का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, आज भी गवर्नमेन्ट होस्टल ही है, विधायक निवास नहीं है। और सन् 1952 से लेकर 1972 तक उसका इन्टरनल आडिट ही नहीं हुआ है। जो भी उसमें सुपरवाइजर बने, सामान उठाते गये, मनमाने ढंग से पैसा रखते गये, खाते गये, पीते गये। एक बार मैं विधायक निवास में जिस समय था, मेरे साथी साथी की, श्री अजीतसिंह जी की, प्लेट वहां पर देखी मैंने पूछा कि आपकी प्लेट यहां पर कैसे है, उन्होंने कहा कि मालूम नहीं यह पट्टी कैसे लग गई। इस तरह की कई घटनाएं हैं। 1972 के बाद इन्टरनल ऑडिट की बात जब प्रकाश में लायी गई, ऐसा भी देखने में आया कि डाक्यूमेन्टरी एविडेन्स होने के बाद भी कलप्रिट को चालान नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में उनके खिलाफ सबूत मिल गये, उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने सामान पर एसिड डालकर नष्ट करने का प्रयास किया, ऐसे कई केसेज की रिपोर्ट भी बनाई गई है और हाउस की कमेटी भी बैठायी गई है, और वह लिख दें फिर भी चालान न हो वह बड़े आश्चर्य की बात है। जब वहां का भूतपूर्व सुपरवाइजर चार्ज दे रहा था तो मैंने चीफ मिनिस्टर को भी पत्र लिखा था, सारा सामान वह उठा कर ले गया। आखिर वह विधायक निवास की सम्पत्ति है उसकी घर की तो है नहीं, उसका उत्तर मेरे पास आया कि इसकी जांच की जा रही है लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज कम से कम सामान्य प्रशासन विभाग इसके बारे में जागरूक रहे।

पुलिस विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस विभाग एक ऐसा महकमा है जो जनता के अन्दर उनकी जान माल की सुरक्षा की भावना पैदा करें, जनता और पुलिस के बीच में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, जनता में कम से कम इतना साहस होना चाहिए, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर कोई रिपोर्ट पुलिस में की जायगी तो उसकी सुनवाई होगी और मामला तय हो जायगा उदयपुर में मैं जानता हूं एक प्रोफेसर के घर चोरी हो गई, मैंने उनको रिपोर्ट पुलिस में लिखाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, व्यर्थ ही परेशानी होगी और होना जाना कुछ नहीं है तो पुलिस विभाग के प्रति आज यह भाव

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

पढ़े-लिखे लोगों में हैं इन सब बातों का आज क्या कारण है इस बात को गहराई से सोचना चाहिए। आज ही अखबार में है कि एक डी. आई. जी. के यहां चोरी हो गई। उदयपुर में......

एक माननीय सदस्य : डा. आई. जी. के या एस. पी. के ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : डी. आई. जी. के सामान की। उदयपुर की मुझे याद है, डी.एस.पी. साहब बैठे हैं और उनके सामान की चोरी हो गई। उसके बंगले में से उसका सामान उठाकर ले गये। अब ऐसी दशा है पुलिस की, तो कैसे पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास का निर्माण हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस के अनेकों काण्ड हुए हैं, इस सदन में भी चर्चा उनके बारे में होती रहती है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। उदयपुर में घंटाघर के ठीक नीचे जहां पुलिस का थाना है वहां पर रात के ढ़ाई बजे चोरी हो गई। सब-इन्सपेक्टर ने कुछ नहीं किया। ट्रक वहां खड़ा था, हथोड़े से ताला तोड़ने की आवाज आई तो कहने लगे कि टायर में पन्चर निकालने की आवाज आ रही है। ढाई लाख रुपये का सामान उठाकर ट्रक में ले गये, पुलिस वाले सोते रहे। तो इसको पुलिस की मिली-जुली भगत नहीं कहें तो और क्या है। क्या थानेदार उनको नहीं देख सकता था ? तो लोगों के अन्दर आज बहुत ही असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है पुलिस के प्रति। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पुलिस के महकमे का शुद्धिकरण जरूरी है। पुलिस के अन्दर जो सबसे बड़े आॅफिसर हैं, आई. जी. से लेकर नीचे तक के अधिकारी को चाहिए कि जनता में सुरक्षा की भावना हो, इसके लिये वातावरण पैदा करें। जनता को यह विश्वास हो कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो पुलिस हमारी मदद करेगी, परेशान नहीं करेगी और जो दोषी पाये जायेंगे उनको दंड भी मिलेगा; ता इस भावना को पैदा करना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि छोटे-मोटे ट्रान्सफर के लिये कितने ही पैसे लिये जाते हैं। मैंने कोई ऐसा एस. पी. नहीं देखा जो एक पुलिस मैन की तरह दुबला-पतला हो, वह ठीक होना चाहिए, हृष्ट-पुष्ट, परन्तु वह मोटे हैं। उनके बंगले बन जाते हैं, उनमें सामान भर जाता है, ट्रक को रोक लेते हैं और सारा सामान घर भेज देते हैं, मुफ्त में उठाकर ले जाते हैं। किराये के मकानों में रहते हैं और अपने बंगले किराये पर देते हैं और गवर्नमैंट से किराया लेते हैं, एक ही नहीं, इस प्रकार की कई घटनाएं मैं आपके सामने रख सकता हूं। वह यह है कि मैं गृह मंत्री जी से भी जानकारी चाहूंगा कि डी. आई. जी. श्री के. एन. गुप्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक केस चला था और चलाने वाले एडीशनल एसी.पी. थे और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने नग्न चित्र पेश किये थे बलात्कार के। अदालत के अन्दर केस में डिक्री हुई और आज वह कहां हैं ? क्या उनके ऊपर कोई कार्यवाही की ? राज्य सरकार को चाहिए था कि उसका चालान करके उसको उसके पद से हटा देती डिक्री कर देना या केवल ट्रान्सफर कर देना काफी नहीं होता है। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को क्या रखा जा सकता है ? लेकिन वह आज भी डी. आई. जी. बने हुए हैं

एक माननीय सदस्य : कौन है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : श्री के. एन. गुप्ता। उच्च न्यायालय में इनका केस चला और फोटो पाई गई और उसके बाद भी यह हाल है। ऐसे डी. आई. जी. भी हैं कि जिनके ऊपर रेप के केसेज हैं और आज उनको राष्ट्रपति पदक दिलाया जाता है। हमारी रिपोर्ट तो एक फॉर्मिलिटी बन गयी। मुझे कोई बता सकता है कि कितने पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप हैं और वह निलम्बित हैं और उनके मामले में सरकार विचार कर रही है ? कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। केवल फॉर्मिलिटी के आधार पर केवल 4 पेज छपवाकर एक दिन पहले भिजवा देते हैं जिसमें न हिसाब है और न किताब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नहीं अनेका उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। श्री कन्हैयालाल जी, डी.एस.पी. हैं उनको वहां के एस. पी. ने जाकर किसी महिला के साथ बलात्कार करते हुए रेड हैण्डेड पकड़ा और आपने केवल उनका स्थानान्तरण कर दिया। एस. पी. केस पकड़े और डी. एस.पी का पकड़े और आप कोई एक्शन न लें। बड़ा अच्छा विभाग है। मैं तो यह कह सकता हूं कि आज हम सदन में बैठे हैं और दर्शकदीर्घा में यदि आप जांच करें कि कितने पुलिस के अधिकारी बैठे हैं जो कि पास लेकर आये हैं। अनेक आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास पास नहीं है। यही एक ऐसा महकमा है जो नियमों की पालना कभी नहीं करता और न पालन करवाने का प्रयास करता है।

वाहनों के दुरुपयोग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अभी चूरू की घटना हमारे सामने आई जिसमें आपने देखा कि एस. पी. की जीप थी आर.जे.वाई. 1410 नम्बर की जिसमें बच्चे सिनेमा जा रहे थे और वह टकरा गई। यहां के जो एडीशनल आई. जी. हैं मिस्टर नायर वह किस ढंग के हैं। आई. पी. एस. कैसे बन गए, क्या उन्होंने कोई पुलिस की ट्रेनिंग ली है कैसे बैठा दिए गए ? लेकिन इस सब के बावजूद भी वह पद पर विराजमान है और उनका काम केवल अपने ऑफिसर्स का खुश करना और बच्चों को गाड़ियों में घुमाना है। मैं समझता हूं कि आई. जी. साहब को चाहिए कि प्रशासनिक दृष्टि से जो अयोग्य हों उनको उनके स्थानों पर नहीं रखें।

मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। नाथूलाल शाह के बारे में गत वर्ष मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उनको गोली से मार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उसकी जांच करवाई और इस आरोप में डी. आई. जी. इनवाल्व्ड थे लेकिन आपने उनका अभी तक चालान नहीं किया कोटा के नाथूलाल शाह हैं। उनकी हत्या हुई और मैंने गत वर्ष एक स्थगन प्रस्ताव रखा और उसके अपराधी स्वयं डी.आई.जी. हैं लेकिन आप चालान नहीं करते। क्या डी.आई.जी. को इस बात की छुट्टी है कि वह किसी भी नागरिक की हत्या कर दे और उसका कुछ भी नहीं हो ?

आपने अर्जुनसिंह, डी.एस.पी., अलवर में थे उनको राष्ट्रपति पदक दिलवाया। उनके ऊपर भी बलात्कार के कई आरोप हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम यह काम तो कर सकते हैं कि

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
पुलिस विभाग को इस प्रकार का अध्याय छोड़कर समाज के अन्दर सुरक्षा की भावना पैदा करें। यदि सुरक्षा की भावना पैदा करनी है तो पुलिस के अपराधों को भी नहीं छुड़ापाया जा सकता। गत वर्ष एक एडीशनल एस. पी. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बनीपार्क के थाने में जाकर वहां के थानेदार पर छापा मारा और वहां थाने में एडीशनल एस. पी. की पिटाई हो रही है। याने थानेदार को पकड़ने के लिए रिश्वत के केस में एडीशनल एस. पी. जाता हैं एन्टीकरप्शन का और उसकी पिटाई हो रही है, लोगों के सिर फट गए और आज तक केस चालान नहीं हुआ। यह क्या भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का काम कैसे कर सकेंगे। यदि ऐसी पुलिस रही तो? थानों पर पुलिस के एस. पी. की पिटाई हो जाये तो क्या वह केस पकड़ सकते हैं? ऐसे विभाग को बन्द कर देना चाहिए या फिर नियम और व्यवस्था के साथ काम करना चाहिए।

मैं तीन, चार मिनट में अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व उद्योग विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान स्टेट मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ने इसको कोई अनाथालय या पिंजारापोल बना दिया है। जो कहीं से नाराज हो जाये तो उसकी उसमें नियुक्ति कर दी जाये। मेरे मित्र श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने एक बात कही थी उसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चेतक स्कूटर के बारे में हमको सन् 1970 में इसके लिए आशय-पत्र मिला और लाइसेन्स मिला गया। फिर बजाज कम्पनी को चेतक का लाइसेन्स कैसे मिल गया? हम चेतक के नाम से वंचित कैसे हो गए? यह मिलीजुली भगत है। आपके विभाग में जो जैं. दास इन्डस्ट्रियल एडवाइजर हैं वह मिल गए। आपका रेकर्ड गायब हो गया, अदालत में आप पेश नहीं करपाये कि वास्तव में चेतक स्कूटर का नाम आपका था। आपको भारत सरकार ने दिया था। वह पूंजीपति को नहीं मिलना चाहिये था लेकिन निगम से छीनकर पूंजीपति को मिल गया। राजस्थान सरकार को नहीं। इसलिए आपका डिपार्टमेन्ट किस टाइप का है इससे आप जरा पता लगा सकते हैं। अदालत में आप हार गए। आप रेस्पॉन्सीबिलिटी फिक्स कीजिए कि यह काम किसने किया है।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर जितने ऑफिसर्स हैं आपने इसमें कुछ नहीं लिखा है। आफिसर्स के टेलीफोन पर अर्दली रखते हैं और उनके ऊपर कितना खर्चा होता है। आप अर्दली अलाउंस कितना देते हैं और अलाउंस देने के बाद सब चपरासी घरों पर काम करते हैं। यहां श्री विजयसिंह जी मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं और उनको हाउस रेन्ट दिया जाता है 800 रुपया। किसी आई. ए. एस. ऑफिसर को भी नहीं मिलता होगा लेकिन उनको मिलता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। श्री डी. एन. बसु जो कि वित्तीय सलाहकार हैं उनको हाउस रेन्ट का 750 रुपया और गरीब एम्प्लाईज जो आपके हैं उनको 25 पर्सेन्ट भी नहीं मिलता हैं। फिर निगम से आप क्या लाभ उठा सकेंगे और श्री एस. के. अग्रवाल जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनको 500 रुपया मिलता है। एम्प्लाईज को 25 पर्सेन्ट नहीं देते हैं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
एक को-ऑर्डिनेशन इन्जीनियर हैं श्री एम. एल. भार्गव और उनकी आपने ग्रेड निर्धारित की है 1100-1600 किस आधार पर इसका पता नहीं। जितनी पोस्टें आपने भरी हैं कभी आपने उनका एडवरटिजमेंट किया ? सलेक्शन किया ? क्या योग्यतायें हैं यह रखा आपने ? सब मनमानी कर रखी है। जहां काम नहीं है वहां मिनिस्टर का आदमी रख लिया। बीकानेर में इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट हुआ नहीं और आपने तेजवानी को असिस्टेन्ट रीजनल इन्जीनियर बनाकर बीकानेर भेज दिया। वहां कुछ काम नहीं है लेकिन आपने उसको वहां भेज दिया। इस प्रकार की अव्यवस्थायें कभी निगम को विकसित नहीं होने देंगी। आपने संगठन बना रखा है। क्या यू. डी. सी. से अधिक योग्य आदमी आपको नहीं मिल सकता। एक यू. डी. सी. के केडर के आदमी को आपने सेक्रेटरी बना रखा है और 190 की ग्रेड वाले को 700 से 1200 का ग्रेड दे दी। उसका तो भाग्योदय हो गया। श्री बी. वी. रमन अकाउन्ट्स मैनेजर जिनकी फरक्का बैराज में जांच चल रही है उसके ऊपर जांच चल रही है आरोपों के ऊपर लेकिन वह भी उसी 630—1100 की ग्रेड में था उसको आपने 1100 से 1600 की ग्रेड दे दी। आप यह जांच करिये कि यह निगम, जिसके बारे में शिकायतें हैं अनेक राज्यों में कहीं भी इस प्रकार के ग्रेड्स हैं जो आपने अपने यहां निर्धारित कर रखे हैं। वहां पर जिस ढंग से चाहा उस ढंग से कर, दिया। पुलिस इंक्वायरी पैंडिंग है उनके ऊपर आपके यहां सीमेंट का बहुत बड़ा गबन का केस हुआ जिसमें दस हजार सीमेंट के बेग चोरी चले गए, कौन व्यक्ति इसका इंचार्ज था, किस व्यक्ति के ऑफिस में आने के बाद किस व्यक्ति ने कितने मकान खड़े किए। उन्होंने मकान के लिए सीमेंट लिया तो कहां से लिया। यदि सप्लाई विभाग से लिया तो उनके पास परमिट होना चाहिए लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं। सीमेंट निगम का लग रहा है, गबन हो रहा है, पुलिस में इंक्वायरी पैंडिंग है लेकिन इसकी जांच नहीं।

मिस्टर आर. एस. पांचाल, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो यहां पर डेपुटेशन पर एडीशनल प्रोजेक्ट एडवाईजर बन कर आए, 700 से 1200 की ग्रेड में पी. डब्ल्यू. डी. में थे और यहां पर 1300-1600 में कर दिया। यानि ग्रेडों का फिक्सेशन कौन करता है कैसे होता है, जिसको आप चाहें उसके अन्दर फिक्स अप कर लें। भरतपुर में आप उनका काम देखिए। भरतपुर में डिमाण्ड है नहीं इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट को डवलप करने के लिए शेड्स बनाने के लिए आपने बीस शेड बनाए टेण्डर इन्वाइट किए बिना। टेण्डर इन्वाइट नहीं किए। "जी" शिड्यूल भर कर नहीं दिया और एक व्यक्ति से 12 लाख का काम करवा दिया। आप इस ढंग से निगम का काम करेंगे। शिडूल दिया नहीं और टेण्डर इन्वाइट किए बिना 12 लाख का काम दे दिया और वास्तव में जो टेंडर आए भी तो जो 48 पर्सेंट ला आए उनको आपने कैंसिल कर दिया और किन्हीं मिनिस्टर के टेलीफोन पर 56 परसेंट अलाऊ कर दिया। कहां तो एक तरफ 48 पर्सेंट लो और कहां 56 पर्सेंट अबाऊ, एक हनुमान सहाय वर्मा

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस प्रकार के ठेकों में लाखों का गबन, बिना आवश्यकता के 12 लाख की पब्लिक मनी का खर्च कर दें मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां यदि आप बनने देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव होगा । ऐसे अनेक उदाहरण हैं । जयपुर में भी शैड बनने थे, सीकर में भी इस प्रकार के शैड्स बनाए 40 बाई 40 के और 2 लाख 28 हजार रुपये के खर्चे की जगह 3 लाख 16 हजार हो गया और इसके आगे भी खर्चा होने को है । इसके मुकाबले में वही काम जयपुर में ढाई लाख में हो गया, मुझे कहना है कि विभाग की, किसी जिम्मेदारी है इसकी । इसलिए पुलिस विभाग ओरियेंटेड हो, सामान्य प्रशासन विभाग ओरियेंटेड हो और यदि इसी तरह से निगम चलता रहा तो हम विकास करने के बजाय दूसरी दिशा में चले जायेंगे । मैं इन स्थगन प्रस्तावों के जरिये से राज्यसरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे अपने पुलिस विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग को और इस विभाग को, उद्योग विभाग को री-ओरियेंट करें और इनको सुधारने का प्रयास करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल मीणा !

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सामान्य प्रशासन विभाग का या पुलिस का मामला है उसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन में सम्बन्ति अधिकारी बहुत मुश्किल से बहुत कम समय में ही अपने-अपने कार्यालयों में मिल पाते हैं जिससे जनता को और जन प्रतिनिधियों को बहुत असुविधा होती है । दूसरा प्रशासन के मामले में जो ढिलाई है और ज्यादा कुछ न कह कर मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को आप खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मेहेरबानी करके बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को कम से कम रोकिए । इसका पर्सेन्टेज बांध दीजिए लेकिन कम से कम अब आगे बढ़ने में और आगे बढ़ानें मे तो कम से कम प्रोत्साहन मत दीजिए । आगे बढने से रोकने के लिए तो मेहरबांनी करके जरूर कदम उठाइये ।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस का मामला है मैंने सारे कटौती प्रस्तावों को भी देखे हैं और जनता की राय भी है कि एक पुलिस विभाग ऐसा है कि जिसके प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, और आम जनता को यह महसूस होना चाहिए कि यह हमारे रक्षक हैं किसी भी प्रकार से जब भी कोई आदमी हमला करे, असुविधाजनक बात हो, असामाजिक बात हो उसमें अगर हमको कोई सिक्योर कर सकती है तो वह पुलिस है । वाजिब भी है और कानून भी है हमारी सिक्योरिटी करेगी तो वह पुलिस विभाग ही करेगी, लेकिन जनता में, जन प्रतिनिधियों में कोई भी वर्ग हो सब लोगों में ऐसी निराशा की भाववा इस ढंग की फैली हुई है कि पुलिस हमारी रक्षक नहीं भक्षक है । यह पुलिस विभाग के लिए बड़े शर्म की बात है और इसके बारे में आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा । चाहे उसमें पुलिस कर्मचायी ऐसे

(श्री मीठालाल)

हों, उनको चाहे तनख्वाह कम मिलती हो या उनको और जो बेनीफिट मिलना चाहिए; वर्दी हो, मंहगाई भत्ता हो या और कोई समस्या हो उसका आप निराकरण करिये हम स्वागत करेंगे चाहे हमको आर्थिक सहयोग भी देना पड़े। लेकिन यह जरूर हर स्तर पर कदम उठाना पड़ेगा चाहे छोटे कर्मचारियों को कुछ देकर या कुछ भी करके लेकिन जनता में पुलिस के प्रति एक आस्था पैदा होनी चाहिए जिससे कि इस विभाग की आस्था बढ़े और वास्तविक जो पुलिस का कार्य है वह जनता को मिल सके। इसमें सारे कर्मचारी दोषी नहीं है, मैं मानता हूं और माननीय मंत्रीजी को भी मालूम है कि नीचे से लेकर ऊपर तक लिंक बंधा रहता है और छोटे कर्मचारियों से मालूम करें कि उनको हर स्तर पर

(4.05 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

नीचे से ऊपर तक माहवारी देनी पड़ती है और दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हो सकता है कि कोई कुछ अधिकारी इस माहवारी में शामिल न हों और ईमानदार हों, मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी ऐसे हैं लेकिन अधिकांश अधिकारी ऐसे हैं, सभापति महोदय, जो कि इस तरह से हुए हैं। मेहरवानी करके आप खुद इस स्थिति का देखिए और ऐसे बहुमत के समय अगर इसको नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा उत्साह दिखला कर आप उनके और उनके संबंधित रिश्तेदारों के या किसी और उनके नाम से जो जायदाद इकट्ठी कर ली है उसकी जांच करिये और जो वास्तव में दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। इससे जो भावी अधिकारी होंगे वे भी सबक लेंगे और जो दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार की ओर दिनों दिन लिप्त हो रहे हैं उससे रुकेंगे तो सही। क्योंकि आज कोई भी अधिकारी ईमानदारी से अपने कार्यकाल में काम करके चला जाता है और पैसा नहीं जुटा पाता है तो बाद में वह पछताता है कि हमारे फलां डी. वाई. एस. पी. साहब ने और एस. पी. ने इतना अच्छा मकान बना लिया, इतना इकट्ठा कर लिया और मैं यों ही रह गया। इसलिए सबसे पहले अगर पुलिस विभाग की कमजोरी दूर करनी है, यदि पुलिस के भ्रष्टाचार को रोकना है, पुलिस के नाम से जो जनता में भय पैदा हो गया है इस भय को दूर करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इसके अलावा पुलिस में मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करता कि फलां अधिकारी ऐसा है वैसा है लेकिन इस देश के अन्दर आम तौर पर यह मानते है और राजस्थान विधान सभा में इस बारे में सदन के काफी दिनों चर्चा होती है कि पुलिस की बर्बरता, पुलिस की उद्दंडता बढ़ती जा रही है। किस प्रकार पुलिस उदण्ड बनती जा रही है जो कि पिछले सालों में नहीं देखी जाती थी। हो सकता है कि उनकी संख्या कम हो या सम्बन्धित अधिकारी कम हो लेकिन यह दिनों दिन जो उद्दण्ड स्वरूप सामने आ रहा है और कम से कम जो बर्बर और उद्दण्ड स्वरूप सामने आ रहा है उसको रोकना चाहिए और उसके प्रति आपको और आपके

(श्री मीठालाल)
विभागीय अधिकारियों को गम्भीरता से सोचना चाहिए। यह पुलिस की बर्बरता है, जो क्रूरता है, जो यह चोरी में, डकैती में इनमें सब जगह यह एक आम धारणा है और आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि कहीं भी चोरी होती है तो उसके लिए कही जाती है कि पुलिस वालों का हाथ है। दिन -दहाड़े भरे बाजार में शटर्स को काट काट कर चोरियां हो जायं और सामान मोटरों में ले जायं और फिर पुलिस को मालूल न पड़े, चोरियों के मामले में शामिल हो डकैतियों में शामिल हों, जब डकैती पकड़े तो उसमें शामिल हों, डकैती हो रही हो तो छापा तब डालेंगे जब डकैत दो चार मील दूर निकल जायेंगे और डकैत जायेंगे इस ओर तो ये जायेंगे उस ओर। यह इस तरह की मिलीभगत होती है जिसके बारे में आपको गम्भीरता से सोचना होगा और इसकी सरकार को बहुत कुछ आवश्यकता है सोचने की।

दूसरा पुलिस थानों में जहां कहीं कोई इन्क्वायरी हो या कोई जो मुलजिमान इकट्ठे हों, सबसे बुरी बात यह है कि मैं जुआ की बात नहीं करता लेकिन दिनों दिन हर किसी पुलिस स्टेशन पर शराब का दौर बहुत बढ़ गया है। इस बारे में आप रात को 9-10 बजे किसी भी थाने में चले जायं, अधिकांश थानों में शराब के अन्दर धुत रहते हैं और शराब के कारण से ही गलत काम करते हैं। गलत तराके से आदमियों को फंसाते भी हैं और फंसवा कर बुलवा कर लाते हैं। गांवों में, शहरों में ड्यूटी पर रोज ही शराब के दौर होते हैं। आप 9-10 बजे कहीं भी किसी अधिकारी के यहां थाने में जाकर देख लें शराब के दौर चलते रहते हैं।

कम से कम शराब को आप रोकिये।

एक माननीय सदस्य : थाने में होता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मिनिस्टर भी शराब पीते हैं।

श्री मीठालाल : इस शराब को आप थानों में रोकिये। खतम कीजिये। शराब को थानों में बन्द करा दें तो इसमें आपको कुछ सफलता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, सट्टा आज जयपुर में आम हो गया है। आपने इसको रोकने की कोशिश की है किन्तु यह रुका नहीं। हां मेन बाजारों से हट कर यह गलियों में आ गया है। पहले बाजारों में इनकी थड़ियां होती थी, अब ये लोग गलियों में बैठ कर यह व्यापार कर रहे हैं। और यह सट्टा बदस्तूर चल रहा है। मैंन मार्केट से हट कर गलियों में आ गया है। मेरे क्षेत्र लालसोट में इन दिनों सट्टा व्यापार काफी जोर शोर से चल रहा है और यह व्यापार वहां इतने जोरों पर है कि जयपुर के व्यापारी यहां से दुकाने उठाकर वहां पर बस गये हैं। लालसोट में पहले ये दुकाने दो तीन थीं अब वहां पर 8-10 खाई वाले हैं। दिन दुगना रात चौगुना यह चल रहा है। आप टेलिफोन कर के देख लीजिये। सब के अलग अलग टेलीफोन है। दुकानों पर टेलीफोन लग रहे हैं। जयपुर से फोन कर के देख लीजिये। आये दिन यह बढ़ता जा रहा है। मैंने थाना इन्चार्ज, एस. पी. साहब, से कहा। कुछ कार्यवाही नहीं होती

(श्री मीठालाल)

है। जनता यह कहती है, इनको बन्द किया जाए। परन्तु पुलिस को कहने पर भी कुछ नहीं हो पाता है। थाने वाले कहते हैं ऊपर तक यह पैसा पहुंचाना पड़ता है। सट्टे में गरीब लोग फंसते हैं। परन्तु यह व्यापार ग्राम बाजार में हो रहा है। ग्रापकी पुलिस इनको सफलता के साथ पकड़ सकती है। टेलीफोन से ही पकड़ लीजिए। जयपुर से टेलीफोन पर ग्रांक लिया करते हैं। इसमें हमारे राज्य कर्मचारी भी लिप्त हैं। इस लिए कम से कम इस सट्टे के व्यापार को तो ग्राप बंद कीजिये।

सभापति महोदय, इसके ग्रलावा पुलिस का एक ग्रौर सी. ग्राई. डी. विभाग है। यह उम्मीद कर के चलते हैं कि ग्रगर पुलिस जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, तो सी. ग्राई. डी. से ग्रसलियत का पता लग जाएगा ग्रौर थाने वाले कोई गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं तो उसको रोका जा सकेगा। यह जनता को सी. ग्राई. डी. से उम्मीद है। परन्तु इस विभाग के ग्रधिकारी भी इस ढंग से पैसा लेते हैं जितना पुलिस वाले भी नहीं लेते हैं। ग्राज थानों से ज्यादा रिश्वत सी. ग्राई. डी. में चल रही है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहता किन्तु ग्रब कहे बिना नहीं रह सकता हूं। ग्रभी दो तीन दिन पहले गंगापुर में एक मर्डर का केस हो गया। इस मामले में एक गलत ग्रादमी को गंगापुर एस. एच. ग्रो. ने फांस लिया ग्रौर इस केस को सी. ग्राई. डी. में भेज दिया। सी. ग्राई. डी. के एक शेरखां हैं, जो दौसा के रहने वाले हैं ग्रौर जिनकी प्राइवेट मोटर भी चल रही है, उनको इस केस के लिए नियुक्त किया गया। ग्रापको ग्राश्चर्य होगा, सभापति महोदय, यह जानकर कि जो ग्रादमी गांव में नहीं था—यह केस कोर्ट में चल रहा है, उस ग्रादमी से जाकर रुपये मांगे गये। उससे यह कहा गया दूसरी पार्टी रुपया दे रही है। इस प्रकार तीन हजार रुपये ले लिये। उसको यह कहा गया पार्टी मुझसे मिलती नहीं है इसलिए इसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारन्ट निकाला गया। कहा गया पार्टी मिलने से कतरा रही है। सी. ग्राई. डी. इस तरह से जनता को लूट रही है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस विभाग से हमको न्याय मिलेगा

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वे पुलिस विभाग के सम्बन्ध में सुधार करें ताकि जनता की ग्रास्था सरकार में बढ़े।

उद्योग के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कच्चा माल, बिजली ग्रौर लोन उद्योगों को समय पर मिलना चाहिये तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ उत्पादन बढ़ सकता है ग्रौर बेरोजगारी भी मिट सकती है ग्रौर राजस्थान में तो काफी उद्योग ऐसे हैं जिन से ग्रापको विदेशी मुद्रा मिल सकती है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा काण्ड हमारे राजस्थान में पकड़ा गया है। यहां पर कितने उद्योग फर्जी थे, कितने नाजायज तरीके से सरकार से कच्चा माल प्राप्त करते रहे ग्रौर उस कच्चे माल को सीधा बेच देते थे। यह सारा मामला पकड़ में ग्राया है। राजस्थान में 1973-74 में 18,975 उद्योग पंजीकृत थे जिसमें से 12,535 कार्यरत हैं ग्रौर जिनका कोई

(श्री मीठालाल)

अस्तित्व नहीं है, जो फर्जी हैं उनकी संख्या 4,793 है। जिनको आपने निरस्त कर दिया है, केवल 150 ऐसे कारखाने हैं जिनको आपने किसी कारण से बन्द पड़ा पाया है। ये 4,793 कारखाने कुल उद्योगों के 34 प्रतिशत हैं और आपका कच्चा माल और दूसरी सुविधाएं प्राप्त करते रहे हैं। जब विधान सभा में प्रश्न आया और जब कुछ उद्योगों को कच्चा माल न मिलने के कारण शिकायत हुई जब जाकर इसकी जांच हुई और पता चला कि इन-इन कारखानों का कोई अस्तित्व नहीं है। इनमें से 4,000 तो आपने पकड़ लिया और 793 का तो कोई अस्तित्व नहीं है। इनका क्या हुआ, यह आज तक मालूम नहीं हो पाया है। मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि ये कारखाने कितने साल से परमिट प्राप्त करते रहे हैं, कितना कच्चा माल अब तक लिया है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि इन कारखानों से उद्योग विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ थी। क्या आपने यह जांच की है? ये कारखाने अब तक कितने का माल उठा चुके हैं। क्या कार्यवाही इनके खिलाफ की है और इसके अलावा आपके विभाग के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ जांच की है। केवल आपने स्थानान्तरण कर दिया यह पर्याप्त नहीं है। यह बहुत बड़ा काण्ड है। यह भ्रष्टाचार का अड्डा है। इनके खिलाफ कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त बिजली का मामला है। छोटे-छोटे उद्योग हैं वे बिजली की वजह से परेशान हैं। कभी-कभी पांच-पांच मिनिट दस-दस मिनिट तक बिजली नहीं आती है। जब आती है तो कारखाने को शुरू करने में आधा घंटा लग जाता है। इससे उत्पादन में काफी हानि होती है। इसलिए इस ट्रिपिंग के मामले में सरकार सुधार लावे। इसके अलावा कुछ उद्योग अपना माल राजस्थान से बाहर भेजते हैं। उनको रेलवे वैगन मिलने की असुविधा है। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को समय पर वैगन उपलब्ध हों ताकि उनका कच्चा माल समय पर आ सके और वे अपना पक्का माल बाहर समय पर भेज सकें। कई बार माल पड़ा रहता है जिससे क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से इस बारे में बात करना चाहिए और इस दिशा में निश्चित कदम उठाने चाहिये ताकि समय पर सुविधा उपलब्ध हो।

छोटे उद्योगों को जो कोयला मिल रहा है वह छोटा मिल रहा है। पहले से इसकी व्यवस्था में सुधार हुआ है और कोयला समय पर मिल रहा है लेकिन जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है—पहले कोयला मोटा मिलता था अब चूरा आता है। इसमें व्यापारी परेशान है। वे वैगन से उठा कर कारखाने ले जाते हैं परन्तु यह कोयला उनके काम में नहीं आता है और न वे इसको बेच सकते हैं। सवाई माधोपुर के कई कारखाने मोटा कोयला न मिलने के कारण बंद पड़े हैं। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये कि जो कोयला आवे वह मोटा और अच्छा आवे।

सभापति महोदय, सरकार ने कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किये हैं। यह केन्द्रीय सरकार ने किये हैं। ऐसे 16 जिले हैं जो पिछड़े हैं

(श्री मीठालाल)

और इनको विशेष तौर से सुविधा प्रदान की गयी है। परन्तु हमारे प्रान्त में कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनको थोड़ी सुविधा दी जाए तो वे भी उद्योग लगा सकते हैं। और हमारे लिये उपयोगी हो सकते हैं। कुछ 6 जिले ऐसे हैं जिनको केन्द्रीय सरकार 10 से 15 पर्सेन्ट अनुदान देती है जिसमें अलवर, चूरू और अजमेर हैं। जयपुर जिले को आपने पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया है और इन विशेष जिलों में इसको सम्मिलित किया है। जयपुर जिले में केवल जयपुर शहर एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां कि काफी मात्रा में उद्योग हैं और अलग से विश्व कर्मा औद्योगिक क्षेत्र आपने घोषित किया है परन्तु एक तरह से ज्यादा नजदीक कारखाने होने से दिक्कत होती है। जयपुर शहर के अलावा जयपुर जिले में और कोई कस्बे में उद्योग नहीं है। जयपुर देहात और जयपुर शहर औद्योगिक दृष्टि से यह दो जिले माने जायं, और जयपुर शहर को छोड़कर देहात को अलग जिला मानकर इसको पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया जाय जिससे जयपुर जिले के जितने और कस्बे हैं और शहर हैं वहां के उद्योगपतियों को उद्योग लगाने हेतु सुविधायें मिल सकें।

इसके अतिरिक्त उद्योग के लिए नये क्षेत्र बनाने की सरकार को बहुत कुछ आवश्यकता है। बहुत से उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन उनको न तो भूमि ही मिलती है और न उचित अनुदान। जयपुर जिले में 6-7 कस्बे ऐसे हैं जिनमें कई उद्योगपतियों ने नये उद्योग लगाने के लिए निवेदन किया, लेकिन नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किये गये। तो नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण लघु उद्योग है। अभी अभी चार जिलों के लिए-जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर की घोषणा की गई है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण लघु उद्योग या लघु उद्योग हों, लघु उद्योगों को शहरों में न लगाकर कस्बों और गांवों में लगायें। इससे शहर का स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा। बड़े उद्योग लगायें तो शहरों में और छोटे उद्योग लगायें तो शहरो में। इस पर आपने 2 लाख 50 हजार रुपया रखा है। तो शहरों को छोड़कर गांवों में राजस्थान के किसी भी हिस्से में लगायें। यह लघु उद्योग हैं यह तो कम से कम शहरों से हटाकर गांवों में करें। इससे 2-3 सुविधाएं मिलेगीं। वहां की जनता को रोजगार मिलेगा। हड़ताल वगैरह की जो रात-दिन हवा चली आ रही है शहरों में, उसमें सुविधा मिलेगी, और गांवों का औद्योगिकरण और विस्तार होगा। अगर आप उनको गांवों में केन्द्रित करेंगे तो आम शहरों की हड़तालों का उन पर कम असर पड़ेगा।

सभापति महोदय, मुझे केवल एक मिनिट मेरे क्षेत्र लालसोट के बारे में कहना है। वहां पर औद्योगिक क्षेत्र न बनाने के बारे में सरकार को मैंने कई बार कहा है। उस पर विचार कर रही है सरकार 6 महीने से। नये औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। कई दफा वहां का मुआयना हो गया है। वहां पर पचासों उद्योग पति नये उद्योग खोलने के लिए तैयार हैं। वहां पर पानी

(श्री मीठालाल)

की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है। मेहरबानी करके लालसोट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना है उसको शीघ्र से शीघ्र स्थापित कर दें जिससे नये उद्योग लग सकें और सरकार और राज्य को उससे काफी सहायता मिले।

अन्त में मेरा यही निवेदन करना है कि जो फर्जी उद्योग हैं उनके मामलों की शीघ्र शीघ्र जांच करें और जो अधिकारी संदिग्ध है उनको दण्ड दें और जो वास्तविक उद्योग है उनको सुविधायें मिले और वे ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्राप्त कर सकें जिससे राज्य का औद्योगिकरण ज्यादा हो।

अन्त में, सभापति महोदय, जो बड़े उद्योग सरकार और लगाने जा रही है कहीं पर सीमेंट का और कहीं पर खाद का केन्द्रीय सरकार का सहयोग लेकर तो जिस तरह से सवाई माधोपुर वाला तेल शोधक कारखाना अपने हाथ से निकल गया उस तरह से ये भी न चले जायं। कम से कम केन्द्रीय सरकार पर दवाव डालकर ज्यादा से ज्यादा अन्य राज्यों की भांति अपने यहां भी केन्द्रीय सहायता के आधार पर अधिक उद्योग धन्धे स्थापित करने की कोशिश करें।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं पुलिस के अपने कटौती के प्रस्तावों पर अधिक समय न लेता हुआ आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग आज ऐसा विभाग है कि जिस पर जनता के माल और उसकी सम्पति की सुरक्षा का भार है। यह नहीं कि सारी बातें पुलिस के खिलाफ ही कही जाती रहें और उसकी खिलाफत ही करते रहें, लेकिन वे यदि अपने कर्त्तव्य का निभाते हैं और अच्छी तरह से कर्त्तव्य करते हैं तो उनकी सराहना भी करनी पड़ती है। मेरी यह मान्यता है, सभापति महोदय, राजस्थान की पुलिस कई प्रदेशों की पुलिस से अच्छी है। प्रगति रिपोर्ट देखने से उनके कर्त्तव्यों की सराहना करनी पड़ती है। उनकी मारपाट के संबंध में चर्चा होती है। मैं इस बात को मानता हूं कि यदि मुल्जिमान से यह कहा जाय कि श्रीमान जी आपने ऐसा काम नहीं किया तो क्या चोर कभी हां भी कर सकता है। जैसी गुण्डागर्दी वाहर वढ़ी है वैसे ही पुलिस के मार पीट के कदम वढ़े हैं। मैं अपने अजमेर जिले के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि अजमेर जिला केन्द्रीय शासन में रहा है और आज से 20 साल पहले वहां की पुलिस के सिपाही और थानेदार कर्त्तव्य के प्रति अच्छे थे, लेकिन राजस्थान में मिला, तो मेरी यह मान्यता है, कि कुछ ऐसे लोगों के आने से दिनोंदिन कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि जिससे अच्छे व्यक्ति और भले लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि पुलिस का अत्याचार है। कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले में भी अन्य जिलों के मुकाबले कई तरह की हड़तालें हुई हैं, कई तरह के आन्दोलन हुए हैं। वहां पर एस. पी. विश्नोई, बैजल साहब और अभी प्रतापसिंह भी है। किसी एस. पी. के खिलाफ कहूं कि यह खराब है या ये

(श्री शंकरसिंह रावत)

अच्छे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। भ्रष्टाचार किसी मन्त्री महोदय, या आई. जी. पा. कमिश्नर साहब, एस. पी. साहब से खत्म नहीं हो सकता है। यह तो जन-आन्दोलन की स्थिति में ही खत्म होगा। यह जरूर है कि प्रशासन को थोड़ा सा सशक्त हाना पड़ता है, और जितनी जिम्मेदारी है वह प्रशासन की है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे तबके के लोग पुलिस विभाग में अत्याचार करें तो वहां के हैड पर अंकुश होना चाहिए आप उनसे कहें कि मैं किसी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं कोई ट्रांसफर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। ट्रांसफर आप चाहें वैसा करें। प्रशासन आपको करना है। हमें इसमें नहीं पड़ना है कि मंत्री महोदय इसका ट्रांसफर करें और उसका कैन्सिल करें। मैं इसको अपना कर्तव्य नहीं मानता हूं। जिले में ट्रांसफर होना चाहिए। राजस्थान की जनता और राजस्थान के पुलिस अधिकारी पहले नागरिक हैं। पुलिस में भरती होने से उनको राज नहीं मिल जाता है, उनकी ड्यूटी है। किसी आन्दोलन के सिलसिले में गलियों और बाजारों में हड़ताल होती है और कहीं से चुपके से कोई पत्थर फेंक देता है और पुलिस वालों को चोट लग जाती है और पुलिस लाठी चार्ज कर दे तो यह कह दें कि पुलिस खराब है, पुलिस अत्याचार करती है यह ठीक नहीं है। अत्याचार होता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इसमें हमारे विभाग की बदनामी होती है। यह निगाह राज्य सरकार की होनी चाहिए।

मैं सभापति महोदय, कुछ आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल में अजमेर अस्पताल में खुमानी नाम की औरत की मृत्यु हुई। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और थानेदार मानकचन्द जी को गंज कोतवाली के अन्दर टेलिफोन किया कि पुलिस कार्यवाही करे। सभापति महोदय, बार-बार डॉक्टर के लिखने के बावजूद शाम के 8 बजे वह थानेदार साहब वहां पर पधारे और दिन भर वह लाश पड़ी रही। डॉक्टर ने मना किया रात को पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। पुलिस विभाग की लापरवाही नहीं, एक थानेदार ने यह किया, पर उसका हजारों ग्रामीण जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। थानेदार जल्दी ही पहुंच जाता तो 24 घन्टे लाश वहां पर नहीं रहती। एक कार्यकर्ता का लाखों लोगों पर बुरा असर पड़ता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उस पर कार्यवाही दूसरे दिन सुबह के 9.45 तक नहीं हुई और सुबह 9.45 पर पोस्टमार्टम हुआ। उस वक्त मुझे मालूम पड़ा तो मैं अस्पताल गया। वहाँ पर थानेदार जी खड़े थे और मेरा बड़ा बच्चा भी था। जीप में गया तो सिपाही ने कहा कि सांठ-गांठ करना चाहते थे। डॉक्टर लाश को खराब करना चाहता है और कुछ न कुछ खराब करेगा। इसलिए इसका बोर्ड बैठाकर कार्यवाही करनी चाहिए, यानी अनुचित लाभ उठाने की दशा में। मैं भ्रष्टाचार की बात कहूं, यह तो आपका मामला है। पैसा साधन है, साध्य नहीं है। मैं तो कल भी कहने वाला था, डॉक्टरों के मामले में। भ्रष्टाचार करने वाले ही ज्यादा बीमार होते हैं। तो पैसे के मामले में वह इसी प्रकार से कर रहे हैं। तो सभापति महोदय, एक ग्रामीण की लाश

(श्री शकरसिंह रावत)

24 घण्टे तक पड़ी रहे। 7 तारीख को वह सुवह ही श्रा जाते तो वह लाश पड़ी नहीं रहती। मैं समझा यह डॉक्टर ने किया है। लेकिन डॉक्टर ने नहीं किया था। मैं यह कहूंगा, एस. पी. साहव को रिपोर्ट भी लिखी है। 27-12-74 को रामा नाम का एक लड़का और हरिनारायण नाम का एक लड़का। रामा का वहां पर मर्डर किया गया। हरी वहां से भागता है और कुछ मील के फासले पर जाकर जहां उसका मकान था। जाकर के उसके मां-बाप और भाई से कहा कि उनके लड़के के पेट में दर्द है। वह वहां से भागे। लेकिन वह वहां पर नहीं श्रा सके। उन्होंने सराधना अस्पताल में उसकी लाश रखी। पुलिस वहां पर पहुंची। उसके मां-बाप-भाई भी पहुंचे। उन्होंने आते ही पूछा, उनको दूसरे कमरे में घुसाकर ताला बन्द कर दिया। तो सभापति महोदय, पुलिस वहां पर आये नहीं। लाश के वारिस नहीं आये। और वह लाश को इस प्रकार से ले आयें।। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। एक ट्रेनिंग लेते थे उनको यह कहा गया कि वह उसकी जांच करें। मैं उनसे मिला। पता नहीं वह किस प्रकार की ट्रेनिंग में लाये गये। विधायक के लिखने पर भी जांच नहीं। यह सारी वदनामी है। लेकिन यह एक आदमी की खराबी से वदनामी होती है। इसकी रुकावट करनी पड़ेगी। दूसरी वात, सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि पुलिस के लोगों का सटोरियों के साथ, उठना वैठना होता है। गुण्डों के साथ में, वदमाशों के साथ में इनका उठना बैठना होता है। गुण्डे और बदमाश उनके एजेण्ट हैं। जो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है और अच्छे कपड़े पहनता है। वह थाने में जाकर पुलिस वालों के पास जाकर उठता वैठता है। किसी ग्रामीण का कोई काम होता है तो उन्हीं से बात करता है। वह काम के लिए 100 रु. लेता है और 50 रु. अपनी जेब में डाल लेता है। इस तरह से उनके चंगुल में ग्रामीण लोग आ जाते हैं। इस तरह से वह कमाई करते हैं। हमने तो नहीं देखा है कि उनका मनीऑर्डर आता हो। राजस्थान की पुलिस जनता की जानमाल की रक्षा करने के लिए है। पुलिस को भी जहां जैसी आवश्यकता होती है, उनको वैसा कदम उठाना पड़ता है। मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि उनको सुविधायें दी जायें। लेकिन सुविधा देने का मतलव यह है कि जैसे मैं नसीराबाद थाने में गया तो थानेदार ने कहा कि हमारे पास स्टेशनरी नहीं है। अगर कहते हैं तो यह कहा जाता है कि तुम इतना भी नहीं कर सकते हो। कई वार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बीच सड़क पर आकर गाड़ियों पर वसूल करना शुरु कर दिया है। वह अगर एक एक रुपया भी करते हैं आप सोच सकते हैं कि कितना हो जाता है। मैं किशनगढ़ से आ रहा था। इसी प्रकार से जब रोका गया तो मैंने पुछा कि कौन हैं। तो बताया गया कि दीवान जी हैं। मेंने दीवान जी से पूछा कि ऐसे धन्धे क्यों करते हो तो ट्रेफिक वाले ने यह समझा कि शायद कोई उनसे भी बड़ा कोई आ गया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे तो अभी 4 ही मिनट हुये हैं।

श्री सभापति : दस मिनट हो गये हैं। कितना समय हुआ है, यह तो मेरे पर छोड़ दीजिये।

श्री शंकरसिंह रावत : इसी तरह से मैं पुष्कर मेले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आजकल के गुण्डे पहले जैसे नही है। पहले गुण्डे साफ कपड़े पहनते थे। बड़े बड़े बाल रखते थे। आजकल वह गांव वालों की तरह से रहते हैं। अगर उनके बारे में कोई कुछ कहे भी तो पुलिस वाले कह देगें कि यह तो गांव वाला हैं, यह क्या करेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत नही आये।

सभापति महोदय, मुझे कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में निवेदन करना है। जो उद्योगों की लिस्ट दी उसमें 13 थे। एक कैंसिल हो गया। 12 रह गये हैं। चेतक के नाम का स्कूटर बनने वाला था। उसका यह नाम देने वाले भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी मोहनलाल सुखाड़िया थे। जो इस समय गवर्नर हैं। यह तो नहीं पर वजाज का नाम मिला। यह राजस्थान का नाम नहीं है। इसके लिए मुझे दुख है। अब आगे क्या नाम रखना चाहते हैं। चेतक अलवर के लिए था। थ्रीव्हीलर भी अलवर, ग्लास प्रीसीजन्स धौलपुर, टेलिवीजन जयपुर, सोडा आपका कैंसिल हो गया। सूती धागा आपने बांसवाड़ा को दिया। प्रधान मन्त्री पधारी थीं। मेरा निवेदन हैं कि सूती धागे को आप नसीराबाद में लगा सकते हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है। जहां पर दो हजार, 5 हजार की आबादी है। पानी की कमी नहीं हैं। वहां पर बिजली दे सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पुलिस के बारे में ध्यान दें। इस प्रकार से जो विधान सभा में काफी बातें प्रकट की गई है तो पुलिस काफी सजग रहेगी।

श्री सभापति । श्री जयकिशन !

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : सभापति महोदय, पुलिस, सामान्य प्रशासन और उद्योग की मांगों पर विचार किया जा रहा है। मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से क्यों किसी की आलोचना करते हैं। क्यों किसी को खरी खोटी सुनाते हैं। इस बारे में सभापति महोदय मेरा निवेदन है कि इन सब के बारे में सर्वेक्षण करवा लेना चाहिये। किस किस विभाग में किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। और यह भ्रष्टाचार को हम किस प्रकार समाप्त कर दें हर डिपार्टमैंट के अन्दर, या हर विभाग के अन्दर इस प्रकार की एक समिति बना कर किस अधिकारी के ऊपर किस प्रकार के चार्जेज हैं और वह चार्जेज किस आधार पर हैं, कौन व्यक्ति किस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उसके ऊपर किस कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है अगर इस प्रकार की समितियां नियुक्त करके प्रत्येक विभाग के अन्दर जांच की जाय और उसका सर्वेक्षण किया जाय कि क्योंकि किसी कर्मचारी ने इस प्रकार की गलती की, और अगर उस गलती को दुरुस्त कर दें तो माननीय सभापति महोदय, मेरी धारणा है, धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी गलती को सुधार सकता है।

दूसरा निवेदन यह है कि पुलिस विभाग को हम हर समय, हर घड़ी कोसा

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? लगातार तीन वर्ष से इस सदन में मैं आया हूं, शुरू से मैंने इस प्रकार की धारणा देखी है, तीन वर्ष तक लगातार भ्रष्टाचार की बहस और आलोचना करते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस विभाग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है, भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं, सभापति महोदय, इस तथ्य पर पहुंचा हूं कि भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कमी होती है। भूखा व्यक्ति किसी न किसी कमी को पूरा करने के लिए, यदि रोजी रोटी ठीक प्रकार नहीं हो, कर्मचारियों का वेतन ठीक प्रकार नहीं होगा तो वास्तव में उसको किसी न किसी प्रकार धन जुटाकर, साधन उपलब्ध करके अपनी कमी की पूर्ति करता है। मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग को उठाकर देखें, इसके अन्दर भ्रष्टाचार इसलिए है, जो सिपाही हैं हम और आप तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं या घरों पर आराम करते रहते हैं, वह साधारण सिपाही, जिसको साधारण वेतन दिया जाय, चौबीस घन्टे की ड्यूटी ली जाय, चौबीस घण्टे की ड्यूटी लेने के पश्चात् भी अगर खाने के लिए सब चीजें उपलब्ध न करवाई जाए तो वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा कमी पूरी नहीं करेगा तो क्या कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसको भ्रष्टाचार नहीं मानता, वह तो कमियों को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार का साधन जुटाना चाहता हूं और साधन से अपने पेट का पालन करना चाहता है। हर व्यक्ति आज इस प्रजातन्त्र में अपनी सन्तान को अच्छे स्तर पर देखना चाहता है, बहुत से आई. ए. एस. बनाना चाहते हैं, आई. पी. एस. बनाना चाहते हैं, और आर. ए. एस. बनाना चाहते हैं, और आर. पी. एस. बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास साधनों की कमी है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ हम और आप लम्बी लम्बी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में मजे से बैठ कर एशो आराम करते हैं, दूसरी तरफ एक झोंपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जब कि उसको समय पर खाने के लिए सामान नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है और सोने और बैठने के लिए मकान नहीं मिलता, दो गज भूमि नहीं मिलती है, तो क्यों न व्यक्ति इस प्रकार भ्रष्टाचार करेगा, क्यों न व्यक्ति अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेगा। माननीय सभापति, मेरा निवेदन है, यदि पुलिस विभाग को लेकर देखें तो साधारण सिपाही होता है, उसको 70) रूपये वेतन के दिए जाते हैं। आप अच्छी तरह सोचिये, 70) रुपये तो आप जैसे बड़े व्यक्ति या ऊंचे अधिकारी केवल चाय पीकर महीने में खर्च कर देता है; जबकि एक बेचारे सिपाही के परिवार में पांच मेम्बर होते हैं, अपने बच्चों को वह पढ़ाना चाहता है, फिर वह किस प्रकार अपनी रोजी रोटी चला सकता है। साथ ही साथ हैड कांस्टेबल को देखिये, केवल 90) रुपये उसको मिलते हैं, वह कैसे जीवन यापन ठीक तरह चला सकता है। ए. एस. आई. है, उसकी 110) रुपये बेसिक पे है। एस. आई. है उसको देखिये, केवल मात्र 160) रुपये उसकी बेसिक पे है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कमियां हैं और फिर मनुष्य के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो किसी न किसी सोर्स

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
से, किसी न किसी स्रोत से वह कमी को पूरा करना चाहेगा । मेरा निवेदन है, राजस्थान के अन्दर पुलिस विभाग में सिपाहियों, हैड कान्स्टेबल, इन्सपेक्टर और सब इन्सपेक्टर की तनख्वाह कम हैं, उनको सेन्टर के बराबर कर दिया जाय । जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए आलोचना करते रहते हैं, यदि उनके सारे के सारे पे स्केल सेन्टर के बनाबर कर दिया जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार कम हो सकता है और उनकी कमी भी पूरी हो सकती हैं । इसलिए मेरा निवेदन है, सेन्टर के बराबर पूर्ण रूप से सुविधा दे दी जाय । इस तरह जो पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार की बात करते है, वह पूर्ण रूप से मिट सकती है ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है, जैसा भार्गव साहब कह रहे थे, पुलिस विभाग के अन्दर वेलफेयर के लिए फण्ड मिलता है, वह पुलिस के कल्याण के लिए दिया जाता है, समय के अन्दर आज यह मिलने वाला फण्ड है, यदि उस गरीब मैं उसे गरीब ही कह सकता हूं, जिसकी इस प्रकार तनख्वाह कम है, उस गरीब सिपाही को समय पर धन न देकर उसकी कमियों को पूरा कर दिया जाय, और पेन्शन होती है तो पेन्शन होने के समय में भी, जो सर्विस का समय होता है, उस आधार पर जोड़ कर पूरी की पूरी धनराशि जो तनख्वाह में से काटी जाती है, वह तुरन्त दे दी जाय, तो पेन्शन शुदा सिपाही या हैड कान्स्टेबल है वह रोजी रोटी का धन्धा पहले एकत्रित की हुई धन राशि को लेकर चला सकता है, छोटे उद्योग में लगा सकते हैं, या चाहे जमीन खरीद ले या चाहे व्यापार कर ले उसका एक तरह से कल्याण हो सकता है । यहां पर आई. जी. पी. बैठे हैं, होम कमिश्नर बैठे हैं, डी. आई. जी. बैठे हैं और ऑफिसर बैठे हैं । मैं किसी के कहने से नहीं कहता हूं, लेकिन मैं उदाहरण देने के लिए कहना चाहता हूं, हीरालाल नाम का इन्सपेक्टर है, वह टी. बी. का मरीज है····

श्री रामगोपाल : स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहें ।

श्री जयकिशनलाल (तोसावड़ा) : इस फण्ड से उसको धनराशि दिलवा दी जाय तो मंत्री महोदय, वह बीमारी से बाहर हट कर अपने परिवार में जाकर जीवन यापन कर सकता है । इस प्रकार के उदाहरण सामने आते हैं । बड़े-बड़े अधिकारी या मंत्रीमहोदय इस विभाग के अन्दर इस प्रकार का साधन करें और सर्वेक्षण करें और इस प्रकार उदारता के साथ में, जो कर्मचारी परेशान हैं, उनको वाजिब सुविधा मिल सके तो पूर्ण रूप से सुविधा के भागी बन कर जीवन को सही रूप से आगे चला सकते हैं ।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, आज हम एक तरफ तो यह कहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को हर प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं । लेकिन मेरा निवेदन है, आज पुलिस विभाग के अन्दर यदि हम रिकार्ड्स को उठा कर, लिस्ट को उठा कर देखें तो केवल मात्र 12 पर्सेन्ट 10 पर्सेन्ट व्यवहार इस प्रकार किया जाता है । मेरा सुझाव है जब तक अनुसूचित जाति और जन जातियों के लोग सब ऑल जातियों

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

के समकक्ष सारी चीजों में नहीं ग्रा जाती है तब तक मेरा निवेदन है कि ग्राज पचास पर्सेन्ट उनका रिजर्वेशन कर दिया जाय, ग्रौर प्रकार की ग्रौर जातियों के लोगों को सर्विस में लिया जाता है, कुछ वर्षों के लिए उनको सर्विस में लेना रोक दिया जाय ग्रौर ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जन जाति के लोग पढ़े लिखे हैं ग्रौर जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं जिनका ग्रब तक मार्ग ग्रवरुद्ध कर दिया जाता था, इन जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाय। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इससे इन जातियों का पूर्ण रूप से भला हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था बैठाइये, फिर क्यों नहीं इस प्रकार भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं, ग्रासानी से मिटा सकते हैं।

साथ साथ मेरा निवेदन यह भी है कि जो इनके मेडिकल बिल पुलिस विभाग के ग्रन्दर लेते हैं, ग्रगर मेडिकल बिल उनसे न लेकर मेडिकल का पैसा वेतन में जोड़ दें तो सब प्रकार की सुविधा हो सकती है। इनको छुट्टी नहीं मिलती हैं ग्रौर ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है। एक तरफ मेडिकल बिल लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर ग्रधिकारियों से साइन कराने पड़ते हैं। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं, इस प्रकार से मेडिकल बिल से पैसा उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, ऐसे पैसे को हर महीने, जो हर प्रकार की बीमारी चाहे बच्चों की हो, स्त्री की हो, स्वयं की हो, उसके इलाज के लिए पैसा वेतन के साथ जोड़ दिया जाय तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं ग्रा सकती है। भार्गव साहब कह रहे थे कि वर्दी के लिए 45 रुपये सब इन्सपेक्टर को मिलें। मैं निवेदन करूंगा कि 45 रुपये में ग्राप ग्रौर हम एक कमीज बना कर पहन लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें वृद्धि होनी चाहिए, ग्रौर सारी चीजें होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरे किसी प्रकार के ग्रपराध को पकड़ने के लिए, खास तौर पर ग्रपराधी को पकड़ने के लिए यंत्र उपलब्ध होने चाहिए। ग्रगर यंत्र उपलब्ध हो जायं तो साधारण तौर पर कहीं जाकर ग्रपराधी छिप जाते हैं, वहां ग्रासानी से पकड़ सकते हैं।

दूसरा निवेदन है कि जिस प्रकार मिलिट्रीमेन पेंशनशुदा हो जाता है तो किसी प्रकार राज्य सरकार व्यवस्था बना कर उसको भूमि ग्रलॉट करती है। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, पुलिस विभाग के ग्रन्दर ऐसे गरीब-कर्मचारी हैं, जो बोर्डर के ऊपर लड़ाई में मर जाते हैं, उनके बच्चे-बच्ची ग्रौर स्त्री ग्रनाथ हो जाती है साथ ही साथ डाकुग्रों से मुठभेड़, गुण्डों से मुठभेड़, चोरों से मुठभेड़ करते हुए कई ग्रधिकारी मारे जाते हैं। तो हमारी सरकार की ग्रोर इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए जिसमें जमीनें उनको एलॉट करवा दी जाए तो वास्तव में उन गरीब लोगों का भला हो सकता है। सिद्धांत है कि भूभक्षितः किम न करोति ? पापमें भूखा व्यक्ति कौनसा पाप नहीं करता। हम ग्रौर ग्राप भी भूखे रहते हैं, 10 के बजाय 11 बज जाते हैं तो पेट में खलबलाहट मच जाती है। जठराग्नि तीव्र हो जाती है इस

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

लिए प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब है, हर प्रकार के साधन जुटाने के लिए उसकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हम भ्रष्टाचार करते रहते हैं, करने से कुछ नहीं होता है, कागजी कार्यवाही करने से कुछ नहीं होगा जब तक व्यहारिक रूप से नहीं लेंगे। वास्तविक रूप को लेकर उनको सच्ची सुविधा नहीं देंगे तब तक विधान सभा हो, चाहे संसद हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे गोष्ठा हो या वाद-विवाद की प्रतियोगता करें फिर भी भला नही होने वाला है। जिस चीज को हम यदि मिटाना चाहते हैं तो उसके साथ में पूरा सहयोग देना चाहिए, समितियां बनाकर सर्वेक्षण करवाना चाहिए तभी जाकर सारी की सारी स्थिति ठीक हो सकती है।

उद्योग धंधों के बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि आज उद्योग धंधों की स्थापना यदि करना चाहते हैं तो उद्योग धंधों के लिए सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसकी उपलब्धि कौन से स्थान पर हो सकती है, इस प्रकार का सर्वेक्षण हमें पहले कराना चाहिए। दूसरी चीज भूमि की आवश्यकता होती है, तीसरी पानी की आवश्यकता, चौथी बिजली की आवश्यकता होती है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में शायद इतने करोड़पति और अरबपति भी रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं ताकि जिन चाजों को बताया उनकी कमियों के कारण राजस्थान का उद्योगपति बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बिहार, उड़ीसा या असम या अन्य स्थानों पर जाकर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, इस कारण हमारा राजस्थान उसी ढंग से पिछड़ा रह जाता है। क्यों न उन उद्योगपतियों को एकत्रित करके उनसे सलाह की जाय, राजस्थान के कौने कौने का सर्वेक्षण कराया जाय कि किस स्थान पर इन सारी चीजों की उपलब्धि हो सकती है। उनसे रियायत की जाए और जो राज्यों में उद्योग स्थापित करते हैं वे यहां क्यों न करें। उनको सब प्रकार की रियायतें देकर यदि उद्योग स्थापित करवावें तो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का आसानी से विपत्तियां दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सामान्य प्रशासन की बात में इस प्रकार से कह देना चाहता हूं कि इसके अन्दर ऐसी परिस्थिति है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के जो लोग शिक्षित हैं, हमारी सरकार ने इस प्रकार के नियम बना रखे है कि बिना एम्पलाईमैंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवाए जाकर अपनी एप्लीकेशन अधिकारी के समक्ष रख सकता है लेकिन होता क्या है कि तीन वर्ष में लगातार देख रहा हूं कि इस प्रकार एप्लीकेशन जो सबमिट की जाती हैं, उच्च अधिकारी उनको नहीं मानते हैं और स्पष्ट ना कर देते हैं। एप्लीकेशन उम्मीदवार के हाथ में दे दी जाती है। एम्पलाईमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन भी है तो भी उससे कहते हैं कि वहां से निकलने वाली लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर लाओ तब तो इण्टरव्यू में पेश होने के लायक हो चाहे वह किसी भी डिवीजन में विद्यार्थी पास है फिर भी उसकी एप्लीकेशन को रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। इसलिए मन्त्री जो जी. ए. डी. के मालिक हैं, जहां उच्च अधिकारी भी हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के विद्यार्थी यदि आपके पास आते हैं तो उनको सीधे रूप में ले लिया

(श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा)

जाएं, इन्टरव्यू में उनको एलाउ किया जाए जबकि उनके रजिस्ट्रेशन एम्पलाईमेंट एक्सचेंज में मौजूद है। समाज कल्याण विभाग से भी आदेश हैं कि यदि कोई विद्यार्थी शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो उसको भी उसके समान माना जाता है। तो फिर ज्यादती क्यों होती है....

श्री जयनारायण रोत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

अब आप समाप्त करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : जो अभी समय लिया गया यह तो दे दें। तो ऐसे विद्यार्थी जो इधर भी रजिस्टर्ड हैं उधर भी, उनका लिस्ट में नाम न जुड़वाकर सीधी इन्टरव्यू उनसे करनी चाहिए, ऐसे आदेश प्रत्येक विभाग को सरकार द्वारा देने चाहिये जिससे जो विद्यार्थी कर्मचारी बनना चाहता है, उसके सामने यह आड़ न लगे। प्रशासन के अन्दर भी अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों का यदि रिजर्वेशन कर दिया जाए और उसी ढंग से हर विभाग में औरों को रोककर पहले इन जातियों के लोगों को प्रवेश दिया जाए तो वास्तव में जो हम समाजवाद के बारे में कहना चाहते हैं वह सच्चा समाजवाद आ सकता है। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सूंडा।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : पहले लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस की व्यवस्था का पुनर्गठन करने हेतु जो कमेटी बनी, जो उस कमेटी की रिव्यू के अनुसार इस विभाग का पुनर्गठन हुआ है और कारोबार अब नए सिरे से जो यहां के नए आई. जी. पी. ने संभाला है, उनके करेक्टर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से वह ईमानदार हैं और वह किस तरह से इसको तरजीह देना चाहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आज तक जिन माननीय सदस्यों ने इस विभाग के लिए जो कुछ भी कहा है अथवा जो कुछ कहना पड़ेगा वह तो आम ढर्रे की बात है परन्तु मैं आशा करता हूं कि उनकी देख-रेख में सब बातें दूर हो जायेंगी। यह विभाग ऐसा है जिसके लिए इस कमेटी को सिफारिश करनी चाहिए थी और बजट बनाते समय वित्त मंत्री को यह मान लेना चाहिए या आई. जी. और होम कमिश्नर से पूछकर कि इस विभाग में कुछ ईमानदार व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी व्यक्ति बिना तनख्वाह के ही नौकरी में रखने चाहिए। यह एक ऐसा विभाग है जो स्वतः ही उपार्जन करता है।

Page No 152

(152)

(श्री दीपंकर)

जिस आदमी ने 80 हजार में ट्रक खरीदी है कहीं से कहीं गाड़ी ले जा रहा है, जहां-जहां भी थाना पड़ा, हाथ उठाया, 5 का नोट दो। इस तरह से दिल्ली से जयपुर तक पहुंचते पहुंचते कितने थाने ऐसे आते हैं यह सब लोग जानते हैं। तो यह कैसे रोका जा सकता है, यह उपाय जरूर खोज निकालेंगे, यह मेरा सुझाव है, यह बिल्कुल आम बात है। जब जनता का साधारण व्यक्ति पुलिस थाने में आता है और अगर उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो लोग समझते हैं कि इनके ऐसा करने के लिए शायद सरकार से आदेश है। नीचे से ऊपर तक एक तरह से है। फायदा कुछ लोग उठाते हैं। यह काम बन्द हो सके उस तरह से बन्द किया जाना चाहिये

जहां तक सवाल है कि इसमें डी. आई. जी. पी. का पद रखा है। मैं समझता हूं, यह बेकार है। परीक्षण करके देख लीजिये पहले कमीश्नर होते थे। उनको हटा कर जिलाधीशों के मार्फत एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहा, चल रहा है। इसका मतलब यह था कि कलेक्टर के ऊपर कम विश्वास करते थे और कमिश्नर पर ज्यादा कमीश्नर एक अलग अमला रखता था। अलग खर्चा था। इसी तरह से आपका जिला बड़ा है तो एडीशनल एस. पी. रख लीजिये। डी. आई. जी. रखते हैं यह समझ में कम आया। राजस्थान को विकासशील बनाना है तो इसमें परिवर्तन करना चाहिये। अनावश्यक पदों को समाप्त कर देना चाहिये।

जहां तक मुकदमों का सवाल है निहायत अदब के साथ अर्ज करना पड़ेगा कि पुलिस में यह खूबी आ गयी है कि झूठे मुकदमे बनाने की, उसको मिटाना चाहिये। घटना कुछ भी नहीं होती है। दो गवाही दिला कर मन चाहे जिस आदमी के खिलाफ झूठा मुकदमा बना देना। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान की यह सर्वोच्च विधान सभा जहां एक लाख पर एक प्रतिनिधि चुन कर आता है, उनके कह देने से ही बड़े से बड़े अधिकारी को नियुक्त कर देना ही केवल उचित नहीं है, किन्तु मंगलपुरा में जो घटना घटी है, इतना झूठा बवंडर है. सी. ओ. थानेदार, हैड कान्सटेबल और कुछ आदमियों ने मिल कर नाटक किया, उनको हटा देना चाहिये, मेरी शिकायत पर घोषणा कर दी कि सी. ओ. को हटा दिया। जब कि आप डी. वाई. एस. पी. पोस्ट क्रीयेट कर रहे हैं। सी.ओ. कोतवाली का इन्चार्ज हो सकता है वह। हटाया नहीं है। इस तरह से तो आप हमारी मखौल उड़ा रहे हैं। गरीब आदमी गांव में आराम से नहीं रह पा रहे हैं। डी. आई. जी. पी. जोधपुर को मुकर्रर किया गया। कब पधारेंगे? गांव वालों को कब पता चलेगा कि पधार रहे हैं? जब तक थानेदार हैड कान्सटेबल लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनके भय से, डी. आई.जी. पी. वहां पर गये और प्रेसेराईज करने के लिए आठ दस राजनैतिक आदमियों को लाकर खड़ा करें तो क्या न्याय करवा सकते हैं वे गरीब लोग। क्या सही जांच कर सकेंगे? निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि झूठे मुकदमें इस तरह से बनाये जाते हैं उनको बन्द करवाया जाय। इस तरह के जुल्म और अत्याचार पुलिस के द्वारा लोगों पर किये जाते हैं उससे हम भी बदनाम होते हैं और विभाग भी बदनाम होता है।

(श्री दीपंकर)

जहां तक क्राइम का सवाल है इनकी संख्यां बढती ही जा रही है। सन् 74 तक बढ़ते ही गये हैं। डकैती हो, लूट हो चोरियां हों, सब तरह से ये वढ़ते चले जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि विभाग के आदमी हैं, जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया है वे अकर्मण्य हैं, जो निगरानी नहीं रखते हैं। बात क्या है ? मेरा यह सुझाव है कि इनको नीरुका गांव है वहां पर भेजना चाहिये और वहां के लोगों से इनको ट्रेनिंग दिलाना चाहिये। पेट नहीं भरता है तो वे चोरी नहीं पकड़ पाते हैं, तो वे ज्यादा ट्रेन्ड होंगे वहां। वहां वे लोग ज्यादा ट्रेन्ड होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास भेजकर ट्रेनिंग दिलानी चाहिये उस गांव में जाकर देख लीजिये। हिन्दुस्तान की पुलिस पड़ी हुई है। जिस तरह के सरपंच होते हैं उस तरह की बात कह दी जाती है। वहां से ज्यादा ट्रेनिंग ले लें ताकि उनको तनख्वाह नहीं देनी पड़े। इस विभाग में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो बिना तनख्वाह के ही रह सकते हैं। जैसे पहले था। कोतवाली नीलाम होती थी वह नीलाम होने से बचे। अन्धाधुन्ध आपने लोगों को भर रखा है आपके पुलिस की शक्ल देखियेगा या महाराष्ट्र और पंजाब की पुलिस की शक्ल देखियेगा। आप यहां के पुलिस के लोगों को खड़ा कर दीजिए, किसी का मुंह टेढा है, किसी के दांत निकल रहे हैं, किसी का पेट निकल रहा है किसी की पेंट छोटी है, किसी की फटी हुई है पेंट, किसी का कमीज फटा हुआ है। किस तरीके की पुलिस भरती कर ली है ? महाराष्ट्र पंजाब में देखिये एक सांचे में ढले हुए जवान हैं। अच्छे माने हुए आदमी नजर आते हैं तो पुलिस को रिमोर्डेलाइज़ करना चाहिये शरीर की दृष्टि से, एक्टिव आदमियों को छांटा जाना चाहिये और जो इस परिधि में फिट नहीं होता है उनको कम्पलसरी रिटायर कर देना चाहिये।

प्रशिक्षण के लिये दो चार जगह मुकर्रर रखी है। आपने रिपोर्ट में कहा है कि जहां सर्किल ऑफिसर कम एजुकेटेड होंगे वहां पर नये डी. वाई. एस. पी. भेज देंगे। अच्छा काम होगा। यह आप कैसे मानते हैं। उनके नीचे भी वही पुराना स्टाफ रहेगा जो पुराने तरीके से चल रहा है, नये डी. वाई.एस. पी और पुरानी परम्परा को दोनों को कैसे चालू रख सकेंगे। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने थाने होंगे। अमला बढ़ाइये। जनसंख्या भी तो बढ़ी है, क्राइम बढ़े हैं। स्टाफ बढ़ाना चाहिये। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से व्यक्ति इस तरीके पर आ सकता है कि वह रिश्वत न ले। यह सोच कर करना होगा। इसमें लिखा है मेरे योग्य सेवा और सेवा में इस तरह के कार्य करे यह उचित नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट।

एन्टी करप्शन के महकमे को तो आप जुर्म की खुली छट वाला मुहकमा कह दीजिये। 19 अगस्त 74 को सीकर में एक प्रधान को दो हजार रुपया रिश्वत का लेते हुए सरे आम पकड़ा, बहुत सारे लोगों की उपस्थिति में। उसके किसी रिश्तेदार ने कह दिया इसलिये उसका चालान नहीं हुआ। जो जुर्म करता है उसका चालान न हो, बड़ी मजे की बात है। इससे

Page No 154

(154)

(श्री दीपंकर)

मखौल उड़। है या बढ़ती है, सरकार की इज्जत बढ़ती है, या पुलिस की इज्जत बढ़ती है या पार्टी की बढ़ती है यह मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। सभापति महोदय, अब थोड़ा सा मैं आपको सी. आई. डी विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपका जो सी. आइ. डी. विभाग है उसकी तो मैं जरूर तारीफ करूंगा कि इसमें आपने काफी अच्छे ईमानदार ऑफीसर रखे हैं। वह लोग ऐसे हैं बेचारे किसी भी इन्क्वायरी में जाते हैं तो किसी के यहां पर खाना नहीं खाते, किसी के यहां पर जाकर ठहरते नहीं है। कोई प्रकार की बेइमानी नहीं करते हैं। वह लोग सभी खर्च अपना खुद का वहन करते हैं इसलिये उनके लिये मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार उन लोगों को अच्छी तनख्वाहें दे और कुछ स्पेशियल अलाउन्सेज उनको दें। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं अब यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके थानों में जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह जब ट्रान्सफर पर जाते हैं तो आने वाले ऑफिसर को जाते वक्त अपने ट्रान्सफर के चार्ज के साथ साथ वहां पर जो पुलिसवालों को पैसा खिलाते हैं उन लोगों को भी चार्ज में दे देते हैं। मैं उनको एजेन्ट की संज्ञा देता हूं। यह लोग पुलिस वालों को पैसा खिलाते हैं और उनके एजेन्ट का काम करते हैं, मैं इन एजेन्टों के लिये इतना जरूर कहूंगा कि आप मन्त्री महोदय अपने सी. आई. डी. विभाग से या और किन्ही ईमानदार आफिसरों से जहां आपके पुलिस में इतने झूठे मुकदमे चलते हैं वहां पर एकाध झूठा मुकदमा इन एजेन्टों के खिलाफ में बनवा दें चाहे बाद में आप उन्हें सजा नहीं दिलवायें और छुड़वादें लेकिन उस वक्त आप उनसे एक सौगन्ध तो ले लें कि वह लोग आइन्दा कभी थाने में थानेदारों को रिश्वत नहीं दिलायेंगे। सभापति महोदय, इनकी एक लिस्ट बनी हुई है जो कि व्यापारियों को और दूसरे जनता के लोगों को डरा-धमका कर पुलिस वालों को पैसा दिलाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। एक बच्चों की सहायता के लिये पुलिस वाले एक फण्ड इकट्ठा करते हैं। यह फण्ड, सभापति महोदय, पुलिस वाले व्यापारियों से और दूसरे लोगों से वसूल करते हैं और इस चन्दे को वह हर किसी से लेते हैं इसमें वह किसी को नही छोड़ते हैं। चाहे मोटर वाला, तांगा वाला हो, व्यापारी हो कोई भी हो वह सभी से थाने वाले इकट्ठा करते हैं और बाद में वह कितना पैसा इकट्ठा करते हैं, किसने कितना पैसा दिया कोई रसीद नहीं काटते हैं और काटते भी हैं तो बाद में कभी किसी को रसीद दे दी और कभी रसीद दी तो कम पैसों की दी इस प्रकार जो रुपया इकट्ठा होता है उसमें घोटाला पुलिस वाले करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि रसीद दी ही नहीं जाती पर उसके लिये उनकी मरजी है चाहे जिसको ही रसीद देते हैं। तो इसके लिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वह इसके कोई नियम बनायें। कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यह घोटाले होने बन्द हो जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री दीपंकर)

अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में नागौर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है । और पिछड़ा क्षेत्र यह उद्योग विभाग ने किया है । वहां पर नागौर में सभापति महोदय, एक जिप्सम की डिपार्टमेंटल खान है उसको चालू किया गया है । वहां पर एक साल में, सभापति महोदय करीब 73-74 में एक लाख 19 हजार 172 रुपये का जिप्सम निकाला गया । उसमें शायद कितने टन निकला यह तो पता नहीं चलता पर पता नहीं क्या गड़बड़ी की उसमें से काफी मात्रा में जिप्सम श्री श्रीराम फर्टीलाईजर को और ऐसे ही उद्योग को दे दिया गया है और काफी घोटाला इसमें हुआ है । वहां पर जिप्सम तो है नहीं और अब वहां पर स्टोर में सीमेन्ट और खाद वगैरहा है । यह क्या मखौल है । आपको अगर डिपार्टमेंटल वर्क चलाना है तो इसके लिये एक्सपर्टस की राय लेकर काम करें । आर. आई. एम. डी. सी. के अधिकारियों के साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों को बैठकर वहां पर जो भी उद्योग धन्धे खुल सकते हैं वह खोले जाने चाहियें । जब आपने उसको औद्योगिक दृष्टि से उसे पिछड़ा हुआ घोषित किया है तो आप वहां पर जो भी औद्योगिक विकास हो सकता है वह करिये । वहां पर छोटी मोटी क्षेत्रीय योजनाओं को चालू करना चाहिये । इसके लिये आपको इस ऐरिया के अधिकारियों और वहां के जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर एक्सपर्टस को साथ लेकर याजनाओं को बनाना चाहिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो हा विकास हो सकेगा अन्यथा विकास नहीं होगा । आपको चाहिये कि आप अपने जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनसे एक्सपर्टस के साथ बैठकर योजनायें बनाये और फिर उन योजनाओं का राज्य सरकार के पास भेजें ताकि वहां पर विकास कार्य हो सके । आज आप बाहर तो बम्बई और कलकत्ता में यह इश्तिहार भेजते हैं कि आप हमारे राजस्थान में आइये और अपने उद्योग लगाइये । आप उन लोगों को वहां कहते हैं कि हम आपको जमीन देंगे, कर्ज देंगे, बिजली देंगे, सभी प्रकार की फैसीलिटीज देंगे, आप हमारे यहां उद्योग लगाइये । सभापति महोदय, वहां से लोग आते हैं तो यहां पर आपके उद्योग विभाग के अधिकारी कहते हैं कि आप स्कीम लाये हैं आपके पास प्लान है क्या ? अब उन बिचारों के पास प्लान वगैरहा कहां, वह लोग वापस जाते हैं और बाद में प्लान वगैहरा बनाकर लाते भी हैं तो भी आपके उद्योग विभाग के अधिकारी उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देते हैं । वह लोग बेचारे चक्कर काट कर जाते हैं । तो अगर आप अधिकारियों का यही रवैया रहा तो सभापति महोदय, आपके यहां पर विकास होना मुश्किल है । मैं तो कहूंगा कि कभी विकास नहीं हो सकता । इसलिये मेरा सुझाव है कि मन्त्री महोदय इसके लिये ध्यान दें ।

अब थोड़ा सा मैं, सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, गान्धी जी के जमाने से ही गांवों के अन्दर जो उद्योग हैं उनके विकास के बारे में कहा गया था । जहां पर लोग आज भी छोटे मोटे उद्योग अगर आप उनकी थोड़ी आर्थिक सहायता दें तो पनपा सकते हैं । आज गांवों में लोग चमड़े के, लोहे के तथा लकड़ी वगैरहा के कई उद्योग खोल सकते हैं । एक तरफ आप उद्योगों के विकास की बात करते हैं, पिछड़े

(श्री दीपंकर)

क्षेत्र के लोगों का विकास करने की बात करते हैं तो क्या अच्छा न हो अगर आप उन लोगों को 500 से लेकर हजार रुपये तक लोन दे दें ताकि इस पूंजी से वह अपने छोटे उद्योग को चालू करके अपना जीवन यापन कर सकें। नहीं तो बेचारे पांच-दस-पन्द्रह रुपये कमा कर क्या उद्योग लगा सकते हैं। सभापति महोदय, वैसे तो भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये हमारे राजस्थान में नागौर और चूरू जिले को औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र माना है लेकिन आपने उनके डवलपमेन्ट के लिये जिले में कलेक्टर को अध्यक्ष बना रखा है और उनकी सहायता के लिये ट्रेजरी अधिकारी हैं लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वह लोग इसमें कोई इन्टरेस्ट नहीं लेते हैं। उनका सम्पर्क नहीं है। कभी कभी तो लोग हमें पूछते हैं कि क्या औद्योगिक विकास के लिये जो पिछड़े क्षेत्रों के लिये भारत सरकार ने जो योजनायें बनायी थीं वह अब बन्द हो गयी है क्या ? क्योंकि भारत सरकार ने एक एक हजार तक छोटे उद्योगों के लिये ऋण देने की योजना बनायी थी। इसके लिये मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सरकार को जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर उन गांवों में लोगों को ऋण दिला कर वहां उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। इसके अलावा आपको उन लोगों को बैंकों से भी राष्ट्रीयकृत बैंक्स से लोन दिला कर उद्योग धन्धे खोलने के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये ताकि लोगों को रोजगार मिले और विकास भी हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। काफी समय हो गया है।

श्री दीपंकर : बस समाप्त कर ही रहा हूं। अब मैं अन्त में थोड़ा सोडियम सल्फेट और नमक के उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपके उद्योग विभाग द्वारा लोगों को एक एक हजार और पांच सौ गज के नमक के लिये जमीन दे रखी है लेकिन वहां पर लोग थोड़े से क्षेत्र में तो नमक पैदा करते हैं बाकी वहां पर जमीन खाली पड़ी है इसके लिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के पास एक्सट्रा जमीन है वह दूसरे लोगों में बांटी जानी चाहिये ताकि बेरोजगार लोगों को काम मिले। अभी थोड़े समय पहले सोडियम सल्फेट की जांच हमारे यहां पर नागौर में हुई तो वहां पर एन्टी करेप्शन डिपार्टमेन्ट वालों ने जब तलाशी ली तो वहां पर सोडियम सल्फेट की बजाय कोयला और सीमेन्ट स्टोर में मिली। यह काफी मात्रा में था उस केस को रफा दफा करने के लिये बहुत कोशिश की गई। पर वह मामला रफा दफा नहीं हो सका। आज स्थिति ऐसी है कि सरकार उद्योग लगाती है और वहां पर आपके कर्मचारी ब्लैक करके एक ही दिन में लखपति बनने की सोचते हैं। मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें, नहीं तो आप बदनाम हो रहे हैं। इस व्यवस्था को कन्ट्रोल करने की जरूरत है। आपके जो डिपार्टमेन्ट के उद्योग के मैनेजर्स हैं, वह मनमानी कर रहे हैं और जब जरूरत होती है तो वह माल देते नहीं हैं इसलिये यह सभी बातें पैदा होती हैं। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि सरकारी स्तर पर जो उद्योग हैं उन्हें को-ऑपरेटिव सेक्टर में चलाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्री दीपंकर)
इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन भी कर दूं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धे पनपावें तो काफी पनप सकते हैं। हमारे लाडनूं में भी कई उद्योग हो सकते हैं आप वहां के लोगों को इण्डस्ट्रीज के लिये सामान दें। सभापति महोदय, हमारे यहां के उद्योग पुराने जमाने में ऐसे थे कि इगलैण्ड के मैनचेस्टर का कपड़ा जब भारत में आया तो हमारे यहां की ढ़ाका की मलमल के आगे नहीं टिक सका और आखिर अंग्रेजों को उन लोगों के हाथ काटने पड़े जिससे कि उनका मैनचेस्टर का माल चल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-लम्बी घन्टी)

सभापति महोदय, मैं थाड़ा हमारे यहां के भेड़ पालकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने जिस तरह से दूसरी जगह भेड़ ऊन के उद्योग लगाने का व्यवस्था की है वह आपको हमारे नागोर जिले में और खासतौर से लाडनूं क्षेत्र में इसका काफी स्कोप है। आपको चाहिये कि डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम हमारे वहां खोलने चाहियें ताकि लोगों को रोजगर मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब तो समाप्त करें काफी लम्बा समय हो गया। बीस मिनिट हो गये।

श्री दीपंकर : जब तक ग्रामीण उद्योग को नहीं पनपावेंगे तब तक आपके गांवों का विकास होने वाला नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : दीपंकर जी अब आपके उस एफ. आई. आर. का भी वर्णन कर दें।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री दीपंकर : बात ऐसी है सभापति महोदय, सामुदायिक विकास से मेरा सम्बन्ध है....

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कृपया समाप्त करें।

ऑर्डर प्लीज (मा. सदस्य के बोलते रहने पर)

श्री दीपंकर : एक ही बात है अगर पंचायतों के जरिये सामुदायिक विकास चाहते तो जैसी आपकी पहले याजना थी बाद में फण्ड्स को विथ ड्रा कर लिया ता गांवों के विकास के लिये, जन स्वास्थ्य के विकास के लिये, मार्गों के लिये पशु पालन जैसी योजनायें हैं उनके लिये फण्ड्स अलॉट नहीं करेंगे, उनको एक्सपर्ट नहीं देंगे, उनको पावर्स नहीं देंगे तो सामुदायिक विकास न होकर सामुदायिक विनाश हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री झावरमल सून्डा !

श्री झावरमल सून्डा (फतेहपुर): सभापति महोदय पुलिस, उद्योग और सामान्य प्रशासन की डिमान्ड्स आज सदन में पेश हुई हैं और यह भी सही है कि वास्तविक डिमान्ड आज ही पेश हुई हैं। मान्यवर, मैं यह बात निवेदन कर देना चाहता हूं जो भी स्थिति आज दृष्टिगत होती है, शासन किस प्रकार हो रहा है, भ्रष्टाचार पनप रहा है

(श्री झाबरमल सुन्डा)

या नहीं और बहुत सी बातों का सम्बन्ध आज की डिमान्ड से आ जाता है।

आज मान्यवर प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के बीच खाई पैदा हो गई है। बहुत दिनों पहले लोक सभा में आई. सी. एस. के विशेषाधिकार खतम कर दिये गये थे लेकिन यहां स्टेट और राजस्थान में खासकर ज्यादा है एक कोल्ड स्ट्रगल जन प्रतिनिधियों के और सरकार के नुमाइन्दे जो आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उनके बीच में शुरू हो गये हैं और ऐसा लगता है कि दिनों दिन यही हालत बनती रही तो जो आन्दोलन इस राज्य को उखाड़ने का चल रहा है वह ज्यादा दिन दूर नहीं होगा।

मान्यवर मैं दो तीन उदाहरण पेश करूंगा। जनता की बात को दवाकर अधिकारी लोग अपने हिसाब से पेश करना चाहते हैं और चाहते हैं जन प्रतिनिधि शिथिल हों। वे दूसरी तरफ जा रहे हैं वास्तव में। आज जो सरकार के जन प्रतिनिधि हैं वे आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं। मान्यवर, एक केस था एज रिलेक्सेशन का, मन्त्री जी ने नोट मांगा था, मन्त्री चाहे तो उन्हें अधिकार है वे एज को बढ़ा सकते हैं, एज में रिलेक्सेशन दे सकते हैं। मान्यवर, एज्यूकेशन के तत्कालीन सेक्रेटरी ने उस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया और जब उनको बुलाने की चेष्टा की तो मन्त्री महोदय से तो उन्होंने इन्कार सा ही किया या अपनी नजर चुराते रहे।

मान्यवर, गौ रक्षा का जो आन्दोलन चला उस समय सैन्ट्रल के होम मिनिस्टर साहब गुलजारीलाल नन्दा ने कहा था होम सेक्रेटरी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे अचम्भा है आपके मन्त्री की बात को सेक्रेटरी नजरन्दाज कर दें, और कोई कारण नहीं, एक कारण है प्रशासक अपने हिसाब से चलना चाहते हैं और जन प्रतिनिधि अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। जन प्रतिनिधियों ने जनता में घोषणा की वे उन घोषणाओं को जनता में मुहैया कराना चाहते हैं लेकिन अधिकारी वर्ग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। सुखाड़िया साहब के टाइम पर अधिकारियों की पकड़ अवश्य थी लेकिन बरकत साहब के समय में दूसरी तरह की बात हो गई और वह बात अधिकारियों के घर कर गई और जो नया शासन आया है हरिदेव जी का उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जन प्रतिनिधियों की बात को ज्यादा अहमियत दूंगा और अधिकारी वर्ग की बात को उतनी अहमियत नहीं दी जाएगी लेकिन अधिकारियों ने इस बात को एक शील्ड बना लिया है, एक प्रकार की अभय दीवार बना ली है और उसमें किसी प्रकार से टूटना नहीं चाहता है।

अगर एजूकेशन सेक्रेटरी नहीं माने तो हैल्थ सेक्रेटरी से बात करेगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात करेगा और किसी न किसी तरह मन्त्रिमण्डल का फैसला आगे न बढ़े इस प्रकार की बात की कोशिश करेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को चाहे इस पक्ष के हों और चाहे उस पक्ष के हों आज एक कोल्ड स्ट्रगल पैदा हुआ है। और वे चाहते हैं उनकी घोषणायें पूरी न हों और हम ही इन पर प्रभावी रहें।

मान्यवर, मैं एक छोटा सा उदारहण और देना चाहता हूं जो सदन में नहीं

(श्री झाबरमल सुन्डा)

कहना चाहिये लेकिन इन छोटी बातों का प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है। सीकर में पिछले महिनों में एक रेवेन्यू अभियान चला था खातेदारी को बदलने का, सिवाय चक जमीन को गोचर में बदलने का, आबादी में बदलने का। सारी पंचायतें जो जमीन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो जो उस कमेटी का चेयरमैन होता है वह साथ जाया करता है, जिलाधीश साथ जाया करता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव है उस तहसील में जो ड्राइव चला उसमें सरे आम इस गांव की सारी जमीन आज गोचर में परिवर्तित कर दी गई है और, मान्यवर, आज 11 महिने बाद मार्च चल रहा है, अप्रेल आने वाला है 10 महिने हो गए उस मीटिंग के कागजों को रेगूलराइज नहीं किया। अब पता नहीं कलेक्टर ने नहीं किया, एस. डी. ओ. ने नहीं किया या तहसीलदार ने नहीं किया लेकिन उसमें ग्राम सभा की गलती नहीं है, पंचायत की कोई गलती नहीं है। फसल उस जमीन में खड़ी है गांव वाले काट नहीं सकते और काट लें तो उठा नहीं सकते। यह किसकी गलती है, जो रेवेन्यू ड्राइव चला था आज फिर नोटिस दिये गये हैं और कहा गया है कि 21 तारीख तक उजरदारी पेश कर दें। मान्यवर, यह ऐसा मसला है जिसमें जन प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। आई. ए. एस. ऑफिसर्स के बीच में जो तालमेल है आज तो जमीन पर वैसा तालमेल किसी में नहीं है किसी का लड़का इंजीनियर है तो किसी का लड़का डॉक्टर है, किसी का पंचायत में बैठता है तो किसी का सलेक्शन बोर्ड में बैठता है और ज्यादातर सर्विसेज में उन्हीं के रिश्तेदार आते हैं क्योंकि सब तरफ अपना जाल बिछा रखा है। जो मान्यवर प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं और जो फर्स्ट क्लास आते हैं उनको सर्विसेज में जगह नहीं मिलती है। आज के युग में इस मामले में जितना तालमेल आई. ए. एस. ऑफिसर्स का है उतना किसी भी वर्ग का नहीं है। इस जमीन पर तो मुझे कहीं नजर नहीं आता है......

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब अपन भी करेंगे।

श्री झाबरमल सुण्डा : मान्यवर, जिले का प्रशासन कलेक्टर पर निर्भर करता है। जिलाधीश जो पांच साल तक इस सेक्रेटेरियेट में बैठ जाता है वे मशीन के पुर्जे की तरह काम करते हैं। सेक्रेटेरियट में जो पांच साल रहने के बाद जिले में चला जाय तो उसका काम तो केवल यही रहता है कि दिन भर मीटिंगें बुलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है।

मैंने एक नवयुवक जिलाधीश को देखा है पी. एन. भण्डारी, वे बड़े ईमानदार, निष्पक्ष व्यक्ति थे। वे डेडीकेटेड थे......

श्री नत्थासिंह : वे भरतपुर भी रहे थे।

श्री झाबरमल सुण्डा : वे निष्ठावान व्यक्ति भी रहे। योग्य आदमी थे। आपके जो नये ऑफिसर्स आ रहे हैं वे अच्छे और योग्य आ रहे हैं सिवाय ओल्ड के जो सेक्रेटेरियट में चक्कर खिलाते रहते हैं। जवान कलेक्टर जिले में भेजें ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। मान्यवर यह मेरा आपसे निवेदन है कि जिले का प्रशासन किसी

(श्री झाबरमल सून्डा)
नौजवान कलेक्टर को ही सौंपा जाय ताकि प्रशासन में चुस्ती रहे और जिले का काम भी अच्छी तरह से सम्भाल सकें। आज पब्लिक ग्रिवेन्सेज दफ्तर की भी गतिविधि तेज करने की आवश्यकता है जिलों में कागज बड़े डिले हो जाते हैं। कलेक्टर, एस. डी. ओ., एस डी. एम. तहसीलदार के दफ्तर में कागज को महिनों लग जाते हैं इससे प्रशासन में काफी शिथिलता आ जाती और मान्यवर कुछ बातों को तो हमें ऐमरजेन्सी में लेना पड़ेगा

जैसे सप्लाई का मामला है, या अकाल का मामला है तो इसको इमर्जेन्सी का मामला समझकर जिसको अनाज की जरूरत है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और कोई भी भूखों नहीं मर जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मान्यवर, अब मैं पुलिस के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो पुलिस है उसके मुकाबले में हमारी जो पुलिस है राजस्थान की वह ज्यादा ईमानदार चुस्त और ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए कुछ मामलों में तो, कहना पड़ेगा कि हमारी पुलिस ने भारत वर्ष में भी कई मान कायम किये हैं। इस मामले में भी जितने भी पुलिस में नौजवान पुलिस के एस. पी. हैं वे ठीक है, और वे अपने दृष्टिकोण से काम करते हैं। मुझे सीकर का अनुभव है, वहां पर अब तक चार एस. पी. रह चुके हैं। सभी नौजवान एस. पी. आये हैं और काम पड़ने पर खाने पीने की भी परवाह नहीं करते हैं, उनको सारा राजस्थान जानता भी है। इस समय कोई मिस्टर एम. एस. पारीक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे एस. पी. हैं। हमारे सीकर में चार महीने में 11 चोरियां हुई थी, अभी 25 जनवरी को ही उन्होंने चार्ज लिया था, उन्होंने 11 में से 8 चोरियां बरामद कर ली। उन्होंने सभी पुलिस अफसरों को लेकर, डी.एस.पी. थानेदार, और एस. आई. सब को लेकर एक नये सिरे से काम शुरू किया है। सीकर में और भी कई मामले हैं, कई समस्याएं हैं, स्टुडेन्ट अनरेस्ट का मामला है, सीकर में स्टुडेन्ट अनरेस्ट बहुत ज्यादा है। कई माननीय सदस्य सीकर और नीमकाथाना के स्टुडेन्ट अनरेस्टस का जिक्र कर रहे थे। लेकिन अभी तक स्टुडेन्ट अनरेस्ट को रोका नहीं गया है, वह रुका रहे और आगे नहीं पनपे तो ठीक बात है, इसके लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। इसलिए मान्यवर, यदि पुलिस प्रशासन हमारे से सीधा सम्पर्क रखेंगे तो मैं समझता हूं कि समस्याएं आसानी से सुलझ जायेंगी। पुलिस की एक अच्छी इमेज जनता में कायम होनी चाहिए एक एस. पी. से लेकर और थानेदार या इन्स्पेक्टर तक के लिए। पुलिस एक्ट में एसा प्रावधान है पुलिस कॉन्स्टेबल भी पुलिस ऑफिसर कहलाता है। इसलिए अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने काम में शिथिलता बरते तो किसी दूसरे ऑफिसर से एन्क्वायरी कराई जा सकती है, ऐसा आम तौर से होता भी है। मैं कहता हूं कियदि किसी एक ऑफिसर के खिलाफ दूसरा ऑफिसर एन्क्वायरी करता है तो उसमें कई लेकूना मिल सकते हैं क्योंकि उसका दृष्टिकोण दूसरा होता है वह अपने दृष्टिकोण से सोचता है, इसलिये

(श्री झावरमल सूण्डा)

उसमें दूसरी और बातें मिल सकती हैं। इससे उसकी इन्टेशन नजर आ जाती है कि पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वह कोई बात छिपाना तो नहीं चाहता है, अगर चाहता है तो मेरा निवेदन है कि उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी होनी चाहिए। उसकी सी. आर. में अगर तीन बार ऐसा नोट उसके खिलाफ लगा दिया जाता है तो प्रशासनिक रूप से उसको ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए। जिससे इन्वेस्टीगेशन के मामले में पूरा सहयोग मिल सके, और ऐसे आदमियों का कम्पलसरी रिटायरमेन्ट भी कर देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में ए. पी. से सी. पी. में ट्रान्सफर नहीं करते हैं। सी. आइ.डी. से एसीडी में करने चाहिए। एन्टी करप्शन में कुछ करेक्टर के लोग हैं, आज भी चुने हुए लोग हैं जिनके बारे में कोई कुछ शक नहीं किया जा सकता, उनका काई अलग से जिम्मेदारा का काम सौंपना चाहिए, ऊंची श्रेणी का काम हो। आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार के बारे में गहरी चिन्ता व्याप्त है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको दूर करने की जिम्मेदारी एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट की है। इनको जबकि सेक्शन से अलग करके उनका ट्रान्सफर्स नहीं करने चाहिए अन्यथा मान्यवर, ऐसे ही लोग ·······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री झावरमल सुण्डा : आरोप लगाते रहेंगे तो इससे तो चोरियां बढ़ेंगी और भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा। करप्शन के कई गम्भीर मामले·······

श्री सभापति : बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समाप्त करिये कृपया जल्दी।

श्री झावरमल सुन्डा : मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय और आपके आदेश का पालन करूंगा। सवाई माधोपुर के एस.डी.ओ की बात है ऐसे कई मामले हैं। जब तक इन्वेस्टीगेशन चले तब तक उनको काम से वंचित रखना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। मैं निवेदन करता हूं कि वैसे निनमों के अनुसार जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं, उन पर ही उनको बोलना चाहिए। फिर जो कुछ भी इश्यूज हैं उस पर भी बोल सकते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि एक सब्जेक्ट को जनरल तरीके से ओपन करते हैं और कट मोशन पर बोलते हैं। इसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है और बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं इसलिए उचित यह होगा कि कट मोशन पर ही आप बोलने के लिये सीमित रहें और उस पर ध्यान रखें जिससे गवर्नमेन्ट रिप्लाई भी उसी पर आ सके।

श्री सभापति : श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने सामान्य प्रशासन, पुलिस और इण्डस्ट्रीज विभागों के बारे में कट मोशन्स दिये हैं। मैं सामान्य प्रशासन और इण्डस्ट्रीज, पुलिस इन सबके बारे में तो ज्यादा बात नहीं निवेदन करना चाहता। सामान्य प्रशासन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के बारे में माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि लगभग 8 लाख रुपये का प्रोवीजन लोक आयुक्त के लिये किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि लोक आयुक्त की नियुक्ति होने के पश्चात् कितने केसेज उनके पास भेजे गये और कितने केसेज नहीं भेजे गये। यदि एक भी केस नहीं भेजा गया तो क्या यह सब गप्प लगाने के लिये ही आठ लाख रुपया बर्बाद किया जा रहा है। यह एक मेरा पर्टीक्यूलर प्रश्न है और माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे इसका जवाब देंगे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सतर्कता आयुक्त की तरफ से कई केसेज के बारे में आई. ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ चार्जेज थे। एक आई. ए. एस. अधिकारी श्री राजेन्द्र जैन के खिलाफ भी थे और उसको माननीय बरकत साहब ने सस्पेन्ड भी किया था। मैं जानना चाहता हूं कि सतर्कता आयुक्त, जिस पर लाखों रुपया व्यय कर रहे हैं वह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके तथ्यों को सामने लाता है। उसकी रिपोर्ट के बाद आपने कितने केसेज में और क्या कार्यवाही अब तक की है? सदन में प्रश्न आता है, फलां केस में 8 साल से, एन्क्वायरी चल रही है, दस साल से चल रही है और किसी में तीन साल से चल रही है परन्तु कोई फैसला ही नही होता है और अफसर अपनी जगह पर काम करता रहता है। मामूली से कर्मचारी के खिलाफ आप तत्काल कार्यवाही करके अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं परन्तु बड़े अधिकारियों के खिलाफ ऐसा क्यो नहीं करते? मैं जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि नन्दाजी बोले थे, सो वो चले गये।

एक माननीय सदस्य : आप तो चिकने घड़े हैं, आप निश्चित रहिये। आपका कुछ नहीं होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं चिकना घड़ा हूं या नहीं हूं लेकिन धोलपुर से आने वाले और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में पुलिस और हम सब जैसे मिलकर, मुझे क्षमा करेंगे—ऐसा नहीं कहना चाहिये, मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं—अब उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा।

श्री दीपंकर : रकम आपस में मिल बांटते हैं।

श्री श्रीराम गोटावाला : अफसोस है कि उसका बंटवारा आप तक नहीं पहुंच पाता।

सामान्य प्रशासन की बातों में मुझे मालूम हुआ कि टूरिज्म का भी सब्जेक्ट आज ही है, मैं नहीं कह सकता कि माननीय मन्त्री महोदय जवाब देने की स्थिति में हैं या नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज सारे मन्त्रियों को उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि सामान्य प्रशासन सभी मन्त्रियों से सम्बन्धित है। यदि नहीं है तो केवल रामजीकाक को ही क्यों नहीं स्वागत करने के लिये सबके लिए लगा दिया जाय। एक्च्युअली, इसमें सारी चीजें आती हैं तो निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन की जो मनोवृत्ति आज

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हम देख रहे हैं, जिस मनोवृत्ति के साथ जिस ढंग से जो यह सारा ढांचा चल रहा है उस सारे ढांचे में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा और उस परिवर्तन में एक बात और निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक सुधार के नाम पर एक ऑफिसर और नियुक्त न करवा दें।

श्री सभापति : (श्री दीपंकर के बोलने पर) माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो स्वागत् सत्कारवाली बात कह रहा था। अब जो सबजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है मैं इण्डस्ट्रीज की तरफ आना चाहता हूं। इण्डस्ट्रीज की तरफ जो मुख्य सचिव महोदय हैं उन्होंने आज एक प्राजेक्ट पेपर सरक्युलेट किया था अपने हस्ताक्षर से उसमें उन्होंने एक बात कही कि:

"Assistance from financial institutions to industries and assistance of the Reserve Bank to co-operative institutions also has not come to Raiasthan in large measures. The total investment in the Central Sector Industrial Projects in Rajasthan constitutes only 2.8% of the total. Similarly, the assistance by the Industrial Development Bank in Rajasthan is low. Advances made by the commercial banks also indicate that Rajasthan's share is 1% as against 30% advances given in Maharashtra, 19% in West Bengal, 11% in Tamil Nadu and 6% in Gujrat. per capita investment by these banks in Rajasthan is only Rs. 18.2 as against Rs. 69.4 in the country as a whole and Rs. 231.6 in Maharashtra, Rs, 136.7 in West Bengal, Rs. 107.6 in Tamil Nadu and Rs. 89.7 in Gujrat."

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम सेन्ट्रल असिस्टेन्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट के द्वारा लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और तीसरी स्थिति हमारी यह है कि हमारे यहां जिंक स्मेल्टर के लिए जिसकी 18 हजार टन की कैपेसिटी है उसके बारे में उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते थे और वह 45 हजार टन की इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिये कहा। पर आपके यहां बिजली की सप्लाई नियमित नहीं है और हमारे कारखाने चल रहे हैं। आपके यहां न बिजली मिलता है और न पानी की सप्लाई है। सवाई माधोपुर में जिंक स्मेल्टर का कारखाना लगाने का सवाल आया और पता नहीं किस तरफ से विरोध हुआ लेकिन मुझे शक है कि जिस प्रकार से तेल शोधक कारखाना मथुरा गया उसी प्रकार से कहीं यह कारखाना न चला जाय। तीसरी बात सेन्ट्रल असिस्टेन्स के सन्दर्भ में अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितनी सेन्टर की इनवेस्टमेन्ट हैं सांभर साल्ट है तो वह तो हमारे यहां ही होगा, दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसी तरह से खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की भी बात आती है और जिंक

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

स्मेल्टर की भी बात आती है। इन तीनों कारखानों के लिए रॉ-मेटेरियल हमारे यहां है। रॉक फॉस्फेट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं और जब मैंने बजट पर सामान्य बहस हुई थी उस समय भी निवेदन किया था कि रॉक फॉस्फेट का जब तक आप बेनीफिशियरी प्लान्ट नहीं लगायेंगे और पाइराइट के साथ जोड़कर खाद का कारखाना नहीं लगायेंगे तब तक सारे काम का डवलपमेन्ट नहीं कर सकते। सभापति महोदय, सर्वेक्षण से पता चला है कि सीकर जिले के सलादीपुरा क्षेत्र में 21.63 प्रतिशत वाले 11.16 करोड़ टन पाइराइट का भण्डार है जिसका मूल्य 28.69 करोड़ रुपये आंका जाता है। इस भण्डार पर आधारित खाद के कारखाने की स्थापना के संबंध में 1969 से केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार विचार ही करती आ रही है। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण राज्य सरकार इतनी बड़ी योजना का भार अकेली ढो सकने में असमर्थ है। भारत सरकार के राजकीय उपक्रम विभाग में इस खाद कारखाने के लिये योजनायें पिछले पांच वर्षों से चली जा रही है किन्तु राजस्थान का केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में कोई विशिष्ट प्रभाव न होने के कारण उन पर अमल नहीं हो रहा। 220 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है सलादीपुरा के खाद के कारखाने का। अब विवाद इस बात का है कि यह कारखाना कहां लगे? उस विवाद के अन्दर उलझे रहे और उसकी वजह से यह प्राजेक्ट हमको नहीं मिला और अब तो ऐसा लगता है कि सारे देश की जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, राजस्थान में इस कारखाने के लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हम राजस्थान के विकास को किस प्रकार से गति देना चाहते हैं। आज यहां पर जितने भाषण हुए उन भाषणों से ऐसा लगता था कि शायद राजस्थान में इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जिस इण्डस्ट्रियल मिनरल डवलपमेन्ट की आलोचना यहां पर की गई, इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के बारे में आलोचना की गई-मैं इतना कहता हूं कि हुआ तो है इसमें शक नहीं। 20 हजार इण्डस्ट्रीज हमारे यहां लगी हैं लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जितनी फैसेलिटीज हमको देनी चाहिए थी वह नहीं दे पाये। स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी एक विन्डो सिस्टम के बारे में। मुझे पता नहीं कि घोषणायें कहां अटकती हैं। कौन से स्वार्थ इस राजस्थान के डवलपमेन्ट को रोक देना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं? हमारी सरकार और हमारा दल दिलचस्पी लेकर चलता है कि किस प्रकार से राजस्थान के अन्दर अधिक से अधिक लोग आयें और अपने धन्धे लगायें और हम लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आयें लेकिन समझ में नहीं आता कि मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार की घोषणा करते हैं और उन्होंने लघु उद्योग निगम में कहा और आज तक वह घोषणा कार्यान्वित नहीं हुई।

सभापति महोदय, सन् 70 में इण्डस्ट्रीज को कुछ छूट दी गई और जिसमें कहा गया कि सेल्स टैक्स में छूट देंगे और दूसरी चीजों में छूट देंगे लेकिन उसके नियम 1974 तक नहीं बने। यह जानकर मन में थोड़ी तकलीफ हुई। यह परेशानी किस

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
जगह पर है और कौन ताकतें हैं जो कि हमको नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं। कई बार हमारी सरकार की ओर से इस प्रकार के स्टेटमेंन्ट आये कि बिजली हमारे पास बहुत सरप्लस है, राजस्थान के पास रॉ-मेटेरियल और सारा का सारा मिनरल बेस्ड मेटेरियल है और इसके अलावा राजस्थान के पास कुछ नहीं है। सभापति महोदय, एक बार यह कहा गया कि राजस्थान के पास 15 लाख यूनिट फालतू बिजली है मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी करता हूं कि जो सारी इण्डस्ट्रीज जयपुर में हैं और जयपुर के आसपास में हैं सब के सब पावर की शॉर्टेज की वजह से आज ही अखबार में पढ़ा था कि दिन में उनको पावर नहीं दी जावेगी। सारा लेबर में असन्तोष होगा और ले आउट होगा और अननेसेसरी बहुत बड़ी ट्रबल पैदा होगी। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे मन्त्रीगण जिस बात के लिए कहें बहुत सोच समझकर कहें क्योंकि आपने सारे हिन्दुस्तान में हल्ला मचवा दिया कि हमारे पास बिजली बहुत सरप्लस है लेकिन असलियत दूसरी ही है। आप जिस बात को कहना चाहते थे या तो होना यह चाहिए था कि सारी चीजों को आप कहते ही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

अभी तो शुरूआत ही की है।

श्री सभापति : समय मेरे पास इतना ही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : समय की तो शुरूआत ही हुई है।

श्री सभापति : आप संक्षेप में ही जो कह सकते हैं वह कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खाली पाइन्ट ही बोलूंगा। तो मैंने सेन्ट्रल असिस्टेन्स को जिन उद्योगों में लेने का बात कहा था, मुख्य उद्योगों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया।

टूरिज्म की एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा ने टूरिज्म को बहुत डवलप किया है और आज हमारा राजस्थान भी टूरिज्म के मामले में पिछले वर्षों में काफी आगे बढ़ा है। टूरिज्म से राजस्थान को बहुत बड़ी आमदनी हो रही है लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नये स्थान कोई डवलप नहीं किये। राजस्थान में काफी ऐतिहासिक स्थान हैं, राजस्थान में प्राकृतिक दृश्य इतने हैं कि उनको ठीक ढंग से सुनियोजित कर सकें तो राजस्थान बहुत बड़ी इनकम दे सकता है। टूरिज्म हमको आज 1½ करोड़ रुपये की साल की फॉरेन एक्सचेन्ज कमाकर देता है उसमें अकेले जयपुर का बहुत योगदान है। आपने सिटी को पिंक करने के प्रयत्न किये उसके लिए तो मैं स्वागत करता हूं, शहर सारा गुलाबी रंगवाया और मुख्य मन्त्री जी ने पहल की लेकिन इसके साथ ही साथ जब गन्दगी के ढेर पड़े रहते हैं और 'जय गुरूदेव' के नारे के पर्चे शहर की दीवारों पर लगे हुए हैं, '1½ लाख गायें रोज कटवाते हैं' और इस प्रकार की बातों को आपका पुलिस विभाग देखता रहे तो थोड़ा मन में फिर तकलीफ होती है कि आखिर यह क्यों हो रहा है। जो इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं कि 23 जनवरी को सुभाषचन्द्र बोस

(श्री श्रीराम गोटेलाल)

प्रकट होंगे और वह फरार हो सकते हैं और उनके अनुयायी यहां की दीवारों को बिगाड़ते रहें और आपने लाखों रुपया खर्च किया और वह आपकी योजना को रद्दी करते हैं और आप और हम तमाशा देखते रहें तो मन में तकलीफ होती है।

सभापति महोदय, मैं टूरिज्म की बात कर रहा था और मैंने उस रोज भी ध्यान दिलाया था कि जल महल पैलेस रास्ते में पड़ता है। वह ऐसी स्थिति है कि वह गन्दा महल कहा जाये तो वही ज्यादा वाजिब होगा। इतनी सुन्दर जगह और इसे इस ढंग से बिगड़वाया है कि उसके बारे में क्या निवेदन करूं। 30 लाख रुपये का प्रोवीजन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के नाम पर करते हैं और खर्च धेला भी नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो जयपुर को ब्यूटीफाई करने का बात करते हैं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 22 वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (मन्त्री, संसदीय मामलात): सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 22 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14 मार्च, 1975 को सायं 5 बजे हुई। माननीय सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति निम्न सिफारिश करती है:

(1) मांगों के प्रत्येक दिन प्रत्येक दल सचेतक के वाद-विवाद में भाग लेने वाले अपने दल के सदस्यों की एक सूची अध्यक्ष महोदय को देंगे और वाद-विवाद में वे ही सदस्य भाग ले सकेंगे चाहे कटौती प्रस्तावों को सूचना अन्य माननीय सदस्यों ने भी दी हों।

(2) साधारणतया सदन की बैठक रात्रि 8.00 बजे के पश्चात नहीं चलेगी।

(3) दिनांक 25 मार्च, 1975 को सदन की बैठक प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक होगी।

(4) अनुपूरक अनुदान, 1974-75 की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना दिनांक 22 मार्च, 1975 के अपराह्न 1.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेंगी।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रगट करता है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

मांग संख्या 16, 41, 42 व 5 पर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो माननीय सभापति जी, ट्यूरिज्म के बारे में मैं निवेदन कर रहा था और ट्यूरिज्म के साथ में जल महल की बात कही थी और उसके बाद जलमहल से चल कर नाहरगढ़ फोर्ट और इन पहाड़ियों की सुन्दरता के बारे में

Page No 167

(167)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

श्रौर इन पट्टिकाश्रों के बारे में निवेदन करते हुए श्रापसे यह निवेदन करूंगा कि श्रगर टूयूरिज्म डिपार्टमैंट हरियाणा की तरह से पहल लेकर इन स्थानों को डवलप करे तो राजस्थान के विकास की बहुत बड़ी सम्भावना है। धोलपुर में मैंने वन विहार को देखा, इतनी सुन्दर जगह है, इतना सुन्दर स्थान है इसको श्रगर डवलप किया जाय तो निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए बहुत श्रच्छी चीज हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

खाली पॉइन्ट ही बोलूंगा साहब। एक साहब मैंने....

श्री सभापति : श्राप जल्दी समाप्त करें, काफी टाइम ले चुके हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी तरफ से देरी नहीं होगी साहब।

मैं होटल के बारे में कह रहा था कि राज्य सरकार यह टूयूरिज्म कॉर्पोरेशन बना रही है। होटलों के श्रन्दर जितने बैड्स चाहिए जितने स्टार होटल्स हैं उनके वहां पर जो छः सौ बड्स की कैपेसिटि है उसके मुकाबले जो भारत सरकार का सर्वेक्षण हुश्रा था उससे पता चला कि यहां पर 1800 बैड्स चाहिए। इसकी व्यवस्था करने के बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिये।

इण्डस्ट्रियलाईजेशन के बारे में जो सबसे बड़ी चीज है वह ब्रोडगेज लाइन है। इस ब्रोडगेज लाइन के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी इस बाबत भारत सरकार का ध्यान श्राकर्षित कर चुके हैं कि ब्रोडगेज की यहां के लिए, इस प्रान्त के लिए कितनी बड़ी श्रावश्यकता है। श्रगर उद्योगों को बढ़ाना है, पिछड़े हुए राजस्थान में उद्योग बढ़ाना चाहते है यह बहुत जरूरी चीज है श्रौर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ब्रोडगेज का होना बहुत श्रावश्यक है।

इसके साथ ही मैं कहूंगा कि गृह उद्योगों के बारे में, लघु उद्योगों के बारे में, इन लोगों के बारे में विशेष रूप से विचार करें इसलिए निवेदन करना है कि जो स्टेट के बाहर के लोग हैं वे इस श्रोर श्राकर्षित होते हैं। श्रापका स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का कार्य बहुत सराहनीय है, मुझे इसमें कोई श्रापत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है लेकिन इतनी बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी यह बात कही थी कि जवाहरात उद्योग के बारे में श्रापको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। करोड़ों रुपये साल के यह जवाहरात उद्योग फॉरेन एक्सचेंज कमा कर देता है। केवल मात्र यह बात कह कर सारी बात को दूर कर दें कि यह बड़े लोगों की बात है यह उचित नहीं है। बाहर के विदेशी लोग इन सारी चीजों को खरीदते हैं। श्रापके बिक्री कर की वजह से सारी दिक्कत है तो इस बारे में बैठ कर विचार करना चाहिये श्रौर सरकार को कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

यहां पर मूर्तिकला का उद्योग राजस्थान का बहुत बड़ा उद्योग है श्रौर इसके लिए श्रापने बांसवाड़ा के श्रन्दर जो प्रशिक्षण केन्द्र खोला है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं श्रापसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

में इसके ऊपर हजारों लोग आश्रित हैं, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले सारे इस काम पर चल रहे हैं, उनके प्रशिक्षण की और उनके तैयार माल की बिक्री की की व्यवस्था करें तो उचित रहेगा। इसके साथ ही रंगाई, बंधाई, छपाई, बुनकरों का काम है जिसमें राजस्थान के लाखों लोग बुनकरों का धन्धा करते हैं। पावर-लूम के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा है उसको मैं रिपिट नहीं करता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज ऑफिसर हैं उनके जिम्मे आप जिम्मेदारी डालें कि वे सारे काम को देखें और हिन्दुस्तान में जो इन उद्योग धन्धों को सामान देते हैं, सुविधाएं देते हैं वही सारी सुविधायें मिल जायं।

आर. आई. एण्ड एम. डी. सी. के बारे में कई बातें कही गई, कुछ बातें मुझे लगता है शायद गलत आधार पर कह दी गई हों लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी अपनी रिपोर्ट में एक दर्जन आशय पत्र प्राप्त हुए यह इस रिपोर्ट में कहा गया है और उसके बदले में केवल तीन के ऊपर काम शुरू किया जा सका और जैसा कहा गया है कि चेतक, राणाप्रताप के घोड़े के नाम पर अपने स्कूटर का नाम चेतक रखा गया और चेतक कब मार्केट में आयेगा इसकी भी कोई गारन्टी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि करीब दो लाख रुपये महीना तनख्वाह के आप आर. आई. एण्ड एम. डी. सी. में देते हैं, मैं विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एस्टेट और इन सबकी तो सराहना करता हूं लेकिन साथ ही मैं यह बात भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई बात नहीं कहता कि उनको वहां पर अधिकारियों को इतना ऊंचा वेतन देकर रखा गया है या किसी प्रकार की आपाधापी होती है वह तो होगी, मेरे और आपके रोकने की क्षमता तो मैं नहीं मानता, मेरी क्षमता तो मैं नहीं मानता, लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार भारत सरकार के मन्त्री पाई साहब ने क्लियर कह दिया कि इन उद्योगों में दस पर्सेंट लाभ देना होगा और अगर नहीं दे सकते हो तो सर्विस छोड़कर ले जाइये। इसी प्रकार के सख्त आदेश आपको भी देने पड़ेंगे। यह क्या मखौल है कि हमारे एरिया के लिए कोटा सैंक्शन हो जाय, जोइन्ट सेक्रेटरी इसके बारे में बात करना चाहें और इनकी सारी बातों का पता ही न हो, कोई इनीशियेटिव न लिया जावे ? आज कलकत्ता, बम्बई और दूसरी जगहों के लोग जो हैं, हमारे शेखावाटी के लोग जिन्होंने हिन्दुस्तान के हर कोने में जाकर उद्योग स्थापित किए हैं और आज भी करते हैं उनसे जब भी बात करते हैं तो वे यही जवाब देते हैं कि भाई आपके यहां जाकर करें क्या ? जो मुख्य मन्त्री वन वे सिस्टम को लागू करा दें, उस सर्वेक्षण को एग्जीक्यूट करा दें, यहां पर सारी बातों की व्यवस्था करा दें तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है हिन्दुस्तान में बिहार के बाद में जहां पर इतना खनिज है जिसमें 80 हजार करोड़ का धन धरती में छिपा हुआ है और उसको निकाका क्षमता भी हम में है। मैंने जैसा जिक एस्मेल्टर के बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
खाद कारखाने के बारे में निवेदन किया

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी जारी)

समाप्त कर रहा हूं साहब। इन सारी बातों को निवेदन करता हुआ यही बात कहता हूं कि स्माल स्केल इण्डस्ट्री के अन्दर हमारे यहां के छोटे छोटे जो इन्जीनियर्स आए हैं उनके लिए आपकी योजना है वह बढ़िया योजना है मैं इसका स्वागत करूंगा। इसके साथ ही जो नये धन्धे कायम किये जाते हैं उसके अन्दर उनको खर्च करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगर उनको पांच रुपये भी खर्च करने हों तो आपके अफसरों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी और इससे उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में आप ध्यान दें और कोई रास्ता निकालें हमारे यहां पर जो बेकार इंजीनियर्स हैं, जो हमारे यहां पर उनके लिए काम का संकट है और इस सारी शक्ति को जिस तरह से हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस प्रकार से ढालना चाहते हैं कि जिससे राजस्थान में रोजगार की प्रोब्लम न रहे और राजस्थान की धरती का धन बाहर निकल कर आए, सारे काम धन्धे और रोजगार के साधन उपलब्ध हो जावें।

अब जो भी दिक्कत आती है उस दिक्कत के बारे में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट····

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, आप बहुत समय ले चुके हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिनिट।

श्री सभापति : नो, अब पहले ही बहुत समय ले चुके हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अच्छा साहब, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह !

(व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान-अश्रव्य)

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों ने इस सदन में अभी कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन अभी अभी स्वीकार किया है और उसको स्वीकार करने के अनुसार ही माननीय मुख्य सचेतक ने जो सूची दी है मैं उसके अनुसार ही अब आगे की कार्यवाही चला रहा हूं।

श्री बनवारीलाल : यह सूची बगैर पूछे कैसे बन गई।

श्री खेतसिंह : आपको पूछने का जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सदन में इसकी चर्चा न करें, कृपया बाहर बात कर लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि राजस्थान के अन्दर जिस पर्सेन्टेज के हिसाब से, जिस संख्या से क्राइम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए····

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्थान के अन्दर पुलिस फोर्स की संख्या काफी कम है और उसको बढ़ाया जाना आवश्यक है। पिछले साल भी मैंने इस प्रकार की मांग इस सदन के अन्दर, जब विभाग की मांग पर चर्चा चल रही थी, उस समय की थी। जो पुलिस विभाग का विवरण पुस्तिका के तौर पर वितरित हुआ है, उसको देखने से यह ज्ञात होता है कि हमारे यहां पर क्राइम के अन्दर 13 पर्सेन्ट का इजाफा हुआ है। उसके बावजूद भी जो पुलिस फोर्स है, जो पिछले साल थी और उसके पहले के दो-तीन साल पहले थी वह पुलिस फोर्स आज भी राजस्थान के अन्दर है। मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो रिपोर्ट उनके विभाग की तरफ से आयी है, उससे इस बात का वर्णन किया है कि इसके अन्दर काफी बड़ी संख्या में झूठे क्राइम पाये गये। इसकी संख्या बढ़ी है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम इनके इन्वेस्टीगेशन के अन्दर समय लगता है, पुलिस फोर्स को समय देना पड़ता है इससे उसका कार्यभार हलका नहीं हो जाता है। चाहे झूठे केस हो, चाहे सही केस हों उनको तफतीश के अन्दर उनको समय देना पड़ता है। इस हिसाब से, पर्सेन्टेज के हिसाब से क्राइम बढ़े हैं और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके कई गम्भीर परिणाम सरकार के सामने निकट भविष्य में आने वाले हैं जिस प्रकार का राजनीतिक दलों का आचरण हो रहा है प्रजातन्त्र के अन्दर, आज भी आपकी रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है, जो आन्दोलन हुए हैं वे आन्दोलन काफी हिंसात्मक हुए हैं, इसके बारे में यहां पर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह दलील दी कि यह पूंजीवादी व्यवस्था का देन है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। जो 72 व 74 की रिपोर्ट में कारण बताये गये थे पुलिस विभाग की तरफ से, मैं उन कारणों से सहमत हूं। जैसे जैसे औद्योगीकरण बढ़ा है, जैसे जैसे लोगों में शिक्षा बढ़ी है और वेस्टर्न कल्चर का जो इम्पेक्ट पड़ा है जो हमारी भौतिकवादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, उस कारण से हमारे यहां पर क्राइम में बढ़ोतरा हुई है। केवल यह कहना कि यह पूंजीवादी व्यवस्था की देन है, लोगों को भ्रमित करना है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की देन नहीं है। सभापति महोदय, कम्युनिस्ट कन्ट्रीज में क्राइम होते हैं, उनके लिए कोई अदालत नहीं है। एक ही दिन में सब कार्यवाही हो जाती है, एक ही दिन में ट्रायल हो जाती है और सजा सुना दी जाती है। प्रजातन्त्रीय देश जिनको आप कहते हैं, वहां इस प्रकार से नहीं चल सकता है। भारत पूंजीवादी देश नहीं है। हम इसे पूंजीवादी देश नहीं कह सकते। हमारा घोषित सिद्धान्त है—समाजवादी समाज की रचना करना। इसे आप प्रजातन्त्रीय प्रणाली के दोष कह सकते हैं। यह दोष है। उनका प्रचार होता है हर चीज सामने आयी है। कोई बात छिपाई नहीं जाती है। साम्यवादी देशों में ऐसा नहीं होता और वे चीज को, तथ्य को छिपाने की कोशिश करते हैं। उसे सामने नहीं आने देते, वे कानून का सहारा नहीं लेने देते और उनके जो ऑफिसर या नेता

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हैं उनका शब्द ही कानून होता है और सजाएं होती हैं·······

श्री मोहरसिंह : ऐसा नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, एक छोटा सा सुझाव और देना चाहता हूं। शुरू के अन्दर, सरकार के पास अर्थाभाव है, उस कारण से वह एकदम पुलिस फोर्स नहीं बढ़ा सकती। मैं इस अवसर पर पुराने जमाने की चौकीदारी प्रथा की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा सुझाव है कि आप एक्सपेरिमेन्टल तौर पर एक दो जिलों के अन्दर इस प्रणाली को शुरू करें। पुराने जमाने की चौकीदारी प्रथा को पुनः शुरू करें। इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। पुराने वक्त में गांवों में ऐसे क्राइम होते थे तो अदम सबूत अदम बकवा डिस्पोज आफ हो जाते। इसको फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आज गांवों में पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था करने के लिए पार्ट टाइम कर्मचारी आप रख रहे हैं, फिर उसी प्रकार से चौकीदारी सिस्टम भी शुरू करें। यह सिस्टम हमारे यहां पर इन्ट्रोड्यूज करें। हमको इससे सफलता मिलेगी क्राइम को रोकने लिए।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं–आज राजस्थान काफी भाग्यशाली है इस बात के अन्दर कि और प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वे बहुत कम हैं – ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए है – परन्तु और प्रान्तों के मुकाबले यहां पर कम ऐसी वारदातें हुई हैं। लेकिन मैं सरकार से आपके जरिये, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में हम पहल करें, और कार्यवाही करें। अभी थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरिजनों के वेलफेयर के लिए, उनकी शिकायत सुनने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में एक सेल कायम किया, आप भी अपने यहां पर यह शुरू कीजिये। आप भी इसके लिए एक डी. आई. जी. नियुक्त कर दीजिये। बहुत-सी डी. आई. जी. की पोस्ट हैं जिनके पास काम भी ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई नई पोस्ट क्रियेट न करिए, उन्हीं में से एक डी. आई. जी. का हरिजनों के वेलफेयर के लिए मुकर्रर कर दीजिये, जो उनकी शिकायतों को सीधा सुन सके। इससे हरिजनों को काफी लाभ होने वाला है, ऐसी मेरी मान्यता है।

सभापति महोदय, एक और सुझाव आपके जरिए से सरकार को देना चाहता हूं। यह बहुत छोटा सा सुझाव है आपके यहां से, थानों से बहुत से एस. एच. ओ. ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता और दूसरी जगह भेजे जाते हैं। वे लोग साइन्टिफिक तरीके सीख कर आते हैं। जब वे वहां से लौटकर आते हैं तो उनके पास किसी प्रकार से इनवेस्टीगेशन करने के लिए एपरेटस नहीं होते हैं और न दूसरा साज सामान होता है जिससे वे क्राइम को डिटेक्ट कर सकें। मेरा सुझाव है कि जिन लोगों को आपने ट्रेनिंग के लिए भेजा है, जो ट्रेण्ड होकर आपके यहां आ गये हैं उनके लिए साज सामान की व्यवस्था करें ताकि वे उपयोगी साबित हो सकें।····

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अब मैं एक थोड़ा सा सुझाव आपके जरिए सभापति महोदय मुख्य मन्त्री को देना चाहूंगा। इस सदन के अन्दर पिछले कई सालों से इस बात की मांग चल रही है कि आप अपने यहां के कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज के तौर तरीके को बदलें। आज होता यह है कि किसी ऑफीसर के खिलाफ शिकायत है, उसकी डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है। पहले चार्जशीट देने की स्टेज आती है। चार्जशीट पहले कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट देता है और उसमें डिपार्टमेन्ट महिनों लगा देता है। महिनों हो जाने पर चार्जशीट दी जाती है और उसके बाद उसकी प्रोसिडिंग शुरू होती है डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की। आपको ताज्जुब होगा, ऐसे सवाल इस सदन के अन्दर पूछे गये हैं जिनका उत्तर भी आया है, सैकड़ों ऐसे केसेज हैं कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज के यहां जिनको चलते चलते दो-दो, तीन-तीन वर्ष हो गए हैं। इससे शिकायत की और जांच की जो मन्शा है वह मर जाती है समय के व्यतीत होने पर। इसको जल्दी निपटाये जाने के बारे में आप कार्यवाही करेंगे तो लाभ मिलने वाला है। अभी एक प्रश्न इस सदन में आया था, माननीय मन्त्री महोदय, भेड़ व ऊन विभाग ने जिसका उत्तर दिया था, कुछ केसेज हैं ऐसे व्यक्तियों के जिनके खिलाफ 67/68 की शिकायत हैं, सीरियस चार्जेज हैं लेकिन इन पर कार्यवाही, डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी अभी पूरी नहीं हुई और उनको एडहॉक प्रमोशन दे दिए गए। यह तौर तरीका है, सीरियस चार्जेज हैं जिनके खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज जिनके खिलाफ चल रही हैं उनको एडहॉक प्रमोशन देकर असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बना दिया गया है। कम से कम सरकार को इस ओर देखना चाहिये। डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी बैठती हैं, उसको या सरकार को ऐसा सर्क्यूलर निकालना चाहिये जिसका नियमों में भी प्रावधान हैं कि जिनके खिलाफ एलीगेशन हैं, इन्क्वायरीज चल रही हैं, उनको कम से कम प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए····

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर!

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, पांच मिनिट ······

(व्यवस्था-सूचक-घन्टी)

मेरा नियम है, मैं घन्टी नहीं बजने देता हूं।

सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। विवादास्पद विषयों पर मैं बोलना नहीं चाहता। हमारे पुलिस विभाग में बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। कुछ कमजोर अधिकारी भी हैं—समाज से निकले हुए हैं, जिस समाज में आप और हम हैं उसी समाज से अधिकारी निकले हैं। अभी आपने जो आंकड़े दिए हैं, हर साल क्राइम बढ़ रहा है। यह जो आंकड़े हैं वे यह बताते हैं 520 आदमियों पर अभी एक अपराधी है बहुत अच्छा है 200 वर्ष लगेंगे जब कि एक आदमी पर एक अपराधी होगा। यह बात नहीं है कि पुलिस वाले ही

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

अपराध कराते हैं और समाज के व्यक्ति नहीं। जिस मोरेलिटी की, जिस समाज की हम व्याख्या करते हैं और गणराज्य होने का दावा करते हैं इसमें अपराध बढ़ते जाते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है। जहां नये समाज का, नये राष्ट्र का और जनतन्त्र का अभ्युदय होने जा रहा था वहां बन्दूकों और संगीनों की नोकों के बीच में जनतन्त्र जी रहा है तब पुलिस के महकमे की उस तरह की कल्पना करना संभव नहीं है।

दूसरे विभाग उद्योग विभाग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मैं बधाई दूंगा उद्योग विभाग को कि उन्होंने मेरी सारी परेशानियों को हल कर दिया। जो बातें मैं कहना चाहता था उससे ज्यादा कह दीं उद्योग विभाग को राजस्थान में खुले हुए 27 साल हो गये। क्या तरक्की हुई इसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहा गया है वह जानकारी में पढ़ कर सुना देता हूं। इतने लेटर आप इन्टेन्ट हमने रिकमन्ड किये। इतने लाइसेंन्स मिले और उनमें भी इतने काम विचाराधीन हैं। जो कुछ चल रहे हैं वह बरसों से चल रहे हैं। एक भी नया चालू नहीं हुआ है। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से लेटर ऑफ इन्टेन्ट या लाईसेन्स इश्यू होते हैं उनमें से यहां पर जितने पर भी हैं सब में यह कहा है कि विचाराधीन है या खनन का कार्य चल रहा है या प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए पूंजीपतियों से बात चीत करने की सोच रहे हैं। इस तरह से उद्योग विभाग की एक अच्छी रिपोर्ट सदन के सामने लाकर मुझे छुटकारा दिला दिया इसलिए मैं उद्योग विभाग को बधाई देना चाहता हूं।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। वह बात यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सैकण्ड पंचवर्षीय योजना में हमने दो प्लान्ट लगाने का तय किया था भीलवाडा में। भीलवाडे से मेरा सम्बन्ध है क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं। एक तो माइका ग्राइंडिंग प्लांट और दूसरा फंसल्यार के लिए बेनिफिशियट प्लॉन्ट का तय किया था। उनको सेकण्ड प्लान में नहीं लिया गया. थर्ड पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया गया, फिर जब चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो चौथी पंचवर्षीय योजना मे भी नहीं लिया गया। 15 साल निकल गये और अब फिफ्थ फाइव ईयर प्लान चल रहा है उसमें रिपीट किया। तो चार पंचवर्षीय योजनाओं में तो नहीं लिया गया और अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लेंगे। ता यह मंत्री महोदय के हक में है कि राजस्थान के विकास की संभावनाएं बहुत बढ़िया हों। हम इनको फर्स्ट फाईव ईयर प्लान से रिपीट करते आ रहे हैं तो इनको फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में लगाने की आशा करता हूं।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइका राजस्थान में भीलवाड़ा में होती है। वहां पर 1960 में 28 हजार मजदूर काम करते थे लेकिन अब 800 मजदूर काम करते हैं, और केवल एक फैक्ट्री है और दूसरी फेक्ट्री प्राईवेट एक बाम्बे वाला है उसने लगाना शुरू किया है माइक की ईंट बनाने की।

मैंने पहले भी निवेदन किया था अधिकारियों से कि आसाम में जो रहट में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
एक रीजनल लेबोरेट्री है उसमें 175 लोकल प्रोडक्ट्स के आधार पर कौन सी इण्डस्ट्री डवलप की जा सकती है उस पर काम होता है । राजस्थान में इतनी बड़ी सम्पदा पड़ी हुई है । क्या मैं आशा करू कि ऐसी कोई रीजनल लेबोरेट्री एस्टेब्लिश करके राजस्थान का उद्धार करेंगे, राजस्थान का डवलपमेंट करेंगे । इससे ज्यादा मैं और कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद । बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह ।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, मैं अपने बजट के भाषण के दौरान ही यह निवेदन कर चुका हूं कि हमारी जो उद्योग-नीति है वह मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के आधार पर है, और उसी आधार पर हम चले हैं । परन्तु एक जो कमी रहती है वह इसी बात की रहती है कि हमने आज तक प्राईवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज हों उनका डिज़ाइन करने के अन्दर कोताई की है । लेकिन इससे ऐसा लगता है कि जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लिये बढ़ते ही चले जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर अपना उचित स्थान ले सकेगा इसके बारे में समझ में नहीं आता है । प्राईवेट सेक्टर में जो लोन्स दिये जाते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर जा उसके लिए क्रियेट किया जाता है बिजली आदि का या कुछ और उसमें भी करीब करीब 60 पर्सेन्ट लोन में एक तरह से पब्लिक मनी मिलता है । इसलिए वह भी करीब करीब पब्लिक सेक्टर जैसी चीज मिलती है, लेकिन फिर भी अपर हैण्ड उसी का रहता है । मैं तो यही निवेदन करूंगा, हमने यह मिश्रित अर्थ-व्यवस्था इसलिए रखी थी क्योंकि हमारे पास उद्योगों में अनुभवी व्यक्ति नहीं थे । दूसरे हम डमोक्रेसी सोशियेलिस्टक के रूप में चलना चाहते थे तानाशाही रूप में नहीं चलना चाहते थे चाहे वह किसी प्रकार की हो । इसलिए हमने यह रखी थी लेकिन आज जिस की वजह से हमको यह देखने को मिलता है, बड़ी इन्डस्ट्रीज है उनको प्राइवेट सेक्टर में देते हैं जबकि इनको पब्लिक सेक्टर को देना चाहिए था जैसे कि सीमेन्ट की इण्डस्ट्री है । हमने गवर्नर के भाषण में स्वयं ने जिक्र किया था कि ब्यावर में सीमेंट फेक्ट्री होगी, जयपुर में सीमेंट फेक्ट्री होगी, मिनी स्टील प्लान्ट जोधपुर में होगा, आदि । इस प्रकार की बेसिक इण्डस्ट्रीज, खाद की इण्डस्ट्री होनी चाहिए, यह तो कम से कम पब्लिक सेक्टर में ही रखना चाहिये । इसके अलावा जहां पर 60 पर्सेन्ट से अधिक गवर्नमेंट का अगर भाग होता है तो उनको भी पब्लिक सेक्टर के अन्दर लेकर क्लियर करना चाहिये और कोई ऐसा फार्मूला बनाना चाहिये जिससे दूसरी इण्डस्ट्रीज को लिया जा सके । आज तक आप कॉमशियल और टेक्निकल सर्विस जो कि एक अलग तौर से आपको बनानी चाहिये थी वह नहीं बना सके । हम केवल आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उन्हीं पर ज्यादा आधारित रहते हैं । राज्य करने वाला है वह व्यापार क्या कर सकता है । वह हुक्म चला सकता है, और इसलिए अभी भी यह स्थिति देखने में आती है कि हमारे पब्लिक सेक्टर में जो इण्डस्ट्री हैं उनमें काफी घाटा और नुकसान होता है । मैं आप से अर्ज

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

करूंगा कि अगर हमारे पास इस प्रकार की सर्विस होती, अगर हमारे पास यह बात होती तो ब्यावर की सीमेंट फैक्ट्री को पब्लिक सैक्टर की तरफ से पूरी तरह से लगाने का आधार हो जाता। और इतना ही नहीं आज जो ब्यावर के अन्दर और विजयनगर के अन्दर दो-दो, तीन-तीन इण्डस्ट्रीज घाटे में रन कर रही हैं। विजयनगर की मिल के अन्दर 28 लाख का घाटा है, महालक्ष्मी मिल के अन्दर 15 लाख का घाटा है, एडवर्ड मिल के अन्दर 12 लाख का घाटा है, इस प्रकार घाटे के अनुभव हमें नहीं होते।

(6.18 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीय नाहर साहब ने कहा कि लैटर ऑफ इन्टेन्ट और लाइसैन्सेज के अन्दर आज एक बड़ी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया बनी हुई है। ऊंट की गर्दन की तरह एक लम्बी-प्रक्रिया है। कई उद्योगपति जो यहां पर आना चाहते हैं वह आशयपत्र की यह सब प्रक्रिया देखकर निराश हो जाते हैं और अपनी चीजों को यहां पर नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान के विषय में यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी कि यहां पर उद्योगपति अधिकारियों के पीछे पड़ा रहता है जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि अधिकारी उद्योगपतियों के पीछे जाते हैं और उनको खींच कर लाते हैं। अभी दंगे हुए कलकत्ता में उस समय अगर हमारा औद्योगिक प्रशासन इस प्रकार का होता कि जिसमें सीधी तरह से लाईसैन्स मिलकर और सब चीज हो सकती तो इण्डस्ट्रियेलिस्ट, जो कि राजस्थान के ही हैं, यहां आ सकते थे।

इसके अलावा जब भी यहां इण्डस्ट्रीज चलती हैं तो पावर का सवाल आ जाता है। कुछ तो एटोमिक प्लान्ट का फाल्टी वर्किंग हो सकता है, कुछ लाइन का फाल्ट हो सकता है। हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के जो फेल्योर्स हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

स्माल इण्डस्ट्रीज के बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के इण्डस्ट्रीज के इन्स्टीट्यूशन ने पता लगाया है कि इसमें 30% बोगस इन्स्टीट्यूशन्स हैं। मैं ब्यावर में गया तो वहां पर मैंने देखा कि सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज के नाम से जिन लोगों ने लाइसेंस ले रखें हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी हैं लेकिन इण्डस्ट्री नहीं हैं। जो कोटा मिलता है वह बाम्बे में जाकर बिकता है।

राजस्थान इण्डस्ट्रीज को एक दिक्कत होती है, उनको कोयला झरिया और धनबाद से मिलता है। वह उनको सीधा मिलना चाहिए पर वह उनको राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के जरिये से मिलता है। जिस प्रकार का कोयला उनको दिया जाता है, वह नाकाबिल होता है और खराब होता है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिये। उनको यह कोयला डायरेक्ट मिलना चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा, फाइनेंस कार्पोरेशन से लोन्स दिये जाते हैं। वहां पर बार-बार छोटी मोटी बातों की नुक्ता-

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

चीनी की जाती है। इससे जो समय पर फाइनेंस मिल जाना चाहिए वह नहीं मिल पाता है।

अजमेर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, वहां पर सेरेमिक इण्डस्ट्री स्थापित हो सकती है। वहां पर एक माहेश्वरी सेरेमिक इण्डस्ट्री है। डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने भी यह कहा है कि ब्यावर और अजमेर में सेरेमिक इण्डस्ट्री लगाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस बारे में कदम उठाया जाना चाहिये। इसके अलावा इण्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे कदम उठाना चाहिये। वहां 30% या 40% यानि 5 शेड्स ही यूज में आ रहे हैं। 50% यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसी प्रकार से इन्टाइप्स में भी केवल 70% का यूटिलाइजेशन हो रहा है। बाकी किसी न किसी काम के लिए शेड दे दिये गये हैं। वहां दूसरे काम होते नजर आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर इण्डस्ट्री का ध्यान रखते हुये यह पूरी तरह से काम आ सके। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि वहां से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक माल आ सके। यह राजस्थान सरकार ही कर सकती है। यह भी वहां की आवश्यकता है, वह आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है, वहां तक आये। अजमेर में एच. एम. टी. का कारखाना है। 6-7 करोड़ का इनवेस्टमेन्ट है। बड़ा जबर्दस्त कारखाना है। लेकिन जहां लेबर का सवाल आता है, लेबर इन्टेन्सिव का सवाल आता है तो वह भी अजमेर का नहीं है। बाहर से लिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं थोड़े में अर्ज कर देता हूं। इसी प्रकार से इण्डस्ट्रियलएस्टेट के बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक टूल रूम बनाना चाहिए। और लेबरर्स के लिए सुविधा होना आवश्यक है। ऐसी इण्डस्ट्री भी हैं जो कि ब्यावर के अन्दर लग सकती हैं। मैं कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में निवेदन करूं तो मैं यह कहूंगा कि गांवों में भूमिहीनों को भूमि देने से ही समस्या हल नहीं हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि उनका प्रोडक्शन क्या है। उनके कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का उपयोग अच्छे रूप में किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य (श्री गिरधारी लाल भार्गव की ओर संकेत): श्री भार्गव साहब को कांग्रेस में शामिल कर लीजिये।

श्री रामकिशन : गोकुल जी, आजकल आप बड़े उदार हो रहे हैं। कल को जब कांग्रेस से निकाल दिये जाओगे तो क्या करोगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : भार्गव साहब का क्या है ?

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं। कुछ नहीं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करूंगा कि स्टेट कार्पोरेशन स्वयं के अपने उद्योग लगा सकता है। यह काम होना आवश्यक है। नेशनल कार्पोरेशन के बारे में बात चल रही है। विजय कॉटन मिल्स विजय नगर ओपनिंग सेरेमनी में स्वयं मुख्य मन्त्री महोदय ने

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

यह कहा था। उस समय चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि 25,000 स्पेण्डिल और पावरलूम लगायेंगे। लेकिन वह काम नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, वैक्स-हाल रीमोडल किया गया है। दरवाजा ठीक किया गया है। एक मोटर खरीद की गई है, जिसमें 25 हजार रुपया खर्च हुआ है। 225 लेवर रिट्रेंच हो गये हैं। वहां के लेबर लीडर ने यह कोशिश की है कि प्रोवि-डेण्ड फण्ड से 3,4 लाख रुपया इकट्ठा करके एक लेबर को-ऑपरेटिव बनाई जाये। आप थोड़ी सी सहायता दें तो वह लेवर को-ऑप-रेटिव चल सकती है। गुलाबपुरा वाली विजय कॉटन मिल है। वह खत्ते में पड़ी थी। उस मिल को भी चलाया गया था। विजयनगर में भी लेवर लीडर इस बात के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से टैक्स-टाइल इण्डस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 106 इण्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया गया है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये। समय के अभाव के कारण मैं दूसरी बातें अर्ज नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने जो निवेदन किया है, वह यह है कि हमें पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर को डिफाइन करना चाहिए। डिफाइन करके यह कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक सैक्टर को आगे बढ़ा सकें। इससे यह होगा कि मिक्स्ड इको-नॉमी का नाम रबर की तरह से बढ़ता ही नहीं रहेगा और जिसके साथ प्राईवेट सैक्टर घटता हुआ और पब्लिक सैक्टर बढ़ता हुआ नजर आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी !

श्री रामकिशन : मंत्री पद से हटने के बाद आपकी प्रतिभा उजागर हुई है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस, उद्योग, ग्राम और लघु उद्योग और सामान्य प्रशासन पर अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त करूंगी।

मान्यवर, राजस्थान में कुछ ऐतिहासिक कारणों की वजह से उद्योगों का विकास नहीं हो सका, यद्यपि इसके भू-गर्भ में काफी अधिक सम्पदा छिपी हुई थी। वर्तमान समय में भी पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर, दोनों में भी हमें उतना अधिक तीव्र गति से विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और पायराइट का अतुल भण्डार है, परन्तु अभी तक फर्टी-लाइजर काम्प्लेक्स की बात खटाई में पड़ी हुई है। यदि सर्वेक्षण और अनुसंधान जो हुआ है उसके आधार पर देखा जाय तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र इसके लिए सर्वाधिक उप-युक्त है क्योंकि वहां नजदीक पर बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में रॉक फॉस्फेट विद्य-मान हैं और सरफेस वाटर है, उसके आधार पर इस कारखाने को चलाया जा सकता है। वहां पर विद्युत और यातायात के साधन भी उपलब्ध है, एम. पी. का उप-जाऊ क्षेत्र है, वह भी लगा हुआ है। मान्य-वर, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य सरकार को मैं निवेदन करना चाहती हूं कि खाद का कारखाना चित्तौडगढ़ में पहुंचे, इसके लिए बड़े रूप से प्रयत्नशील हो जाना चाहिए

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सब वहीं हो जाना चाहिए।

Page No 178

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां विकेन्द्रीकृत उद्योग स्थापित हों तभी जाकर रोजगार की सुविधा बढ़ सकेगी। अभी तक विकेन्द्रीकृत उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि सोलह जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किये हैं, परन्तु चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जहां उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होते हुए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, इस प्रार्थना पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

लाइम स्टोन इस क्षेत्र में बिखरा हुआ पड़ा है, इसलिए दो इण्डस्ट्री सीमेन्ट का काम कर रही हैं किन्तु मान्यवर, चित्तौड़गढ़ में बिड़ला की सीमेन्ट फैक्ट्री है, इससे करोडों रुपये के काले धन की कमाई है—इसकी राज्य सरकार को शायद जानकारी नहीं है। यह सीमेन्ट फैक्ट्री ओटोमेटिक सिस्टम से सीमेन्ट बनाती है। क्या आप वहां पर काउंटिंग मशीन नहीं लगा सकते हैं ? काउंटिंग मशीन नहीं होने की वजह से कितनी बोरी सीमेन्ट का रिकार्ड रखा जाता है और कितना ब्लेक में बेचा जाता है, उसके आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं।

इसी तरह से फैक्ट्री से उड़ने वाली डस्ट है, उसके बारे में रिकार्ड उठा कर देखें तो बताया जायगा कि 35 पर्सेन्ट डस्ट उड़ जाती है। मान्यवर, करोड़ों की फैक्ट्री बिड़ला जी ने स्थापित की है, क्या उस फैक्ट्री में डस्ट कन्ट्रोलर प्लान्ट नहीं लगा सकते हैं, क्या इतना खर्च नहीं कर सकते हैं ? कर सकते हैं। वास्तव में डस्ट पांच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट उड़ती है लेकिन बताया जाता है 35 पर्सेन्ट। ऐसी स्थिति में डस्ट कन्ट्रोलिंग प्लान्ट लगायें तो ब्लैक से सीमेन्ट कैसे बेच सकेंगे। एक मिनिट को मान लीजिये कि 35 पर्सेन्ट डस्ट उड़ रही है, ऐसी स्थिति में उस डस्ट के आधार पर आप चित्तौड के नागरिकों और मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी डस्ट लोगों के फेफड़ों में जम कर, और उसके हरे खेतों में जम कर उनके मुंह की रोटी को भरे छीन रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं, आज ही इस बात की घोषणा होनी चाहिए, चित्तौड़गढ़ में बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री है, उसमें डस्ट कन्ट्रोलर प्लान्ट अविलम्ब महत्व का है, और उसे लगाया जाना चाहिए।

मान्यवर, औद्योगिक शांति किसी भी उद्योग के विकास के लिए बहुत जरूरी है परन्तु मैं और स्थानों की नहीं कहती, खासतौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं। वहां औद्योगिक अशांति बहुत अधिक देखने को मिलेगी, वहां पर इस बात का प्रयत्न किया जाता है, मजदूरों का शांत जीवन है उसमें किस तरह से भूचाल आये, किस तरह से हड़ताल के लिए प्रेरित हों, किस तरह से लॉक आउट किया जाय और उस आधार पर सीमेन्ट ब्लैक से बेची जा सके। तो इस प्रकार यह जो हमें दिखाई दे रहा है, यह समाज के लिए बहुत ही घातक है।

इसी प्रकार उस स्थान पर गन्ने की फैक्ट्री है, उसके बारे में निवेदन कर रही हूं। इसके बारे में पहले भी निवेदन कर चुकी हूं और मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है, कि वहां पर गन्ना वहां की फैक्ट्री नहीं ले सकेगी तो केशोरायपाटन उस गन्ने

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

को भेज दिया जाय। मान्यवर, यह कितने दिन चलेगा कितने दिन किसान परेशानी भुगतता रहेगा? आखिर उस स्थान पर कोपरेटिव सैक्टर, प्राईवेट सैक्टर में एक और इण्डस्ट्रीज कायम करनी चाहिये। मान्यवर, किसानों को प्रोत्साहन देंगे तो चित्तौड़गढ़ ऐसा स्थान है जो राजस्थान का क्यूबा वन सकता है। आपके बजट को उदयपुर के रॉक फास्फेट ने बैलेन्स किया है, उसी प्रकार वहां शक्कर की एक और इण्डस्ट्री डालते हैं तो राजस्थान की नहीं, भारत का बजट निर्यात के आधार पर बैलेन्स कर सकते हैं। , इसलिए यदि फिलहाल फैक्ट्री नहीं बना सकते तो यह प्रयत्न होना चाहिए कि खाण्डसारी और गुड़िया शक्कर बनाने के लाइसेंन्स दिये जायें ताकि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दे सकें।

कुटीर उद्योग धन्धों का विकास करके ग्रामीण सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन का पुनरुत्थान कर सकते हैं और उसके आधार पर विकास की मंजिल बना सकते हैं किन्तु कुटीर उद्योग धन्धे बहुत ही कम विकसित हुए हैं। मैं शॉर्ट में ही निवेदन करूंगी कि डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्री ऑफिसर हैं, उनका कार्यालय डेकोरेटिंग तो दिखाई देगा, उसको आप मार्ग निदेशक केन्द्र के रूप में बदलिये। इसके साथ जो लोग कुटीर उद्योग धन्धे चलायें उनको जिस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए, वह सुविधायें दी जानी चाहिए। उनमें विद्युत् के सम्बन्ध में सुविधा है, अन्य सुविधा है वह देकर सहूलियत आप उनको पहुंचायें तभी जाकर कुटीर उद्योग धन्धे विकसित हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और मैं निवेदन करना चाहती हूं, यद्यपि चित्तौड़गढ़ में कई ऐसे कुटीर उद्योग धन्धे हैं, जैसे वहां लकड़ी के खिलौने बनाये जाते हैं, वहां चुंदड़ी की छपाई होती है, प्रतापगढ़ में कांच के ऊपर सोने की मीनाकारी का काम इतना आकर्षक और सुन्दर नमूने का है, जो किसी भी व्यक्ति का मन मोह ले सकता है। लेकिन उसकी आज क्रिटिकल स्थिति है। उसको आर्थिक और तकनीकि सहायता देकर प्रोत्साहन देना चाहिए।

इस क्षेत्र में अधिक निवेदन न करके करके सामान्य प्रशासन के बारे में संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी.......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये। दूसरे माननीय सदस्य और हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : दो मिनिट में समाप्त कर दूंगी।

सामान्य प्रशासन के बारे में जनता यह कहती है कि नौकरशाही की फाइलों में हमारे कागज दबा दिये जाते हैं। इसके साथ ही किसान यह कहते हैं कि हमारा कोई भी कार्य इस नौकरशाही के दफ्तर में जाता है तो हमारी नक्कारखाने में सुनवाई नहीं होती है। उद्योग लगाने वाले कहते हैं कि नौकरशाही की वजह से उद्योग नहीं लगा सकते हैं, नौकरशाही एक दीवार के रूप में खड़ी हो जाती है। इस बात को जब प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं तो केवल मात्र मुस्करा देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने ताना-बाना बुना है, वह इतना मजबूत है कि उन्हें विश्वास है कि छोटे-मोटे प्रहार से इसका काम नहीं बिगड़ेगा.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : अभी मुस्करा रहे हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : छोटा-मोटा प्रहार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह खाना बांजा उपनिवेशवादी व्यवस्था में तैयार किया गया है, यह इतना सुदृढ़ है कि कोई नहीं मिटा सकता है। मैं आलोचना के तौर पर नहीं कह रही हूं। मैं अर्ज कर रही हूं, हर तरह से टालने की प्रवृत्ति दिखाई देता है। तहसील स्तर पर से जिला स्तर पर टाला जाता है और जिला स्तर से प्रान्त स्तर पर टाला जाता है। इस टालने की प्रवृत्ति से कोई काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)....

श्री उपाध्यक्ष : तशरीफ रखिये महरबानी करके।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : संक्षिप्त में ही मैं अपनी बात कह देना चाहती हूं। बिना पूरा किये मैं कैसे बैठ जाऊं। मैं निवेदन कर रही हूं....

श्री उपाध्यक्ष : समय के लिये कहा। और भी माननीय सदस्य हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : मैं संक्षिप्त में निवेदन कर रही हूं। जो कुछ कहना है वह दस मिनिट में कहना है। मैं थोड़े में ही कहूंगी। मुझे बोलने दीजिये। दो मिनिट और लूंगी। बिना पूरा किये कैसे बैठ जाऊं।

मान्यवर, नौकरशाही हमें विरासत में मिली हुई है और ऊपर से नीचे तक उपनिवेशवादी व्यवस्था से यह रंगी हुई है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो हमें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज किसी प्रशासनिक अधिकारी को किसी काम के लिए कहते हैं तो वह अड़चन दिखायेगा कि कानूनी दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। आज मानो हम कानून के लिए बन गये हैं, कानून हमारे लिए नहीं है। आपने यह जो दस पर्सेन्ट बजट सामान्य प्रशासन के लिए रखा है, यह बजट बहुत ज्यादा है। आप हड़ताल की वजह से हमेशा बजट में प्रावधान करते जायेंगे, सैलेरी बढ़ाते चले जायेंगे। लेकिन मजदूर जनता है, अशिक्षित जनता है उसके उद्धार की बात कहना चाहते तो इस समय हम कई बातों में बहुत अधिक पीछे हैं। यद्यपि प्रशासनिक अधिकारियों की बात कहते हैं तो यह बात कह दी जाती है कि उसको तब्दील कर दिया जायगा, उसे वहां से हटा दिया जायगा। मान्यवर, तब्दीली से किसी प्रकार का प्रशासन में सुधार आने वाला नहीं है। इसके ढाँचे में परिवर्तन लाना होगा। अगर परिवर्तन नहीं लायेंगे, तो बेकार की बकारी और गरीबों की भूख ज्वालामुखी के रूप में हमारे सामने आयेगी और प्रजातन्त्र के धब्बे हैं उन्हें स्वतः धो देगी ऐसी हालत में आपको क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है तो प्रशासनिक अधिकारियों को समझाना चाहिए कि उपनिवेशवाद काल में वे नहीं हैं बल्कि प्रजातंत्र काल में हैं और उन्हें अपनी भूमिका भी उसी प्रकार से बदलनी होगी। पुलिस के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति तभी सुखी हो सकेगा जब कि उसको सुरक्षा मिले। परन्तु इस सम्बन्धी जो आपके आंकड़े हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जो व्यवस्था

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
ब्रिटिश काल में थी वैसी की वैसी अभी भी है। मैं सभी के लिए नहीं कहती लेकिन पुलिस अधिकारी अभद्र भाषा बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, इसलिए पुलिस का तालमेल आज की युवा पीढ़ी से नहीं बैठता। जिस युवा पीढ़ी ने कभी गुलामी की सांस नहीं ली, वह अभद्र व्यवहार बर्दाश्त करने की आदी नहीं हैं, इसलिए जगह-जगह उपद्रव दिखाई देंगे। तो पुलिस को अपनी भूमिका को नए वातावरण में निभाना है।

पुलिस विभाग की आलोचना बहुत अधिक होती है परन्तु उनके वेतन मान बहुत कम हैं। इस कारणों से वे अपनी जीविका ठीक प्रकार से नहीं चला पाते। यदि आप भूखे व्यक्ति को सारी रसोई का काम काज दें और उससे कहें कि इन चीजों को हाथ मत लगाना तो यह संभव नहीं होगा। इसलिए आज इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है इसका एक मात्र कारण है कि वेतनमानों में आपने अभी सुधार नहीं किया।

दूसरी बात है पुलिस अधिकारियों के चयन का जो तरीका है वह भी डिफेक्टिव हैं। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि पुलिस विभाग में उन्हीं व्यक्तियों को भर्ती किया जाए जो कि विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हों। कई युवक स्कूलों व कॉलेजों से एन. सी. सी. ट्रेनिंग लेकर आते हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रान्तीय स्तर पर विशेष स्थान प्राप्त किया है, लेकिन आप उनका चयन नहीं करते हैं। इसमें प्रोवीजन होना चाहिए कि एन. सी. सी. प्रशिक्षित और खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष जी, जिस समाजवादी व्यवस्था के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें पुलिस विभाग का बहुत ज्यादा योग है। संकल्प हमारा अच्छा है लेकिन जिस ढांचे के जरिए हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं उसमें खामियां हैं। ढांचे के अंग हैं सामान्य प्रशासन व पुलिस विभाग। उसके साधन हैं खेती, खनिज और कारखाना। हम विचार करके देखें तो हमें आज की पुलिस, आज का प्रशासन उन पुराने संस्कारों से ओतप्रोत ही मिल रहा है जो सामंतवादी जमाने में था। जिस रास्ते पर चलकर हम समाजवाद लाना चाहते हैं उसके जरिए और हमारे जरिए में मतभेद हो सकता है लेकिन जैसा भी ढांचा हमारे पास है, जिस तरह से हम धीमी रफ्तार से कल्पना करके समाजवाद को लाना चाहते हैं, खासतौर से उसके अन्दर जो आज की पुलिस है इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन का जो ढांचा है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जो विरासत सामंतवादी संस्कारों से मिली है वही संस्कार आपकी पुलिस में है। इस बात को मैं तसलीम करता हूं कि अच्छे बुरे दोनों किस्म के अधिकारी होते हैं। कुछ ऐसे अच्छे ईमानदार कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं जिनके अन्दर सही प्रवृति जागरूक हो चुकी है लेकिन मेरा मतलब तो बहुसंख्यकों से है, उनके अन्दर काफी सुधार की आवश्यकता है। आज आजादी के 27 साल बाद भी

(श्री मोहरसिंह)

पुलिस को जनता दमन और घृणा का प्रतीक मानती है। दमन किसके लिए है? जो साधारण नागरिक हैं जिसके अन्दर राजनैतिक चेतना नहीं है, वह पुलिस को दमन का प्रतीक मानता है। जब वह खाकी वर्दी में पुलिस को देखता है तो उसके दिमाग में भय पैदा होता है। जहां लिखा हुआ हैं आरक्षी केन्द्र और उसका इन्चार्ज जनता के साथ दुर्व्यवहार करे तो यह ठीक बात नहीं है। आरक्षी केन्द्र लिखने वाले, जनता की रक्षा के ठेकेदार से आज जनता भय करती है। जनता जागरूक हो चुकी राजनीति को समझती है चाहे विद्यार्थी हो चाहे मजदूर हो, जो समाजवाद के लुत्फ को समझता है, उसके साथ जब बुरा व्यवहार किया जाता है पुलिस की ओर से या अन्य विभागों की तरफ से, खासतौर से पुलिस की तरफ से जो उनके साथ बर्ताव किया जाता है, वह घृणास्पद है। इसलिए उसके लिए पुलिस घृणा और दमन का प्रतीक है।

बार बार सदन में बहुत सी घटनाओं का जिक्र आया है। मैं उनको दोहराना उचित नहीं समझता। साथ में समय का भी तकाजा है जल्दी से जल्दी अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलूं। इसलिए इधर-उधर की बातें नहीं कहूंगा। हमारी जो व्यवस्था है, ढांचा है, सोचने का जरिया है, वह बिल्कुल समाजवाद के अन्दर परिवर्तित नहीं हुआ है। पूंजीवादी संस्कारों से जुड़ा हुआ है। न ही साइकोलोजीकल चेंज कर पाए, न जो रहने का तरीका है, उसके अन्दर, उसके स्टैंडर्ड के अन्दर कोई परिवर्तन कर पाए। आय थोड़ी है उसका गुजर होना मुश्किल है, उन्हें रोटी कपड़े की फिक्र लगी रहती है। उसके बावजूद जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उनके दिमाग में आज के जमाने के जजबात आने चाहिए, चेंज आनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी शासन की है, इसकी जिम्मेदारी उन पर है जो कैबीनेट में हैं। वे सिखायें इसलिए कि जनता की जो डिमांड्स हैं वह उनकी विचारधारा के अन्दर है। आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं, उससे जनता की समस्याओं का पूरा हल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जनता आंदोलन करती है और उसको दबाने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ता है। इसका हल कैसे हो? सही ढंग से आन्दोलन चलें, सही तरीके से उनकी मांगें आपके पास पहुंचे, जनता की समस्यायें ठीक हो सकें, यह सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। उनसे किस तरह से बर्ताव किया जाए, यह जिम्मेदारी आपकी है।

पुलिस के दृष्टिकोण में मौलिक चेंज होनी चाहिए। जब से अधिवेशन विधान सभा का शुरू हुआ, 17 तारीख से लेकर आज तक बार-बार पुलिस की घटनायें सदन में बताई गई—विद्यार्थियों का किस्सा, जोधपुर का किस्सा, कहीं किसान संघर्ष समिति का सत्याग्रह, जगह-जगह अश्रु गैस छोड़े गए, अलवर का किस्सा, चूरू कांड, जगह-जगह विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों और युवकों की मार व पिटाई हुई। तो हमको शुरू से लेकर आज तक सदन में यह सुनने को मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों पर विचार करने पर यह कहना पड़ रहा है, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने कहा था, कि यह पुलिस फोर्स डकैतों का गिरोह है। इनके संस्कारों में

(श्री मोहरसिंह)

मौलिक रूप से चेन्ज लानी पड़ेगी और इसके लिये हमें संकल्प करना पड़ेगा। यदि अवाम के स्टेंडर्ड को ऊंचा उठाना है तो हालात को बदलना पड़ेगा और हमारा सारा स्टेंडर्ड तब ही ठीक होगा जब कि मौलिक चेन्ज आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक ढांचे के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज छोटे से छोटे अहलकार से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसके बारे में तो जितना कहा जाये उतना कम है।

इसके अलावा मैं एक दो बात उद्योगों के बारे में भी कहना चाहूंगा। जहां तक बड़े उद्योग लगाने का सवाल है, कभी सीकर का जिक्र सुनते थे और कभी सवाई माधोपुर का जिक्र सुनते थे कि सेन्टर की तरफ से वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगाये जायेंगे, कारखाने लगाये जायेंगे, लेकिन अभी तक सेन्टर हमें कुछ नहीं दे पा रहा है। इसी तरह छोटे-छोटी कारखानों के अन्दर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। छोटे कारखानों के नाम से लोग लोन आदि ले लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं और गलत ढंग से उसका इस्तेमाल होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक,घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये में साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आज की जो डिमांड्स हैं वह महत्वपूर्ण डिमांड्स हैं, इन विभागों के अन्दर जो अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स और सामान्य प्रशासन के अधिकारी, और उद्योग धन्धों के इन्चार्ज अधिकारी, उनकी जो नीतियां चल रही हैं उनके अन्दर टोटल चेन्ज लानी पड़ेगी और सही ढंग से देश को आगे बढ़ाने के लिये और सही रूप से····

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो केवल दस मिनिट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट ही देंगे।

श्री मोहरसिंह : 15 मिनिट शुरू से ही कहा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों को तो पांच मिनिट ही दिये हैं और सात बजे गवर्नमेंट रिप्लाई चालू हो जायेगा।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता था कि जिस प्रकार का पुराने संस्कारों से युक्त हमारा ढांचा है उसको नये ढांचे के अन्दर आपको ले जाना पड़ेगा। उनके संस्कारों में, उनके आइडियाज में परिवर्तन करना पड़ेगा तब ही जाकर हमारे देश के अन्दर प्रगति हो सकती है और गरीब जनता का फायदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ! पांच मिनिट में ही आप फरमा दें, उसके बाद गवर्नमेंट रिप्लाई।

श्री मनोहर कोठारी : लिस्ट में हमारा नाम भी है।

श्री उपाध्यक्ष : और किसी को नहीं।

श्री मनोहर कोठारी : मुख्य सचेतक की सूची में मेरा नाम भी है।

श्री उपाध्यक्ष : सात बजे गवर्नमेंट रिप्लाई शुरू कर देंगे।

(184)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : लिस्ट में तो मेरा नाम भी है ।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी ओर से मैं भाषण दे दूंगा ।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस विभाग पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं भरतपुर जिले के बारे में । भरतपुर जिले में जनवरी और फरवरी के महीनों में पांच डकैतियां हुई हैं और पांचों ही डकैतियां बहुत भयंकर हुई हैं । पहली डकैती तो गोला में हुई जिसमें 35 आदमी घायल हुए । दूसरी डकैती जाखेड़ा में हुई जिसमें वहां के ठाकुर को मार दिया गया और दूसरे लोगों की भी बुरी हालत कर दी और कितने हजारों का माल लूटा और एक बनिये की लड़की के गाल में चाकू मार दिया जो दूसरे गाल से निकला । तीसरी डकैती हुई है वह कसलाना में हुई है । चौथी डकैती तहसील रूपवास में हुई है और पाँचवीं डकैती धोलपुर में, जो बनवारीलाल जी का क्षेत्र है, में हुई है । यह पांचों डकैतियां केवल जनवरी और फरवरी के दो महीनों में हुई हैं । इसके लिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की स्थानीय पुलिस को आधा घन्टा पहले सूचना आ जाती है कि डकैती हो रही है, सी. ओ. बयाना पहुंच जाता है और एस. पी. साहब पहुंच जाते हैं, पर रूपवास का थानेदार उस घटना-स्थल पर नहीं पहुंचा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डकैती की यह हालत है ।

इसके अलावा वहां भूमिहीन किसानों को लूटा जा रहा है और पुलिस के द्वारा गरीब काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है । उनकी फसल काटकर जमींदार ले गये और चोरी का केस दर्ज किया किसानों के खिलाफ और छः आदमियों को बन्द कर दिया । सरसों की फसल जो खड़ी थी, उसको बीस तारीख को काट कर ले गये । वहां हरिजनों ने जिनकी पट्टे की जमीन है उसको बोया, वह काट कर ले गये और जब वह लोग नदबई के थानेदार के पास तहरीर ले गये तो उन्होंने तहरीर नहीं लिखी । उसके बाद एस. पी. के पास गये और उन्होंने उस पर नोट लिखा पुलिस थानेदार नदबई के लिये कि 379 के अन्दर केस दर्ज किया जाये और मुलजिमान् जो अरेस्ट कर दिया जाये और माल बरामद किया जाये । लेकिन उस आदेश को भी थानेदार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया । उसके बाद 24 तारीख का मैं डी. एस. पी. से मिला और निवेदन किया कि इस तरह की बात है तो उन्होंने थानेदार को टेलीफोन किया लेकिन फिर भी थानेदार ने केस रजिस्टर नहीं किया । उसके बाद मैं 26 तारीख को राज्य मन्त्री, गृह के यहां पहुंचा, उन दोनों आदमियों को लेकर गया तो राज्य मंत्री, गृह ने लाल स्याही में लम्बा चौड़ा आदेश लिख कर दिया । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उसको भी थानेदार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि अब इन्दिरा गांधी की चिट्ठी लाओ तब केस रजिस्टर होगा । वह यह आपके थानेदार के तर्ज हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास गया उनको लेकर, उसी टाइम मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिये, सी. आई. डी. का अधिकारी पहुंचा और वहां माल बरामद किया । उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ यह तो

(श्री नत्थीसिंह)
भगवान जाने। इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार को बदनाम कर रखा है। इसलिये भरतपुर जिले के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पुलिस थाने में टेलीफोन नहीं है। दूसरी बात यह भी निवेदन करूंगा कि नंदबई में दस साल पहले जो स्टाफ था वही आज भी है। कटौती प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन मैं तो पुलिस के बजट में बढ़ोतरी चाहता हूं, भ्रष्टाचार मिटे, सबके लिये नहीं कहूंगा, लेकिन इस प्रकार के लांछन लगते हैं, वह मिटें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्षजी····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्।

माननीय मुख्य मंत्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं उनके लिये उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

(7.2 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रयत्न करूंगा कि जो बातें यहां कही गयी हैं उन बातों का उत्तर दे सकूं, और जो कट मोशन्स ऐसे रह जावेंगे जिनका उत्तर न दे सकूं उन का उत्तर लिखित में भिजवाने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूं कि अगर हम चाहते हैं कि स्वच्छ और उचित प्रशासन दें तो उसके लिये अच्छी मशीनरी की आवश्यकता होती है। जब तक साधन अच्छे न हों आप ठीक ढंग से कार्य की सफलता नहीं पा सकते। देश की आजादी के बाद जिस प्रकार की मशीनरी सर्विसेज के रूप में हमें मिली, यह हम सब के सामने है। इसमें मौलिक परिवर्तन कर पाना किसी भी एक राज्य सरकार के लिये संभव नहीं है। कोई राज्य सरकार यह सोचे कि वह अपने ढंग से स्ट्रक्चरल चेन्जेज ले आवे वह एक प्रकार से नामुमकिन बात है आज की स्थिति के अन्दर। अलबत्ता हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम जो मौजूदा परिपाटी है उस मौजूदा परिपाटी के अन्दर ऐसी कोशिश करें कि जिससे सर्विसेज का मानस बदले और वे जनता की ओर उन्मुख होवें। जब तक सर्विसेज रेस्पौन्सिव नहीं होंगी किन्हीं स्थितियों में जो भी कार्यक्रम हाथ में लें वह कार्यक्रम सफल हो नहीं पायेगा। मैं यह मानता हूं, प्रशासन को स्वच्छ करना चाहते हैं तो आज जो लोग इन सर्विसेज में लगे हुए हैं, चाहे पुलिस हो या सिविल सर्विस हो, उनको अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस ओर लगाना होगा। इस दिशा में हमने शुरुआत की है ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली हो मैं इसका भी दावा नहीं करता। महीने दो महीने एक प्रकार की चेन्ज दिखायी देती है और फिर लगता है कहीं न कहीं कमी है, गलती रह गयी है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वह ठेठ नीचे के लेवल तक

(श्री मुख्य मन्त्री)

जाय, लोएस्ट लेवल तक जाय और नीचे तक का आदमी है वह यह सोचे कि वह शासन करने के लिये नहीं है किन्तु सेवा करने के लिये है। और हमारा यह प्रयत्न है, अध्यक्ष महोदय, कि सर्विसेज में एफिशियेन्सी आये, आज जो कमियां हैं सर्विसेज में, चाहे करप्शन की बात हो, या जनता के प्रति अनुत्तरदायित्व की भावना हो, वह मिटे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दुस्तान के राज्यों में से पहला एक है जिसने अपने यहां पर करप्शन को मिटाने की दृष्टि से लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की संस्थाओं का निर्माण किया। अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं हुई फिर भी मेरे मन में है कि इस चीज को देखा जाना चाहिये कि इन इन्स्टीट्यूशन्स को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जाय। जब तक ये संगठन अधिक उपयोगी नहीं होंगे तब तक सर्विसेज में आज जो बुराइयां हैं उनको दूर नहीं किया जा सकेगा। इसलिये लोकायुक्त की रिपोर्ट आयी है उसको ध्यान में रख कर राज्य सरकार इसके क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने, इस को अधिक उपयोगी बनाने की ओर लोकायुक्त से बात करके किसी निर्णय पर आना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के कानून को हमने महाराष्ट्र से लिया किन्तु स्वंयम् महाराष्ट्र ने राजस्थान के कानून की तारीफ की है और उन्होंने एक इम्प्रुवमेन्ट माना है। सदन की सूचना के लिये मैं निवेदन करूं कि जो रिपोर्ट वहां के, महाराष्ट्र के, लोकायुक्त ने दी है उसमें उसने दो तीन मुद्दों के ऊपर हमारे इस कानून को अधिक प्रगतिशील माना है। लेकिन मेरे मन में इसके प्रति जितना चाहिये उतना संतोष नहीं है मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ मुद्दों के ऊपर लोकायुक्त को अधिक व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे कि राज्य कर्मचारियों अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों के ऊपर लोकायुक्त अधिक अच्छे ढंग से जांच कर सकें। इसी प्रकार से दूसरी सिफारिशें हैं उनको भी उसी रूप में देने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पिछले विजिलेन्स कमिश्नर के द्वारा दिये हुए जितने भी केसेज हैं उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ कराने के लिये सुदृढ़ कदम उठाये हैं और अब बहुत कम ऐसे केसेज रह गये हैं जो राज्य सरकार के पास में हों। अवलत्ता जो हमारे कानूनों की पेचीदगियां हैं, मैं मानता हूं, उनके कारण इस प्रकार की इन्क्वायरीज में काफी देरी होती है और जब करप्शन के केसेज में डिले होती है तब उसके परिणाम जितने वांछित होने चाहिये वे नहीं होते हैं। इसलिये मैं यह भी सोचता हूं कि राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के सेक्शन 16 और 17 में इन्क्वायरी के, सम्बन्ध में भेद बने हुए उनमें परिवर्तन हों जिससे जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी होकर निर्णय लिये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रयत्न किया है कि इस अर्से के अन्दर कि राजस्थान के अन्दर रिक्रूट में समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको लिया जा सके, रिक्रूटमेन्ट के अन्दर भी और बाद में प्रमोशन के अन्दर भी हमने इस दिशा में कोशिश की है।

(श्री मुख्य मन्त्री)

वह यह है कि गुनाहगार बख्शा नहीं जाय लेकिन बेगुनाह पीटा भी न जाय। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बेगुनाह पीटा जाता हैं तो वह हमारे लिए एक शर्मनाक चीज होती है। चाहे कोटा का मामला हो, चाहे चूरू का मामला हो, और चाहे लाडनू का मामला हो अथवा कहीं का हो मेरे दिमाग में साफ है जिस किसी ने गलत काम किया है उसे नहीं बख्शा जायगा और चूरू के बारे में मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि हरिजनों के साथ अत्याचार होता है और पुलिस के लोग इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। यह सही है काफी हद तक सही है इसलिए मुझे अपने दफतर के अन्दर हरिजनों के इन केसेज को देखने के लिए एक नये सेल को कायम करना पड़ा है। उस सेल के अन्दर एक ऑफिसर ऑन स्पेसल डयूटी कायम किया और माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस थोड़े से अर्से के अन्दर ही इस सेल ने काफी अच्छा काम किया हैं। मेरे पास 40 ऐसे केसेज आये। उन चालीसों केसेज को स्पेशल ऑफिसर को दिये गये। उसने मौके पर जाकर उसकी एन्क्वायरी की 26 केसेज में एन्क्वायरी कम्पलीट कर ली गई है, 10 केसेज में स्पॉट एन्क्वायरी हुई है, 16 केसेज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मार्फत एन्क्वायरी हुई। इनमें से पांच केसेज अभी तक झूठे पाये गये हैं बाकी सब केसेज को ठीक ढंग से डील किया गया है। अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य के साथ जो ऑफिसर भेजा गया था वह कोई सी. आई. डी, का आदमी नहीं था वही मेरे दफतर का आदमी स्पेशल ऑफिसर था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वयं ने इन केसेज को डिटेक्ट किया है। मैं मानता हूं हमारे समाज में यह एक कोढ़ के रूप में है। आज भी हम समाज में उनको अछूत की दृष्टि से देखते हैं और यही देखते हैं और उनका मानना है कि उन लोगों का काम हमारी सेवायें करना है, हमारे जूते उठाना है और उनसे हमारा काम लेना जन्म सिद्ध अधिकार है। अब वह जमाना चला गया जब समाज दकियानूसी विचारों पर चलता था। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया है किन्तु मैं अच्छी तरह से जानता हूं राजस्थान में कुछ हिस्से हैं 2-3 जिले जहां पर हरिजनों को जमीन अलॉट हुई और उनको कब्जा नहीं लेने दिया गया ऐसे स्थान है जहां पर उनके साथ ज्यादती होती है। मैं एक ही बात कह सकता हूं और वह चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो अन्याय करने वाले लोगों को दरगुजर नहीं किया जायगा और किसी क्षण ऐसा लगा कि यह स्पेशल ऑफिसर का इन्स्टीट्यूशन काफी नहीं है और बड़े अधिकारी की आवश्यकता है तो मुझे कतई संकोच नहीं है कि वह डी. आई. जी. की रैन्क का होवे अथवा और किसी रैन्क का होवे।

किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इन सारी समस्याओं का समाधान क्या हम पुलिस के मार्फत चाहते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे भारतीय समाज के समक्ष है, आपके और हमारे समक्ष है। कौन माननीय सदस्य ऐसा है जो यह नहीं जानता है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है बाज मर्तबा समाज के उच्च वर्ग का समर्थन

(श्री मुख्यमंत्री)

बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है इसलिये उससे रिजल्ट्स की बात मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आने वाले पांच वर्षों में हमने जो आज निर्णय लिये हैं वे रिफलेक्ट्स हो सकेंगे सर्विसेज के अन्दर क्योंकि जो लोग आज रिक्रूट हो रहे हैं, जो लोग आज प्रोमोट हो रहे हैं उनका नजरिया प्रशासन में प्रचलित होने लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हम यह चाहते हैं कि ये सर्विसेज ऐसी होनी चाहिये कि जो संवेदनशील होवें। बाज मर्तबा पुलिस के बाबत ऐसा कहा जाता है कि पुलिस उसी दकियानूसी तरीके से काम लेती है, एक हद तक बात सही है, क्योंकि किसी भी कठिन स्थिति में आदमी को अपने विवेक को नहीं खोना चाहिये, मैं ऐसा समझता हूं कि एकदम जादू की तरह परिवर्तन नहीं आ सकेगा हमें प्रयत्न करना होगा। एक बात निश्चित रूप से निवेदन करूंगा और वह यह है कि कोई तबका प्रशासन में काम करता है तो बाज मर्तबा अपने विवेक को खो देता है। हम आज की सामाजिक स्थितियों की बात सोचें जिसमें पुलिस को काम करना पड़ रहा है तो मैं समझता हूं बाज मर्तबा हमारी तरफ से भी ज्यादती होती है। आप में से बहुतों ने आन्दोलनों में पुलिस के खून बहते हुए देखा होगा। जब एक अनपढ़ सिपाही को पढ़ा लिखा आदमी पत्थर मारता है और पुलिस का एक पढ़ा-लिखा तबका उनको लाठी से हटाने का आदेश देता है तो बहुत स्वाभाविक है आन्दोलनकारी नहीं हटें और उन्हें हटाने के लिए वह लाठी मारता होगा, लेकिन इस देश में ऐसे भी राज्य हैं कि अमुक लक्ष्मण रेखा को क्रास नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे बंगलोर में मैंने सेक्रेटेरियट भवन को देखा है, विधान सभा भवन को देखा है और राज भवन को देखा है बंगलोर के ये तीन बड़े इन्स्टीट्यूशन्स की कोई दीवार नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आन्दोलनों में आपकी रक्षा कैसे होती है तो मुझे हंस कर बताया गया आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि किसी ने सेक्रेटेरियट बिल्डिंग को क्रास कर प्रवेश किया हो। राजस्थान में दुर्भाग्यवश हालत यह है कि विद्यार्थी युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर को घेर कर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर कब्जा कर लें और फिर प्रशासन कोई कदम उठाये तो प्रशासन प्रतिगामी है, यह संज्ञा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा उदयपुर के वाइस-चांसलर को विद्यार्थियों ने मिस हैन्डिल करके अपने कमरे में से बाहर निकाल दिया किसके द्वारा—विद्यार्थियों के द्वारा। यह खुशी की बात है कि उस बारे में किसी राजनैतिक दल ने उनका समर्थन नहीं किया है लेकिन यह चीज क्या बतलाती है ? आज समाज के लोगों की मानसिक हालत बताती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक तरफ इन सर्विसेज के लिये हमें निरन्तर प्रयत्न करना हैं। हमें निश्चित रूप से सामाजिक नार्म्स भी तय करने होंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पुलिस के थर्ड ग्रेड मैथड़ के बारे में बातें कहीं, मैं किसी भी बात से मतभेद नहीं रखता हूं जो भी थर्ड ग्रेड मैथड़ अपनाता है वे हमारे कभी भी विश्वास पात्र नहीं हो सकेंगे, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कारण कि आज हम जनतन्त्र में विश्वास करते हैं हमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा और

(श्री मुख्य मन्त्री)

उन लोगों को नहीं है जो समाज इस वर्ग को दबा रहा है क्या एक इन्डीव्युवल अपने बूते पर उससे जमीन छीन रहा है और उसको अधिकार नहीं दे रहा है, बल्कि हालत यह है कि उस गरीब आदमी के खिलाफ पूरा का पूरा गांव अन्याय के प्रति आमादा हो जाता है और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में सामाजिक चेतना पैदा की जाय, जो लोग अपने हकों से वंचित हैं उनको वाजिब अधिकार दिलवाये जायं और जिन लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार होता है, सामाजिक तौर पर और सामूहिक तौर पर उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश दिलवा दिया, होटलों में उनको चाय पीने का अधिकार दे दिया, केवल यही काफी नहीं है, वह अपने गांव में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें, उसका सम्मानपूर्ण दर्जा मिले और वह साहस पूर्वक कोई भी काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, यह भी जरूरी है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार तो इस दिशा में जो भी प्रयत्न कर सकती है वह करेगी ही, किन्तु आज लोगों में सामाजिक चेतना, एक सामाजिक जागरण पैदा करने की आवश्यकता है उसको नजर अन्दाज नहीं करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने पिछले महीनों में पुलिस के किन्हीं कामों के बारे कई बातें कहीं थीं, आपने उनके बारे में निर्देश दिये थे कि पुलिस की डिमान्ड के दिन उन सबके बारे में चर्चा हो जायगी। वह सारी चीजें मुझको मिल गई हैं, मैं उनकी एक-एक विगत में नहीं जाकर, जो भी डिटेल्ड इन्फार्मेशन है माननीय सदस्यों को पहुंचा देंगे, और माननीय सदस्य इस बारे में बैठ कर बात करना चाहेंगे या और कोई सहायता चाहते हैं तो राज्य सरकार निश्चित रूप से सहायता देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं और वह यह है कि राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में हम काफी गम्भीरता से अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। मैं ज्यादा विवाद में नहीं जाना चाहता और न व्यर्थ में कोई भी प्रशासन की प्रेस्टिज को आगे रख कर किसी चीज को उलझाना चाहता हूं। किन्हीं माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राजस्थान में क्राइम्स को देखते हुए पुलिस फोर्स कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं उनकी इस सलाह के लिये उनका बहुत आभारी हूं और हम यह देखेंगे कि आवश्यकता से, जहां कहीं आवश्यकता है उसमें कमी न हो किन्तु हमको एक बात निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस और फौज एक अनप्रोडक्टिव खर्चा है, अगर हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे डेवलपमेन्ट के वर्क्स हैं उसमें हमको कमी करनी पड़ेगी इसलिए विवेक पूर्वक पुलिस की नफरी को बढाने की बात सोची जाती है। वैसे पुलिस को मोडर्नाईज करने पर खर्चा किया गया है, प्रोपर कम्युनिकेशन के लिए, उसमें अच्छी मोबिलिटी को, एफिशियेन्सी अधिक हो और सुविधाएं भी अधिक से अधिक दी जा सकें इसमें हमने प्रयत्न किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान के उद्योग के बारे में भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री मुख्य मन्त्री)

औद्योगीकरण कहीं वेक्यूम में नहीं होता है इस चीज को ध्यान में रखना चाहिये। औद्योगीकरण के लिए सबसे पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अध्यक्ष महोदय, औद्योगीकरण के लिए एक वातावरण चाहिए और औद्योगीकरण के लिए कुशलता भी चाहिए। यहां कह दें, अध्यक्ष महोदय, कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र मिस्कड इकोनोमी के कारण से स्पष्ट नहीं किया गया है, मेरी राय में बहुत ही पुराने जमाने की बात है। पब्लिक सेक्टर में क्या उद्योग होंगे, इसको स्पष्ट कर दिया गया है—बेसिक उद्योग स्टील, फर्टिलाइजर और इस प्रकार के जो उद्योग हैं वे निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर के अन्दर होंगे और बाकी दूसरे उद्योगों को हमने प्राइवेट सेक्टर के अन्दर रखने की कोशिश की है जो प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज हैं पिछले दो वर्षों से भारत सरकार को-आपरेटिव सेक्टर में उनको तरजीह देने की कोशिश कर रही है। यह कहना सही नहीं है कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल ग्रोथ ठीक ढंग से नहीं हुआ है। अगर हम राजस्थान की पृष्ठ भूमि में इन सारी चीजों को देखें तो निराशा का कोई कारण नहीं है। एक चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज ही राजस्थान के परव्यू में आती है, मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज की पॉलिसी, लाइसेंसिग और लोनिंग यह सारा का सारा गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के परव्यू में आता है। चाहे आपके पास खनिजों के कितने ही भण्डार क्यों न हों किन्तु, माननीय अध्यक्ष, न तो आप लाइसेंस दे सकते हैं और न लोन ही दे सकते हैं। इसलिए बेसिक चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम राज्य सरकार से कुछ बात करते हैं या कहते हैं तब हमें मूल में यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान सरकार का क्षेत्र स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज ही है। अध्यक्ष महोदय राजस्थान के अन्दर इस एक वर्ष में इस दिशा में काफी अच्छे काम हुए हैं, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। सन् 70-71 में नये रजिस्ट्रेशन 1000 हुए थे, 72 में 2235 हुए और इसके अगेन्स्ट 1974 के अन्दर 3,692 नये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यह ग्रोथ अनसेटिस्फेक्ट्री नहीं कही जा सकती है, इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मैं माननीय सदस्यों को एक दिन आमन्त्रित भी करना चाहता हूं, वे मेहरबानी करके मेरे साथ चले। जयपुर के झोटवाड़ा और विश्वकर्मा उद्योग क्षेत्र के अन्दर जाकर देखें, मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने पांच साल पहले उस क्षेत्र को देखा होगा और आज मर्तबा इन दिनों नहीं गये हैं, अध्यक्ष महोदय, हमको निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य होगा। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अलवर जाय और अलवर के इन्डस्ट्रियल एरिया को देखें। एक चीज और देखने और समझने की है और वह यह है कि बड़े उद्योग कोई झटपट में खड़े नहीं हो जाते, बड़े उद्योगों को ऊपर आने में तीन, चार, पांच साल, सात साल लग जाते हैं। जैसे उद्योग होते में वैसी ही स्थिति होती है। उद्योगों के लिए कागज साफ करना, लोन की व्यवस्था करने में कम से कम एक से डढ़ साल लग जाता है, अगर बहुत तेजी से लाइसेंस के कागज निकल जाय तो। किन्तु कुछ उद्योग ऐसे होते हैं कि जिनका इन्टर-डिपार्टमेन्टल सम्बन्ध होता है, कहीं एक

(श्री मुख्य मन्त्री)

मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री का सम्बन्ध होता है। जैसे सीमेन्ट उद्योग को ले लीजिये, सीमेंट का उद्योग पहले तो माइन्स मिनिस्ट्री से संबंध रखता है, फिर सम्बन्ध रखता है उद्योग मिनिस्ट्री से, और फाइनेन्स मिनिस्ट्री बीच में आती है। फिर आज कल नया सम्बन्ध आ गया है रेल्वे मिनिस्ट्री से तो इस सब में से पेपर्स प्रोसेस होकर जब स्पष्टता हो जाती है और सारा क्लीयरेन्स हो जाता है तब भी टेक्सटाइल मिल को दो से तीन साल लग जाते हैं, सीमेन्ट फैक्ट्री को 3-4 साल लग सकते हैं, यह मानकर हमको चलना है आज यह भी नहीं मानना चाहिए कि जो लाइसेन्स हमें मिले गए हैं उन सब के बाबत में इन्वेस्टमेन्ट हो जायेगा। कभी तो इन्वेस्टमैन्ट ऊंचा आता है और कभी-कभी मनी मार्केट ऐसा होता है कि नीचे चला जाता है। एक जमाना था आज से साल भर पहले जब कि टेक्स्टाइल मिल के लिए मशीनें मिलना मुश्किल हो रही थी और पांच-पांच साल का एडवांस बुकिंग हो रहा था। आज हालत यह है कि जो मशीनरी बनाने वाले लोग हैं वह लाइसेन्स होल्डर के पोछे-पीछे घूम रहे हैं। तो यह सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। इसलिए हमारा समालोचना अथवा हमारे विचार इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चलने चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप साफ-साफ बात क्यों नही करते कि हम बिजली नहीं देंगे। क्या यह कहलाना चाहते हैं कि नहीं बिजली नहीं देंगे? क्या साफ-साफ बात चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि हम बिजली देंगे, बिजली है हमारे पास में और एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि जो आदमी करोड़, दो करोड़ या चार करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है वह हमारी अपेक्षा अधिक पैनी नजर रखता है तब जाकर वह इनवेस्टमेंट करने की कोशिश करता है।

इन पिछले वर्षों में, अध्यक्ष महोदय, हमने इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर कोशिश की है और मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर उद्योग का क्षेत्र आगे बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, बोगस इन्डस्ट्रीज के बारे में भी यहां पर बात की गई। कभी-कभी हम बहुत एब्सट्रेक्ट बात कह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में पर्सेन्टेज ऑफ वर्किंग यूनिट 49.89 पर्सेन्ट है और आसाम में 63.24 पर्सेन्ट है, गुजरात में जो बहुत ही इन्डस्ट्रीयली एडवान्सड है उसमें 53.66 पर्सेन्ट है, हरियाणा में भी जो कि इन्डस्ट्रीयली एडवांस्ड है वहां पर 53.66 पर्सेन्ट है, हिमाचल प्रदेश में 49 पर्सेन्ट हैं, जम्मू कश्मीर के अन्दर 29 पर्सेन्ट है, केरल में 49.60 पर्सेन्ट है, मध्य प्रदेश में 53.35 पर्सेन्ट है, महाराष्ट्र में जो कि इन्डस्ट्रीयली एडवान्स्ड है उसमें 50.76 पर्सेन्ट है। बाकी छोटी-छोटी स्टेट्स हैं। पंजाब में 56.03 पर्सेन्ट है, तामिलनाडु में 44.80 पर्सेन्ट है और राजस्थान के अन्दर 66.06 पर्सेन्ट है।। अध्यक्ष महोदय, जो वर्किंग युनिट है यह पर्सेन्टेज हायर क्यों है? यह पर्सेन्टेज हायर इसलिए है कि राजस्थान सरकार इस मामले में ज्यादा विजिलेन्ट है कि जो इण्डस्ट्री एक बार लो वह क्लोज नहीं हो, वह चलती रहे। इसके माने क्या हैं? इसके माने हमारा असिस्टेन्टस ठीक है, हमारा गाइडेन्स ठीक है, हमारी सुविधायें ठीक हैं। हमको इन सब चीजों को इस रूप में देखने की आवश्यकता है।

(श्री मुख्य मन्त्री)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि कई लोग कोटा लेकर बेच देते हैं, ब्लेक मार्केट करते हैं। होता होगा, मैं इससे इन्कार नहीं करता पिछले दिनों में हमने सब यूनिटस की जांच की। शायद ही कोई यूनिट ऐसी हो जिसकी हमने जांच न की हो और मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में हम जितनी सख्ती कर सकते हैं उतनी हम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के अन्दर राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन ने सबसे ज्यादा असिस्टेन्स दी है। इस वर्ष जो असिस्टेन्स दी गई है। वह शायद पिछले किसी भी वर्ष के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, 1973-74 के अन्दर 210 यूनिटों को 293.84 लाख रुपया दिया गया था उसके मुकाबले में 1974-75 के अन्दर 306 यूनिट्स को 673.69 लाख रुपया का लोन दिया गया है। यह स्वयं क्या बतलाता है? बाज मर्तबा हमारी आदत हो जाती है कि हम अपनी बात को इतनी नीचा करके देखते हैं कि हमें अपनी अच्छाई दिखाई नहीं देती। इन पिछले दो तीन वर्षों के अन्दर इन सारी मशीनरी को गियर-अप करने की कोशिश की गई है। हम सब का डेटा लेते हैं और कब उनके पास कागज पहुंचा और कब डिस्पोजल हुआ। यह सब देखते है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार केवल इसलिये कि अमुक क्षेत्र जा पिछड़े हुए हैं उनको लाभ मिले इस लिहाज से इन्फ्रा स्ट्रक्चर को भी ठीक करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पर कास्टिक सोडा का जो प्रोजेक्ट है अगर कोटा में अथवा सवाई माधोपुर में वह प्रोजेक्ट लगता तो राजस्थान सरकार को 3½ करोड़ अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। मगर केवल धौलपुर में लगवाने के लिए वहां 132 के. वी. लाइन ले जानी पड़ेगी जिसकी लागत 3½ करोड़ रुपये होगी क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिसमें 14 करोड़ रुपया खर्च होगा इसलिए 132 के. वी. का लाइन वहां जानी चाहिए कोटा में ले जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह वहां पर थी। हमने एन्टरप्रेन्योर को कहा कि हम अलग-अलग क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं इसलिए अगर इस बार के बजट में देखा होगा कि बजट के बाहर प्लान के बाहर भारत सरकार ने यह रुपया मन्जूर नहीं किया था अपने प्लान के अन्दर हमने जो 6 करोड़ रुपया प्लान में सिवाय 105 करोड़ के सिवाय मन्जूर किया है उसमें 3½ करोड़ रुपया इसमें लगाया गया है। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो कन्सेशन्स लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को दिये थे उन सब को रिपीट किया है बल्कि पिछले के अन्दर कैमिकल इण्डस्ट्री नहीं थी जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमने कैमिकल इण्डस्ट्री को भी वही इन्सेन्टिव दी थी जो कि दूसरी इण्डस्ट्रीज को दे रहे हैं। इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में फर्टीलाइजर, कास्टिक सोडा और इस प्रकार की जितनी कैमिकल इण्डस्ट्रीज हैं उनको कन्सेशन्स नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारे सामने लाईसेन्स का सवाल आया हमने उनको इन्सेन्टिव देने के लिए इनको भी बेसीकली इम्प्रूव किया। मगर इस

(श्री मुख्यमन्त्री)

चीज को हम नहीं समझकर बाज मर्तबा केवल एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं जो कभी-कभी कई लोग रनडाउन करने के लिए कहा करते हैं। समाज के अन्दर ऐसे भी लोग हैं जो बेजा फायदा उठाना चाहते हैं। सरकार उनको तो बेजा फायदा नहीं देगी। हमने, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों के अन्दर एक बहुत बड़ा फर्क लिया हैं वह फर्क है आज किसी एक इण्डिविजुअल इण्डस्ट्री के लिए कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है पहले राज्य सरकार बैठती थी और हर इण्डिविजुअल इण्डस्ट्री के साथ उसकी बिजली की रेट क्या, होगी तय करती थी। हर इन्डिविजुअल इण्डस्ट्री के साथ तय करती थी कि उसको लोन कितना दिया जायगा। हर इण्डिविजुअल इण्डस्ट्रीज को सबसिडी क्या दी जावे यह तय करती थी लेकिन अब इस सारे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और एक यूनिफार्म पॉलिसी ले डाउन कर दी है कि प्रत्येक उद्योग जो इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगायेंगे उसे ऑक्ट्राय की यह, सेल टैक्स की यह, जमीन की, पानी की, बिजली की यह-यह सुविधा होगी। अब किसी के साथ किसी प्रकार से नेगोशियेशन्स की आवश्यकता नहीं हैं। इससे हमें एक सुविधा यह होगी कि कोई यह नहीं कह सकेगा कि अमुक के साथ में यह फेवर किया गया है। कोई हमें यह नहीं कह सकता कि तुम ने इस-इस के साथ यह रियायत क्यों की? दूसरा हमने एजेंसीज खड़ी कर दी है इस प्रकार की, आज आर. आई. एम. डी. सी. ओवर राइट करती है और दूसरा राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस प्रकार के कामों के लिए है। ये अलग एजेंसीज हैं। और, अध्यक्ष महोदय, इससे राज्य सरकार को यहां पर एक तरफ काम करने में सुविधा हुई है वहां मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों के अन्दर भी एक विश्वास जमा है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह निश्चित रूप से मानते हैं कि जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तब तक उद्योग अच्छी तरह से डेवलप हो नहीं सकेंगे और इसीलिए जो भी इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें जो भी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, इस बार विशेष रूप से पूंजी का प्रोविजन किया गया है। 23 लाख और 50 हजार रुपया और 3 लाख 90 हजार रुपया इस बार जो भी कमियां इण्डस्ट्रियल एरियाज में रोड्स नहीं हैं अथवा रोड्स टूट गई हैं इनको रिपेयर करेंगे, रोड्स नहीं हैं तो रोड्स बनायेंगे, पानी नहीं है तो पानी पहुंचायेंगे, बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। इस प्रकार के कामों के लिए साढ़े तेईस लाख रुपया इन बातों के लिए रखा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रोविजन के बाद राजस्थान के अन्दर जो 2-3 बड़े-बड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अन्दर वह कमियां दूर हो जायेंगी, वे डेफिशियेंसीज दूर कर दी जायेंगी और उद्योग लगाने वाले लोगों को इससे सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज के बाबत भी काफी बातें कहीं गई हैं। विशेष तौर से पायाराइट और रॉक फॉस्फेट उद्योग के बारे में। कभी-कभी हम यह भूल कर जाते हैं कि कोई उद्योग एकदम से डवलप नहीं हो सकता है। हमको यह सोचना चाहिये कि रॉक फॉस्फेट और पायराइट्स ये बहुत

(१९५)

(श्री मुख्यमन्त्री)

प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। रॉक फास्फेट का खनन किया और कच्चा ही बेच कर लाभ उठाया है। यह बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट किस प्रकार से हो सकता है इसका एनेलेसिस अभी नहीं हुआ है और एक दिन में हो भी नहीं सकता है। इसमें कई महीने निरन्तर प्रयत्न करेंगे तब भी कई महीने लगेंगे क्योंकि कि बहुत लेनी प्रोसेस है, लम्बा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में से हमें गुजरना होगा तभी जाकर इस प्रोजेक्ट की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फर्टीलाईजर के बारे में कुछ चीजों को साफ साफ जानने की आवश्यकता है। ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी इतनी डवलप होती जाती है कि उस जमाने में जबकि जिप्सम बेस्ड फर्टीलाईजर की जो बात सोची जाती थी आज जिप्सम जैसे किसी जमाने में बहुत आवश्यक था आज आवश्यकता नहीं रही और उसकी दूसरी पूरक चीजें आ गई हैं। जैसे स्टील की दूसरी पूरक चीजें निकल गई हैं, लकड़ी की पूरक चीजें निकल गई हैं, ताम्बे की पूरक चीजें निकल गई हैं, जैसे पहले बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कॉपर काम में आता था आज अल्मूनियम कण्डक्टर काम में आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिप्सम एक तरफ रख दिया गया है और नेफ्था सामने आ गया है। जैसे जैसे पैट्रोलियम का उत्पादन बढ़ता जाएगा, सस्ता साधन उपलब्ध होता जाएगा, अधिक से अधिक सस्ती चीजें उपलब्ध होंगी वह काम में लाई जायेंगी। यह विचारणीय प्रश्न हैं साइंटिस्ट्स के लिए कि वह रॉक फास्फेट को किस रूप में काम में लें, इसका किस रूप में उपयोग करें। अलबत्ता आपकी और मेरी ममता यह हो सकती है कि राजस्थान के इन मिनरल्स के आधार पर उद्योग लगें और राज्य सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयत्न करती रहेगी, करती है और आयन्दा भी करेगी। जहां तक रॉक फास्फेट को बेनिफिशियरी बनाने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय भारत सरकार इसमें सहयोग देवे तो बहुत अच्छी बात है, अगर सहयोग न देवे तो मैं आपसे कहता हूं कि राजस्थान केवल अपने बूते पर राजस्थान के रॉक फास्फेट को बेनिफिशियल करेगा और इसका उपयोग करेगी राज्य सरकार।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने टैक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो सिक मिल्स के बारे में कहा है, वे स्वयं यहां पर नहीं हैं लेकिन क्योंकि यह बर्निंग इश्यु है इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ब्यावर की एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल और विजयनगर की विजय कॉटन मिल्स, जो राजस्थान की तीन सिक मिल्स थीं, 1962 के जमाने में शायद 62 के अन्दर जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है महालक्ष्मी मिल को टेक ओवर किया गया···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 67 में किया था।

श्री हरिदेव जोशी : ऑल राइट, उसको टेक ओवर किया गया और उसके बाद में

(व्यवधान-अश्रव्य)

67 हैं, आई वाज इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर एट देट टाइम। कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हमने टेक ओवर किया है। उस समय तक कोई भी मशीनरी इवॉल्ड नहीं थी भारत सरकार की तरफ से कि इस प्रकार की सिक मिल हो जाय तो क्या

(श्री हरिदेव जोशी)

होगा। हमने अपने सीमित साधनों के आधार पर महालक्ष्मी मिल को रिनोवेट करने का प्रयत्न किया। इसके बाद एडवर्ड मिल को किया और उसके बाद में विजय कॉटन मिल का सवाल आया। अब भारत सरकार ने एक कानून पास कर दिया और उसका तरीका यह है कि ये कार्पोरेशन्स इस प्रकार की सिक मिल्स को टेक ओवर कर लेगी, सिक मिल्स को रिनोवेट करेगी और उसमें राज्य सरकार का भी पार्टीसिपेशन हो सकता है। तो जहां तक महालक्ष्मी मिल का सवाल है और उसका सवाल है हमने उसे रिनोवेट अपनी तरफ से जितना भी सम्भव था पूर्ण करने की कोशिश की है। विजय कॉटन मिल्स का जहां तक सवाल है मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत आग्रह है कि विजय कॉटन मिल को चलाया जावे। भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि अपने बूते पर उसको चलायें। मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि बगैर रिनोवेशन के उस मिल का चलाने का मतलब होगा कि जो घाटा पहले से है वह घाटा और बढ़ता चला जायेगा। मैं इसको इन-एडवील्वल पॉलिसी मानता हूं। एक बार पहले रिनोवेट कर दें और उसके बाद चलाये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस दिन मुनाफे का बाजार होगा तब तो चलेगी और जरा भी कुछ कीमतों में फाल आया वह गिर जायेंगी। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमको उसे रिनोवेट करने की तरफ ज्यादा जोर देना चाहिये बजाय कोई मजदूर नेता भावुकता में आकर कह दे कि हमें को-ऑपरटिव सेक्टर में कर दो तो मैं यह मानता हूं कि उन बेचारों का प्रोविडेंट फण्ड का जो दो-तीन लाख रुपया होगा वह भी डूबन्त हो जाएगा। इस तरह से हम मजदूरों का भला नहीं करके नुकसान कर देंगे। मेरी निजी राय यह है कि इस ढंग से वह चल नहीं सकेंगी इसलिए पहले रिनोवेट करके ठीक ढंग से चलाने की कोशिश की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने राजस्थान के पब्लिक सेक्टर में चलने वाले उद्योगों के बारे में घाटे की बात कही मैं नहीं जानता पब्लिक सेक्टर के घाटे की बात कैसे कही। मेरी जैसी स्वयं की जानकारी है, बीकानेर वूलन मिल को छोड़कर बाकी कोई उद्योग घाटे में नहीं है। जहां तक मेरा ऐसा खयाल है मैंने इस सम्बन्ध में सारी चीजों को रिव्यू किया है, देखा है, तो को-ऑपरेटिव सैक्टर में हमारी टैक्सटाइल मिल है वह भी मुनाफा दे रही है। हमारी जो को-ऑपरेटिव सेक्टर में शुगर मिल है वे भी मुनाफा दे रही है, हमारी वर्स्टेड मिल भी मुनाफा दे रही है, हमारी दूसरी गंगानगर शुगर मिल भी मुनाफा दे रही है। जो भी छोटे-मोटे उद्योग हैं सारे मुनाफा दे रहे हैं। इसलिए यह कहने का गुंजाइस नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में घाटा हो रहा है या आगे भी घाटे की कोई बात हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कोई डॉगमेटिक व्यू लेकर नहीं चलने, जो भी उद्योग ठीक ढंग से चल सकते हैं उनको महत्व देना चाहिए।

एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह भी आया कि उत्पादन के साथ-साथ उद्योग बढ़ने चाहिएं। यह सही है। जितना इरिगेशन बढ़ेगा उतने धन्धे बढ़ेंगे।

(श्री हरिदेव जोशी)

जितना इरिगेशन होगा उतना ही दूसरी चीजें बढ़ेगी। उसके साथ-साथ उसी प्रकार की दूसरी प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज़ लगानी होंगी। वे चल रही हैं, लग रही हैं। जहां तक उद्योगों के लगाने का सवाल है, राजस्थान उनका पूरी तरह से उपयोग करेगा अलबत्ता शुगर मिल्स के बारे में एक क्राइसिस पैदा हो गया था। वह यह था कि लगभग उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के आस पास में, भोपालसागर मिल के रेन्ज के अन्दर लगभग 20 लाख टन गन्ना पैदा हो गया जिसमें से यह शुगर फैक्ट्री करीब 14 लाख टन गन्ना पेर सकती थी वह भी जून के आखिर तक और आमतौर पर यह फैक्ट्री अप्रेल के अन्त तक ही चलती है। हमने उनको फैक्ट्री को जून के एण्ड तक चलाने को कहा और सारे प्रयत्नों के बाद भी आखिर में 6 लाख क्विन्टल गन्ना किसानों के पास बच रहता था। तो हमने यह व्यवस्था की कि केशोरायपाटन मिल्स के साथ जो कि हमारी को-ऑपरेटिव शुगर मिल है, उस मिल को हम अप्रेल के एण्ड तक बन्द करना चाहते थे. उसको भी यह गन्ना पेरने के लिए कहा और दोनों मैनेजमेन्ट ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली। भोपालसागर शुगर मिल का मैनेजमेन्ट केशोरायपाटन मिल के बिहाफ पर गन्ना लेकर वहां गन्ना भेजेगा और किसानों को पैसा भी वही देगा। इस प्रकार चित्तौड़ इलाके और दूसरे इलाके के लोगों को गन्ने की खरीद न होने से जो नुकसान होने वाला था वह अब नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खनिज भण्डार काफी अच्छे हैं। इसलिए हमने लाइम स्टोन के ऊपर आधारित सीमेंटन फैक्ट्री पर जोर दिया है। यह खुशी की बात है कि निम्बाहेड़ा की सीमेन्ट फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ गई है और नीम का थाना, कोटपूतली, खेमली सिरोही, आबूरोड़ और ब्यावर, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परन्तु रेलवे इसमें बाटलनेक हैं। नीम का थाना के लिए लाइसेंन्स मिला है। खेमली के लिए हो गया, ब्यावर के लिए हो गया। रेलवे लाइन की दिक्कत है। रेलवे यह कह रही है कि उसकी इतनी लोडिंग कैपेसिटी नहीं है। इसका रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लियरेन्स नहीं किया है। हम अपने स्तर पर इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी और जब ये सीमेन्ट फैक्ट्री चालू हो जायेंगी तब राजस्थान उत्तर भारत में सबसे अधिक सीमेन्ट पैदा करने वाला राज्य होगा, इसमें हमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा की सीमेन्ट फैक्ट्री का एक्सपेन्शन, चित्तौड़ की सीमेन्ट फैक्ट्री का एक्सपेन्शन और उदयपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री का एक्सपेन्शन होने जा रहा है। इस बाबत क्लियेरेन्स हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हम यहां पर उद्योग लगा सकते हैं और औद्योगिकरण कर सकते हैं राजस्थान का। हिन्दुस्तान जिंक स्मेलटर के एक्सपेन्शन की बात नहीं सुनते हैं हमारी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग इस बात के लिए इन्ट्रस्टेड हैं कि यहां पर एक्सपेन्शन न हो। इसलिए कुछ लोग शगूफेबाजी अखबारों में निकालते हैं। किन्तु राजस्थान सरकार इस

(श्री हरिदेव जोशी)

बात में साफ है। हम किसी भी स्थिति के अन्दर इन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। राजस्थान के अन्दर यह जो एक्सपेन्शन स्वीकार किया है, वह होना चाहिए था और वह होगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग, कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि जो जॉइन्ट जिंक स्मेल्टर सवाई माधोपुर में लगने वाला था, वह कब होगी पहले ही दिन मैंने यह कहा था कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैंने पहले ही दिन सवाई माधोपुर और उदयपुर के लोगों से कहा था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए इसके बारे में अनावश्यक कन्ट्रोवर्सी पैदा नहीं की जानी चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज भी इतने भण्डार जिंक और लेड के हैं कि उसके ऊपर आधारित उद्योग राजस्थान में ही लगाये जाने चाहिएं। ऐसे उद्योगों का राजस्थान के बाहर लगाया जाता है तो यह राजस्थान के साथ अन्याय करना होगा। अभी इसका कोई प्रश्न पैदा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो लाइसैन्स अथवा लेटर ऑफ इन्टेन्ट आर. आई. एम. डी. सी. को मिले हैं। ये उद्योग इसलिए नहीं लग पा रहे हैं, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसके चेयरमैन कौन हो, इसके बाबत में गड़बड़ होने के कारण सफाई नहीं हो पा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सारे हिन्दुस्तान में एक ही पैटर्न है। हम कोई चीज दूसरी नहीं करते। एक माना हुआ पैटर्न यह है कि चेयरमैन अथवा मैनेजिंग डाईरेक्टर ऑफिशियल, गवर्नमेन्ट का होना चाहिए इसको मैं बदल नहीं सकता। हम इसमें किसी भी प्रकार से कम्प्रोमाइज करके चेन्ज नहीं कर सकते हैं। लाइसैन्स प्राप्त करने एक बात है और उसकी फिजीबिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना दूसरी बात है। इसमें टाइम लगता है और लगेगा। जहां तक स्कूटर फैक्ट्री का सवाल है, स्कूटर फैक्ट्री कम्पलीट हो चुकी है। दो महीने की डिले इसलिए हुई है कि हरियाणा में जो हमारे लिए कम्पोनेन्ट बनने को थे, पावर शॉर्टेज के कारण वहां पर डेडलाग पैदा हो गया। अब इसको हमें राजस्थान में करवाना पड़ेगा। एक दो महीने की डिले हो सकती है किन्तु जो स्कूटर राजस्थान की प्लान के अनुसार आना चाहिए था, उस समय के दो महीने के बाद यह स्कूटर निश्चित रूप से रोड पर आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कॉपर स्मेल्टर की बात कही गयी और कॉपर स्मेल्टर के तहत फर्टीलाइजर फैक्ट्री खेतड़ी में लगाये जाने की बात कही गयी। मेरे ख्याल में दो तीन महीने में काम कम्पलीट हो जायेगा और राजस्थान के अन्दर फर्टीलाइजर फैक्ट्री का काम उत्पादन एक प्रकार से शुरू हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान के औद्योगिक विकास भविष्य में होने के लिए पूरा पूरा विश्वास है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और तीन वार्षिक योजनाओं में राजस्थान के उद्योगों के अन्दर जितना इनवेस्टमेन्ट हुआ है पिछले इन 23 वर्षों में, शायद पाचवीं पंचवर्षीय योजना के अकेले इन पांच वर्षों में राजस्थान के उद्योगों में इतना हो इनवेस्टमेन्ट हो सकेगा, ऐसा मेरा

(श्री हरिदेव जोशी)

विश्वास है। इसके लिए हमें अगर दूसरी तरफ कोताई करनी पड़ेगी तो करेंगे और राजस्थान में इण्डस्ट्रियल बेस बनाने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता हुई, अण्डर राइट करने के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से पूंजी देंगे और कोई कोताई नहीं करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर में ट्रैक्टर का कारखाने लगाये जाने की घोषणा की गई थी, सरकार द्वारा परन्तु इस दिशा में वहां पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। अब इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, कृपया इसकी भी जानकारी देंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तो इसमें कुछ नहीं है।

श्री रामकिशन : यह तो केवल एक घोषणा मात्र थी ?....

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए मेरा निवेदन करना यह था कि हमको राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए आशावान रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द मैं हैण्डीक्राफ्ट और खादी के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट को पिछले वर्षों में काफी बल मिला है और यह दिन प्रतिदिन डवलप होता जा रहा है। यह खुशी की बात है कि राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को अब एक्सपोर्ट के लिए अनुमति मिल गयी है और एक्सपोर्ट से हैण्डीक्राफ्ट को बल मिलेगा। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि बाड़मेर के अन्दर जो बकरी के बालों की जटपट्टी जो कहलाती है, बनती है उसको भी इसी राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के मार्फत एक्सपोर्ट करें यह हमारा प्रयत्न है।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो छपाई के और दूसरे काम हैं उन कामों को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और हमारी यह कोशिश है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के अन्दर जो ऊन पैदा होती है उस ऊन का सही ढंग से उपयोग हो, प्रोसेसिंग हो, उसका उत्पादन राजस्थान के अन्दर ज्यादा बढ़े, इन चीजों को ध्यान में रख कर, अध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीनों से हमने काफी प्रगति की है। राजस्थान खादी बोर्ड को इस सिलसिले में हमने जितनी भी पूंजी की आवश्यकता थी वह पूंजी हमने उनको दी है, और खादी के लिए जो इम्प्लीमेंट्स की जरूरत है ऊन खादी के लिए उन इम्प्लीमेंट्स को बनाने के लिए हमने यह प्रयत्न किया है कि उसके लिए सारे का सारा तामिलनाडू और गुजरात पर आधारित नहीं होना पड़े और राजस्थान में यह बनाये जायं इसकी व्यवस्था कर ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में ऊन का अगर अच्छे ढंग से उपयोग कर सकें तो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और उधर के हिस्सों के लिए हम बहुत ज्यादा तादाद में मददगार हो सकेंगे। इस विषय में नम्रतापूर्वक जो भी प्रयत्न कर सकते हैं कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले 2-3 वर्षों के अन्दर इसका उत्पादन काफी बढ़ेगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

बाकी की चीजों में इस वक्त इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रगति विवरण जो सक्यूलेट किया गया है उसमें सब चीजें आ गई हैं जो कटमोशन्स स्पेसिफिक चीज के लिए दिये गये हैं उनका जवाब भी भेज दिया जायगा इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांगें रखी गई हैं उन्हें पारित किया जाय।

मांग संख्या 16

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,58,07,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह कि मांग संख्या 41 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 98,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 1975 के प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8 बजकर 8 मिनिट पर शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 1975 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

---

(200)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 482 की सूची)

क्र. सं.	नाम माह	आवन्टित मात्रा
1.	अक्टूबर, 73 से नवम्बर, 74 तक	गेहूं एवं बाजरा 6 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह से दिया गया है। माईलो नहीं दिया गया।
2.	दिसम्बर, 74	केवल बाजरा 6 किलो प्रति यूनिट से वितरण कराया गया है।
3,	जनवरी, 75	माईलो 12 किलो प्रति यूनिट प्रति माह से वितरण कराया गया है।
4.	फरवरी, 75	9 किलो माईलो व 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति वितरण कराया गया है।
5.	मार्च, 75	8 किलो माईलो व 4 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति वितरण कराया गया है।

———

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 487 की सूची)

26 दिसम्बर को विद्यार्थियों द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में की गई तोड़फोड़ का विवरण

1. कमरों में रक्खा हुआ फर्नीचर व टेलीफोन को क्षति पहुंचाई ।

2. टेलीफोन में पी.ए.वी.एस. के तारों को तोड़ दिया गया तथा मशीनरी को नुकसान पहुंचाया गया ।

3. कई दरवाजों, अलमारियों, मेजोंकी दराजों के तालों की तोड़-फोड़ और उनमें रक्खे हुए फाइल और कागजों को नष्ट कर दिया । कई एक पत्रादि और दस्तावेज और परीक्षार्थियों से प्राप्त हुए, गुम पाये गये ।

4. एक फेसिट मशीन और चार स्टेपिल मशीन भी गुम पाई गई हैं ।

5. 200) की कीमतों के पोस्टेज स्टाम्प्स को भी गायब पाया गया ।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये शेष तारांकित प्रश्नोत्तर)

राजस्व मण्डल की बैंच

488. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्व मडल की बैंच की बैठक पहले समय-समय पर कोटा डिवीजन में हुआ करती थी जिसका मुख्यालय कोटा में रहता था ? यदि हां, तो अब कोटा में बैठकें क्यों नहीं होती हैं ? और अब पुन: कोटा में बैंच कब से बैठने लगेगी ?

उत्तर

जी हां।

1969 के पूर्व तीन माह में एक बार कोटा में बैंच लगा करती थी। उस क्षेत्र के मामले कम होने से कोटा में बीच लगाना समाप्त कर दिया गया। अब दुबारा लगाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

तहसील राजगढ़ में किसानों के बाड़ों का नियमन

489. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही नहीं है कि तहसील राजगढ़ (जिला चुरू) में कितने ही किसानों को उनके बाड़ों को नाजायज कब्जा बतलाया जाकर नोटिस दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है, जबकि 1-1-71 से पूर्व के बाड़ों को जायज करार दिया जाना चाहिये था ?

(स्थगित किया गया)

अलवर के भू. पू. महाराजकुमार के विरुद्ध शिकायतें

491. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश अलवर ने अलवर के भूतपूर्व राजकुमार प्रतापसिंह के विरुद्ध जिलाधीश कार्यालय के सामने महल चौक से जायिलां तोड़ कर अपने आदमियों के द्वारा जबरदस्ती ले जाने की रिपोर्ट कोतवाली, अलवर में लिखित रूप में गत वर्ष भेजी थी ? कृपया रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि महाराजकुमार के आदमी इन जालियों को तोड़ कर लाने के लिये हथियारबन्द गये थे ?

(3) क्या पुलिस ने महाराजकुमार के खिलाफ कोई केस दर्ज किया ? यदि हां, तो क्या इसमें अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इसी महाराजकुमार ने हाथी, घोड़ा, पैदल हथियारबन्द लोगों को लेकर कुछ दिन बाद मर्दाने महल पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की थी ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) क्या यह भी सही है कि इस महल पर जिस पर सन् 1947 से राज्य सरकार का कब्जा है इसी महाराजकुमार ने अपने पुराने राज्य का पंचरंगा झण्डा फहरा दिया था ?

(6) राज्य सरकार ने उक्त महाराजकुमार के विरुद्ध क्या कार्यवही की ?

उत्तर

(1) श्री प्रतापसिंह भूतपूर्व महाराजकुमार, अलवर के आदमियों द्वारा महल चौक से जालियां तोड़कर ले जाने के सम्बन्ध में कार्यालय अधीक्षक की एक रिपोर्ट जिलाधीश, अलवर ने अपने पत्र के द्वारा पुलिस कोतवाली, अलवर पर भेजी जिस पर अभियोग संख्या 388, दिनांक 24-12-73 धारा 447/379 भा. दं. संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जालियां तोड़कर ले जाने वाले व्यक्तियों के हाथों में कुदाल, छेणी, हथोड़े और भाले होने का उल्लेख प्रथम सूचना में है।

(3) जी नहीं, परन्तु भूतपूर्व महाराजकुमार के आदमियों के विरुद्ध केस दर्ज हुए है। अनुसंधान जारी है।

(4) दिनांक 14-2-74 को भूतपूर्व महाराजकुमार, अलवर के आदमियों ने मर्दाना महल पर कब्जा करने के लिए महल में प्रवेश किया। इनके पास दो हाथी, दो बैल गाडियां व एक कार थी। इस घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 54, दिनांक 14-2-74 धारा 448 भा. द. संहिता के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली, अलवर में पंजीबद्ध किया गया है।

(5) दिनांक 14/15-2-74 की रात्रि में श्री प्रतापसिंह के व्यक्तियों ने महल के मुख्य द्वार पर पंचरंगा झण्डा फहरा दिया। महल राज्य सरकार के कब्जे में है। इस घटना की रिपोर्ट श्री छगनसिंह चौकीदार जिलाधीश कार्यालय, अलवर द्वारा दिनांक 15-2-74 को की जाने पर अभियोग संख्या 56 धारा 448 भा. द. संहिता के अन्तर्गत पुलिस कोतवाली, अलवर में पंजीबद्ध किया गया है।

(6) जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें भूतपूर्व महाराजकुमार नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

बालकों के शालाओं में जाने का प्रतिशत

492. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन वर्षों में राज्य में 6 से 11 वर्ष के उम्र वाले बालकों का शालाओं में जाने का क्या प्रतिशत है ?

(2) राज्य सरकार इस कार्य को अधिक गति देने के लिए क्या विशेष प्रयत्न करना चाहती है ?

उत्तर

(1)

वर्ष	प्रतिशत
1971-72	47.5
1972-73	51.0
1973-74	53.4

(शिक्षा मंत्री)

(2) नामांकन अभियान, छात्रों की संख्या देखते हुए नए स्कूल खोलना, जो छात्र पूरे समय में स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए अंशकालीन शिक्षा केन्द्र खोलना आदि के द्वारा इस कार्य को गति दी जा रही है।

जिला झालावाड़ में कृषकों द्वारा जंगल से जलाऊ लकड़ी का उपयोग

493. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ के कृषक 3/- रुपया प्रति बैलगाड़ी के हिसाब से वन विभाग में महसूल जमा करके अपनी आवश्यकतानुसार सदैव से ही बैलगाड़ियों द्वारा जंगल से जलाऊ लकड़ी लेते आये हैं ?

(2) क्या यह सच है कि इस वर्ष वन विभाग ने इन कृषकों से महसूल लेकर चिट्ठी देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब उन्हें यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर..

(1) जी हां। पिछले कुछ वर्षों से यहां के कृषकों का निजी उपयोग हेतु बैलगाड़ियों से सूखी जलाऊ लकड़ी उपलब्धता के आधार पर रॉयल्टी पर लाने देने की सुविधा दी हुई थी

(2) जी हां। वनों में सूखी गिरी पड़ी लकड़ी नहीं होने के कारण महसूल लेकर कृषकों को सूखी जलाऊ लकड़ी के परमिट देना सम्भव नहीं है। सूखी लकड़ी उपलब्ध होने पर यह सुविधा पुनः दी जा सकेगी।

बाड़मेर जिले के अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

494. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1967 से लेकर अब तक किन-किन राहत कार्यों में किन-किन मजदूरों की कितनी-कितनी मजदूरी कितनी अवधि का बकाया है ? सूची उनके मस्टर रोल की संख्या देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बकाया मजदूरी की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं और उनमें क्या-क्या सफलता प्राप्त हुई हैं ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(3) कब तक अदायगी का कार्य सम्पूर्ण कर दिया जायगा ? निश्चित तिथि से अवगत कराने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची अभिकरणवाइज उनके मस्टररोल की संख्या अंकित करते हुए, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अवशेष मजदूरी की अदायगी के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवशेष राशि का भुगतान सम्बन्धित श्रमिकों को करने हेतु राशि तहसीलदारान को दी जा चुकी है। सिंचाई एवं भू-संरक्षण अभिकरणों को बकाया देय राशि का भुगतान करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(अकाल सहायता मंत्री)

(3) भुगतान जल्दी से जल्दी कर दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

शुगर मिल भोपालसागर द्वारा गन्ने की खरीद

495. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

या यह सही है कि शुगर मिल भोपाल-सागर, जिला उदयपुर ने माजरिया गन्ना नं. 312 किसानों से लेना बंद कर दिया है? यदि हां, तो कब से और क्यों? और पहले किस मात्रा में लेती थी?

(स्थगित किया गया)

अनट्रेण्ड अध्यापकों को ट्रेण्ड ग्रेड

496. श्री रतीराम यादव (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मत्स्य राज्य यूनिट में 10-15 वर्षीय अनुभव के आधार पर अनट्रेण्ड टीचर्स को ट्रेण्ड मान कर ट्रेण्ड ग्रेड दिये गये थे।

(2) क्या राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने भी कई एक आदेशों द्वारा 10-15 वर्षीय अनुभव के आधार पर भिन्न-भिन्न योग्यता प्राप्त अनट्रेण्ड अध्यापकों को ट्रेण्ड ग्रेड प्रदान किये थे?

(3) जब उपरोक्त आधार पर ऐसे अनट्रेण्ड अध्यापकों को ट्रेण्ड मान कर ट्रेण्ड ग्रेड प्रदान कर दिये गये और जयपुर निरीक्षणालय ने उन्हें सलेक्शन व ग्रेड भी दे दिये तब अलवर यूनिट में ही यह बाधा क्यों खड़ी हुई।

(4) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने तृतीय वेतन श्रृंखला के सलेक्शन ग्रेड दिनांक 1-9-61 से देना तय किया था?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री गोविन्द नारायण दायमा ने दिनांक 27-3-68 के पत्र द्वारा श्री अनिल बोर्डिया, निदेशक को सूचित किया था कि अलवर निरीक्षणालय में वरिष्ठ अध्यापकों के निमित्त कोई सुरक्षित स्थान न रख कर कनिष्ठ अध्यापकों को प्रोविजनल रूप से अनुचित सलेक्शन ग्रेड प्रदान कर दिये? यदि हां, तो कितने वरिष्ठ अध्यापक अपने अधिकार से वंचित रहे? कितने कनिष्ठ अध्यापकों को दिनांक 17-2-68 को द्रव्य लौटाने के लिए नोटिस जारी हुए?

(6) जब राजस्थान सरकार ने दिनांक 26-4-67 के आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दिया तब उसके बाद भी वरिष्ठ अध्यापकों को दिनांक 1-9-61 से सलेक्शन ग्रेड क्यों नहीं दिया गया?

(7) ऐसे वरिष्ठ अध्यापकों का यह मामला अब किस स्तर पर राज्य सरकार के अधीन विचारणीय चल रहा है और अब कब तक इसका निर्णय हो जायगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। किन्तु यह केवल दक्षतावरोध (Efficiency Bar) पार करने के लिए ही सुविधा दी गयी थी।

(3) केवल 10-15 वर्ष के अनुभव के आधार पर ही ट्रेण्ड मान कर सलेक्शन ग्रेड दिया जाना नियमानुकुल नहीं था।

(4) जी हां।

(5) ऐसी जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं है।

(6) यह स्पष्टीकरण 1967 में हुआ और उस समय तक सलेक्शन ग्रेड के सभी पद भरे जा चुके थे।

(7) यह मामला निदेशालय स्तर पर चल रहा है। अब ऐसे कितने व्यक्ति बच रहे हैं, जो अनुभव के आधार पर ट्रेण्ड होने के कारण सलेक्शन ग्रेड पाने के अधिकारी हैं—इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

बून्दी जिले में नामांकन का कार्य

497. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में अब तक इन्तकाल खुलने का कार्य पूरा नहीं हो पाया है ?

(2) यदि हां, तो कानूनगो क्षेत्रवार उन किसानों की सूची सदन के पटल पर रखें जिनका नामांकन खुलना शेष है तथा यह भी बतावें कि इसका कारण क्या है ?

(3) क्या राज्य सरकार जिला स्तर पर नामांकन (इन्तकाल) अभियान चलाये जाने के आदेश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

डूंगरपुर जिले में भू-संरक्षण कार्यक्रम

498. श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में भू-संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 1971 से सन् 1974 तक विभागीय तौर पर चले ? यदि हां, तो इसमें किस किस ग्राम में कितनी कितनी मजदूरी चुकाई गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिले के कई भागों में मजदूरी अभी तक नहीं चुकाई गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उसके चुकाने की क्या व्यवस्था कर नही है ? यदि नहीं, तो सन् 1971-73 की क्रेश स्कीम 1971-74 की डी. पी. ए. पी. तथा 1973-74 की फलड फेमिन के चुकारे के कुल पेन्डिग क्लेम्स हैं उनमें से मजदूरी कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(3) राज्य सरकार द्वारा भू-संरक्षण अनुदान देने की जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार डूंगरपुर जिले के किन किन ग्रामों को अनुदान चुकाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सत्य है कि भू संरक्षण अनुदान राशि के लिये ग्रामवासियों

(श्री रामचन्द्र रौत)

को परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो राजपुरा ग्राम का अनुदान अब तक किन कारणों से नहीं दिया जा सका ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज रख दी गई है। (परिशिष्ट अ-ब)

(2) जी हां। मजदूरों का चुकारा करने के लिए आवश्यक धनराशि के प्रावधान करने की व्यवस्था चालू है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं (परिशिष्ट द और न)।

(4) जी नहीं। जहां तक प्रश्न राजपुरा ग्राम का है, वहां के निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उनके मूल प्रार्थना-पत्र को गुम हो गये हैं। इसके निवारण के लिए नये फार्म भरवा कर भुगतान की कार्यवाही जारी है।

(सूचा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

नावां में एमरी स्टोन कम्पनी के मालिकों का कृषि भूमि पर अतिक्रमण

44. श्री दीपंकर (लाड़नूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नावां कांकड में खसरा नं. 326 अब पाकिस्तान गये एक नागरिक की जमीन है पर अब इस पर एमरी स्टोन कम्पनी के मालिकों ने कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषि भूमि को इन्डस्ट्रीज के नाम पर साबू बन्धु कोडियों में पचाना चाहते हैं और इसके लिए जिलाधीश कार्यालय में दरख्वास्त दे रखी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटाया गया है ? अगर हाँ, तो क्यों ? क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां, तो क्या ? अतिक्रमण करने वालों पर भी क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक और क्या ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण की हुई भूमि को साबू बन्धु बंजर भूमि बताकर हथियाना चाहते हैं जबकि ये खुद बराबर पिछले वर्षों से इस पर गेहूं की पैदावार करते आ रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिलाधीश कार्यालय में दरख्वास्त विचाराधीन है।

(3) इस भूमि भाग के बारे में मामला जिलाधीश कार्यालय में चल रहा है। निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(4) बेचाननाने के आधार पर एमेरी स्टोन कम्पनीं इस भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेना चाहती है। गिरदावरी के अनुसार इस भूमि भाग पर जौ व गूजी की काश्त होना पाया जाता है।

रामप्रकाश टाकीज जयपुर

500. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:—

(1) रामप्रकाश टाकीज जयपुर का निर्माण कब हुआ ? क्या यह सही है कि इस सिनेमा के निर्माण से पहले यह जयपुर राज्य का थियेटर था जिसे सिनेमा में परिवर्तित किया गया ? यदि हां, तो यह थियेटर कब निर्मित हुआ था ?

(2) क्या यह सही है उपरोक्त पुराने सिनेमा की इमारत गम्भीर स्थिति में है तथा किसी समय भी गिर कर अनेकों प्राण ले सकती है ? यदि हां, तो ऐसे सिनेमा का लाईसेन्स तुरन्त रद्द क्यों नहीं किया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सिनेमा में राजस्थान सिनेमाज (रेगुलेशन नियम) 1959 के नियम 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 वगैरहा की प्रायः अवेहलना की जाती है ? यदि हां, तो उपरोक्त नियमों को लागू करने के लिये कौन कौन अधिकारी जुम्मेवार हैं ? राज्य सरकार उनके बिरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राम प्रकाश सिनेमा का निर्माण 1878 में हुआ था और उस समय यह थियेटर था । सन् 1944 में इस भवन को सिनेमा भवन में परिवर्तित किया गया था ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) नियम, 1959 में लागू हुआ था यह सिनेमा 1944 में थियेटर से सिनेमा में परिवर्तित हुआ था नवीनीकरण के समय नियम 10, 12 की पूर्णतया पालना करने के बाद रिन्यू किया जाता है । नियम 16, 18 की पालना निर्माण करने के पहले अनापत्ति पत्र देते व लाइसेन्स देने से पूर्व की जाती है जबकि यह सिनेमा यह एक्ट लागू होने से पहले ही बना था अतः अब लागू नहीं होता है । इस सिनेमा में नियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 39 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 की पूर्णतया पालना की जाती है ।

चित्तौड़गढ़ जिले में दुग्ध उत्पादन योजना

501. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए क्या कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या योजना अनुसार कार्य प्रगति पर है ? यदि नहीं, तो क्यो नहीं ?

(3) भूमि पर से कृषि व्यवसाय का भार कम करने के लिये क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में कृषकों को दुग्ध उत्पादन में

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
लगाने के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) दुग्ध उत्पादन में लगने के लिये उत्सुक कृषकों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की व्यवस्था उपलब्ध है।

राजकीय महाविद्यालय दौसा

502. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय महाविद्यालय दौसा में छात्र संख्या विभिन्न कक्षाओं में कितनी है ? कृपया विषयवार व कक्षावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कॉलेज भवन में कुल कितने कमरे हैं ? क्या विद्यार्थीगण की संख्या के लिए पढ़ाई का पूरा पूरा प्रबन्ध है ?

(3) क्या उक्त भवन में विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरों की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो और कितने कमरों का निर्माण वांछित है ?

(4) इस नव निर्माण के लिए सरकार ने कोई राशि आवंटित की है ? यदि हां, तो कब और कितनी और पूरा भवन कब तक बना दिया जावेगा ?

(5) क्या सरकार छात्र संख्या को देखते हुए कॉलेज दौसा को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि दौसा कॉलेज में ग्रेजुएट होने के बाद छात्रों को बाहर अध्ययन हेतु जाना पड़ता है ?

(7) क्या स्थानीय कॉलेज के मुकाबले बाहर जाकर अध्ययन में अधिक राशि खर्च व परेशानी होती है ? यदि नहीं, तो कैसे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) महाविद्यालय दौसा में 9 कमरे, दो पुस्तकालय कमरे व 1 भण्डार है। जिनमें कला एवं वाणिज्य की कक्षायें चलती हैं। विज्ञान की कक्षायें हाई स्कूल भवन में चल रही हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई का इन दोनों भवनों में मिला कर पूरा पूरा प्रबन्ध है।

(3) जी, नहीं। इसके लिये 4 कमरे विज्ञान प्रयोगशाला के लिये व प्रथक् रूप से पुस्तकालय भवन निर्माण की आवश्यकता है।

(4) इस नव निर्माण भवन हेतु राज्य सरकार ने अब तक 5,25,009/- रुपये की राशि आवंटित की है जिससे कि वर्तमान में कमरे बनकर तैयार हो चुके है। भविष्य की जरूरतों जैसे विज्ञान प्रयोगशालाओं व पुस्तकालय भवन निर्माण जन सहयोग पर निर्भर है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) अभी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

(6) जी, हां।

(7) जी, हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम गुरजनिया थाना राशमी में अग्निकांड

503. **श्री गणेशलाल** (गंगरार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 14-1-75 के रात्रि को ग्राम गुरजनिया थाना राशमी में अग्निकांड हुआ था? यदि हां, तो किसके घर में व उस अग्निकांड से कितना नुकसान हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अग्निकांड किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने से हुआ है? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है व उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बद्रीलाल पुत्र हरलाल जाट साकिन गुरजनिया के बाड़े में आग लगी थी, जिसमें रखी ज्वार की कड़बी, घास, लकड़ी आदि जल गई तथा बाड़े के बराबर रहने वाले सर्वश्री गणेशलाल पुत्र चौथमल, उदयराम व जयचन्द्र पुत्र मोती कुम्हार के लकड़ी से बनी मकानों की छत व कुछ ज्वार की कड़बी आदि भी जल गई। इस अग्निकाण्ड में करीब 10,000/- के माल की क्षति पहुंची है।

(2) इस मामले में सर्वश्री मोहन पुत्र नारायण जाट तथा भैरू पुत्र दल्ला तेली निवासी गुरजनिया के खिलाफ दिनांक 13-2-75 को चालान पेश अदालत किया जा चुका है।

प्रतापगढ़ क्षेत्र के फॉरेस्ट रेन्ज में नाजायज काश्त

504. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, सब डिवीजन प्रतापगढ़ क्षेत्र के फॉरेस्ट रेन्ज, देवगढ़ और प्रतापगढ़ एरिया में कितनी-कितनी जमीन पर नाजायज काश्त हो रही है? अलग-अलग रेन्ज वाईज बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो व्यक्ति फॉरेस्ट एरिया की जमीनों पर नाजायज काश्त करते हैं वे भूमिहीन हैं? यदि हां, तो यह भूमि ऐसे भूमिहीन जो कि इसी तहसील एरिया के रहने वाले हैं के खाते में दर्ज करने में सरकार को क्या दिक्कत है?

(3) क्या यह सही है कि नाजायज काश्त करने वाले व्यक्तियों पर हर साल जुर्माना होता है और जमीनें छुड़ा दी जाती हैं और वर्षा काल के समय वापिस कब्जा कर दिया जाता है? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

(1) रेन्ज देवगढ़ में 1500 बीघा एवं रेन्ज प्रतापगढ़ में 1237 बीघा पर नाजायज काश्त हो रही है।

फागी तहसील में भूमि का अलाटमेंट

507. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कुन्दन मल वल्द श्री नन्दलाल गोदीका, निवासी जयपुर की फागी में एक हजार बीघा भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् 56 बीघा 14 बिस्वा भूमि खसरा नं. 162, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 173 व 199 तहसील फागी में खुदकाश्त के लिए जागीर कमिश्नर के आदेश सं. 6452, दिनांक 4-5-59 द्वारा दी गई थी जिसका कब्जा तहसीलदार, फागी ने उनको नहीं दिया और बाद में वह जमीनें दूसरे को अलॉट कर दी गईं ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रार्थी को 1964 में फिर आमेर तहसील में और 1969 में लालसोट में भूमि का आवंटन किया गया ? यदि हां तो फिर उसे दोनों बार कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ?

(3) क्या सरकार तीनों तहसीलदारों के विरुद्ध जमीन का कब्जा नहीं दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच करवायेगी ?

(4) क्या प्रार्थी अब भी जमीन प्राप्ति हेतु बराबर मंत्री महोदय, जन अभियोग निराकरण विभाग, जिलाधीश कार्यालय, जागीर कमिश्नर, कार्यालय नाजिम, जयपुर आदि के यहाँ चक्कर नहीं काट रहा है ?

(5) क्या जागीर कमिश्नर ने अपने पत्र क्रमांक 160/2/एफ/62 खु.का, दिनांक 11-5-74 द्वारा एस. डी. ओ., जयपुर को ग्राम कलवाड़ा, तहसील सांगानेर की खाली भूमि जिसका खसरा नं. 523 (रकबा 28 बीघा) व खसरा नं. 240 (रकबा 14 बीघा है) श्री कुन्दनमल को आवंटित किये जाने हेतु सुरक्षित रखने के लिये तथा श्री कुन्दनमल का मामला तय न होने तक किसी अन्य को यह जमीन अलॉट न करने को लिखा था और इसके बावजूद भी वह जमीन दूसरों को एस. डी. ओ. द्वारा अलॉट करदी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार एस. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) श्री गोदीका का हक होने के कारण जो दूसरों को अलॉटमेंट दिया गया है उसे रद्द कर श्री गोदीका को उसको उसके हक के अनुसार जमीन देने में क्या अड़चन है तथा अब इन्हें कब तक जमीन दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि श्री कुन्दनमल गोदिका की फागी में एक हजार बीघा भूमि अधिग्रहण की गई थी तथा 56 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम सालरस (जोकि उन्हीं की जागीर का ग्राम है) में तहसील फागी में दिनांक 7-5-59 को उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर द्वारा आवंटित की गई थी न कि जागीर आयुक्त द्वारा। श्री कुन्दनमल गोदिका, तहसीलदार फागी के पास समय पर इस भूमि का कब्जा लेने उपस्थित नहीं हुए अतः यह भूमि अन्य भूमिहीनों को आवंटित कर दी गई।

(2) जी नहीं, श्री कुन्दनमल गोदिका को 1964 में तहसील आमेर में कोई भूमि

(वन मंत्री)

(2) यह जानकारी वन विभाग को नहीं है। अतिक्रमणकारियों के खाते में वन भूमि दर्ज किये जाने का नियम नहीं है।

(3) वन भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने वालों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। पुनः अपराध किये जाने पर नियमानुसार फिर कार्यवाही की जाती है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उन्हें तुरन्त बेदखल कराने की कार्यवाही करने का विचार है।

सिरोही जिले में स्थित श्री ऋषिकेश मन्दिर व जल कुण्ड की मरम्मत हेतु सीमेन्ट

505. श्री भूराराम (आबू) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिरोही जिले के आबूरोड़ तहसील में स्थित श्री रिऋषिकेश मन्दिर व जल कुण्ड की मरम्मत हेतु सीमेन्ट के कट्टों के परमिट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि हाँ, तो दिनांक 1 अक्टूबर, 1973 से आज तक कुल कितने कट्टों के परमिट जारी हुए ? क्या वास्तव में सीमेंट का उपयोग मन्दिर व कुण्ड की मरम्मत के लिये किया गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा रही है ? अगर हां, तो दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

अक्टूबर, 1973 से आज तक सिरोही जिले के आबूरोड़ तहसील में स्थित श्री रिऋषिकेश मन्दिर व जल कुण्ड की मरम्मत हेतु सीमेन्ट के कट्टों के परमिट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए अतः सिमेन्ट के दुरुपयोग की जांच करवाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चणोद (सुमेरपुर)

506. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि इस शिक्षा सत्र में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चाणोद (सुमेरपुर) अकारण एवं अकस्मात बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने माह बन्द रहा व कार्यरत अध्यापिकायें उस समय में कहां पर ड्यूटी देती थी ? यह किसके आदेश से बन्द किया गया और किसके आदेश से खोला गया ?

उत्तर

जी हां। दिनांक 25-8-74 से 24-11-74 तक। शाला स्टाफ को अन्य शालाओं व बालिका विद्यालय उप निरीक्षिका, पाली के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति रखा गया। बालिका विद्यालय उपनिरीक्षिका, पाली के आदेश से शाला बन्द की गई एवं 25-11-74 को शाला पुनः अतिरिक्त जिलाधीश एवं उपनिरीक्षिका, पाली की उपस्थिति में खोली गयी।

(राजस्व मंत्री)

आवंटन नहीं की गई। उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर द्वारा दिनांक 12-3-69 को ग्राम कांकरिया, तहसील लालसोट में श्री गोदिका को भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि का कब्जा श्री गोदिका ने दिनांक 25-4-69 को यह कह कर नहीं लिया कि यह भूमि मोरेला बांध के भराव में आती है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी हां। प्रार्थी भूमि प्राप्ति हेतु अभी भी प्रयत्नशील है। परन्तु प्रार्थी ने उप-जिलाधीश (जागीर) को आवंटन चाही जाने वाली भूमि के खसरा नम्बर नहीं बतलाये हैं। जिसके अभाव में प्रार्थना-पत्र अभी तक विचाराधीन है।

(5) जी हां, श्री गोदिका ने जागीर आयुक्त के समक्ष ग्राम कालवाड़ में भूमि आवंटन करने की प्रार्थना की थी इसलिए जागीर आयुक्त ने उप-जिलाधीश (जागीर) जयपुर को प्रस्तावित भूमि आवंटन करने हेतु लिखा था। श्री गोदिका ने यह भी प्रार्थना की थी कि एस. डी. ओ., जयपुर अन्य काश्तकारों को ग्राम कालवाड़ में यह भूमि आवंटित न कर दे। अतः उन्हें भी लिखा जावें। इसलिए जागीर आयुक्त ने एस. डी. ओ. जयपुर को भी लिख दिया था कि श्री गोदिका का मामला विचाराधीन है इसलिये अन्य को यह भूमि आवंटन न की जावे।

जी नहीं। एस. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि एस. डी. ओ., जयपुर ने ग्राम कालवाड़ के भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भूमि का आवंटन किया है।

(6) उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

श्री गोदिका को भूमि आवंटन करने का मामला उप जिलाधीश (जागीर), जयपुर के समक्ष विचाराधीन है तथा श्री गोदिका को आवंटन हेतु चाही गई भूमि के बारे में विवरण (खसरा नम्बर आदि) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उनसे उक्त विवरण प्राप्त होने पर आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

तहसीलदार माण्डल (भीलवाड़ा) के विरुद्ध शिकायतें

508. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यह सही है कि तहसीलदार माण्डल (भीलवाड़ा) ने कवराड़िया ग्राम के शक्कर डीलर से रिश्वत में शक्कर की बोरियां लीं जिसकी शिकायत सम्बन्धित मंत्री एवं अधिकारियों के पास हुई थी?

(2) उक्त शिकायत का जांच कब हुई और किसने की? उक्त जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसीलदार, माण्डल (भीलवाड़ा) ने कवराड़िया ग्राम के शक्कर डीलर से रिश्वत में कोई बोरी नहीं ली श्री रतनलाल कनिष्ठ लिपिक ने उपभोक्ताओं के

(खाद्य मंत्री)

राशन कार्डस् पर डीलर से एक बोरी शक्कर ली थी।

(2) उक्त शिकायत की जांच माह दिसम्बर, 1974 में खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सूराठ (हिण्डोन) में बी. एस. टी. सी. का प्रशिक्षण

509. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम सूरोठ, तहसील हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर में इस साल बी. एस. टी. सी. के प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था/व्यक्ति को मान्यता/आज्ञा दी है ? यदि हां, तो किस नाम से ? उस व्यक्ति / प्रबन्धकों। संचालकों के नाम एवं पते क्या क्या हैं ? सूची सदन का मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस प्रशिक्षण को. मान्यता किस तारीख को दी गई ? वहां प्रवेश किस तारीख को प्रशिक्षणार्थियों को मिला तथा सत्र किस तारीख से शुरू हुआ है ? इसकी परीक्षाएं किस तारीख से होंगीं तथा उपस्थिति का औसत किस प्रकार पूर्ण होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार ने इस बात की पूर्ण जांच एवं तसल्ली कर ली थी कि इस प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री उपकरण वहां मौजूद थे एवं शिक्षण भवन एवं छात्रावास है ? यदि हां, तो विवरण देने की कृपा करें। इसमें लगे अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता क्या है और कितने हैं ?

(4) क्या यह सही है कि प्रवेश के बारे में इस प्रशिक्षण संस्था के खिलाफ प्रतिष्ठित व्यक्तियों/संगठनों/पत्रों ने गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या सरकार इस संस्था या ऐसी संस्थाओं को भविष्य में भी शिक्षा कार्य (प्रशिक्षण) देते रहने की आज्ञा देती रहेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मान्यता राजस्थान जन उत्थान संघ, सूरोठ (हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर) के नाम से दी गई है। संस्था के संचालकों के नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) दिनांक 26-10-74 को। प्रवेश का कार्य दिनांक 12-11-74 से हुवा। परीक्षाएं जून के प्रथम सप्ताह से होंगीं। अतिरिक्त कार्य द्वारा ही उपस्थिति पूरी की जा सकेगी।

(3) सरकार ने मान्यता की शर्तों में ही भवन एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु लिख दिया था जांच करने पर विदित हुआ कि विद्यालय भवन सूरोठ के ठाकुर का मकान है। जिसमें एक बड़े हाल में कक्षाएं लगाई जाती हैं। 120 छात्रों में से 24 छात्र

(शिक्षा मंत्री)

छात्रावास में रहते हैं। संस्था में लगे अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

1. श्री एन.एल. माथुर, प्रधानाचार्य (एम.ए.) सेवा निवृत विद्यालय निरीक्षक, झुंझुनू।

2. श्री रमेशचन्द्र, एम.ए. एल.टी.

3. श्री वासुदेव शर्मा, एम एस.सी. (भौतिकशास्त्र)

(4) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही जारी है।

(5) जांच पूरी की जा चुकी है। शीघ्र उस पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

कृषि उपज योजना

510. मोहनराज (बाली): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने राज्य में कृषि उपज विशेष कर अन्न उत्पादन अधिक बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में तत्काल में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं इसकी जानकारी देते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य के काश्तकारों ने अनाज की फसलों का रकबा कम कर नकदी जिन्सों की पैदावार अधिक क्षेत्र में बोने की ओर रुचि बढ़ाई है इसमें अन्न के मामले में आत्म निर्भर होने का हमारा लक्ष्य दूर हटता जा रहा है? राज्य सरकार ने इस प्रवृत्ति को कम करने अथवा रोकने हेतु क्या कदम उठायें हैं? क्या इस प्रवृत्ति को रोकने व कम करने हेतु कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई हिदायतें जारी की गयी हैं?

(3) राजस्थान में इस वर्ष खरीफ व रबी में कुल कितने एकड़ में फसल बोई गयी है? कुल सिंचित एवं असिंचित फसलों में कितने रकबे में खाद्यान की फसले हैं और कितने में अन्य फसलें। खरीफ व रबी के अलग-अलग आंकड़ों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उत्पादन अधिक बढ़ाने हेतु बनायी गयी योजना के क्रियान्वन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के अनुसार खाद्यानों का क्षेत्रफल सन् 1966-69 से 1973-74 में 23.2 प्रतिशत बढ़ा है।

(3) राजस्थान में 74-75 खरीफ में खाद्यान्न 77.13 लाख तथा नकदी फसलें 19.16 लाख हैक्टर में बोयी गयी थीं तथा रबी में खाद्यान्न 39.90 लाख हैक्टर में तथा नकदी फसलें 4.42 लाख हैक्टर में बोने का अनुमान है।

(कृषि मंत्री)

संस्था के संचालकों के नाम व पते

[राजस्थान वन उत्थान संघ, सुरोठ (हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर)]

1. अध्यक्ष:—श्री बृजमोहन शर्मा, स. ग्र. तृतीय वेतन श्रृंखला, राजस्थान विद्यालय फूटा खुर्रा, जयपुर

2. मंत्री:—श्री मुरारीलाल शर्मा, स. ग्र. तृतीय वेतन श्रृंखला, राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाट की सराय, हिण्डौन

3. उपाध्यक्ष:—श्री नाथूसिंह स. ग्र. तृतीय वेतन श्रृंखला

4. संयुक्त मंत्री:—श्री द्वारका प्रसाद गोयल, भू. पू. अध्यापक, निवासी गांव-चौकी वर्तमान व्यवसाय भरतपुर

सदस्य:—

1. श्रीमती कपूरी देवी, व्यवसाय खेतीबाड़ी, गांव सूरोठ

2. श्री कमलेशनाथ मुकर्जी, सेवानिवृत्त से लेखाकार, पुलिस विभाग, वर्तमान व्यवसाय इलेक्ट्रोनिक्स, जयपुर

3. श्री भंवरलाल व्यास, भू. पू. अध्यापक, उ. मा. वि. मोतीकटला, जयपुर वर्तमान सचिव राजकीय विभाग

अधिक उत्पादन बढ़ाने हेतु किए गए कार्यों की सूची

1. सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी—

सिंचित क्षेत्रफल जो सन् 52-53 में 12.83 लाख हैक्टर था सन् 73-74 में बढ़ कर 26.17 लाख हैक्टर हुआ है। यह वृद्धि करीब 100 प्रतिशत है। इन वर्षों में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 2.39 लाख हैक्टर से बढ़ कर 8.59 लाख हैक्टर हो गया है। कुओं से सिंचित क्षेत्रफल भी 8.53 लाख हैक्टर से बढ़ कर 15.12 लाख हैक्टर हो गया है।

कुओं, पम्प सैट, नालियां आदि बनाने के लिए कृषि वित्त निगम की सहायता से 23 योजनायें चालू हैं।

2. बुवाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी—

सन् 52-53 में विभिन्न फसलें 109.39 लाख हैक्टरों में उगायी जाती थी जो सन् 73-74 में बढ़ कर 166.70 लाख हैक्टर में बोई जाने लगी है।

3. रसायनिक उर्वरकों का उपयोग—

रसायनिक उर्वरक जो प्रथम योजना तक करीब 980 टन ही प्रयोग में लाये जाते थे अब 73-74 में 73,200 टन रसायनिक उर्वरक का वितरण किया गया है।

4. अधिक उपज देने वाले बीज—

धान, ज्वार, बाजरा, मक्का एवं गेहूं के अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग

(कृषि मंत्री)
वर्ष 66-67 से शुरू किया गया। वर्ष 73-74 तक 10.54 लाख हैक्टर क्षेत्र में इन बीजों का प्रयोग किया गया।

5. पौध संरक्षण—

दूसरी योजना के अन्त में पौध संरक्षण का कार्य 3.92 लाख हैक्टरों क्षेत्र में किया गया था। सन् 73-74 के अन्त तक यह क्षेत्रफल बढ़ कर करीब 27 लाख हैक्टर हुआ है।

6. भू-संरक्षण कार्य—

यह कार्य दूसरी योजना काल में शुरू किए गए जबकि कुल 43 लाख हैक्टर में इन कार्यों को पूरा किया गया। वर्ष 1973-74 तक भू-संरक्षण कार्य 9 लाख हैक्टर में पूरे किए जा चुके हैं।

7. शहरी खाद का प्रयोग—

शहरी खाद का प्रयोग सन् 73-74 तक बढ़ कर 68,000 होने लगा है।

8. कृषि के आधुनिक तरीके जैसे यूरिया का पत्तों पर छिड़काव (रसायनिक खाद खपत में बचत) व राईजोबियम कल्चर (चने के उत्पादन को 20 से 60 प्रतिशत तक बढ़ाने योग्य) का प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया है।

चम्बल व राजस्थान नहर के चुने हुए क्षेत्र में सघन कृषि विस्तार योजना शुरू कर दी गयी है।

पश्चिमी जिलों के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में व्यय की गई राशि

511. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश का पश्चिमी भाग आमतौर पर अकालग्रस्त रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1970-71 से पश्चिमी जिलों के अकाल के स्थायी निवारण के लिए कुछ कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये ?

(3) इन कार्यक्रमों पर राज्य के विभिन्न जिलों से कितनी धनराशि व्यय की गई ? मदवार और जिलेवार आंकड़े बतावें।

(4) क्या राज्य सरकार ने इस धन-राशि से किये गये सूखा निवारण कार्यों का मूल्यांकन किया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का यह अनुभव है कि इन कार्यक्रमों का उन जिलों की अर्थ व्यवस्था पर लाभदामक प्रभाव पड़ा है ?

(5) क्या राज्य सरकार की यह मान्यता है कि इन कार्यक्रमों के जरिये अकाल का निवारण हो रहा है और भविष्य में अकाल पर काबू पा लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना में ड्रॉउट प्रोन ऐरिया प्रोग्राम (डी.पी.ए.पी.)

(कृषि मंत्री)

के तहत कार्यक्रम चालू किया गया था जिसका उद्देश्य अकाल का स्थाई रूप से मुकाबला करने के लिए इन्फ्रारास्टक्चर (Infrastucture) तैयार करना और लोगों को रोजगार देना था ।

(3) डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तथ्य जिलेवार एवं पैदवार आंकड़े संलग्न हैं ।

(4) हालांकि विस्तृत मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है लेकिन अभी तक किये गये कार्यों की उपयोगिता के आधार पर यह महसूस किया गया है कि ये कार्यक्रम लाभदायक हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में डी. पी. ए. पी. की रूपरेखा कुछ बदल दी गई है । इस कार्यक्रम के तथ्य कमजोर वर्ग की आमदनी को बढ़ाने के लिये व इन जिलों में आर्थिक साधनों का अधिकतम उपयोग किये जाने पर बल दिया जा रहा है ।

(5) अकाल की समस्या इतनी भीषण है कि इस पर पूरी तरह से काबू पाना बहुत बड़ा काम है । जिसमें विद्युत् साधनों की आवश्यकता होगी । इस वर्ष अकाल पड़ने पर इन कार्यों द्वारा उसकी विभीषिका को कम करने में नियमित रूप से सहायता मिलेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 268 की सूची)

जयपुर जिला अन्तर्गत तहसील वाइज सूची चरागाह भूमि एवं अतिक्रमित भूमि

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल चरागाह भूमि (क्षेत्रफल एकड़ों में)	अतिक्रमण किये गये चरागाह भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1	2	3	4
1.	जयपुर	1288	106
2.	सांगानेर	9630	579
3.	बस्सी	12630	119
4.	चाकसू	19439	592
5.	आमेर	7682	758
6.	जमवारामगढ़	37582	587
7.	कोटपूतली	8171	331
8.	विराट नगर	19030	कोई अतिक्रमण नहीं है
9.	दौसा	2446	650
10.	बसवा	13414	310
11.	लालसोट	13886	385
12.	सिकराय	9673	113
13.	फुलेरा	22589	155
14.	दूदू	32532	387
15.	फागी	29393	142
	योग:—	232385	5144

(220)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न सं. 269 की सूची)

जिला उदयपुर में जितने गांवों में खरीफ सम्वत् 2031 की फसल में आठ आना या इससे अधिक क्षति हुई, उनकी तहसीलवार विवरण।

क्रम सं.	नाम तहसील	गांवों में संख्या
1.	गिरवा	206
2.	गोगुन्दा	140
3.	नाथद्वारा	170
4.	आमेट	134
5.	कुम्भलगढ़	146
6.	राजसमन्द	89
7.	रेलमगरा	77
8.	देवगढ़	123
9.	भीम	86
10.	वल्लभनगर	264
11.	धरियावाद	241
12.	सलूम्बर	220
13.	सराड़ा	152
14.	खैरवाड़ा	233
15.	झावली	138
16.	झाड़ोल	242
17.	कोटड़ा	299
		2960

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न सं. 270 की सूची)

जयपुर नगर के आस पास पूंजीपतियों द्वारा धारित कृषि भूमि की सूची

क्र. सं.	पूंजीपति घराने का प्रचलित नाम	विवरण कृषि भूमि: तहसील	विवरण कृषि भूमि: ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	भूमि का वर्तमान उपयोग	विशेष विवरण
1.	बिडला	जयपुर	बस्सी, सीतारामपुरा, हसनपुरा, चक हसनपुरा, चूहावास, प्रेमपुरा, मानपुर, देवली उर्फ मीनावास व सहजपुरा	108	पड़त है	इस भूमि को औद्योगिक क्षेत्र में रूपान्तरण करने हेतु प्रार्थना की गई है जिस बाबत कार्यवाही चल रही है ।
2.	कमानीज	सागानेर	गोपालपुरा	134	डेरी फार्म व खुद काश्त	मजदूरों द्वारा काश्त कराई जाती है ।
		जयपुर	बीड सरकारी झोटवाड़ा	87	पड़त	तार लगाकर काश्त कर रखा है ।
		सांगानेर	दुर्गापुरा, ढोलका बास, अमलाना चोर बोका बास, सांगानेर	145	खुद काश्त	मजदूरों द्वारा काश्त कराई जाती है ।
3.	दुर्सभजी	जयपुर	सुशीलपुरा	87	,,	,, ,,
4.	सुराणा	जयपुर	गर्जसिंहपुरा	13	,,	,, ,,
5.	जाजू	जयपुर	मानवा	169	,,	,, ,,
6.	रूंगटा	सांगानेर	श्योपुर	16	,,	,, ,,
7.	जे. के. सिंह मानिया	सांगानेर	श्योपुर	52	,,	,, ,,

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की सूची)

तहसीलवार सूची पेंडिंग इन्तकाल जिला बीकानेर

1.	तहसील बीकानेर	21
2.	तहसील लूणकरणसर	80
3.	तहसील नोखा	32
4.	तहसील कोलायत	32
	कुल योग :	165

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 281 की सूची)

सूची "क"

क्र. सं.	नाम गांव व संख्या नलकूप			चालू करने का वर्ष	विवरण
1.	सियाणा	—	1	1971	खराब हो जाने से बन्द है ।
2.	हिम्मतसर	—	1	1971	विभाग द्वारा चलाया जा रहा है ।
3.	लाखूसर	—	1	1971	,, ,,
4.	शेरेरा	—	1	1971	जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है ।
5.	बादनू	—	1	1971	,, ,,
6.	साधूना	—	1	—	पानी काम का नहीं होने से शुरू ही नहीं किया गया ।
7.	कुम्माणा	—	1	1972	विभाग द्वारा चलाया जा रहा है ।
8.	लाम्बाणा	—	1	1972	खराब होने से बन्द है ।
9.	बन्दाला	—	1	1972	पानी नहीं होने से बन्द कर दिया है ।

सूची "ख"

क्र. सं.	नाम नल कूप	माहवारी खर्च
1.	हिम्मतसर	1,145.00
2.	लाखूसर	1,234.00
3.	कुम्माणा	1,74.09
4.	लम्बाणा	461.00
5.	सियाणा	323.00
6.	बन्दाला	207.00

(224)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 284 का विवरण)

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12-2-73 को प्रसारित राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) आदेश, 1973 में उत्पादकों, व्यापारियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खाद्यान्न संग्रह करने पर सक्षम अधिकारी को प्रति माह उसकी सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रावधान रखे गये। उस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषियों का खाद्यान्न अधिग्रहण करने के अधिकार दिए गए इससे खाद्यान्न की जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ा।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-3-73 को गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर राजस्थान गेहूं (व्यापार विनियमन) आदेश, 1973 प्रसारित किया गया जिसके द्वारा उत्पादकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए एक समय में गेहूं के क्रय-विक्रय एवं संग्रह सीमा निर्धारित की गई ताकि गेहूं की जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि न हो सके।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3-9-73 को आदेश जारी कर सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए गए कि वह आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में व्यापारियों से सम्पर्क कर स्वेच्छा से कीमतें कम करने के लिए राजी करें तथा जमाखोरों, मुनाफाखोरों एवं काला बाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

(4) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनेक आदेश जारी कर जिलाधीशों को हिदायतें दी गई कि वह बड़े किसानों, व्यापारियों एवं समाज विरोधी तत्वों द्वारा खाद्यान्न आदि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के विरुद्ध प्रभावी रूप से अभियान चलाएं तथा दोषियों के विरुद्ध प्रसारित नियंत्रण आदेश भारत रक्षा नियमों एवं मीसा के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करें। इन आदेशों के फलस्वरूप चलाए गए अभियान में अनाधिकृत तौर पर जमा किया गया काफी मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पकड़ कर जप्त की गई। साथ साथ वाहन भी जप्त किए गए तथा कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही कर दोषियों को दण्ड दिलाए गए हैं। राज्य सरकार पूर्णतया सजग रह कर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करती रही है तथा जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि को रोकने के यथासम्भव प्रयत्न किए हैं।

(5) वितरण व्यवस्था समाज के कमजोर वर्ग के लिये व्यवस्थित बनाये रखने के आधार पर भी मूल्य वृद्धि रोकने में सहायता मिली है।

Page No 225

225

1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की अवधि में विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नांकित संख्या में केसेज बनाये गये व सामान जप्त किया गया:—

(1) व्यक्ति गिरफ्तार किये	334	
(2) सजा दी गई	235	
(3) वाहन जप्त हुये	18	
(4) खाद्यान्न जप्त हुआ:—		
(क) गेहूं	10,191	क्विन्टल
(ख) बाजरा	1,296	,,
(ग) ज्वार	277	,,
(घ) पेड़ी	537	,,
(ङ) चना	702	,,
(च) मक्का	205	,,
(छ) जौ	251	,,

(226)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 287 की सूची)

क्र. सं.	नाम		तादादी
1.	परिवहन एवं श्रम देयक मार्केटिंग को. सो., बाड़मेर		637.60
			2079.48
2.	,,	,, वायतू	262.44
			1651.89
			835.95
			2008.41
3.	,,	,, रमजानकी	1323.11
4.	,,	,, रावतसर	1158.60
5.	,,	,, ग्राम सेवा समिति, सियाना	3442.17
6.	,,	,, दयाराम जगदीश शिप	234.67
7.	,,	,, ग्राम सेवा समिति, सारनू	1535.72
8.	,,	,, सीताराम रेल्वे को. स्टोर, समदड़ी	456.00
9.	,,	,, रेडाना	197.30
10.	,,	,, विरधीचन्द मनसुखदास बलाई, भाखरी	754.94
11.	,,	,, भवानी शंकर नेमीचन्द, कानासर रोड	1343.48
12.	,,	,, गवालवाडी	1018.73
13.	,,	,, अर्जुनदास गजडाल	998.76
14.	,,	,, भूरसिंह दूदसर	1300.17
15.	,,	,, गोखा	699.02
16.	,,	,, कनेरा	474.12
17.	,,	,, लुखु	1247.33
18.	,,	,, कोटड़ा	682.28
19.	,,	,, नोखड़ा	184.00
20.	,,	,, स्वामी भूगांव	199.10
21.	,,	,, मेघराज बी. बीन?	3058.01
			8908.42
22.	,,	,, वासुदेव बाकाराम	3653.47
			3127.52
		योग:	43,484.69

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 1975

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	शीर्षक ऊपर से 2	जथर	जयपुर
6	नीचे से 12	इसके	इसका
6	ऊपर से 5	किसानों	किसान का
12	ऊपर से 14	मिला हुआ	मिली हुई
23	नीचे से 5	को	की
25	नीचे से 17	ने	से
26	नीचे से 4	रहते है	रहती है
44	नीचे से 8	एडमिस्ट्रेटिव	एडमिनिस्ट्रेटिव
48	नीचे से 11	प्रोक्टेड	प्रोटेक्टेड
51	ऊपर से 12	सदस्या	सदस्यों
79	शीर्षक	स्थगित	स्थगन
80	ऊपर से 9	व्यवण	व्यवस्था
85	नीचे से 16	छोगालों	घोटालों
118	नीचे से 8	यू	यो
134	ऊपर से 4	सांस्कृनिक	सांस्कृतिक
164	नीचे से 2	236	136
192	ऊपर से 7	मुख्या	मुख्य
192	ऊपर से 14	दूरा	द्वारा
207	ऊपर से 6	एर	पर
216	नीचे से 13	आसान	आसन
233-237	शीर्षक	मनोहरलाल	मूलचन्द सामरिया
246	नीचे से 2	या	था
257	नीचे से 4	करेगी	करेंगे
258	नीचे से 14	होगीं	होंगी
263	नीचे से 8	साथी	—
267	नीचे से 17	अनेका	अनेक

Page No 228

228

1	2	3	4
269	ऊपर से 5	छिड़पाया	छिपाया
269	नीचे से 5	था	थे
269	नीचे से 1	मिलर	मिल
272	ऊपर से 8	चजा	जांच
273	ऊपर से 15	किसी	किसकी
276	नीचे से 10	उडडता	उदण्डता
277	ऊपर से 11	मालूल	मालूम
295	ऊपर से 9	बनाबर	बराबर
306	ऊपर से 1	रिमोर्डेलाइजो	रिमोर्डेनाइज
313	शीर्षक .	4	14
318	नीचे से 5	सिवाथ	सिवाय
322	ऊपर से 12	निनमों	नियमों
331	शीर्षक	1973	1975
337	नीचे से 2	अब	आप
348	नीचे से 14	संक्टर	सेन्टर
353	ऊपर से 9	प्राविडेण्ड	प्रोविडेण्ट
355	ऊपर से 7	किये	किये गये
355	ऊपर से 9	हुए	हुए भी
355	ऊपर से 12	करके	—
365	नीचे से 16	छोटी	छाटे
368	ऊपर से 15	जो	को
368	नीचे से 7	वह	—
369	8	लिये	लिये मैं
370	ऊपर से 15	चेन्वेज	चेन्जेज
372	ऊपर से 5	रिक्रट	रिक्रूटमेंट
379	ऊपर से 9	मिखड	मिक्स्ड
387	ऊपर से 8	लंनी	लेन्दी
390	नीचे से 7	चलने	चलते
401	नीचे से 13	बीच	बेंच
401	ऊपर से 12	जायलां	जालियां
405	नीचे से 15	नही	रही
406	ऊपर से 14	को	—
406	नीचे से 3	प्रयोजनार्व	प्रयोजनार्थ